2011 12

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

जुड़े शक्ति – बढ़े गति

Pooling strength - Walking extra length

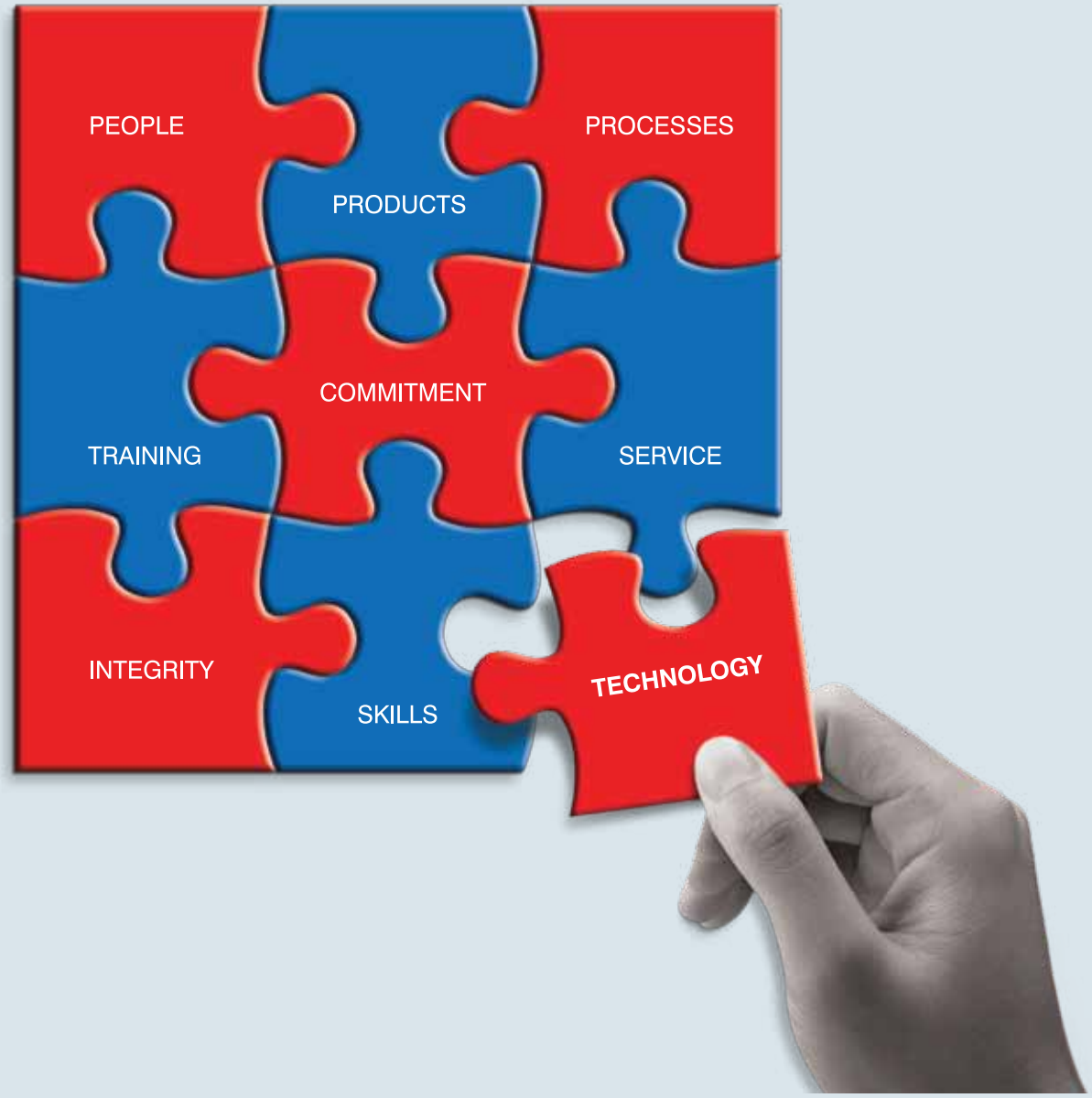

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

आपके सपने सिर्फ़ आपके नहीं
Your dreams are not yours alone

विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक मंडल	03
वर्ष 2011-12 की प्रमुख बातें	14
महत्त्वपूर्ण वित्तीय सूचक	16
सूचना	18
निदेशकों की रिपोर्ट	20
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	25
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	45
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	72
तुलन-पत्र	74
लाभ एवं हानि लेखा	75
अनुसूचियां 1 से 18	76
नकदी प्रवाह विवरण	101
समेकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	103
समेकित तुलन-पत्र	104
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	105
समेकित अनुसूचियां 1 से 18	106
नकदी प्रवाह विवरण	123
जोखिम प्रबंधन	125

CONTENTS

	Page
Board of Directors	03
Highlights of 2011-12	15
Key Financial Indicators	136
Notice	138
Directors' Report	140
Management Discussions & Analysis	144
Corporate Governance Reprot	162
Auditors' Report	186
Balance Sheet	188
Profit & Loss Account	189
Schedules 1 to 18	190
Cash Flow Statement	213
Consolidated Auditors' Report	215
Consolidated Balance Sheet	216
Consolidated Profit & Loss Account	217
Consolidated Schedules 1 to 18	218
Consolidated Cash Flow Statement	234
Risk Management	236

प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

निवेशक सेवा प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.

प्लॉट क्र. बी- 5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम. आई. डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 093.

Registrar & Share Transfer Agent Datamatics Financial Services Ltd.

Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai-400 093.

लेखा परीक्षक AUDITORS

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

For J.L.SENGUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

For PRICE PATT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

For SINGRODIA GOYAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री डी.सरकार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shri Debabrata Sarkar
Chairman &
Managing Director

श्री डी.सरकार ने 1 अप्रैल, 2012 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य-भार ग्रहण किया. 3 नवम्बर, 1953 को जन्मे, श्री सरकार ने कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और वे अर्हता प्राप्त फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं. इसके अतिरिक्त, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनांस के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा से अपना कैरियर शुरु करके, उन्होंने विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालय, अंचलीय कार्यालय और कारपोरेट कार्यालय में कार्य किया. वे पोर्ट लुई में बैंक के मॉरीशस परिचालन के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रभारी रहे. उन्होंने विशेषीकृत इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा, मुंबई के प्रभारी के रुप में भी कार्य किया. श्री सरकार ने 07.12.2009 को इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यग्रहण किया. श्री सरकार के नेतृत्व में इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म के अंतर्गत लायी गईं. आपने इलाहाबाद बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा लाने में पहल की. आपने ऋण समूहन विभाग को कार्य निष्पादन केन्द्रित, व्यापक प्रोत्साहन योजना बनाकर पुन: सक्रिय किया. श्री सरकार ट्रेजरी एवं कारपोरेट क्रेडिट विशेषत: ऋण नियोजन में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं.

आप सेंट्रल सेक्युरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड मुंबई, बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ओवरसीज बैंकिंग सब्सीडरी) के बोर्ड में निदेशक एवं बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के न्यासी थे. आप आईसीआईसीआई वेन्चर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंगलूर द्वारा प्रायोजित सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया एडवांटेज फंड सीरीज के सदस्य भी थे.

Shri D. Sarkar has taken over the charge as Chairman & Managing Director of the Bank since 1st April, 2012. Born on 3rd November, 1953, Shri Sarkar holds a post graduate degree in Commerce and is a qualified Fellow Chartered Accountant. In addition, he is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance. Having started his career in Bank of Baroda, he worked in various capacities in Branches, Regional office, Zonal Office and Corporate Office. He was in charge of Internal Audit department of Bank's Mauritius Operation at Port Louis. He also worked as in charge of Specialized Integrated Treasury Branch, Mumbai. Shri Sarkar assumed the office of the Executive Director of the Allahabad Bank on 07.12.2009. Shri Sarkar was instrumental in bringing all the branches under CBS platform in Allahabad Bank. He has taken initiative in introducing Risk Based Internal Audit in Allahabad Bank. He was also associated with reactivating Loan syndication department, making Incentive Scheme broad based focusing on performance. Shri Sarkar is known for his expertise in Treasury & Corporate Credit focusing mainly on credit deployment.

He was a Director on the Board of Central Securities Depository Ltd. Mumbai, Board of Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (an overseas banking subsidiary of Bank of Baroda). He was a Trustee on the Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd., Mumbai. He was also a member on Supervisory Board of India Advantage Fund Series sponsored by ICICI Venture Capital Management Company Ltd., Bangalore.

श्री एस. एस. मूंदड़ा
कार्यपालक निदेशक

SHRI S. S. MUNDRA
Executive Director

श्री मूंदड़ा ने 1 सितंबर 2010 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है. 18 जुलाई 1954 को जन्मे श्री मूंदड़ा पुणे विश्वद्यिालय से कामर्स में पोस्ट ग्रेजुएट और इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के प्रमाणित एसोसिएट हैं.

यूनियन बैंक में कार्यग्रहण से पूर्व श्री मूंदड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा में महाप्रबंधक थे और उनको 7 जनवरी 2008 से बैंक के यूरोपियन परिचालनों का मुख्य कार्यपालक बनाया गया था. इसके पूर्व वे मुंबई में ट्रेज़री व संसाधन प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक थे.

उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में सीधे भर्ती अधिकारी के तौर पर 21 मार्च 1977 को सेवा आरंभ की थी. अपने तीन दशकों के बैंकिंग कैरियर में उन्होंने देश और विदेश में कई पदों पर काम किया. कैरियर के आरंभ में वे बैंक की कई शाखाओं के शाखा प्रबंधक और बैंक के क्षेत्रीय और अंचलीय कार्यालयों में क्रेडिट के प्रभारी रहे थे. 1994-97 के दौरान उन्होंने युगांडा में बैंक की सहायक कंपनी में काम किया. श्री मूंदड़ा 20010 से 2005 तक और पुन: 2007 में ट्रेजरी में रहे. इस दौरान उन्होंने मनी मार्केट परिचालन के प्रभारी, ट्रेज़री बैक आफिस के प्रमख, ट्रेज़री फ्रंट आफिस के प्रमुख आदि के रूप में काम किया और बाद में संपूर्ण ट्रेज़री के महाप्रबंधक पद पर आसीन हुए.

2005-2007 के दौरान उनको " फालो ऑन पब्लिक ऑफर " का कार्य सौंपा गया, जो जनवरी 2006 में अभूतपूर्व सफलता के साथ पूरा हुआ. इसके बाद वे बैंक के महाराष्ट्र और गोवा अंचल के अंचल प्रमुख बने, जिसमें 204 शाखाएं थीं और रु. 10 बिलियन का कारोबार था तथा इसका विशाल भौगोलिक क्षेत्र था.

उनके कार्य काल में अंचल में बैंक की कई नई पहल यथा " एसएमई लोन फैक्टरी " और "जेन नेक्स्ट ब्रांच" लांच किये गये थे, जो बाद में बैक के कारोबार को बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हुए.

वर्ष 2006 में आप बैंक के निदेशक मंडल के सचिव भी रहे थे ओर लंबे समय तक आप बैंक के निवेशक संबंधी कार्यों से भी जुड़े रहे.

उन्होंने बैंक के कार्य, सेमिनार में भाग लेने और कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए कई देशों की यात्रा की है.

वे बैंक के प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों ओर बैंकिंग संस्थाओं में अतिथि फैकल्टी भी रहे हैं.

भारत में श्री मूंदड़ा ने मिटकान, पुणे, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लि. (सीडीएसएल), मुंबई, क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआईएल), मुंबई और बॉब असेट मैनेजमेंट कंपनी जैसी कंपनियों के बोर्ड में बैंक का प्रतिनिधित्व किया है.

उन्हें हाल ही में इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा निदेशक के रुप में नामित किया गया है.

श्री मूंदड़ा एक अच्छे पाठक हैं और उनके पठन क्षेत्र का विस्तार नेतृत्व, साहित्य, बैंकिंग से लेकर योग और दर्शन तक है.

Shri Mundra assumed charge as Executive Director of Union Bank of India w.e.f. September 1, 2010 . Born on 18th July, 1954, Shri Mundra is a Post Graduate in Commerce from the University of Pune and is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance.

Prior to joining Union Bank, Shri S S Mundra was in the rank of General Manager of Bank of Baroda and was posted as Chief Executive of Bank's European Operations w.e.f. 7th January, 2008. Prior to this, he was holding the charge as General Manager Treasury and Resource Management at Mumbai.

He joined Bank of Baroda on 21st March, 1977 as a Directly Recruited Officer. In a Banking Career, spanning over three decades, he has held various positions across the country as well as overseas. Early in his career, he had been Branch Manager at various branches of the Bank as also in charge of Credit Functions of various Regional/Zonal offices of the bank. During the years 1994-1997 he was posted at Bank's subsidiary at Uganda. Shri

Mundra had been in Bank's Treasury function from the year 2001 to 2005 and again in the year 2007.During the stint, he has worked in various Treasury functions including in charge of Money Market Operations, Heading the Treasury Back Office, Heading the Treasury Front Office and finally rising to the post of General Manager of entire Treasury Operations.

During the period 2005-2007, he was assigned to steer the bank's "follow on Public Offer" which was completed in the month of January, 2006 with a resounding success. Thereafter, he took over as the Zonal Head of Bank's Maharashtra and Goa Zone, spanning over a large geographical area consisting of 204 branches and business level of Indian Rs. 10 Bn.

Bank's new initiatives viz. "SME Loan Factory", "Gen- Next Branch" etc. were launched in the Zone during his stint which later developed as a robust business model for the bank.

He was also Secretary to the Board of Directors of the Bank in the year 2006 and has also been associated with Investor Relationship Function of the Bank for a long time.

He has travelled widely and has visited several countries in the course of Bank's assignments, seminars and also for a few specialised trainings.

He has also been a visiting faculty to the Bank's Training Institutions as well as Training Institutions of other Banks and Banking Bodies.

In India, Shri Mundra has represented the Bank as a Director on the Board of many companies viz. MITCON, Pune, Central Depositary Services Limited (CDSL), Mumbai, Clearing Corporation of India Limited (CCIL), Mumbai and Bob Asset Management Company.

He was also a Nominee Director of Govt. of India on the Board of India Infrastructure Finance Company (UK) Limited, London during his stint with Bank of Baroda, London. He is presently on the Board of Star Union Dai-Ichi Life Insurance and National Payments Corporation of India.

Shri Mundra is an avid reader and his reading interests range from Leadership literature, banking to Yoga and Philosophy.

श्री सुरेश कुमार जैन
Shri Suresh Kumar Jain

श्री सुरेश कुमार जैन ने 1 सितंबर 2011 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया. वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बी.एससी.(ऑनर्स) तथा एम.ए.(अर्थशास्त्र) के साथ गोल्ड मेडलिस्ट हैं. श्री जैन 35 वर्षों से अधिक से व्यावसायिक बैंकर हैं व उन्होंने ऋण तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में विशेषज्ञता के साथ देश और विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया. बैंक में कार्यग्रहण से पहले श्री जैन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे. श्री एस.के.जैन को लंदन एवं हांगकांग में कार्य करने से देशी तथा साथ ही विदेशी बैंकिंग का वृहद् अनुभव है. वे बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव सहित अनुभवी बैंकर हैं.

Shri Suresh Kumar Jain has assumed charge as the Executive Director of Union Bank of India on 1st September 2011. He is Gold Medalist in College and University with B.Sc (Hons.) & M.A. (Economics). Shri Jain has been a professional Banker for over 35 years, having worked in various capacities across the country and abroad with specialization in Credit and Foreign Exchange. Prior to joining the Bank, Shri Jain was General Manager, Bank of India. Mr. S.K. Jain has rich experience in both domestic as well as international banking having worked in London and Hong Kong. He is a seasoned banker with varied experience in all areas of banking.

श्री राजेश खुल्लर
Shri. Rajesh Khullar

श्री राजेश खुल्लर को बैंक के निदेशक बोर्ड में 15 नवम्बर, 2011 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है. श्री खुल्लर हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से 1984 में भौतिक शास्त्र में परा स्नातक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था.

वे 1995-96 मे सोनीपत और 1999 से 2001 तक रोहतक में जिलाधिकारी के पद पर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में कृषि, स्कूली शिक्षा, जनसंपर्क और पर्यटन विभागों में निदेशक के रुप में कार्य किया है.

जटिल समस्याओं का अभिनव समाधान निकालना तथा सिद्धांत आधारित स्कीमों का पक्ष लेना उनके व्यक्तित्व के मजबूत पक्ष हैं. कन्या भ्रूण हत्या और उसके साथ साथ कन्याओं की पोषण और शैक्षिक उपेक्षा तथा बालविवाह की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने 1994 में "अपनी बेटी अपना धन " नामक एक सफल स्कीम बनाई थी.

अत्यधिक भूजल का उपयोग करने वाली "साथी" (गरमी में धान की फसल) से किसानों को हत्सोसाहित करने की सफलता का श्रेय उनको है. इसके कारण राज्य में भूजल के स्तर में गिरावट हो रही थी. उनकी इस उपलब्धि को इंडिया टुडे के अगस्त 2006 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. उन्होंने जल संरक्षण अभियान का नेतृत्व किया जो भारतीय कृषि के इतिहास में दर्ज है, जिसने हरियाणा में गेहूं उत्पादकता के क्षेत्र में पंजाब को पीछे छोड़ दिया.

वे दो बार हरियाणा राज्य एडस नियंत्रण समिति के निदेशक के पद पर रहे. उन्होंने एचआयवी से संबंधित शंकाओं और सवालों का जवाब देने के लिए कहानी के माध्यम का प्रयोग किया और इस क्रम में 08 दिसम्बर, 2007 को बेंगलोर में भारत पाक मैच के दौरान रुपा द्वारा उनके प्रथम उपन्यास "Viral Match" का प्रकाशन किया गया.

जुलाई 2007 से जुलाई 2009 के मध्य नगर महापालिका, फरीदाबाद में आयुक्त के पद पर नियुक्ति के दौरान उन्होंने एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा स्कीम प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत बीमा बचत खाते, स्वास्थ्य जांच, सार्वजनिक सुरक्षा और रैनबसेरे की सुविधा का समावेश था, जिसके लिए भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदूषण रहित परिवहन माध्यम के जरिए शहरी यातायात में सुधार के लिए उन्हें श्रेष्ठता पुरस्कार प्रदान किया गया. वित्तीय कार्य मंत्रालय के आईएनआई प्रभाग में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण करने के पूर्व वे गुड़गांव नगर पालिका के आयुक्त थे, जहां उन्होंने 21वीं सदी की जनआकांक्षाओं के अनुरुप प्रोटाकॉल आरंभ किया था.

Shri. Rajesh Khullar has been appointed as Govt. Nominee Director of the Board of the Bank w.e.f. November 15, 2011. Sh. Khullar belongs to 1988 batch of IAS from Haryana Cadre. He had obtained his Master's Degree in Physics in 1984 topping the Punjab University.

His posting include two stints as District Magistrate first in Sonepat during 1995-96 and then in Rohtak from 1999 to 2001. He has also worked as Director in Departments of Agriculture, School Education, Public relations, and Tourism in Haryana.

Generating innovative solutions to vexed problems and strongly advocating principle based schemes are his forte. He conceived the unique path breaking scheme named "Apni Beti, Apna Dhan" Scheme in 1994 that has simultaneously addressed the problems of female foeticide nutritional and educational neglect of girl child and early age of marriage.

He also has to his credit the distinction of successfully weaning away the farmers from the cultivation of "saathi"(summer paddy), which being a water guzzler was playing havoc with the water table in fresh water aquifers of the State. This achievement was highlighted by India Today in its issue of August, 2006. He also led the campaign which helped achieve the watershed event in the history of Indian Agriculture where Haryana surpassed Punjab in wheat productivity.

He has twice been the Director of Haryana State AIDS control Society. He began experimenting with the medium of fiction as a means of answering the HIV related doubts and questions, this led to publication of his first novel, "Viral Match", by Rupa which was launched on December 8, 2007 during Bangalore Test Match between Pakistan and India.

During his posting as Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad from July 2007 to June 2009 he launched India's first project of providing a comprehensive social safety umbrella including insurance, saving accounts, health checkups, public conveniences and night shelters for which he was conferred an AWARD of EXCELLENCE under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission by Government of India for improvement in sustainable Urban Mobility through green transport mode. His last posting prior to taking over charge as Joint Secretary, I&I Division, Department of Economic Affairs Ministry of Finance was as Commissioner, Municipal Corporation, Gurgaon where he introduced protocols true to the aspirations of people in 21st Century.

श्री चंदन सिन्हा
Shri Chandan Sinha

श्री चंदन सिन्हा 08 मार्च, 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक है. अपने इस कार्यभार से पहले आप मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई में विशेष कार्य अधिकारी थे. आपको करेंसी, ऋण और मुद्रा बाजार का विशद अनुभव है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के 3 बाजार उन्मुख विभागों से 17 वर्षों जुड़े रहे हैं जिसमें 4 वर्ष तक वित्तीय बाजार के प्रमुख रहे हैं. अपने भारतीय प्रतिभूति ट्रेडिंग कार्पोरेशन में 3 1/2 साल चीफ डीलर के पद पर और डाक जीवन बीमा के निवेश प्रभाग की स्थापना के लिए मुख्य निवेश अधिकारी के रुप में एक साल तक कार्य किया है.

श्री सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रमुख कार्यदल/समितियों में रहे है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और कार्यशालाओं में उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से भाग लिया है. वे इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल में 2005 में सम्मिलित थे तथा डेढ़ साल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट गुवाहाटी के निदेशक रहे हैं. वे देश-विदेश में प्रशिक्षण संस्थानों में वक्ता के रुप में आमंत्रित किए जाते रहे है और कार्पोरेट बांड मार्केट डेवलपमेंट इन इंडिया (बीआईएस पेपर्स जनवरी 2006) और इंडियन फाइनांशियल ओपेननेस एंड इंट्रिगेशन विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज (बीआईएस पेपेर्स 42 अक्तूबर 2008) के सह लेखक है.

1982 में रिज़र्व बैंक की सेवा में आने से पहले आप भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी थे. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कालेज से एमएससी (भौतिक शास्त्र) की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा बैंक की सेवा में रहते हुए एमबीए (वित्त) तथा सीएआइआइबी की योग्यता भी अर्जित की है.

Shri Chandan Sinha is the Regional Director of the New Delhi office of the Reserve Bank of India (RBI) since March 8, 2011. Prior to the current assignment, he was Officer on Special Duty in the Financial Stability Unit of the RBI at Mumbai. He has rich experience of the currency, debt and money markets in view of his long association of 17 years with the three market oriented departments of RBI (including as the head of the Financial Markets Department for 4 years), a 3 ½ year stint with the Securities Trading Corporation of India (STCI) as the Chief Dealer and one year tenure as the Chief Investment Officer (HAG level) for setting-up the Investment Division of the Postal Life Insurance.

Shri Sinha has served on several important working groups/committees of the Reserve Bank and has also been the RBI nominee for several international seminars and workshops. He was the RBI nominee Director on the Board of Allahabad Bank in 2005 and served as the Director, Indian Institute of Bank Management, Guwahati for 1½ years. He has been a resource person at training establishments both within and outside the country and has co-authored papers on Corporate Bond Market Development in India (BIS papers-Jan. 2006) and on Indian Financial Openness and Integration with South East Asian Countries (BIS papers 42 – Oct. 2008).

Before joining the RBI in 1982, he worked as probationary officer with the State Bank of India. He is M.Sc. (Physics) from St. Stephens College, Delhi University and acquired MBA (in Finance) and also CAIIB during the course of his career in the Bank.

श्री बी. एम. शर्मा
Shri B.M.Sharma

श्री बी. एम. शर्मा बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 के सनदी लेखाकार श्रेणी खंड (3)(जी) के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना के जरिये नियुक्त किए गए हैं.

श्री शर्मा अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार हैं, जो 28 से अधिक वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, आप अर्हताप्राप्त सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक भी हैं. आपने अपने दो दशकों से अधिक के अनुभव के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा तथा बैंकों के कई अन्य कार्यों का संचालन भी किया है तथा वित्त, बैंकिंग एवं कराधान में विशेषज्ञता प्राप्त की है.

यूनियन बैंक में अपने नामांकन से पहले श्री शर्मा केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत विजया बैंक के निदेशक मंडल में थे.

श्री शर्मा वर्ष 2009 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया की व्यावसायिक विकास समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य थे. व्यावसायिक विकास समिति से जुड़े होने के कारण आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी इक्विटी वित्तपोषण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्रों में गहन अनुभव है.

Shri B.M. Sharma has been appointed on the Board of the Bank vide notification dated 16th April, 2010 under the clause 9 (3)(g), chartered Accountant Category of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Shri B.M. Sharma is qualified Chartered Accountant practicing for more than 28 years. In addition he is also qualified Information System Auditor. During his span of experience of over two decades he has handled Concurrent Audit and various other assignments of banks and has gained expertise in the field of Finance, Banking & Taxation.

Prior to his nomination to Union Bank Shri Sharma had been on the Board of Vijaya Bank appointed by Central Government under Chartered Accountant Category.

Shri Sharma was also a special invitee to Professional Development Committee of the Institute of Chartered Accountants of India during the year 2009. During his association with Professional Development Committee he has worked very closely in the fields of Public Sector Undertakings, Private Equity Financing and Regional Rural Banks.

श्री वैद्यनाथ भट्टचार्जी
SHRI BAIDYA NATH BHATTACHARJEE

केंद्र सरकार ने भारिबैं. से विचार विमर्श कर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एफ) के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (1) एवं (2) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी.एन. भट्टाचार्जी को अधिकारी निदेशक के रूप में दिनांक 4 मई 2011 से नामित किया है.

श्री भट्टाचार्जी एक सक्रिय ट्रेड यूनियन नेता हैं एवं ट्रेड यूनियन उनका शौक है. उन्होंने अधिकारियों के हित के लिए अपने कैरियर एवं व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का भी त्याग कर दिया. लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक श्री भट्टाचार्जी ने विधि का भी अध्ययन किया है. वे एआईयूबीओएफ से 1989 में जुड़े एवं 1991 में इसकी सेंट्रल कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए. 1997 में, आप ऑल इंडिया यूनियन बैंक आफिसर्स फेडरेशन के कोषाध्यक्ष चुने गए एवं अभी तक उस पद पर बने हुए हैं. वर्तमान में, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आफिसर्स एसोसिएशन, बंगाल व सिक्किम इकाई के उपाध्यक्ष और एआईबीओसी एवं एआईएनबीओएफ की पश्चिम बंगाल इकाई के भी उपाध्यक्ष हैं. आपका एआईएनओबीएफ की स्थापना में भी योगदान रहा. श्री भट्टाचार्जी की अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी मामलों में काफी रूचि है एवं उन्होंने उप महा प्रबंधक स्तर के कार्यपालकों सहित बहुत से अधिकारियों को समुचित न्याय दिलाया है. आपकी फोटोग्राफी, अंकशास्त्र, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं लोकसंगीत में भी काफी रूचि है. आप सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों से जुड़ी सम-सामयिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं. देश में बैंकिंग गतिविधियों की अच्छी समझ एवं पकड़ होने के कारण आप एआईयूबीओएफ की गृहपत्रिका यूनियन विज़न के उप संपादक भी हैं. प्रौद्योगिकी के प्रति अपने रूझान के कारण ही आप एआईयूबीओएफ की वेबसाइट के प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं.

Central Government after consultation with Reserve bank of India nominated Shri B. N. Bhattacharjee as an Officer Employee Director in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous provisions) scheme 1970/1980 w.e.f. May 4, 2011.

Shri Bhattacharjee is an active trade- unionist, with a great passion and sacrificed his career and personal comforts for the cause of the officers' fraternity. Shri Bhattacharjee, a graduate from Lucknow Unniversity had pursued study of law. He became activist of the AIUBOF since 1989 and became central Committee member since 1991. In 1997, he was elected as the Treasurer of the All India Union Bank Officer's Federation and is continuing in the post till date. At present he is Vice President of Union Bank of India Officer's Association, WB & Sikkim, Vice President of the West Bangal state units of AIBOC and AINBOF. He is one of the founder activists towards formation of AINBOF. He takes keen interest in disciplinary proceedings and assisted number of cases of the officers including Deputy General Manager with flying colours. Shri Bhattacharjee takes keen interest in photography, numerology, Hindustani classical and folk music. He is a keen observer of contemporary issues on socio-political and economic developments. With his great ability and fascination in banking activities in the country, he performs the duty of the sub-editor of Union Vision, the house journal of AIUBOF. Being a tech-savvy person, he is administrator of website of the AIUBOF as well

श्री एन. शंकर
SHRI N. SHANKAR

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) के अंतर्गत निदेशक के रूप में पुन: नामित श्री एन. शंकर 1979 से बैंक के कर्मचारी हैं एवं वर्तमान में मुंबई समाचार मार्ग शाखा, मुंबई में विशेष सहायक के रूप में पदनामित हैं. संप्रति आप अखिल भारतीय यूनियन बैंक इम्प्लाइज़ एसोसिएशन (ए आई यू बी जो बैंक में बहुमत प्राप्त यूनियन है, के महा सचिव हैं. आप महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मचारी संघ, जिसमें 40000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, की कार्यकारिणी समिती के सदस्य है. आप एआईबीईए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अनेक स्तरों पर गठित विभिन्न समितियों के भी सदस्य हैं. आप विज्ञान स्नातक तथा आईसीडब्ल्यूए के सदस्य हैं.

आप पिछले 9 वर्षों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में पीएफ ट्रस्टी भी हैं. यूनियन परिवार के जरिए विभाग का कार्य सुसंगत बनाने एवं उसमें सुधार लाने हेतु आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके फलस्वरूप भविष्य निधि ऋण एवं सेवानिवृत्ति देयों का त्वरित संवितरण संभव हो सका है.

आप नवी मुंबई में सहकारिता समिति आंदोलन में भी सक्रिय हैं तथा म्युनिसिपल कर आदि लागू करने हेतु नवी मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन एवं नागरिकों द्वारा बनायी गयी कार्य समिति के प्रमुख सदस्य हैं.

Re-nominated as Government nominated Director under Clause (e) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, Shri N. Shankar is a Bank employee since 1979 and is presently a Special Assistant in M. S. Marg branch, Mumbai. Currently, he is the General Secretary All India Union Bank Employees' Association (AIUBEA) the majority recognized Union in the Bank. He is also the Working Committee Member of Maharashtra State Bank Employees Federation affiliated to AIBEA covering more than 40000 employees. He is also a member of many Committees at various levels that take up updating AIUBEA movement. He is a Graduate in the faculty of Science and a member of the Institute of Cost and Works Accountants of India.

An employee representative on the PF Trustee in the Union Bank of India employees PF Trust for the last eight years, he has been instrumental in bringing about various improvements and streamlining the functioning of the department through Union Parivar resulting in speedy disbursement of PF Loans and Retirement dues

He is also involved in the Cooperative Society movement in Navi Mumbai and is the key member of the action committee formed by Navi Mumbai Municipal Corporation and Citizens to implement Municipal tax etc.

प्रो. एम. एस. श्रीराम
PROF. M.S. SRIRAM

आप 14 जून 2006 को संपन्न असाधारण सामान्य बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में चुने गए तथा शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं. आप ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (ईरमा) (1984) से ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी हैं तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर (1992) के सह-सदस्य (फेलो) हैं. संप्रति, आप भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में वित्तीयन एवं लेखा क्षेत्र में प्रोफेसर हैं. आपको अकादमी एवं परामर्श के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है. वित्तीय लेखांकन, कृषि वित्त, सामाजिक उद्यमिता और माइक्रोफाइनेंस आपकी विशेष योग्यता के क्षेत्र हैं. आपकी दो पुस्तकें एवं कई पेपर प्रकाशित हो चुके हैं. वे रूडी मल्टी ट्रेडिंग कंपनी, संघमित्रा रूरल फायनांशियल सर्विसेस, नाबार्ड फायनांशियल सर्विसेस के निदेशक मंडल के सदस्य है. प्रो. श्रीराम बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, दस्तकार आंध्र मार्केटिंग एसोसिएशन, प्रथम बुक्स बोर्ड के ट्रस्टी, दस्तकार आंध्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ट्रस्टी, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मेनेजमेंट, आणंद के गवर्नर मंडल के भी सदस्य हैं.

Represents shareholder interests on the Board having been elected to the Board at the EGM held on 14th June 2006 and re-elected for a further period of 3 years in EGM held on 22/06/2009 . He holds a Post Graduate Diploma in Rural Management from Institute of Rural Management, Anand (IRMA) (1984) and is a Fellow of the Indian Institute of Management, Bangalore (1992). He has more than two decades of experience in academia and consulting. His fields of expertise are Financial Accounting, Agricultural Finance, Social Entrepreneurship and Microfinance. His publications include two books and several papers. He also holds Board Membership of Sanghmitra Rural Financial Services and NABARD Financial Services Ltd. Prof. Sriram is also member, Governing Council of Bankers Institute of Rural Development, Lucknow, Advisory Board of Trustees Dastkar Andhra Marketing Assosication, Board of Trustees Pratham Books, Trustee Dastkar Andhra, Board of Governers, Institute of Rural Management Anand.

श्री एस. रवि
SHRI S. RAVI

श्री रवि, आयु 53 वर्ष, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में दिनांक 24 जून 2009 से अंशधारक निदेशक के रुप में शामिल हुए. आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य एवं कॉमर्स में स्नातकोत्तर हैं.

आपको वित्तीय क्षेत्र के कई बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में विभिन्न पदों पर आसीन होने का विशद अनुभव है. मेसर्स रवि राजन एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, के प्रवर्तक एवं प्रबंधकीय भागीदार के रुप में, आप फर्मों की लेखापरीक्षा एवं लेखा संबंधी कार्यप्रणालियों के संपूर्ण कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं और उन्हें कारोबार मूल्यांकन, ब्रांड मूल्यांकन, विलयन एवं अधिग्रहण, पुनर्वास, रीस्ट्रक्चरिंअ एवं टर्नएराउंड रणनीतियों जैसी विशेषीकृत गतिविधियों में वित्तीय एवं प्रबंधन संबंधी सलाह प्रदान करते हैं. आप आरआरसीए एंड एसोसिएट्स के प्रबंधकीय भागीदार हैं.

आपके पास बैंकिंग क्षेत्र का विशद अनुभव है, जिसमें यूको बैंक (भारत सरकार द्वारा नामित) के निदेशक पद पर उनका कार्यकाल शामिल है. वर्ष 2000-02 के दौरान देना बैंक के अंशधारक निदेशक के रुप में आप लेखापरीक्षा समिति, आस्ति-देयता एवं जोखिम प्रबंधन समिति एवं एनपीए अनुश्रवण के लिए गठित निदेशकों की समिति के सदस्य रहे. आप निदेशकों की वित्तीय समीक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे. आप कार्पोरेशन बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य एवं इसकी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे. आपको आईएफसीआई, कैनबैंक फंड एवं प्रिंसिपल ट्रस्टी कं. प्रा. लि. जैसी बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के निदेशक मंडल में भी रहने का विशद अनुभव है. आप पंजाब एंड सिंध बैंक की तकनीकी विशेषज्ञ समिति एवं गवर्नमेंट सेक्युरिटी बिल, 2004 के फ्रेमवर्क के अधीन गवर्नमेंट सेक्युरिटीज़ विनियम का प्रारुप तैयार करने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्य दल के भी सदस्य रह चुके हैं.

संप्रति, श्री रवि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल), आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सर्विसेज़ लि., यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि., एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि., रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि., जीएमआर चेन्नै आउटर रिंग रोड प्रा. लि., एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि., कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि., महिन्द्रा उजाइन स्टील कं. लि. एवं एस रवि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्रा. लि. के निदेशक मंडल के सदस्य हैं. आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के प्रबंध मंडल के भी सदस्य हैं. इसके अलावा, आप भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अधीन सीएसआर मामलों हेतु संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु तौर-तरीकों का सुझाव देने हेतु गठित कार्यदल एवं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की प्रोफेशनल डेवलपमेंट समिति के भी सदस्य हैं.

आप भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.(भेल), आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., एलआईसी हाउसिंग फायनांस कार्पोरेशन लि. एवं रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि. की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. और महिन्द्रा उजाइन स्टील कं. लि. के सदस्य हैं. आप एलआईसी हाउसिंग फायनांस कार्पोरेशन लि. एवं महिन्द्रा उजाइन स्टील कं. लि. की निवेशक शिकायत समिति के भी सदस्य हैं.

श्री रवि के पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 600 शेयर हैं.

Shri S. Ravi, aged 53 years was inducted as Shareholder Director on the Board of Union Bank of India w.e.f. 24th June, 2009. He is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds a Masters Degree in Commerce.

His experience includes holding a number of positions on the Board of Banks, Financial Institutions and Asset Management Companies in the financial sector. As the Promoting and Managing Partner of Ravi Rajan & Co., Chartered Accountants, he supervises the entire gamut of audit and accounting activities of the firm and offers Financial and Management Consultancy in specialized areas comprising of Business Valuations, Brand Valuation, Mergers and Acquisitions, Rehabilitation, Restructuring and Turnaround Strategies. He is also Managing Partner of RRCA & Associates.

He has a rich experience in Banking Sector which includes tenure as director of UCO Bank (appointed by Govt. of India). As the Shareholder's Director of Dena Bank during 2000-02, he was member in the Audit Committee, Asset-liability and Risk Management Committee and Board's Committee for monitoring NPAs. He was also Chairman of Board's Financial Review Committee. He also served on the Board of Corporation Bank and was the Chairman of its Audit Committee. His experience in the banking and finance sector also includes serving as director on the Boards of IFCI, CANBANK Fund and Principal Trustee Company Private Limited. He was also a member of Technical Experts Committee of Punjab & Sind Bank and Working Group formed by Reserve Bank of India for preparation of the Draft Government Securities Regulations within the framework of the Government Securities Bill, 2004.

At present, Shri S. Ravi is Director on the Boards of Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), IDBI Capital Markets Services Ltd., UTI Trustee Company Pvt. Ltd., LIC Housing Finance Ltd., Religare Housing Development Finance Corporation Limited, GMR Chennai Outer Ring Road Pvt. Ltd., SME Rating Agency of India Limited, Canbank Venture Capital Fund Ltd, Mahindra Ugine Steel Company Limited and S. Ravi Financial Management Services Pvt. Ltd. He is also Member of the Board of Governors,

Management Development Institute. Besides these, he is also member of the working group, constituted by Government of India, to suggest modalities for creation of an institutional structure for CSR matters under Department of Public Enterprises (DPE), and member of Professional Development Committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

He is Chairman of the Audit Committees of Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL), IDBI Capital Markets Services Ltd, LIC Housing Finance Ltd. and Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. and Member of the Audit Committee of SME Rating Agency of India Limited and Mahindra Ugine Steel Company Limited. He is also Member of the Investor Grievance Committee of LIC Housing Finance Ltd and Mahindra Ugine Steel Company Limited.

Shri S. Ravi holds 600 equity shares of Union Bank of India.

डॉ अतुल अग्रवाल
DR. ATUL AGARWAL

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /1980 की धारा 9 की उपधारा 3(एच) और 3(ए) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने 22.09.2011 से तीन वर्षों या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए डॉ अतुल अग्रवाल को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित किया है.

एक सनदी लेखाकार डॉ अग्रवाल बी कॉम, एलएलबी, एफसीए, आईएसए (आईसीएआई) और कॉमर्स में पीएचडी हैं. डॉ अग्रवाल 1984 से चार्टर्ड एकाउंटेंट के रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के संस्थापक भागीदार हैं. डा अग्रवाल ने विश्व के तमाम देशों की यात्रा की है तथा उनको कार्पोरेट परामर्श स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कारोबार रीइंजिनियरिंग तथा लेखा प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन का समृद्ध अनुभव है. आप बैंक ऑफ बडौदा, जमा बीमा एवं गारंटी निगम, नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और यूपी स्टाक एक्सचेंज असोसिएशन लिमिटेड में निदेशक रहे हैं. उनके विशाल अनुभव क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर परामर्शदात्री समिति की सदस्यता, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय परिषद की सदस्यता, आयसीडब्ल्यूए की विभिन्न उपसमितियों की सदस्यता, एसोचैम की प्रत्यक्ष कर समिति की सदस्यता, यूपी स्टाक एक्सचेंज की चूक और विवादन समिति की सदस्यता, आईसीआई द्वारा "कार्पोरेट सुशासन" और "व्यवसायगत नैतिकता" पर अध्ययन दल की सदस्यता शामिल है.

Dr. Atul Agarwal has been nominated by the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section 3 (h) and (3-A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, as part-time non-official Director on the Board of Directors of Union Bank of India, for period of three years from the date of notification of his appointment i.e. 22.09.2011 or until further orders, whichever is earlier.

Dr. Agarwal, a Chartered Accountant, is qualified as B.Com., LLB, FCA, ISA(ICAI) and PhD in Commerce. Dr. Agarwal has been a practicing Chartered Accountant since 1984 and is a founder Partner of M/s. Agarwal & Saxena, Chartered Accountants. Dr. Agarwal has widely traveled all over the world with rich experience of more than two decade in the field of corporate consulting, strategic thinking, business re-engineering and development and implementation of accounting systems. He has also held positions of Director in Bank of Baroda, Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation, Northern Coal Fields Ltd. and UP Stock Exchange Association Ltd. His vast arena of expertise include being member of Regional Director Taxes Advisory Committee, Central Council Member of The Institute of Cost & Works Accountants of India (ICWAI), Member of various sub committees of ICWAI, Member of Direct Taxes Committee of ASSOCHAM, Member of the Defaults and Arbitration Committee of UP Stock Exchange, Member of study group on 'Professional Ethics' and on 'Corporate Governance' constituted by ICAI.

महा प्रबंधक - GENERAL MANAGER

1.	Shri T K Sharma	श्री टी के शर्मा
2.	Shri N S Mehta	श्री एन एस मेहता
3.	Shri P Y Nagar	श्री पी वाई नागर
4.	Shri S S Ghugre	श्री एस एस घुगरे
5.	Shri D S Tripathi	श्री डी एस त्रिपाठी
6.	Shri S Govindan	श्री एस गोविंदन
7.	Shri S K Sangar	श्री एस के सांगर
8.	Shri S P Goel	श्री एस पी गोयल
9.	Shri T K Srivastava	श्री टी के श्रीवास्तव
10.	Shri P K Bansal	श्री पी के बंसल
11.	Shri B Vara Prasad	श्री बी वर प्रसाद
12.	Shri D K Jain	श्री डी के जैन
13.	Shri V J Mhatre	श्री वी जे म्हात्रे
14.	Shri S K Bhargava	श्री एस के भार्गव
15.	Shri S Aftabuddin	श्री एस आफताब
16.	Shri S K Verma	श्री एस के वर्मा
17	Shri Lalit Sinha	श्री ललित सिन्हा
18.	Shri T R Sahni	श्री टी आर साहनी
19.	Shri O P Dua	श्री ओ पी दुआ
20.	Shri R G Kelkar	श्री आर जी केलकर
21.	Shri A K Thakur	श्री ए के ठाकुर
22.	Shri Hrushekesh Behera	श्री हृषिकेश बेहरा
23.	Shri R C Lodha	श्री आर सी लोढ़ा
24.	Shri R S Pandey	श्री आर एस पांडे
25.	Shri A J D Thangaraj	श्री ए जे डी थंगराज
26.	Smt. Jyotsna M Jamkhandi	श्रीमती ज्योत्स्ना जामखंडी
27.	Shri Ajit Kumar Rath	श्री अजित कुमार रथ

उप महा प्रबंधक - Dy. GENERAL MANAGER

1.	Shri K J Tandon	श्री के जे टंडन
2.	Shri V S Dole	श्री वी एस डोले
3.	Shri R K Aggarwal	श्री आर के अग्रवाल
4.	Shri R B Raswalkar	श्री आर बी रसवलकर
5.	Shri D C Satapathy	श्री डी सी सतपथी
6.	Shri M V Arekar	श्री एम वी आरेकर
7.	Shri K C Charmanna	श्री के सी चरमन्ना
8.	Shri S N Tripathy	श्री एस एन त्रिपाठी
9.	Shri B P Dimri	श्री बी पी डिमरी
10.	Smt. M R Prabhu	श्रीमती एम आर प्रभु
11.	Shri B B Khattar	श्री बी बी खट्टर
12.	Shri G R Bhokare	श्री जी आर भोकरे
13.	Shri G S Sodhi	श्री जी एस सोढी
14.	Shri S V Kumthekar	श्री एस वी कुमठेकर
15.	Shri S K Sidhanti	श्री एस के सिद्धांती
16.	Shri N L Baruah	श्री एन एल बरुआ
17.	Shri S Padmanabhan	श्री एस पद्मानाभन
18.	Shri R D Groh	श्री आर डी ग्रोह
19.	Shri A K Kataria	श्री ए के कटारिया
20.	Smt. Rekha P Nayak	श्रीमती रेखा पी नायक
21.	Shri Pankaj Sharma	श्री पंकज शर्मा
22.	Shri A R Manavi	श्री ए आर मानवी
23.	Shri Ashok Kumar Gupta	श्री अशोक कुमार गुप्ता
24.	Shri Suneet Kumar Gupta	श्री सुनीत कुमार गुप्ता
25.	Shri A B Bopte	श्री ए बी बोपटे
26.	Shri V M Potdar	श्री वी एम पोतदार
27.	Shri K K Tiwari	श्री के के तिवारी
28.	Shri C S P Rao	श्री सी एस पी राव
29.	Shri K A Subba Rao	श्री के ए सुब्बाराव
30.	Shri Debajyoti Gupta	श्री देवज्योति गुप्ता
31.	Shri S K Singh	श्री एस के सिंह
32.	Shri Ravi Kumar Gupta	श्री रवि कुमार गुप्ता
33.	Shri R Maheshwaran	श्री आर महेश्वरन
34.	Shri K N Reghunathan	श्री के एन रघुनाथन
35.	Shri D M Vengurlekar	श्री डी एन वेंगुर्लेकर
36.	Shri K C Gupta	श्री के सी गुप्ता
37.	Shri A B Dhavale	श्री ए बी धवले
38.	Shri P K Khandelwal	श्री पी के खंडेलवाल
39.	Shri J K Neog	श्री जे के नियोग
40.	Shri Asit Swarup	श्री असित स्वरूप
41.	Shri A R Manickam	श्री ए आर मणिक्कम
42.	Shri S C Jain	श्री एस सी जैन
43.	Shri V K Jain	श्री वी के जैन
44.	Shri S C Chitkara	श्री एस सी चितकारा
45.	Shri M K Mehta	श्री एम के मेहता
46.	Shri M M Vaidya	श्री एम एम वैद्य
47.	Shri A K Acharya	श्री ए के आचार्या
48.	Shri T N Ghosh	श्री टी एन घोष
49.	Shri K Chandrasekhar	श्री के चंद्रशेखर
50.	Shri Kandasamy R	श्री कंदासामी आर
51.	Shri S Jayamohan Nair	श्री एस जयमोहन नायर
52.	Shri D V Gupta	श्री डी वी गुप्ता
53.	Shri R B Bidwai	श्री आर बी बिडवई
54.	Smt. Abha Anand	श्रीमती आभा आनंद
55.	Shri Tarun Kochar	श्री तरुण कोचर
56.	Shri A K Mittal	श्री ए के मित्तल
57.	Shri S S N Murthy	श्री एस एस एन मूर्ति
58.	Shri Anupam Saha	श्री अनुपम साहा
59.	Shri Sunil Girotra	श्री सुनील गिरोत्रा
60.	Shri Dinesh Kadackal	श्री दिनेश कडक्कल
61.	Shri Ardhendu De	श्री अर्धेन्दु डे
62.	Shri V S Ramarao	श्री वी एस रामाराव
63.	Shri Y I Raval	श्री वाई आई रावल
64.	Shri E F Mandanha	श्री ई एफ मंधाना
65.	Shri G S Rawat	श्री जी एस रावत
66.	Shri S S Thakur	श्री एस एस ठाकुर
67.	Shri P C Panigrahi	श्री पी सी पाणिग्रही
68.	Shri T C John	श्री टी सी जॉन
69.	Shri S K Gupta	श्री एस के गुप्ता
70.	Shri Ranbir Singh	श्री रणबीर सिंह
71.	Shri P B Waikar	श्री पी बी वायकर
72.	Shri R Subramanian	श्री आर सुब्रमनियन
73.	Shri G Trinath	श्री जी त्रिनाथ
74.	Shri A K Jain	श्री ए के जैन
75.	Shri G R Padalkar	श्री जी आर पडालकर
76.	Shri R K Chaudhary	श्री आर के चौधरी
77.	Shri A K Duggal	श्री ए के दुग्गल
78.	Shri R P Mishra	श्री आर पी मिश्रा
79.	Shri B B Mittal	श्री बी बी मित्तल
80.	Shri V K Chawla	श्री वी के चावला
81.	Shri S H Kantharia	श्री एस एच कंथारिया
1.	*Smt. Monika Kalia	श्रीमती मोनिका कालिया
2.	*Shri P R Rajagopal	श्री पी आर राजगोपाल

वर्ष 2011-12 की प्रमुख बातें

- 31 मार्च 2012 को कुल कारोबार ₹ 403900 करोड़, 13.62% की वृद्धि .
- कुल जमाराशियां ₹ 222869 करोड़, 10.08 % की वृद्धि.
- कुल अग्रिम ₹ 181031 करोड़. 18.30% की वृद्धि.
- परिचालन लाभ ₹ 4305 करोड़ से बढ़कर ₹ 5254 करोड़.
- कोर शुल्क आय ₹ 1138 करोड़ से बढ़कर ₹ 1276 करोड़.
- निवल ब्याज आय ₹ 6216 करोड़ से बढ़कर ₹ 6909 करोड़.
- निवल ब्याज मार्जिन (अर्जक आस्तियों पर) 3.21% है.
- बासल II के अनुसार 31.3.2012 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9.0% की नियामक अपेक्षा की तुलना में 11.85% है. टियर-I सीआरएआर 8.37% है.
- प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 237.48 है, जो पिछले वर्ष से 11.40% अधिक है.
- प्रस्तावित लाभांश 80% है.
- अखिल भारतीय उपस्थिति - 31 मार्च 2012 को 3201शाखाओं और 3801 एटीएम का नेटवर्क.

Highlights of 2011-12

- Total Business size of ₹ 403900 crore as on March 31, 2012 an increase of 13.62%.
- Total Deposits of ₹ 222869 crore, an increase of 10.08%.
- Total Advances of ₹ 181031 crore, an increase of 18.30%.
- Operating Profit increased from ₹ 4305 crore to ₹ 5254 crore.
- Core Fee Income increased from ₹ 1138 crore to ₹ 1276 crore.
- Net Interest Income increased from ₹ 6216 Crore to ₹ 6909 Crore.
- Net Interest Margin (on Earning Assets) at 3.21%.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR) under Basel II at 11.85%, as on March 31, 2012 against the regulatory minimum of 9.0%. Tier I CRAR ratio at 8.37%.
- Book Value per share of ₹ 237.48, an increase of 11.40% over the previous year.
- Proposed Dividend at 80%.
- Pan India reach - Network of 3201 branches & 3801 ATMs as on March 31, 2012.

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण (प्रतिशत में)	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	9.20	8.43	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.40
2	ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	6.00	5.19	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33
3	ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	3.20	3.24	3.31	3.03	3.05	2.80	2.82	2.53	3.14	3.07
4	गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	1.76	1.55	1.23	0.63	0.75	0.98	1.09	1.19	1.03	1.04
5	परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	2.17	2.02	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2	1.77
6	लागत आय अनुपात	43.82	42.26	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15
7	सकल (परि.) लाभ / ए डब्ल्यू एफ	2.79	2.77	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34
8	शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	1.18	1.33	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79
9	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	21.53	27.36	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67
10	वर्षांत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.08	1.22	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68
11	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.16	1.32	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79
12	अग्रिमों पर प्रतिफल	10.02	9.03	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22
13	जमाराशियों की लागत	6.46	5.64	4.97	4.75	5.23	6.19	6.5	5.94	5.53	6.93
14	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	19.72	25.51	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64
15	ऋण जमा अनुपात	59.55	61.17	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94
16	ऋण + गैर एस एल आर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोडकर) - जमा अनुपात	67.36	73.74	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल I)	12.41	12.32	12.09	11.41	12.80	12.51	12.01	12.51	12.95	11.85
	टियर -I	6.86	6.47	6.07	7.32	7.79	7.45	7.40	7.91	8.69	8.37
	टियर - II	5.55	5.85	6.02	4.09	5.01	5.06	4.61	4.6	4.26	3.48

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012
1	कर्मचारी (संख्या)	25706	25630	25645	25421	25969	25722	27510	27772	27746	30838
2	शाखाएं (संख्या)	2020	2020	2051	2082	2206	2361	2558	2805	3016	3201
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	2.50	2.86	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	5.07	5.79	6.13	5.77	7.70	10.03	11.2	13.18	15.52	17.04
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	2.15	2.78	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	31.78	36.35	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	0.65	0.73	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.27	0.35	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	13.95	15.47	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07
	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	40.70	55.71	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	:	कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	:	कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज खर्चे / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	:	कुल गैर ब्याज आय/ एडब्ल्यूएफ
परिचालन व्यय	:	कुल ब्याज में से ब्याज व्यय घटायें
परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	:	एडब्ल्यूएफ से परिचालन व्यय को भाग दें
आय लागत अनुपात	:	परिचालन खर्च/ गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ / ए डब्ल्यू एफ	:	परिचालन लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	:	शुद्ध लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि एवं अर्मूत आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिफल	:	शुद्ध लाभ/ कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
आग्रिमों पर आय	:	आग्रिमों पर अर्जित ब्याज / औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत	:	जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात	:	कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश / शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	:	कुल अग्रिम / ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां - अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)		
जमाराशि अनुपात	:	कुल अग्रिम +गैर एसएलआर निवेश - अनुषंगी ईकाइयों में निवेश / ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	कर्मचारियों की कुल संख्या से सकल लाभ को भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ / कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम को शाखाओं की संख्या से भाग दें
प्रति शाखा सकल लाभ	:	सकल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	निवल लाभ / शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	:	शुद्ध लाभ को इक्विटी से विभाजित कर दस से गुणा करें
प्रति शेयर बही मूल्य	:	नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी से विभाजित कर दस से गुणा करें.

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 10 वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, 26 जून, 2012 को शाम 3.30 बजे या असाधारण सामान्य सभा की समाप्ति पर (जो भी बाद में हो) **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम,** के सी कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी.

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च 2012 के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु.

मद क्र.2

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने हेतु.

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(डी सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 23 मई, 2012

नोट :

(i) परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए वह बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् गुरुवार, 21 जून, 2012 की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

(ii) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन** पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 21 जून, 2012** की कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दी गई हो.

(iii) **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है. शेयरधारकों / परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें. शेयरधारक के परोक्षी/ प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.

(iv) बुक क्लोजर

वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं लाभांश की पात्रता का पता लगाने के लिए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार दिनांक 23 जून, 2012 से मंगलवार दिनांक 26 जून, 2012(दोनों दिन को मिलाकर) तक बंद रहेगा.

(v) लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिकरुप में रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दि. 26 जून 2012 को दर्ज है जबकि डिमैट शेयरों के मामलों में, दिनांक 22 जून, 2012 को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार हिताधिकारी स्वामित्व के आधार पर ही प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा. लाभांश का भुगतान 6 जुलाई, 2012 को किया जाएगा.

(vi) अंतरण

अतंरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को अंतरण हेतु भेजा जाना चाहिए.

(vii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)/ यूनियन बैंक खाते में सीधे जमा के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए बैंक मैन्डेट

ए) शेयरधारकों को अपना बैंक खाता क्रमांक, एम आई सी आर चेक पर अंकित 9 अंकों का एमआईसीआर कोड, बैंक तथा शाखा का नाम प्रस्तुत करना होगा, जहां वे अपना लाभांश वारंट नकदीकरण के लिए जमा करना चाहते हों. यदि लाभाशं की राशि सीधे शेयाधारकों के खाते में जमा न की जा रही हो, तो लाभांश वारंट के चेक के हिस्से पर शेयरधारक के नाम के अलावा बैंक खाते का विवरण भी मुद्रित किया जायगा ताकि लाभांशों का कपटपूर्ण नकदीकरण टाला जा सके. भौतिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उक्त जानकारी प्रथम / एकल शेयरधारक द्वारा उनका फोलियो क्रमांक दर्शाते हुए रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को सीधे एवं डीमैट फार्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को संबंधित डिपॉज़िटरी सहभागी को प्रस्तुत की जानी चाहिए.

बी) बैंक लाभांश भुगतान के लिए ये सुविधाएं भी प्रदान करता है :

i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा

ii) यूनियन बैंक खाताधारकों के खातों में सीधे जमा

यह सुविधा शेयरधारक द्वारा लाभांश के जमा को प्राप्त करने के लिए बैंक आदेश प्रणाली के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है. विकल्प फॉर्म इस रिपोर्ट के साथ भी संलग्न है और बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

(viii) अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है.

ऐसे शेयरधारकों, जिन्होंने पिछली अवधियों के अपने लाभांश वारंट, यदि कोई हैं, का नकदीकरण नहीं कराया है या लाभांश प्राप्त नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी करने के लिए बैंक शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें. संबंधित क्षतिपूर्ति बांड बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

बैंक कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम 1970) में धारा 10बी के अनुसार 7 वर्ष की अवधि के अप्रदत्त या अदावाकृत रहने वाली लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है तथा उसके उपरांत लाभांश के भुगतान के संबंध में बैंक या आईईपीएफ को किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा.

(ix) पते / बैंक ब्यौरों / बैंक खाता मैन्डेट में परिवर्तन की सूचना :

(क) जिनके पास भौतिक रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हें, उनसे अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते और / या बैंक खाते में यदि कोई परिवर्तन हो तो वे इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें :

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5
पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

(ख) जिनके पास डीमैट रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

डिमैट रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते तथा बैंक मैनडेट / ब्यौरे में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में उसकी सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी सहभागी(गियों) को दें.

(x) निवासी स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें.

ए. स्थायी निवास हेतु भारत वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड आदि यदि पहले नहीं दिया गया हो.

(xi) फोलियो का समेकन

एक से अधिक खाते में एक जैसे नाम से या नामों से उसी क्रम में संयुक्त नाम से भौतिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों का एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.को प्रेषित करें.

(xii) शेयरधारक / परोक्षीधारक / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वार्षिक साधारण सभा में आते समय वे अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा नोटिस की प्रतियां साथ लाएं.

(xiii) शेयरधारक अपने लेखों पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हों तो उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन वह सूचना तैयार रख सके. उत्तर केवल वार्षिक साधारण सभा में ही दिये जाएंगे.

निदेशक बोर्ड के आदेश से
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(डी. सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 23 मई, 2012

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, स्टैंड एलोन के साथ ही साथ समेकित नकद प्रवाह विवरण और प्रबंधकीय चर्चा और विश्लेषण पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 93वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष है. कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है.

1. परिदृश्य

ए. आपके बैंक का उद्देश्य अपने ग्राहकों, अंशधारकों एवं कर्मचारियों का सतत महत्व बनाए रखना है. यह संस्था की निरंतर सुदृढ़ता से ही संभव है. आपके बैंक का भविष्य इस बात पर निर्भर होगा कि कितनी तेजी से इसके ग्राहकों में वृद्धि होती है और उन्हें रोके रखने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही, ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु बैंक का मानव संसाधन प्रबंधन ढ़ाचा कितना मजबूत है. इसे महसूस करते हुए ही, वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, आपके बैंक ने ग्राहक सेवा उत्कृष्टता और मानव संसाधन को सुदृढ़ बनाने हेतु दो महत्वपूर्ण पहलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. इन दोंनों ही क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाए गए हैं.

बी. वर्ष 2011-12 के दौरान वैश्विक मांग कमजोर होने और भारत में चुनौतीपूर्ण समष्टि आर्थिक दशा के कारण कारोबार अनुकूल नहीं रहा. भारिबैं. द्वारा मौद्रिक नीतियों पर कड़े नियंत्रण एवं ब्याज दरों के ऊंचा रहने के कारण निवेश एवं उपभोग संबंधी मांग में कमी आई, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में भी वृद्धि की दर कम रही. इस गिरावट का प्रभाव आपके बैंक के कारोबार पर भी पड़ा. इतना होने के बावजूद, आपके बैंक का कारोबार ₹ 4,00,000 करोड़ को पार कर गया, परिचालन लाभ ₹ 5000 करोड़ की ऊंचाई तक पहली बार पहुंचा तथा शुद्व ब्याज आय भी ऊंची रही.

तालिका - 1:
विशिष्ट वित्तीय कार्यनिष्पादन

(₹ करोड़ में)

	वि. व. 2011	वि. व. 2012	वार्षिक परिवर्तन (%)
कुल कारोबार	355483	403900	13.62
कुल ब्याज आय	6216	6909	11.15
परिचालन लाभ	4305	5254	22.04
प्रावधान	2223	3467	55.96
शुद्ध लाभ	2082	1787	-14.17
शुद्ध ब्याज आय (एनआईएम)	3.33%	3.21%	-12 आधार बिंदु
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	12.95%	11.85%	-110 आधार बिंदु
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	15.52	17.04	9.79
लाभांश (₹ प्रति शेयर)	8.0	8.0	कोई परिवर्तन नहीं
प्रति शेयर बही मूल्य	213.17	237.48	11.40

बैंक के कामकाज की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :

2. कारोबार

ए. बैंक के कुल कारोबार में 13.62% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसके फलरुवरुप 31 मार्च 2011 के ₹ 3,55,483 करोड़ के कुल कारोबार की तुलना में 31 मार्च 2012 को यह ₹ 4,03,900 करोड़ पहुंच गया.

बी. बैंक की जमाराशियां 31 मार्च 2011 के ₹ 2,02,461 करोड़ में 10.08% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2012 को ₹ 2,22,869 करोड़ एवं अग्रिम 18.3% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2011 के ₹ 1,53,022 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2012 को ₹ 1,81,031 करोड़ पहुंच गया.

सी. बैंक की हांगकांग स्थित एकमात्र ओवरसीज़ शाखा ने 31 मार्च 2011 के ₹ 6,511 करोड़ के कुल कारोबार में 59.55% की वृद्धि अर्जित की एवं इसका कुल कारोबार ₹ 10,388 करोड़ पहुंच गया. जमाराशियां ₹ 590 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,207 करोड़ एवं अग्रिम ₹ 5,941 करोड़ से बढ़कर ₹ 9,181 करोड़ हो गया.

3. लाभप्रदता

ए. शुद्ध ब्याज आय वर्ष 2010-11 के ₹ 6,216 करोड़ में 11.15% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष 2011-12 में ₹ 6,909 करोड़ हो गई. शुद्ध ब्याज आय की पिछले तीन वर्षों में चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर 21.91% रही.

बी. बैंक की कुल आय 26.96% की वार्षिक बढ़त के साथ 2010-11 के ₹ 18,491 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 23,476 करोड़ हो गई. ब्याज आय में 28.52% की वार्षिक वृद्धि हुई. अग्रिमों पर प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के 9.86% की तुलना में वर्ष 2011-12 में 11.22% रहा. निवेश पर प्रतिफलों में भी पिछले वर्ष के 6.55% की तुलना में 2011-12 में 6.96% वृद्धि दर्ज की गई. इस प्रकार, निधियों पर कुल आय 8.33% से 107 आधार अंक बढ़कर 9.40% हो गई.

सी. गैर ब्याज आय 2010-11 के ₹ 2039 करोड़ से 14.37% बढ़कर 2011-12 में ₹ 2332 करोड़ हो गई. लगातार उच्च स्फीति दर एवं भा.रि.बैं. की नीतिगत दरों में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरुपप सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतें नीची रहीं, जिसने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ट्रेजरी से होने वाली आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला. तथापि राइट ऑफ खातों में वसूली में वर्ष के दौरान 66.98% की वृद्धि हुई. कोर गैर ब्याज आय 2010-11 के ₹ 1,138 करोड़ में 12.13% की वृद्धि के साथ 2011-12 में ₹ 1,276 हो गई.

तालिका - 2 : गैर ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष - 11	वित्तीय वर्ष - 12	वृद्धि %
1. कोर गैर ब्याज आय	1138	1276	12.13
2. ट्रेज़री आय	689	702	1.89
जिसमें से,			
- निवेश की बिक्री से लाभ	464	441	-4.96
- विनिमय लाभ	225	261	16.00
3. राइट-ऑफ खातों में वसूली	212	354	66.98
4. कुल गैर ब्याज आय (1+2+3)	2039	2332	14.37

डी. कुल व्यय 2010-11 के दौरान ₹ 14,186 करोड़ थे, जो वर्ष 2011-12 के दौरान 28.45% की बढ़त के साथ ₹ 18,222 करोड़ हो गए. ब्याज व्यय ₹ 10,236 करोड़, में 39.07% की वृद्धि के साथ ₹ 14,235 करोड़ हो गया, जिसका प्रमुख कारण जमाराशियों की लागत पिछले वर्ष के 5.33% की तुलना में 6.93% हो जाना रहा. वित्तीय बाजार में कम तरलता रहने एवं उच्च नीतिगत दरों के कारण निधियों की लागत 5.19% से बढ़कर 6.33% हो गई. तथापि, निधियों के उच्च प्रतिफल से बढ़ी हुई लागत की कुछ हद तक भरपाई की जा सकी.

ई. एनआईएम पिछले वर्ष के 3.33% की तुलना में वर्ष 2011-12 में 3.21% रहा.

एफ. औसत आस्तियों पर प्रतिफल वर्ष 2011-12 में 0.79% रहा, जो 2010-11 में 1.05% था.

जी. स्थापना व्यय वर्ष 2010-11 के ₹ 2,600 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 2,479 करोड़ रहे.

तालिका - 3 : परिचालन व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष - 11	वित्तीय वर्ष - 12	वृद्धि %
स्टाफ व्यय	2600	2479	- 4.65
अन्य परिचालन व्यय	1350	1508	11.70
कुल परिचालन व्यय	3950	3987	0.94

एच. आय लागत अनुपात 47.85% से गिरकर 43.15% हो गया, जो स्थापना व्यय में कमी एवं परिचालन आय में 12% में वृद्धि दर्शाता है.

आई. वर्ष 2011-12 में परिचालन लाभ ₹ 5,000 करोड़ के लैंडमार्क को पार कर गया. ब्याज आय में सुदृढ़ वृद्धि एवं परिचालन व्यय पर नियंत्रण के कारण परिचालन लाभ पिछले वर्ष के ₹ 4,305 करोड़ में 22.04% की वार्षिक वृद्धि दर अर्जित करते हुए ₹ 5,254 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया.

जे. वर्ष 2011-12 में ₹ 1,787 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ. पुनर्संरचित खातों में ₹ 507 करोड़ के उच्च प्रावधान ने इस वर्ष के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डाला.

चार्ट - 1 : परिचालन लाभ एवं शुद्ध लाभ

(₹ करोड़ में)

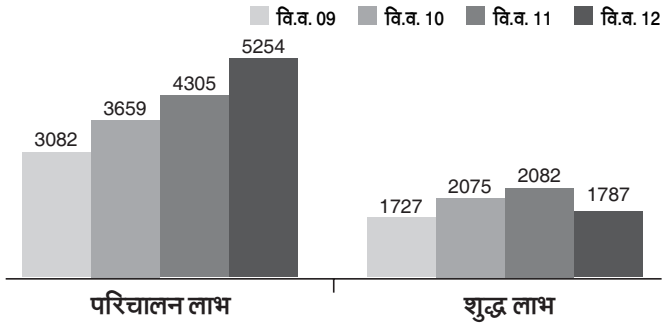

4. उत्पादकता अनुपात

ए. 2009 से 2012 के दौरान प्रति कर्मचारी औसत कारोबार में 15.52% की वृद्धि हुई. इसी अवधि में प्रति शाखा औसत कारोबार एवं प्रति कर्मचारी सकल लाभ में क्रमश: 11.39%, एवं 15.01% की वृद्धि दिखाई दी. वित्तीय वर्ष 2009 से 2012 के दौरान उत्पादकता सूचकों में वृद्धि नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है

तालिका - 4 : उत्पादकता अनुपात

(₹ लाख में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12	सीएजीआर (%)
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार	694	853	1043	1070	15.52
प्रति शाखा औसत कारोबार	7461	8449	9596	10311	11.39
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	11.2	13.18	15.52	17.04	15.01
प्रति शाखा सकल लाभ	120	130	143	164	10.97

5. लाभांश

आपके निदेशकों को वर्ष 2011-12 के दौरान 80% अर्थात् ₹ 10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर ₹ 8.00 प्रति शेयर लाभांश संस्तुत करते हुए हर्ष है. लाभांश को शुद्ध लाभ में गिरावट के बावजूद वित्तीय वर्ष 2010-11 के बराबर रखा गया है.

6. शेयरधारकों को प्रतिफल

बैंक की नेटवर्थ पिछले वर्ष के ₹ 11177 करोड़ में 16.98% की वृद्धि अर्जित करते हुए ₹ 13075 करोड़ हो गई. इस प्रकार प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष के ₹ 213.17 से बढ़कर ₹ 237.48 हो गया. प्रति शेयर आय पिछले वर्ष के ₹ 39.71 की तुलना में ₹ 34.17

रही. इक्विटी पर प्रतिफल पिछले वर्ष के 18.63% की तुलना में 13.67% रहा.

7. रेटिंग एवं पूंजी संवर्धन

ए. विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक की टियर I तथा टियर II पूंजी लिखतों को दी गई रेटिंग, वित्तीय दायित्वों को पूरा करने संबंधी सुरक्षा की उच्चतम प्रत्याशा दर्शाती है और इन लिखतों की क्रेडिट जोखिम न्यूनतम है.

तालिका - 5 : बांड की रेटिंग

रेटिंग एजेंसी	शाश्वत बांड	अपर टियर II बांड	लोअर टियर II बांड
क्रिसिल	AAA	AAA	AAA
केयर	CARE AAA	CARE AAA	CARE AAA
ब्रिकवर्क	BWR AAA	BWR AAA	BWR AAA
इकरा	L AA+	L AA+	L AAA
फिच रेटिंग्स	AA(Ind)	AA(Ind)	AA+(Ind)

बी. बैंक ने प्राथमिकता के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 10/- के इक्विटी शेयर ₹ 238.05 के प्रति शेयर प्रीमियम पर 2,62,16,620 इक्विटी शेयर ₹ 650.30 करोड़ में आबंटित किए. इस प्रकार बैंक की सरकारी शेयरधारिता 31 मार्च, 2011 के 57.07% से घटकर 31 मार्च, 2012 को 54.35% रह गई.

8. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 11.85% रहा, जो 9% के नियामक बेंचमार्क से काफी अधिक है. टियर I पूंजी पर्याप्तता 8.37% एवं टियर II 3.48% रही.

तालिका - 6 : पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12
कुल जोखिम भारित आस्तियां	140095	168178
पूंजी निधि	18146	19926
टियर - I पूंजी	12178	14081
सी ए आर बासल - II	12.95%	11.85%
टियर - I	8.69%	8.37%
टियर - II	4.26%	3.48%

9. डिलीवरी चैनल

ए. बैंक का पूरे भारतवर्ष में शाखाओं एवं एटीएम का काफी अच्छा विस्तार है. वर्ष 2011 12 के दौरान, बैंक ने 185 शाखाएं एवं 1167 एटीएम खोले. इसके फलस्वरुप, शाखाओं की कुल संख्या 3016 से बढ़कर 3201 एवं एटीएम की संख्या 2634 से बढ़कर 3801 हो गई. शाखाओं की तुलना व एटीएम का अनुपात 1.19 है, जो बैंकिंग उद्योग के श्रेष्ठतम में से एक है. बैंक ने एटीएम के द्वारा नेफ्ट, अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सिस्टम (आईएमपीएस) एवं ई-कैश नकदी प्रेषण जैसे कई प्रेषण उत्पाद भी आरंभ किए.

बी. बैंक पूरे भारत वर्ष की शाखाओं के माध्यम से नेफ्ट एवं आरटीजीएस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. 31 मार्च, 2012 को सभी शाखाएं नेफ्ट एवं आरटीजीएस सुविधायुक्त हो गई.

सी. इलेक्ट्रानिक चैन्लों के माध्यम से होने वाले लेनदेन 31 मार्च, 2011 के 50.49% की तुलना में 31 मार्च, 2012 को 57.75% हो गए.

डी. बैंक ने 21 जनवरी, 2012 को दुबई में "यूनियन फ्लैश" के नाम से लोकप्रिय एक ऑनलाइन धन प्रेषण उत्पाद का शुभारंभ किया. यह खाड़ी देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए 24 घंटे उपलब्ध ऑनलाइन धन प्रेषण उत्पाद है, जिसके द्वारा वे, ऐसे निवासी भारतीयों को तुरंत नकदी प्रेषण कर सकते हैं, जिनके खाते यूनियन बैंक में हैं. हम भारत में पहले बैंक है, जिसने यूएई एक्सचेंज के साथ टाई-अप के माध्यम से ऐसी धन प्रेषण सुविधा उपलब्ध कराई है.

ई. बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एवं सभी चैनलों में आने वाली शिकायतों के मूल कारणों को सुव्यवस्थित रुप से हटाने हेतु दिनांक 06 मार्च, 2012 को मुंबई में एक ग्राहक सेवा इकाई की स्थापना की है. इसमें सभी चैनलों से प्राप्त शिकायतों को एकीकृत करने के लिए इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट टूल (आईसीएमटी) का प्रयोग किया जाता है.

10. पुरस्कार एवं सम्मान

आपके बैंक बहुत क्षेत्रों में अपने कार्य निष्पादन एवं पहल के लिए कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं.

ए. बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालय, बेंगलूर को वर्ष 2011 के लिए "गोल्डन पीकाक राष्ट्रीय प्रशिक्षण पुरस्कार" के लिए चुना गया. यह चौथा अवसर है, जब बैंक को इस प्रतिष्ठित गोल्डेन पीकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

बी. बैंक को भुगतान रुपातंरण संवर्ग के अंतर्गत उसके प्रोजेक्ट "कस्टमर इमपावरमेंट यूजिंग एसीआई सॉल्यूशन बेस 24" के लिए एसीआई एक्सेलेंस अवार्ड 2011 प्राप्त हुआ है. एसीआई वर्ल्डवाइड ने उन बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को पुरस्कृत करने के लिए वर्ष 2010 में एसीआई एक्सेलेंस अवार्ड आरम्भ किए थे, जो अपनी भुगतान प्रणालियों में सर्वाधिक अभिनव पहल करते हैं.

सी. बैंक ने 07 अप्रैल, 2011 को हांगकांग में आयोजित एशियन बैंकर टेक्नालाजी कार्यान्वयन पुरस्कार वितरण समारोह

2011 में "सर्वश्रेष्ठ मिडिलवेयर कार्यान्वयन पुरस्कार" प्राप्त किया. यह पुरस्कार बैंक में उपयोग में लाए जा रहे विभिन्न स्टैंडएलोन एप्लीकेशनों के सुविधाजनक एकीकरण हेतु बैंक द्वारा कार्यान्वित इंटरप्राइज़ एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सॉल्यूशन के लिए दिया गया है. एशियन बैंकर बैंकिंग लेनदेनों में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अभिनव पहलों हेतु प्रतिवर्ष आईटी इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड प्रदान करता है.

डी. बैंक को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2011 के दौरान अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस परंपराओं के लिए "आईसीएसआई नेशनल अवार्ड फार एक्सेलेंस इन कार्पोरेट गवर्नेंस" पुरस्कार के अधीन सर्टिफिकेट ऑफ रीकॉगनीशन प्रदान किया गया.

ई. आपके बैंक की गृह पत्रिका "यूनियन धारा" को एसोसिएशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) द्वारा आयोजित 51वें पुरस्कार वितरण समारोह में लगातार दूसरे वर्ष 7 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें सबसे प्रतिष्ठित "चैंपियन ऑफ चैंपियंस" ट्राफी शामिल है.

11. निदेशक

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

ए. श्री बी. एन. भट्टाचार्जी को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (एफ) के अधीन दिनांक 4 मई 2011 से अधिकारी निदेशक के रुप में नामित किया गया.

बी. श्री समीर कुमार सिन्हा, जो भारत सरकार के अधिकारी हैं, को केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा 3 (बी) के अधीन श्री के. वी. ईप्पन के स्थान पर 22 जुलाई 2011 से गैर-पूर्णकालिक निदेशक के रुप में बोर्ड में नामित किया गया. इसके बाद, 15 नवंबर 2011 से श्री समीर कुमार सिन्हा के स्थान पर श्री राजेश खुल्लर को नामित किया गया.

सी. श्री एस. के. जैन को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (ए) के अधीन श्री एस. सी. कालिया, जिनका सेवानिवृत्ति के कारण सेवाकाल 31 अगस्त 2011 को समाप्त हो रहा था, के स्थान पर दिनांक 1 सितंबर 2011 से कार्यपालक निदेशक के रुप में नामित किया गया.

डी. डा. अतुल अग्रवाल को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (एच) के अधीन दिनांक 22 सितंबर 2011 से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नामित किया गया.

ई. श्री चंदन सिन्हा को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (सी) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 की धारा 3 (1) के अधीन श्रीमती मीना हेमचंद्रा, जिनका कार्यकाल 12 अक्तूबर 2011 को समाप्त हो रहा था, के स्थान पर दिनांक 13 अक्तूबर 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती निदेशक नामित किया गया.

एफ. श्री एन. शंकर, को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (ई) के अधीन दिनांक 9 जनवरी 2012 से वर्कमैन कर्मचारी निदेशक के रुप में पुन: नामित किया गया. उनका तीन वर्षों का पिछला कार्यकाल दिनांक 14 सितंबर 2011 को समाप्त हो गया था.

जी. श्री डी. सरकार को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (ए) के अधीन दिनांक 1 अप्रैल 2012 से श्री एम. वी. नायर, जिनका सेवाकाल दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त हो रहा था, के स्थान पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नामित किया गया.

एच. श्री अरुण कुमार नंदा, अंशधारक निदेशक, ने व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 28.11.2011 से बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया.

आई. वर्ष के दौरान डा. गुलफाम मुज़ीबीका कार्यकाल दिनांक 28 जनवरी 2012 को समाप्त हो गया. उनके स्थान पर भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है.

जे. सभी नए निदेशकों का स्वागत करते हुए बोर्ड श्री श्री के. वी. ईप्पन, श्री एस. सी. कालिया, श्रीमती मीना हेमचंद्रा, श्री समीर कुमार सिन्हा, श्री अरुण कुमार नंदा, डा. गुलफाम मुज़ीबी एवं श्री एम. वी. नायर द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता है.

13. कार्पोरेट गवर्नेंस :

बैंक का निदेशक मंडल श्रेष्ठ कारपोरेट गर्वेनेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. कारपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गयी है. बैंक को 11वें आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कारों के कार्पोरेट गवर्नेंस में लगातार दूसरी बार उत्कृष्टता के लिए "सर्टिफिकेट ऑफ रिकागनीशन" पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बैंक इंस्ट्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एवं कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए कारपोरेट गवर्नेंस में श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित टॉप 25 कारपोरेट में शामिल था. वर्ष 2011-12 की कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर लेखा परीक्षा की कोई अभ्युक्ति शेष नहीं है.

14. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व :

ए. आपका बैंक सामुदायिक और सामाजिक विकास में सक्रिय रुप से लगा हैं. यह फाउंडेशन 202 ग्राम ज्ञान केंद्रों (वीकेसी) में व्यापक उपस्थिति और देशभर में 134 गांवों के अंगीकरण के जरिये विभिन्न गतिविधियां कर रही है और यूनियन आदर्श ग्राम योजना के नाम से एक विशेष योजनान्तर्गत इन गांवों के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही है. बैंक अंगीकृत गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और प्रकाश जैसी विभिन्न विकास गतिविधियां कर रहा है. उक्त आदर्श गांवों में, बैंक ने विद्यालय में कन्याओं का नामांकन बढ़ाने की पहल के रुप में 123 बालिकाओं का अंगीकरण किया है.

बी. इसके अतिरिक्त, देशभर में बैंक के 9 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (एफ एल सी जी), 14 आर सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थाएं) हैं.

सी. प्रत्येक ग्राम ज्ञान केन्द्र विभिन्न विकास संस्थाओं / सरकारी विभागों के समन्वयन से गांव के संपूर्ण विकास में मददगार होता है और कृषकों को खेती की विधियां तकनीक, उर्वरकों का उचित उपयोग, कीटनाशकों आदि में नवीनतम विकास के बारे में ज्ञान संवर्धन करता है. इसी प्रकार आर सेटी और एफ एल सी सी जरुरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता , परामर्श और प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वे स्वावलंबी बनें.

डी. आपका बैंक 'करोडों जीवन में प्रकाश' शीर्षक पहल के तहत टेरी (दि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूटशन) के साथ भी जुड़ा है, जिसके जरिए गांव में रहले वाले दस करोड़ लोगों के जीवन में केरोसिन और पेराफिन लालटेनों की जगह सौर प्रकाश मंत्र से प्रकाश लाने का उद्देश्य है. इससे बच्चों को पढ़ाई में सुविधा होगी, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और महिलाओं के लिए घर के काम के लिए कैरोसिन धुएं से मुक्त वातावरण बनेगा और व्यक्तिगत एवं ग्राम दोनों स्तरों पर जीविकोपार्जन के लिए अवसर उपलब्ध होंगे.

ई. यूनियन बैंक अपने सोशल फाउंडेशन न्यास के माध्यम से निर्धनों और हाशिये पर स्थित व्यक्तियों की जरुरतों की पूर्ति करती है.

एफ. इसके आपका बैंक सामाजिक प्रोजेक्ट को दान और पहल जिनमें अन्य चीजों के साथ स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता और अन्य सामाजिक जरुरतों के साथ पहल हेतु विभिन्न एनजीओ और अन्य सामाजिक संगठनों को मदद दे रहा है.

15. आभार :

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग और समर्थन के लिये आभारी है. बोर्ड अपने ग्राहकों, शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिये स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल के लिये तथा की ओर से,

स्थान : मुंबई
दिनांक : 26 मई, 2012

(डी. सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण

1. वृहद् आर्थिक व बैंकिंग परिदृश्य

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था -

1.1.1. यूरो क्षेत्र की सरकारों के ऋण संकट, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में कमी तथा उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वर्ष 2011 में एक बड़ा धक्का लगा है. स्टैंडर्ड एंड पूअर द्वारा यूएस के सरकारी ऋण की रेटिंग कम करने, यूरोपियन वित्तीय स्थिरता निधि और दो चरणों में यूरो क्षेत्र के नौ देशों में से 4 की रेटिंग कम होने से वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ी है और विकास की संभावनाओं पर खराब असर हुआ है.

1.1.2. विश्व आर्थिक परिदृश्य के बारे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 में विश्व की अर्थव्यवस्था का, पिछले वर्ष के 5.3% की तुलना में 3.3% ही विकास हुआ है. प्रमुख विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में सुधार की गति धीमी होने, यूरो क्षेत्र में हल्की मंदी और उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर में कमी के कारण वर्ष 2012 में विश्व अर्थव्यवस्था का 3.5% विकास होने का अनुमान है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में कलैण्डर वर्ष 2013 में सुधार होने की आशा है तथा 4.1% विकास का अनुमान है.

1.1.3. विकसित देशों की सरकारों और केंद्रीय बैंकों की प्रमुख नीतिगत कार्रवाईयों के कारण आर्थिक विकास और वित्तीय बाजारों की तीव्र गिरावट टल गयी. यूरोप के केंद्रीय बैंक के तीन वर्षीय दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालनों की वजह से तरलता संकुचन टल गया अन्यथा एक गंभीर बैंकिंग सकट उत्पन्न हो गया होता. विस्तृत राजकोषीय समायोजन कार्यक्रम, यूरो क्षेत्र की अर्थ व्यवस्थाओं के उत्पाद बाजार और श्रम मामलों में बड़े सुधारों तथा यूएस पे रोल कर राहत और बेरोजगारी राहत के विस्तार की वजह से कठोर राजेकोषीय उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी. बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंगलैंड ने अपनी परंपरा से परे जाकर दखल देने की नीति अपनायी और फेडरल रिज़र्व ने कम से कम 2014 के परार्ध तक ब्याज दर बहुत कम रखने के सशर्त स्पष्ट संकेत दिये.

1.1.4. व्यापार और वित्त चैनलों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थ व्यवस्था से बढ़ते जुड़ाव के कारण 2011-12 में इन सब घटनाओं का देश के विकास पर भी विपरीत असर पड़ा.

1.2. भारतीय अर्थ व्यवस्था -

1.2.1 2011-12 विकसित अर्थव्यवस्थाओं की अनिश्चित आर्थिक संभावनाओं और बाहरी मांग में कमी तथा वित्तीय बाजार की उथल-पुथल का भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा. लगातार असहज मुद्रास्फीती की दर, बढ़ी हुई ब्याज दरों, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, चालू खाते और राजकोषीय घाटे के बढते असंतुलन ने भी विकास की संभावनाओं पर प्रभाव डाला है.

1.2.2. वर्ष 2011-12 की शुरूआत आशाजनक हुई. 2011-12 के केंद्रीय बजट मे घरेलू उत्पाद में 9% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था. मई 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में 2011-12 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 9% वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसे अक्तूबर 2011 में मौद्रिक नीति की समीक्षा के समय घटाकर 7.6% कर दिया गया. भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी, 2012 में तृतीय तिमाही की समीक्षा के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का अनुमान और घटाकर 7% कर दिया.

1.2.3. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के अनुसार लगातार दो साल 8.4% की जबरदस्त विकास दर के बाद सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 2011-12 में कम होकर 6.9% रहने का अनुमान है. उत्पादन व निर्माण,खान व खनन और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कमी, सकल घरेलू उत्पाद में कमी का बड़ा कारण है. कृषि क्षेत्र की धीमी विकास दर का कारण पिछले सालों की अधिक विकास दर होना तथा संरचनागत सुविधाओं की कमी होना था. उद्योग क्षेत्र की मंदी का प्रमुख कारण बाहरी मांग में कमी तथा मौद्रिक संकुचन की नीति अपनाना था. भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है.

1.2.4. **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:** त्वरित अनुमानों के अनुसार, पिछले वर्ष के 8.2% की तुलना में वर्ष 2011-12 में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में 2.8% की वृद्धि हुई है, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में कमी के प्रमुख कारण 2011-12 में खनन क्षेत्र की विकास गति कम होकर 2% रह जाना तथा उत्पादन क्षेत्र की विकास गति धीमी होकर 2.9% रह जाना है, जो पिछले वर्ष क्रमश: 5.2% एवं 8.9% थी.

1.2.5. **बाह्य क्षेत्र:** वर्ष 2011-12 के दौरान भारत का व्यापार संतुलन, भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के बावजूद, असंतुलन और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण पूंजी प्रवाह में कमी के कारण दबाब में रहा. वित्त वर्ष 2011-12 में भारत का निर्यात सालाना 20.94% बढ़ कर 303.72 विलियन अमेरिकी डालर हो गया. वित्त वर्ष 2011-12 में भारत का आयात सालाना 20.15% बढ़कर 488.64 विलियन अमेरिकी डालर हो गया. भारत का व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 118.63 विलियन अमेरिकी डालर से अप्रैल-मार्च 2011-12 में बढ़कर 184.92 विलियन अमेरिकी डालर हो गया. अक्तूबर-दिसम्बर 2011 में करंट खाते का घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 4.3% के स्तर तक पहुंच गया.

1.2.6. **मुद्रा स्फीति:** अप्रैल-नवम्बर, 2011 में के दौरान मुद्रा स्फीति 9% के स्तर से ऊपर ही बनी रही जो मार्च, 2012 की समाप्ति तक थोड़ी कम होकर 6.9% (अनंतिम) के स्तर पर आ गयी. प्रोटीन बहुल खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में निरंतर असंतुलन बने रहने, कच्चे तेल के उँचे

दाम, कोयला और विद्युत के मामले में प्रच्छन्न स्फीति आदि कई कारण मिलकर, भारतीय रिज़र्व बैंक के स्फीति प्रबंधन के समक्ष चुनौती बन कर खड़े रहे. वित्त वर्ष 2011-12 में औसत मासिक मुद्रा स्फीति 8.8% रही. जो पिछले वर्ष के दौरान 9.6% थी.

1.2.7. **भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहल :** मई-अक्तूबर, 2011 की अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक के नीतिगत उपाय स्फीति को कम करने और स्फीति थामे रखने तथा इसके बाद शेष अवधि में विकास की गिरावट की जोखिम को कम करने पर केंद्रित रहे. नीतिगत उपायों के क्रम में अप्रैल-अक्तूबर, 2011 के रेपो रेट धीरे-धीरे 175 आधार अंक बढ़कर 8.5% तक हो गये और इसे मार्च, 2012 तक अपरिवर्तित रखा गया. भारतीय रिज़र्व बैंक ने तरलता को बढ़ाने और ऋण के उठाव में वृद्धि के लिए जनवरी-मार्च, 2012 के दौरान नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में दो बार में मिलाकर 125 आधार अंक की कमी की.

1.2.8. **वित्तीय बाजार :**

ए) **तरलता की स्थिति :** 2011-12 में पूरे वर्ष तरलता की कमी बनी रही. तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत अप्रैल-सितम्बर, 2011 के दौरान औसतन लगभग ₹ 0.5 ट्रिलियन, फरवरी, 2012 तक रू.1.4 ट्रिलियन तथा मार्च, 2012 में लगभग रू.1.6 ट्रिलियन की तरलता बढ़ायी गयी. तरलता में कमी, अंशत: जुलाई के अंत में और दिसम्बर के मध्य में रूपये के मूल्य में तेजी से होने वाली गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री, जमाराशि और ऋण की वृद्धि में बढ़ते अंतर और रिज़र्व बैंक में भारत सरकार के खाते में प्रचुर नकदी जमा होने के कारण थी. तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवम्बर, 2011 और मार्च, 2011 में लगभग रू.1.3 ट्रिलियन खुले बाजार परिचालन के द्वारा उपलब्ध कराये और जनवरी-मार्च, 2012 के दौरान नकदी आरक्षित अनुपात में 125 आधार बिन्दु की कमी की जिससे प्राथमिक तरलता में लगभग रू.0.8 ट्रिलियन की वृद्धि हुई.

बी) **ऋण मार्केट :** वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटे की कमी को पूरा करने के अन्य स्त्रोतों खासकर लघु बचत में कमी तथा सरकार के व्ययों में बढ़ोत्तरी के कारण, सरकार ने ₹ 4.17 ट्रिलियन (निवल ₹ 3.43 ट्रिलियन) के सकल बाजार उधारी के आरंभिक अनुमान को संशोधित कर रू.5.1 ट्रिलियन (निवल रू.4.36 ट्रिलियन) कर दिया था. कच्चे तेल सहित जिन्सों के बढ़ते दामों, मुद्रा स्फीति में वृद्धि की चिन्ता और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के कारण अप्रैल-मई, 2011 में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का बेंचमार्क प्रतिफल में बढ़ गया था. इसके बाद कच्चे तेल के दामों में नरमी, यूरो जोन में सरकारी ऋण संकट के समाधान की बढ़ती अनिश्चिताओं के कारण सुरक्षित निवेश पर जोर देने के कारण सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में नरमी आई और सितम्बर तक यह सीमित दायरे में रही. वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान सरकार के उधारी कार्यक्रम में वृद्धि, नीति दरों में वृद्धि और तरलता में निरंतर कमी के कारण सितम्बर के अंत से नवम्बर तक सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल में वृद्धि हुई और यह 8.97% जितनी उँचाई पर पहुंच गया. मुद्रास्फीति की दर में कमी, भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाजार परिचालन और उसके द्वारा नीति दरों में कमी होने की आशा में दिसम्बर, 2011 से फरवरी के मध्य तक इसके प्रतिफल की दर थोड़ी कम हुई, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम में उम्मीद से अधिक बढ़ोत्तरी और दिनांकित प्रतिभूतियों का नीलामी कलैंडर जारी होने के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल मार्च, 2012 में बढ़कर 8.63% हो गया.

सी) **विदेशी मुद्रा बाजार :** वैश्विक अनिश्चितता के कारण पूंजी प्रवाह में कमी के कारण अप्रैल-दिसम्बर, 2011 के दौरान मुद्रा बाजार दबाब में था पिछले वित्त वर्ष की लेखाबंदी के बाद से मार्च, 2012 तक अमेरिकी डालर की तुलना में रुपये का मूल्य 14.1% कम होकर रू.50.87 प्रति डालर हो गया था, जिसका कारण व्यापार असंतुलन और चालू खाते का बढ़ता घाटा था. जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011 के मध्य तक रूपये के मूल्य में लगभग 19% की बड़ी गिरावट हुई. भारतीय रुपये के मूल्य में तेज गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कैंसिल किये गये वायदा करारों को पुन: बुक करने की सुविधा वापिस लेने, प्राधिकृत डीलरों की निवल दिवसांत की पोजीशन कम करना, विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी गतिविधियों को रोकने जैसे कड़े कदम उठाये. दिसम्बर, 2011 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशि और साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमाराशि खातों पर ब्याज को विनियमित कर दिया.

डी) **इक्विटी बाजार -** वर्ष 2011-12 में भारत में इक्विटी बाजार की गिरावट जारी रही और इसमें उथल-पुथल बनी रही. मुद्रा स्फीति, ब्याज की उंची पर, राजकोषीय घाटे में वृद्धि, सरकारी ऋणों और वित्तीय संस्थाओं की रेटिंग में गिरावट, सुरक्षित निवेश की तलाश और वैश्विक सूचकांकों में गिरावट जैसी वजहों से, बीएसईसंवेदी सूचकांक में पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति के स्तर से 10.5% की गिरावट दर्ज हुई.

1.2.9. बैंकिंग उद्योग का कामकाज :

ए) **मुद्रा आपूर्ति -** वर्ष 2011-12 के आरंभ की मुद्रा आपूर्ति की 17% की दर वर्ष के दौरान कम होकर मार्च, 2012 की समाप्ति तक लगभग 13% रह गयी. यह भारतीय रिज़र्व बैंक के 15.5% के अनुमान से कम थी. मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि की कम दर का करण वर्ष के अधिकांश समय मुख्यत: प्रारंभिक तरलता तथा ऋण की मांग से कमी, आर्थिक कार्यकलापों की मंद गति और दिसम्बर, 2011 से मुद्रास्फीति की दर में कमी होना था.

बी) **ऋण वृद्धि :** भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई, 2011 में अपने वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में वर्ष 2011-12 खाद्येतर ऋण में वृद्धि के 18% के अनुमान को जनवरी, 2012 में तृतीय तिमाही में नीति समीक्षा के समय घटाकर 16% कर दिया था. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण की वर्ष के आरंभ की 22% की विकास दर फरवरी, 2012 में घटकर 15.4% रह गयी थी, जो आर्थिक कार्यकलापों में कमी की परिचायक थी. इसके बाद मार्च, 2012 में खाद्येतर ऋण की विकास दर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों से बढ़कर 16.8% हो गयी. ऋण विकास की तेज गति का कारण उद्योग और कृषि जगत को ऋण प्रवाह अधिक होना था. ऋण विकास में समग्र कमी का कारण ब्याज दर में वृद्धि का वातावरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट, कार्पोरेट लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव के कारण बैंकों का जोखिम से दूरी बनाये रखना था.

2. नव निर्माण नेक्सट

आपके बैंक की ग्राहक सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने की आंकाक्षा पूरी करने की दिशा में बैंक ने ग्राहक सेवा उत्कृष्टता कार्यक्रम आरंभ किया तथा कई पहले की.

2.1. यूनियन एक्सपीरियेंस शाखा माडल :

- ग्राहक सेवा उत्कृष्टता की समूची परियोजना का केंद्र बिंदु यूनियन एक्सपीरियेंस शाखा माडल है.
- 31 मार्च, 2012 को देश में 11 क्षेत्रों की 81 शाखाओं को इस माड्यूल के अंतर्गत लाया गया.
- इसके परिणामस्वरूप इन शाखाओं में औसत कासा राशि में बेस लाइन से वृद्धि हुई और अधिग्रहीत कासा खातों की गुणवत्ता में वृद्धि हुई.
- बैंक ने संबंधित क्षेत्रों में यूनियन एक्सपीरियेंस शाखाओं के रोल आउट के लिए चेंज लीडर बनाये.
- 200 बूट केंपों के जरिये 150 शाखा प्रबंधकों और शाखा के 1500 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया.

2.2 वैकल्पिक चैनलों के परिचालन को सरल बनाना :

2.2.1 कॉल सेंटर :

- बैंक ने अपने ग्राहकों को प्रभावी वैकल्पिक सम्पर्क बिंदु उपलब्ध कराने के लिए कॉल सेंटर के परिचालन में सुधार किया.
- सेंटर की क्षमता में वृद्धि की गयी. आइवीआर मीनू की डिज़ाइन दोबारा बनायी गयी, जिससे ग्राहक आसानी से परिचालन कर सकें.
- संगठन मॉडल व समीक्षा पद्धति को मजबूत किया गया.

2.2.2. एटीएम :

- पहली बार 31 मार्च, 2012 को बैंक के एटीएम की संख्या (3801) बैंक की शाखाओं की संख्या (3201) से अधिक हो गयी, जिसके कारण भारत के बैंकिंग क्षेत्र में हमारा शाखा एटीएम अनुपात सबसे अच्छा हो गया. एटीएम से शाखा का अनुपात 1.19 था.
- एटीएम प्रबंधन प्रक्रिया को ठीक किया गया, जिससे कि एटीएम अधिक समय तक सेवा के लिए उपलब्ध रहे.

2.3. ऋण व देयता केंद्रीकरण :

- आपके बैंक ने कासा खाता खोलने के काम का केंद्रीकरण करना आरंभ किया है तथा प्रयोग के तौर पर मुंबई और दिल्ली में यह कार्य आरंभ किया गया है.
- उच्च मूल्य के एमएसएमई खातों की समीक्षा/नवीकरण और रखरखाव कार्यों का केंद्रीकरण किया गया है, जिसका प्रायोगिक कार्य मुंबई में जारी है.

आपके बैंक का दृढ़ विश्वास है कि ये पहल ग्राहक आधार बढ़ाने और देश का सबसे पसंदीदा बैंक बनने में सहायक होगीं.

कारोबारी क्षेत्र का कार्य निष्पादन:

3. संसाधन संग्रहण :

3.1. 31 मार्च, 2012 को हमारी वैश्विक जमाराशि ₹ 2,02,461 करोड़ से ₹ 20,408 करोड़ अर्थात् 10% बढ़कर ₹ 2,22,869 करोड़ हो गयी.

3.2. मीयादी जमा पर अधिक ब्याज के कारण कासा का विकास अवरुद्ध हुआ है. कासा पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2011 के ₹ 64,307 करोड़ से ₹ 5,398 करोड़ 8.39% बढ़कर 31 मार्च, 2012 को ₹ 69,705 करोड़ हो गया. कुल जमाराशि में कासाकी हिस्सेदारी 31.28% है. कासा जमाराशि की औसत विकास दर 12.37% रही, जो स्थिर विकास गति की परिचायक है.

3.3 आपका बैंक मीयादी जमा उत्पादों को बढ़ावा देकर अपना रिटेल जमा (रुपये 15.00 लाख से कम) आधार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. बैंक के रिटेल मीयादी जमा पोर्टफोलियो में 31 मार्च, 2011 के ₹ 44,884 करोड़ से ₹ 12,226 करोड़ की वृद्धि (27.24%) हुई है. और 31 मार्च, 2012 को यह ₹ 57,110 करोड़ हो गया है.

सारिणी 1 जमाराशि वर्गीकरण :

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2010-11	वित्त वर्ष 2011-12	सालाना वृद्धि	
			शुद्ध	%
कुल जमाराशि	202461	222869	20408	10.08
कासा	64307	69705	5398	8.39
मियादी जमा	138154	153164	15010	10.86

4. ऋण प्रबंधन :

बैंक के अग्रिम पिछले वर्ष के ₹ 1,53,000 करोड़ से 18,30% बढ़कर ₹ 1,81,031 करोड़ हो गये.

सारिणी 2 : अग्रिम पोर्टफोलियो :

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2011-12	% हिस्सा
कुल अग्रिम	**1,81,031**	
जिसमें से		
एमएसएमई अग्रिम	24,662	13.62
कृषि अग्रिम	16,292	9.00
रिटेल अग्रिम	16,242	8.97

4.1. रिटेल उधारी :

4.1.1. 31 मार्च, 2012 को रिटेल अग्रिम ₹ 16,242 करोड़ थे, जो कुल अग्रिम के 8.97% थे.

4.1.2. बैंक एक स्वस्थ रिटेल उधारी पोर्टफोलियो बनाने की नीति पर अग्रसर है.

चार्ट - 1 रिटेल आस्तियों का संघटन

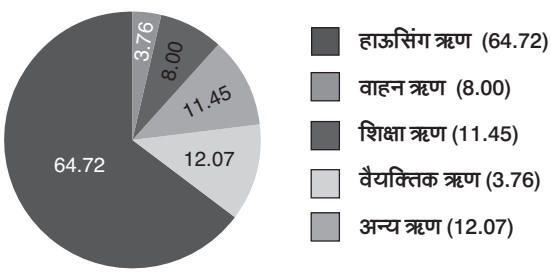

4.1.3. वित्त वर्ष में 12 नयी रिटेल लोन पाइंट शाखाएं खोल कर बैंक ने ग्राहकों तक पहुंच बढ़ायी है.

4.1.4. बैंक की यूनियन मार्गेज़ और यूनियन हेल्थ स्कीमों में विभिन्न फीचर जोड़ कर संशोधन किया गया है और इन्हें आकर्षक शर्तों पर प्रस्तुत किया जा रहा है.

4.1.5. बैंक ने आवास ऋण, शैक्षिक ऋण और नकद साख/ सुरक्षित ओवर ड्राफ्ट वाले मौजूदा ग्राहकों को पुरस्कृत करने के लिए नयी स्कीम आरंभ की है.

4.1.6. एक विशेष आवास ऋण स्कीम अर्थात् त्यौहारी मौसम (अक्तूबर 2011 से मार्च, 2012) के दौरान "कांबो आफर" आरंभ की थी.

4.1.7. इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षिक ऋण स्कीम के अंतर्गत ₹ 49 करोड़ से अधिक (67% हिस्सा) का करोबार किया गया तथा आईआईएस, एक्सएलआर और एसपी जैन के विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षिक स्कीमों में ₹ 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया.

4.1.8. आपके बैंक ने उत्पादक के स्तर से टाटा मोटर्स, हुंदै मोटर्स और मारुति से समझौते का नवीकरण किया.

4.1.9. बीएसएनएल, केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों, भारत सरकार के प्रतिष्ठित मंत्रालयों तथा अखिल भारतीय सेवाओं यथा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईईएस आदि के कार्यपालकों गृह और रक्षा मंत्रालय आदि के संगठनों के साथ टाई-अप किये गये.

4.2 कार्पोरेट क्रेडिट :

4.2.1. लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल जून, 2008 में स्थापित किया गया था. इस वर्टिकल के अंतर्गत 9 औद्योगिक वित्त शाखा और 2 ओवरसीज़ शाखाओं को मिलाकर 11 शाखाएं है. इस पहल का उद्देश्य कार्पोरेट ग्राहकों के प्रस्तावों का तेजी से संचरण, उद्योग विशेष के लिए विशेषीकृत सेवाएं प्रदान करना और कार्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर माडल कार्यान्वित करना था. लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल में ऋण प्रस्ताव संबंधित उद्योग की डेस्क पर प्रासेस किये जाते हैं तथा संभावना वाले उद्योगों/ सैक्टरों में निवेश बढ़ाने के लिए शाखाओं का मार्गदर्शन करने के लिए क्षेत्रवार उद्योगों की रिपोर्ट तैयार की जाती है.

लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल का कामकाज इस प्रकार रहा है -

तालिका 3: लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल का कार्य निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 2011 (वास्तविक)	मार्च 2012 (वास्तविक)	वृद्धि (%)
कुल अग्रिम	54,428	62884	16%
गैर ब्याज आय	250	235.41	-6%
अग्रिमों पर आय	9.58%	10.90%	+132bps

4.2.2 लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल के अग्रिम बैंक के कुल अग्रिमों के 35% हैं. लार्ज कार्पोरेट के अग्रिमों में 16% की वृद्धि हुई है. गैर निधि आधारित कारोबार 18% बढ़ा और यह ₹ 15,500 करोड़ से अधिक हो गया.

4.2.3. सीआरएम संकल्पना का कार्यान्वयन रिलेशनशिप वेल्यू बढ़ाकर गैर निधि कारोबार में हिस्सेदारी में वृद्धि कर गैर ब्याज आय को बढ़ाने के लिए भी किया गया है. ग्राहक रिलेशनशिप प्रबंधन बाजार के सक्रिय सम्पर्क से नयी कारोबार लीड लाते है.

4.3. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) :

4.3.1. 31 मार्च, 2012 को बैंक का सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अग्रिम ₹ 24,662 करोड़ था. समग्र वैश्विक मंदी तथा बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण एमएसएमई के अंतर्गत ऋण का उठाव कम था. बैंक के घरेलू अग्रिमों में बैंक की हिस्सेदारी 14.36% है. एमएसएमई पर हमारा खास ध्यान है और हमारा बैंक शीघ्र प्रत्युत्तर समय, किफायती मूल्यों पर ऋण उपलब्ध कराने, एमएसएमई ग्राहकों का आधार बढ़ाने के लिए विशेष रूप से निर्मित उत्पाद तथा इस क्षेत्र के लिए निर्बाध ऋण प्रवाह का आश्वासन देता है.

4.3.2. एमएसएमई को ऋण डिलीवरी के लिए बैंक की 350 समर्पित कारोबार बैंकिंग शाखाएं और एमएसएमई ऋण की शीघ्र मंजूरी और मूल्यांकन के लिए 17 सरल (केंद्रीय प्रोसेसिंग) केंद्र हैं. ये शाखाएं और केंद्र पूरे देश के संभावना युक्त स्थानों पर स्थिर हैं, जिससे कि एमएसएमई को क्रेडिट डिलीवरी की गति बढ़ायी जा सके और इनके ऋण पर शीघ्र निर्णय हो सके, जो एमएसएमई के विकास के लिए प्रेरक बल के रूप में कार्य कर सके. वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक कारोबार बैंकिंग शाखाओं के रूप में 100 अतिरिक्त शाखाओं की पहचान की है और ऐसी शाखाओं की संख्या 250 से बढ़कर 350 हो गयी है.

4.4 ग्रामीण और कृषि कारोबार :

4.4.1. **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र :** 31 मार्च 2012 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम ₹ 44,911 करोड़ थे, जो समायोजित निवल बैंक अग्रिम के 31.68% थे. आपका बैंक अपने ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में सहयोग कर रहा है.

4.4.2. **कृषि :** 31 मार्च, 2012 को कुल कृषि अग्रिम ₹ 16,292 करोड़ था, जो समायोजित निवल बैंक अग्रिम का 11.49% था. विशेष कृषि ऋण योजना के अंतर्गत ₹ 10,200 करोड़ ऋण वितरण के लक्ष्य के समक्ष ₹ 10,254 करोड़ संवितरित किये गये, जो लक्ष्य के शत प्रतिशत से थोड़े अधिक थे. वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1356 करोड़ की ऋण सुविधा युक्त 139707 अतिरिक्त किसान कार्ड जारी किये गये.

4.4.3. **लघु उद्यम -** 31 मार्च, 2012 को लघु उद्यमों को कुल अग्रिम ₹ 17,421 करोड़ थे.

4.4.4. **तृतीयक क्षेत्र -** 31.12.2012 को तृतीयक क्षेत्र को बैंक के कुल अग्रिम ₹ 11,198 करोड़ थे.

4.4.5. **सामाजिक उत्थान के लिए विशिष्ट उधारी -** महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए आपका बैंक महिला उद्यमियों को ऋण देता है. 31 मार्च, 2012 को बैंक ने 4.79 लाख महिला उद्यमियों का वित्त पोषण किया हुआ था तथा महिला लाभग्रहीताओं को बकाया ऋण की राशि ₹ 6,307 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,917 करोड़ हो गयी थी, जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 4.88% थी. कमजोर वर्गों को सहायता की राशि ₹ 9,345 करोड़ थी. 31 मार्च, 2012 को अजा/ अजजा के 194930 लाभग्रहीताओं को बकाया राशि ₹ 1,386 करोड़ थी.

4.4.6. **अल्पसंख्यक समुदाय को उधारी -** "अल्पसंख्यकों के कल्याण" संबंधी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को सहायता की राशि 31 मार्च, 2012 को ₹ 3,856 करोड़ थी, जिससे लाभान्वितों की संख्या 209447 थी. कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम का यह राशि 8.59% हिस्सा थी.

4.4.7. **वर्ष 2011-12 में प्रारंभ नये उत्पाद/ स्कीम :**

- कृषकों की सुविधा तथा अपनी जरूरत के अनुसार नकदी/ वस्तु खरीदने के लिए एटीएम चालित किसान कार्ड आरंभ किये गये है.
- यूनियन किसान मित्र, जिन्हें कारोबार सहायक के रूप में रखा जायगा, की सहायता से कृषकों तक पहुंच बनाने के लिए "प्रोजेक्ट हरियाली" आरंभ किया गया है. यह कृषि उधारी पर ध्यान केंद्रित करने का एक और माध्यम है. यूनियन किसान मित्र, बीज/ कीटनाशक / उर्वरक/ कृषि वस्तुओं के डीलर/ व्यापारी, कृषि क्लीनिक और कृषि कारोबार केंद्र या कोई अन्य व्यक्ति, जिनकी कृषि संबंधी दुकान या कारोबार हो, होते हैं.
- गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों की आवश्यकता आधारित उपयोग जरूरतों के लिए ₹ 10,000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा युक्त बचत खाते की योजना "यूनियन शक्ति" के नाम से आरंभ की गयी है.

4.5. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) :

4.5.1. निर्धनों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करने का प्रभावी तरीका व किफायती एसएचजी के गठन और क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से सूक्ष्म वित्त पोषण करना है. 31 मार्च, 2012 को 190751 समूहों का गठन किया जा चुका था और 134640 समूहों को ₹ 798 करोड़ की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी.

4.5.2. स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, आपका बैंक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)/ अन्य सहयोगी संगठनों के माध्यम से प्रारंभ में अपने अग्रणी दायित्व वाले रीवा जिलें में महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास पर जोर दे रहा है.

4.5.3. स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, महिला एसएचजी के सदस्यों के लिए जीवन बीमा निगम की "जनश्री बीमा योजना" आरंभ की है, जिसके अंतर्गत ₹ 200 के नाम मात्र के प्रीमियम के भुगतान पर ₹ 50,000 का कवर मिलता है. प्रीमियम, एसएचजी और भारत सरकार द्वारा बराबर मात्रा में वहन किया जाता है.

5. **अग्रणी जिला स्कीम :**

आपका बैंक 4 राज्य के 14 जिलों यथा उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊनाथ भंजन, भदोही और चंदौली, मध्य प्रदेश में रीवा सीधी और सिंगरौली, केरल में एर्णाकुलम और इडुक्की तथा बिहार में खगड़िया और समस्तीपुर में अग्रणी बैंक के दायित्व का निर्वाह कर रहा हैं. इन जिलों में बैंक की 482 शाखाएं हैं और इन जिलों में बैंक की जमाराशि और अग्रिम क्रमश: ₹ 20,264 करोड़ और ₹ 6,339 करोड़ हो गये हैं, जबकि पिछले वर्ष ये राशि ₹ 19,461 करोड़ व ₹ 5,846 करोड़ थी.

6. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :**

6.1. बैंक ने उत्तर प्रदेश में काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी और मध्य प्रदेश में रीवा-सीधी ग्रामीण बैंक प्रायोजित किये हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के 8 जिलों और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में ग्रामीण बैंकों की 475 शाखाएं हैं. 31 मार्च, 2012 को इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार ₹ 8,371 करोड़ था, इनका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम ₹ 1,337 करोड़ था. जो कुल अग्रिम पोर्टफोलियो का 75% था. आपका बैंक इन ग्रामीण बैंकों में कोर बैंकिंग सोल्यूशन कार्यान्वित करने वाला सर्वप्रथम बैंक था तथा बैंक के दोनों ग्रामीण बैंक शतप्रतिशत सीबीएस हैं. ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने ग्राहकों को आरटीजीएस/ एनईएफटी की सुविधा प्रदान करने में प्रथम थे. काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी अपने ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम पर परिचालित होनेवाली एटीएम सेवा देने में प्रथम था तथा ग्रामीण ग्राहकों को तकनीक/ वैकल्पिक चैनलों की सुविधा प्रदान करने के लिए रुपे एटीएम कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक था. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपनी इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाने के लिए, इनके स्टाफ को प्रायोजक बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया. काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी ने अपना प्रशिक्षण केंद्र आजमगढ़ (उ.प्र.) में स्थापित किया हैं.

7. **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान :**

ग्रामीण/ अर्द्धशहरी स्थानों के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने और शहरी क्षेत्रों में उनके पलायन को रोकने के उद्देश्य से आपके बैंक ने 14 अग्रणी जिलों एर्णाकुलम, इडुक्की, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, समस्तीपुर, खगड़िया, रीवा, सीधी और सिंगरौली में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये हैं.

मार्च, 2012 तक 907 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर इन संस्थानों में 21,422 लाभग्रहीताओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 13,779 लाभग्रहीता लाभप्रद नियोजन में स्थापित हो गये हैं तथा स्थापित होने की यह दर 64.32% है.

8. वित्तीय समावेशन

8.1 अर्थव्यवस्था के विकास की गति को सहारा देने और उसकी गति बढ़ाने के लिये आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से वंचित लोगों की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है. वित्तीय समावेशन की इस प्रक्रिया में अबतक वंचित रहे व्यक्तियों का समावेशन , इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है. वित्तीय समावेशन, बैंकिंग कार्यकलापों का मुख्य केन्द्रबिंदु है.

8.2 आपका बैंक समाज के इन आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को उनके द्वार पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके सार्थक वित्तीय समावेशन प्रदान करने में अग्रणी रहा है. बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित 3 वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना 2010-13 पर कार्य कर रहा है, जिसके लिए वह उपयुक्त आईसीटी आधारित प्रौद्योगिकी अपनाकर शाखारहित बैंकिंग के जरिये मार्च 2013 तक 32000 बैंकरहित गांवों में अपनी पहुंच का विस्तार करने और योजना अवधि की समाप्ति तक 12 मिलियन नये ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए 20000 कारोबारी संपर्कियों /ग्राहक सेवा बिन्दुओं की स्थापना के लिए वचनबद्ध है.

बैंक ने वित्तीय समावेशन पहलों में निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हैं :

8.3 i. माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के लिए अपने बजट भाषण में कहा था कि बैंक मार्च 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों मे बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ करें. तदनुसार आपके बैंक ने आबंटित सभी 3506 गांवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया है.

ii. आपके बैंक ने शाखारहित डोरस्टैप बैंकिंग के जरिये 19208 गांवों में बैंकिंग सेवाएं स्थापित की हैं.

iii. आपके बैंक ने मार्च 2012 के दौरान 58 लाख नो-फ्रिल खाते खोले हैं, पिछले वर्ष तक खोले गये 75 लाख खाते मिलाकर नो फ्रिल खातों की संख्या 133 लाख हो गयी है.

iv. आपका बैंक ग्रामीण/शहरी गरीबों में आर्थिक कार्यकलापों के विकास और उनमें बैंकिंग आदत विकसित करने के लिए सूक्ष्म ऋण एवं सूक्ष्म-बीमा प्रदान करता है तथा नाममात्र के प्रीमियम पर बीमा कवर उपलब्ध कराता है.

v. आपके बैंक ने रीवा, जबलपुर एवं वाराणसी क्षेत्रों में शाखारहित बैंकिंग ग्राहकों हेतु संयुक्त देयता समूहों के लिए एक विशिष्ट सूक्ष्म-ऋण प्रॉडक्ट "प्रगति" प्रारंभ किया है. बैंक ने वर्ष के दौरान 39410 ग्राहकों को ₹ 39.41 करोड़ संवितरित किए हैं.

vi. आपके बैंक ने स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने के लिए श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ टाई-अप किया है. स्वयं सहायता समूह यह कृषि एवं उससे संबंधित सहायक कामधंधों में लगे हैं, जो ग्रामीणों को लाभप्रद रोजगार एवं आय प्रदान करते हैं. अभी तक, 12667 समूह बनाए गए हैं, इनमें 11640 खाते ₹ 59.62 करोड़ की वर्तमान बकाया राशि के साथ ऋण से जुड़े हैं. इस समय यह प्रोजेक्ट बेलगाम जिले के 5 ब्लॉक के 618 ग्रामों में कार्यान्वित है.

vii. कारोबार संपर्की मॉडल के जरिये प्रवासियों के लिए सूक्ष्म धन प्रेषण सुविधा अब नेफ्ट प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके दूसरे बैंकों के लिए उपलब्ध है. इसे ग्राहकों ने स्वीकार किया है एवं इसकी सराहना की है. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 11.12 लाख धन प्रेषणों के जरिये लगभग ₹ 630 करोड़ राशि प्रेषित की.

वित्तीय समावेशन के प्रयासों को सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता का प्रसार अनिवार्य है. आपके बैंक ने उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार एवं केरल आदि राज्यों में 9 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) स्थापित किए हैं. ये केन्द्र औपचारिक बैंकिंग के प्रति जागरुकता विकसित करने और विभिन्न वित्तीय सेवाओं पर नि:शुल्क परामर्श प्रदान करते हैं. अभी तक, इन एफएलसीसी ने 11610 लोगों को परामर्श दिया है.

8.4 **अन्य पहल :**

i. आपके बैंक ने देश भर में 202 ग्राम ज्ञान केन्द्र स्थापित किए हैं. ये ग्राम ज्ञान केन्द्र ग्रामीण शाखाओं से जुड़े हैं और ग्रामीण विकास अधिकारियों द्वारा संचालित हैं. ये केन्द्र विभिन्न विकास एजेंसियों / सरकारी विभागों के समन्वय से ग्राम के सर्वांगीण विकास के लिए मदद करते हैं और कृषकों को खेती की विधियों, प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति, उर्वरकों के उचित प्रयोग, कीटनाशकों और बेहतर उपज एवं अधिक आय के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं.

ii. आपके बैंक की अन्य कारपोरेट सामाजिक पहल यूनियन आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत देश भर में 134 ग्रामों को अंगीकृत करना है. इस योजना के अंतर्गत ग्राम के विकास के लिए और उसे आदर्श गांव में बदलने के लिये बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ग्राम ज्ञान केन्द्र इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. सार्थक वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर ग्राम की सम्पूर्ण ऋण आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं.

9. **आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन**

9.1 बैंक का सकल एनपीए ₹ 3623 करोड़ से बढ़कर ₹ 5450 करोड़ और निवल एनपीए ₹ 1803 करोड़ से बढ़कर ₹ 3025 करोड़ हो गया है. प्रतिशत में, सकल एनपीए 2.37% से बढ़कर 3.01% और निवल एनपीए 1.19% से बढ़कर 1.70% हो गया है. एनपीए में वृद्धि का कारण विद्युत, कपड़ा एवं अचल संपत्ति क्षेत्र आदि में गिरावट होना है. इसके अतिरिक्त, स्वचलित आय पहचान एवं आस्ति वर्गीकरण के फलस्वरूप भी अकस्मात् एनपीए बढ़ा है, जो सिस्टम के स्थिर होते ही ठीक हो जाएगा. पुनर्संरचित आस्तियों को भी एनपीए मानने से थोड़ी मात्रा में एनपीए बढ़ा है.

9.2 तथापि सितंबर 2011 तिमाही के स्लिपेज ₹ 1821 की तुलना में दिसंबर 2011 तिमाही में स्लिपेज ₹ 566 करोड़ और मार्च 2012 तिमाही में ₹ 606 करोड़ के स्लिपेज को देखते हुए आस्ति की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है. .

9.3 **एनपीए का संचलन निम्नानुसार है :**

तालिका - 4 -एनपीए संचलन

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	31 मार्च 2011		31 मार्च 2012	
सकल एनपीए (प्रारंभिक)		2671		3623
वृद्धि		2924		3760
घटायें :				
(I) अपग्रेडेशन	268		255	
(II) वसूली	578		740	
(III) अपलिखित	1126	1972	938	1933
सकल एनपीए (अंतिम)		3623		5450
निवल एनपीए				
- प्रारंभ में		965		1803
- लेखाबंदी पर		1803		3025

9.4 नकद वसूली एवं अपग्रेडेशन पिछले वर्ष के ₹ 846 करोड़ की तुलना में ₹ 995 करोड़ थे. एनपीए के लिए कठिन वर्ष होने के बावजूद आरंभिक एनपीए की वसूली / अपग्रेडेशन का प्रतिशत पिछले वर्ष के 31.67% की तुलना में 27.46% रहा. बैंक ने बट्टे खाते डाले गए खातों में पिछले वर्ष की ₹ 212 करोड़ की वसूली की तुलना में इस वर्ष ₹ 353 करोड़ की वसूली की.

9.5 बैंक ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसिया) 2002 के अंतर्गत ₹ 1402 करोड़ की बकाया राशियों के लिए 11557 चूक करने वाले ऋणियों को नोटिस जारी किए गए थे. एकबारगी निपटान में 569 मामले अनुमोदित किए गए थे, जिनमें ₹ 105 करोड़ की वसूली हुई. इसके अतिरिक्त, 1524 मामलों में ₹ 624 करोड़ की आस्तियां जब्त की गई थीं. बैंक ने सम्पत्तियों की बिक्री करके ₹ 71 करोड़ की रकम वसूल की है.

9.6 ₹ 5 लाख तक के कृषिगत एनपीए तथा ₹ 1 लाख से कम बकाया वाले छोटे एनपीए के लिए एक विशेष एकबारगी निपटान स्कीम लागू की गई थी, जिसमें काफी वसूली हुई.

9.7 बड़ी रकम के एनपीए पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए देश भर में बैंक की 10 आस्ति वसूली शाखाएं हैं. इसने वसूली प्रयासों को कारगर बनाया है. वर्ष के दौरान इन शाखाओं ने ₹ 176.98 करोड़ की वसूली की.

9.8 आपके बैंक ने देशभर में वसूली शिविरों का आयोजन किया और लोक अदालतों में नियमित रूप से भाग लिया. इन शिविरों एवं अदालतों का उत्साहवर्द्धक फायदा हुआ.

9.9 नियंत्रक कार्यालयों द्वारा विभिन्न स्तरों पर बड़े एनपीए खातों की नियमित अंतरालों में समीक्षा की गई. बोर्ड द्वारा भी तिमाही अंतरालों में बैंक की एनपीए स्थिति की समीक्षा की गई.

9.10 वसूली के लिये वाचिक क्षमताओं का सृजन किया जा रहा है, जिससे न केवल वसूली में वृद्धि होगी अपितु एनपीए को भी नियंत्रित किया जा सकेगा. स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने और एनपीए नियंत्रित करने के लिए बैंक ने बेंगलूर में वसूली सम्पर्क केन्द्र प्रारंभ किया है, जो न केवल एनपीए की वसूली में मदद करेगा अपितु चूकों को भी रोकेगा.

10 ट्रेज़री:

10.1 बैंक का कुल निवेश संविभाग 31 मार्च, 2011 के ₹ 58,399 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2012 को ₹ 62,524 करोड़ रहा. इसमें पिछले वर्ष से 7.06% वृद्धि हुई. इसमें सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश, राज्य विकास ऋण और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)के लिये अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं इक्विटी शेयर, कार्पोरेट डिबेंचर, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बॉण्ड्स, (पीएसयू बाण्ड्स), वाणिज्यिक पेपर (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी), प्रतिभूति रसीद, म्युचुअल फंड्स, वेचर कैपिटल फंड्स, सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश का समावेश है. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में निवेश संविभाग पर प्रतिफल 6.96% रहा जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष में 6.55% था. इसके अतिरिक्त, ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के 7.04% की तुलना में 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान 7.40% रहा. वर्ष के दौरान ब्याज आय एवं निवेशों की बिक्री पर लाभ को मिलाकर निवेश पर प्रतिफल ऋण, परिशोधन को समायोजित करने के बाद 7.63% रहा, जो पिछले वर्ष 7.31% था.

10.2 ट्रेज़री का प्रयास रहता है कि अतिरिक्त संसाधनों के कुशल आवंटन के जरिये तरलता के प्रबंधन के साथ निधियों पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाय. सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने के अलावा ट्रेज़री अपने (बैंक के) के लिये सरकारी प्रतिभूतियों, इक्विटी शेयरों, डिबेंचरों एवं बॉण्डों में ट्रेडिंग करती है और विदेशी विनिमय बाजारों में निधियां अभिनियोजित करती है. वर्ष के दौरान घरेलू एवं फोरेक्स बाजारों में ट्रेज़री परिचालनों से बैंक का कुल लाभ ₹ 718.62 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष 692.94 करोड़ था.

10.3 बैंक डेरीवेटिव में अपनी स्वामित्व ट्रेडिंग के अलावा ग्राहकों को हेजिंग (सुरक्षा) सुविधा प्रदान करता है. ये लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के दायरे में किए जाते हैं.

10.4 बैंक ने करेंसी डेरीवेटिव खंड में करेंसी फ्यूचर्स और वायदा में सक्रिय रूप से कारोबार किया .

11. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

11.1 31 मार्च, 2012 को आपके बैंक का विदेशी विनिमय टर्नओवर 84% तक बढ़कर ₹ 193860 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष ₹ 105338 करोड़ था.

11.2 आपके बैंक का सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों पर 326 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की संबंध है.

11.3 आपके बैंक की 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 22 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों एवं 22 विनिमय गृहों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) है. वर्तमान में यूएई एक्सचेंज के जरिये प्रस्तुत **यूनियन फ्लैश** के रूप में प्रसिद्ध ऑनलाइन धन प्रेषण प्रॉडक्ट अत्यधिक लोकप्रियता पा रहा है. यह गल्फ में एनआरआई के लिए एक 24X7 ऑनलाइन धन प्रेषण सोल्युशन है. एनआरआई इस प्रॉडक्ट का प्रयोग करके, यूनियन बैंक में खाता रखने वाले निवासी भारतीयों के खाते में निधियां तुरंत जमा कर सकते हैं.

11.4 आपके बैंक का निर्यात ऋण 31 मार्च, 2011 के ₹ 6375 करोड़ से बढ़कर 9.65% वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2012 को ₹ 6990 करोड़ हो गया, पिछले वर्ष यह 1.63% बढ़ा था.

12. ओवरसीज़ परिचालन

12.1 बैंक की हांगकांग में ओवरसीज़ शाखा है जो 7 मई, 2008 से कार्यरत है. यह शाखा जमाराशियों की स्वीकृति, व्यापार वित्त, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) एवं सिंडीकेटिड ऋण जैसे सामान्य व्यावसायिक बैंकिंग कार्य करती है. 31 मार्च 2012 को इसकी जमाराशियां 84.58% की वृद्धि के साथ 237.37 मिलियन अमेरिकी डालर थीं. 31 मार्च 2012 को अग्रिम 34.95% की वृद्धि के साथ 1805.60 मिलियन अमेरिकी डालर थे. 31 मार्च 2012 को शाखा का परिचालन लाभ 54.80% की वृद्धि के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डालर था.

13. संव्यवहार बैंकिंग :

वैकल्पिक चैनल

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने वांछित मिशन का अनुसरण करते हुए सभी संभव वैकल्पिक लेनदेन वैकल्पिक / इलैक्ट्रानिक चैनलों के जरिये संचालित करने के लिये ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सरल/सुविधाजनक विकल्प दिये हैं. बैंक में इलैक्ट्रॉनिक लेनदेनों का प्रतिशत निम्नानुसार बढ़ा है :

चार्ट- 2 - इलैक्ट्रॉनिक लेनदेन

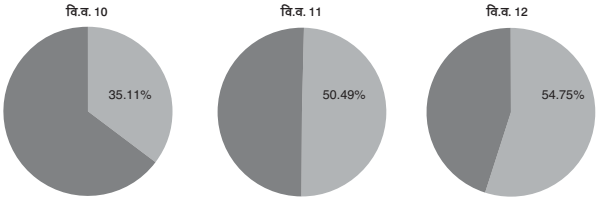

पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कुछ मुख्य पहलें नीचे दी गई हैं :

13.1 एटीएम एवं कार्ड

- आपके बैंक ने इस वर्ष 3800 एटीएम के लक्ष्य को प्राप्त किया है और पिछले वर्ष के दौरान 1.55 मिलियन डेबिट कार्ड जारी किए हैं. बैंक ने नेफ्ट (नेशनल इलैक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर), आईएमपीएस (इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम) और और एटीएम के माध्यम से यूनियन ई-कैश फैसिलिटी सरीखे धनप्रेषण उत्पाद प्रारंभ किए हैं. बैंक एटीएम पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की संख्या निरंतर बढ़ाते रहने पर ध्यान केन्द्रित करता रहेगा.
- बैंक ने एटीएम नेटवर्क के विस्तार की तैयारी की है और मार्च 2013 तक एटीएम नेटवर्क के अंतर्गत एटीएम की संख्या 5000 तक करने के लिए योजना बनाई है.

चार्ट -3- कार्ड से लेनदेन

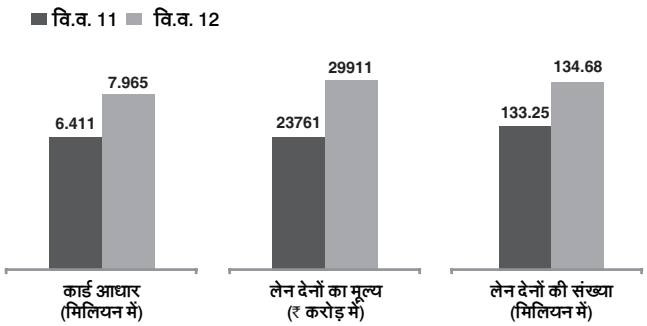

13.2 इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग

- आपके बैंक ने अपने अन्य इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनलों जैसे कि इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग में नये फीचर भी जोड़े हैं. पिछले वर्ष हमारा प्राथमिक उद्देश्य इन इलैक्ट्रॉनिक चैनलों की सुरक्षा बढ़ाना रहा था. ग्राहकों के सशक्तिकरण के लिए बिल प्रस्तुतीकरण, ऑन लाइन सावधि जमा रसीद, ऑनलाइन फीडबैक, ऑनलाइन गिफ्ट कार्ड मुख्य पहल रही हैं.
- आपका बैंक आईएमपीएस (इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम) सेवा प्रदान करने वाले कुछेक बैंकों में से एक है. इससे ग्राहक रीयल टाइम बेसिस पर दूसरे बैंक के खाते में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. आईएमपीएस (इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम) की सुविधा का विस्तार अब एटीएम तक भी किया गया.
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन, पुणे में कैशलैस कैम्पस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है. बैंक ने कॉलेज / यूनिवर्सिटी पोर्टल्स पर कॉलेज फीस के भुगतानों के लिए पेमेंट गेटवे सोल्युशन कार्यान्वित किया है. बैंक देश भर में अनेक और कैम्पसों में यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने और इन सुरक्षित किफायती चैनलों के प्रयोग के लिए आकर्षित करने की योजना बना रहा है.

चार्ट - 4 -इंटरनेट/एसएमएस बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के प्रयोक्ता (यूज़र्स)

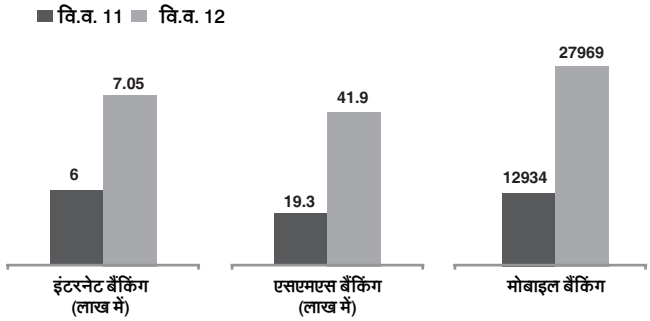

ग्राहक सशक्तिकरण, कागज़रहित बैंकिंग और इलैक्ट्रॉनिक लेनदेन की संख्या बढ़ाना बैंक के मुख्य उद्देश्य रहे हैं जिसके फलस्वरूप बैंक में वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से लेनदेन मार्च, 2011 के 50% से बढ़कर मार्च, 2012 में 54.75% हो गया है. इसका अभिप्राय है कि अधिक ग्राहकों को उनकी पसंद के सुविधाजनक चैनलों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देना और बैंक के लिए ग्राहक सेवा लागत में भारी कमी लाना.

13.3 अधिग्रहण उत्पाद

- आपके बैंक ने अधिग्रहहण कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश किया है है और वीसा एवं मास्टरकार्ड कार्ड्स स्वीकार करने वाले बिक्री-बिन्दु (पीओएस - पॉइंट ऑफ सेल) टर्मिनल्स की स्थापना के लिए देशभर में व्यापारियों के नाम दर्ज करने प्रारंभ कर दिए हैं. व्यापारियों के उत्साह से विशेषकर टियर 2 एवं टियर 3 नगरों के, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बैंक मार्च 2013 तक 10000 से अधिक पीओएस टर्मिनल्स का विस्तार कर लेगा.
- बैंक ने शाखाओं में पीओएस टर्मिनल्स का विस्तार करके ग्रीन बैंकिंग भी प्रारंभ की है जो ग्राहक को अपने डेबिट कार्ड का प्रयोग स्वयं करके नकद आहरण, नकद जमा एवं फंड ट्रांसफर की अनुमति देती है.
- बैंक ने वर्तमान वर्ष के दौरान क्रेडिट / डेबिट कार्ड पेमेंट गेटवे भी आरंभ किया है और इस सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यापारी जोड़ने प्रारंभ कर दिए हैं.

अत्यधिक मजबूत कार्ड आधार होने के कारण बैंक को भविष्य में शुल्क एवं कमीशन आधारित अच्छी आय अर्जित करने में मदद मिलेगी.

13.4 करेंसी चेस्ट

- बैंक ने औसत ₹ 50.00 लाख से ऊपर की नकदी प्राप्तियों वाली 487 शाखाओं को नोट छांटने वाली मशीनें प्रदान करने का कार्य पूरा किया है. बैंक ने मार्च 2013 से पहले उन लगभग 1000 शाखाओं को नोट छांटने वाली मशीनें प्रदान करने की योजना बनाई है जिनमें नकद प्राप्ति ₹ 40.00 लाख से अधिक है.
- वर्तमान में बैंक के पास 64 करेंसी चेस्ट हैं और बैंक सालेम में करेंसी चेस्ट खोलने जा रहा है. बैंक की योजना अगले 2 साल के अंदर 11 और करेंसी चेस्ट खोलने की है.
- बैंक का वर्तमान सभी करेंसी चेस्टों को आधुनिक नकदी प्रोसेसिंग केन्द्र में बदलने का प्रस्ताव है.

13.5 नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)

- आपके बैंक ने विभिन्न सीएमएस प्रॉडक्ट्स के अंतर्गत 150 नये ग्राहक जुटाए हैं और वर्ष के दौरान ₹ 44008 करोड़ के टर्नओवर के साथ ₹ 11.41 करोड़ की शुल्क आधारित आय अर्जित की है.
- सीएमएस, कस्टमाइज़्ड एमआईएस की मदद से कार्पोरेट ग्राहकों हेतु न्यूनतम खर्च में तेजी से प्राप्यों एवं देयों के लिए विशेषीकृत सेवा प्रदान करती है. विभिन्न स्थानों पर जमा किए गए चेकों की वसूली तेजी से होती है और उनकी निधियां एक ही स्थान पर जमा होती हैं. इसी तरह, सीएमएस एक ही स्थान से बड़ी संख्या में भुगतानों प्राप्त करने में भी ग्राहकों की मदद करती हैं. संग्रहण उत्पादों में स्थानीय चेक वसूली (एलसीसी), दूरस्थ चेक वसूली (यूसीसी), प्रतिरूप (virtual) खाते आदि हैं. दूरस्थ चेक मुद्रण, डीडी आहरण व्यवस्था एवं कार्पोरेट चेक भुगतान, भुगतान प्रॉडक्ट. हैं. सीएमएस में, बड़ी संख्या में आरटीजीएस/नेफ्ट, केन्द्रीकृत चेक एवं आदेश आधारित नामे एवं जमा जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जो म्युचुअल फंड, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसे ग्राहकों को लाभप्रद है.
- बैंकिंग में भुगतान संबंधित गतिविधियों में आये परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने भुगतान संबंधी कार्यों के लिए एक पेमेंट हब स्थपित किया है. पेमेंट हब ने केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय के अखिल भारतीय स्तर पर बड़ी संख्या में वेतन भुगतान करना प्रारंभ कर दिया गया है. कुछ सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों को ऑनलाइन एवं आरटीजीएस/नेफ्ट अंतरण के जरिये बड़ी संख्या में धन प्रेषण भी किए जाते हैं.
- कार्पोरेट ग्राहकों को सुरक्षित डाटा प्रेषण की आवश्यकता है. बैंक ने परस्पर संयुक्तता (host to host connectivity) के लिए पहले ही सॉफ्टवेयर खरीद लिया है. इससे ग्राहक अपने सिस्टम से बैंक के सर्वर में दुविधा मुक्त तरीके से डाटा प्रेषित कर सकेंगे. यह सुविधा अधिक से अधिक ग्राहकों को प्रदान की जाएगी.
- वेब-सीएमएस का परिचालन आरंभ किया गया है. ग्राहक यूनियन बैंक वेबसाइट के माध्यम से अपने खाते एवं लेनदेन देखने के लिए सीएमएस सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं.

13.6 व्यापारी बैंकिंग

- बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सार्वजनिक निर्गमों में आवेदन करने के लिए अस्बा (रोकी गई रकम से समर्थित) सुविधा उपलब्ध कराई है और इसमें आवेदक और उनके ब्यौरे पंजीकृत करने की सुविधा है.
- बैंक कार्पोरेट ग्राहकों/पीएसयू के संग्रह एवं भुगतान कार्य कर रहा है.

13.7 तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण

- तृतीय पक्ष उत्पादों के अंतर्गत आपका बैंक अपने ग्राहकों को बीमा (जीवन एवं गैर-जीवन बीमा दोनों), म्युचुअल फंड, स्टाम्प वेंडिंग आदि मूल्य-वर्द्धित प्रॉडक्ट/सेवाएं प्रदान करता है.
- बैंक अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कंपनी लि. के जीवन बीमा और अपनी सहायक कंपनी यूनियन केबीसी म्युचुअल फंड के म्युचुअल फंड उत्पाद वितरित करता है.
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान तृतीय पक्ष उत्पाद के वितरण से ₹ 35.28 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है जो पिछले वर्ष ₹ 31.99 करोड़ थी.

14. सूचना प्रौद्योगिकी :

14.1 समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक को अपने अभिनव और उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :

- कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया - मिडिलवेयर कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार.
- नास्कॉम - आईटी यूज़र पुरस्कार
- भुगतान परिवर्तन श्रेणी में एसीआई साल्यूशन बेस 24 प्रयोग करके ग्राहक सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए एसीआई उत्कृष्टता पुरस्कार.
- एटीएम परिचालन - 2011 में उत्कृष्ट कार्य हेतु एनसीपीआई रनर अप पुरस्कार.

14.2 वर्ष के दौरान बैंक ने फोन बैंकिंग टर्मिनल,यूनिफाईड कम्यूनिकेशन और यूनियन चेतना का शुभारंभ किया .

14.3 ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति और संपूर्ण ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने सक्रियता से नयी तकनीक और प्रणाली को अंगीकार किया है. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और अन्य सहायक प्रणाली के माध्यम से प्रौद्योगिकी में कई पहल की गयी हैं जैसे ;

- लेंडिंग आटोमेशन सोल्यूशन (LAS)
- वैकल्पिक डिलीवरी चैनल
- एंटरप्राइज एप्लिकेशन इंटिग्रेशन(EAI) मिडिलवेयर
- प्रबंधन रिपोर्ट और डैशबोर्डस के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स
- दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
- यूनिफाईड कम्यूनिकेशन
- डिजिटल मीडिया साईनेज
- कड़ी सुरक्षा और नेटवर्क एप्लिकेशन

उन्नत प्रौद्योगिकी न केवल उत्पाद विकास में बल्कि परिचालन लागत को नियंत्रित करने और उच्च उत्पादकता पाने में भी सहायक हुई है, परिणामत: बेहतर ग्राहक सेवा मुहैया कराना संभव हुआ है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कुछ अन्य पहल की गयी जो निम्नानुसार है :

ए. लेनदेन की बढ़ती हुई मात्रा के समाधान हेतु सीबीएस स्टोरेज प्रणाली की क्षमता में वृद्धि की गयी.डाटा सेंटर निर्बाध 24 x 7x 365 कार्यरत है. अच्छे कार्यनिष्पादन और बेहतर स्केलेबिलिटी हेतु सीबीएस ओरेकल डाटा की पार्टिशनिंग तथा परफॉर्मन्स ट्यूनिंग की गयी.

बी. लेनदेन में सहजता के लिये मिडिलवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से कोर बैंकिंग सोल्यूशन में बैंक ने ट्रेजरी, एचआरएम सोल्यूशन, ईसीएस, ई-रेमिट, स्विफ्ट, डीमैट, सीएमएस आदि विविध एप्लिकेशन जोड़े.

सी. कोर बैकिग के अंतर्गत बैंक ने वर्ष के दौरान निम्न मूल्य वर्धित उत्पाद विकसित किए हैं :

- आस्ति वर्गीकरण, ब्याज रिवर्सल, डमी लेजर का निर्माण, खाते का अप ग्रेडेशन खाते का डाऊनग्रेडेशन, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप विधिक व्यय से संबंधित व्यय रजिस्टर तैयार करने जैसे फीचर्स के साथ एनपीए मॉड्यूल.
- लॉकर मॉड्यूल, जिसमें आवेदन, आबंटन, चाबियां बदलना, रेंट की वसूली, खाते के परिपक्वता पूर्व बंद करने के मामले में अग्रिम रेंट का भुगतान, एमआईएस जैसे फीचर्स उपलब्ध है.
- आलोच्य वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने पीपीएफ खातों के रखरखाव को परंपरागत प्रणाली से फिनैकल के सरकारी कारोबार माड्यूल में स्थानांतरित किया है.
- ग्राहकों द्वारा खाते में रखे गए औसत शेष के आधार पर बचत खाता धारकों के लिए टियर उत्पाद आरंभ किये.
- यूनियन एक्सपीरियंस शाखाओं में एकल खिड़की संकल्पना बनाकर आरंभ की.
- नई पेंशन योजना इन-हाउस बना कर ग्राहकों को उपलब्ध करायी.
- बचत टियर उत्पाद के साथ एकल खिड़की संकल्पना का पायलट आधार पर दो शाखाओं में कार्यान्वयन किया, जिसे बाद में पूरे देश में कार्यान्वित किया जाएगा.
- बैंक ने नई डिमांड ड्राफ्ट संकल्पना आरंभ की.

डी. बैंक ग्राहकों से संबंधित कई पैकेज विकसित किए, जो निम्नानुसार है :

- छात्रों की ऑन लाईन फीस वसूली हेतु बैंक ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पोर्टल उपलब्ध कराया.
- गीतम विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस वसूली और चालान हेतु बैंक द्वारा सुविधा मुहैया करायी गयी.
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य में नरेगा जैसी निधियों के अंतरण हेतु इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली बैंक के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई.
- सिविल मंत्रालय/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को सरकारी इलैक्ट्रॉनिक भुगतान और प्रेषण हेतु बैंक द्वारा पोर्टल उपलब्ध कराया गया.
- ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. से संबंधित विविध विक्रेताओं और ठेकेदारों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान हेतु घरेलू ग्राहकों को ई-रेमिट सुविधा मुहैया करायी गयी.

ई. बैंक सारे देश की शाखाओं में एनईएफटी और आरटीजीएस सेवाएं मुहैया करा रहा है. 31.03.2012 से सभी नई खुलने वाली शाखाओं में पहले दिन से ही एनईएफटी और आरटीजीएस सुविधा उपलब्ध है. एनईएफटी / आरटीजीएस अन्य बैंकों को निधि भेजने / निधि प्राप्त करने हेतु सबसे सुरक्षित, कार्यक्षम और तेज माध्यम है, जिसने बैंकिग उद्योग में गति पकड़ी है और वर्ष 2011-12 के दौरान हमारा आरटीजीएस और एनईएफटी लेन-देन निम्नानुसार रहा :

टेबल - 5 - आरटीजीएस और एनईएफटी संव्यवहार

लेनदन ब्यौरे	आरटीजीएस	एनईएफटी
कुल आवक	15.36 लाख	56.45 लाख
कुल जावक	20.10 लाख	40.38 लाख

अपने प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों रीवा और काशी में एनईएफटी सुविधा प्रारंभ करनेवाला आपका बैंक पहला है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी आरटीजीएस सुविधा प्रदान करने

के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के बाद बैंक ने अपने दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा रीवा और काशी में जनवरी, 2012 से आरटीजीएस सुविधा मुहैया करा और एक उपलब्धि हासिल की.

एफ. बैंकिंग की विविध प्रणालियों की सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने हेतु हमले का पता लगाना और उसे रोकने की क्षमता,नेटवर्क घुसपैठ रोकने की प्रणाली और होस्ट घुसपैठ रोकने की प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है. बैंक ने अनेक प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें फायर वॉल, यूनिफाईड थ्रेट मैनैजमेंट, होस्ट और नेटवर्क आधारित घुसपैठ पता लगाने की प्रणाली आदि शामिल है. इन युक्तियों की सावधानीपूर्वक सुरक्षा निगरानी 24 x 7 आधार पर की जाती है.

जी. हमारे नेटवर्क को शक्तिशाली बनाने हेतु आपके बैंक ने नेटवर्क एक्सेस कन्ट्रोल प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया है, जिसके तहत अंतिम बिंदु के अनुपालन की जांच करने हेतु विविध सॉफ्टवेयर लगाए गए है. अंतिम बिंदु पर इन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन का स्टेटस है : ट्रेन्ड माईक्रो एंटिवाईरस, पैच मैनेजमेंट हेतु बिग फीक्स और सिसको क्लीन एसेस एजेंट, एन्टी फिशिंग और एन्टी मैलवेयर सेवाओं के तहत कार्पोरेट और इंटरनेट बैंकिग वेबसाईट की अनुश्रवण सेवाएं 24 x 7 आधार पर उपलब्ध है. पूरी दुनिया की फिशिंग साईटस का त्वरित पता लगाने की सहायता हेतु मे. आरएसए को सपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया है.

एच. आपके बैंक ने एटीएम में निम्नलिखित नयी सुविधाएं मुहैया करायी है :

- एटीएम को संपूर्ण एटीएम के रूप में पुन: स्थापित किया गया, जिसमें आईएमपीएस, एनईएफटी, ई-कैश रेमिटेंस, म्यूच्युअल फंड रेमिटेंस, बिल पेमेंट आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं.
- एटीएम से किसान क्रेडिट कार्ड का परिचालन
- पिन बदलना, एनएफएस उपयोगकर्ताओं को मिनी स्टेटमेंट जैसी अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं का प्रचलन.
- राष्ट्रीय भुगतान निगम के तत्वावधान में देश में Rupay कार्ड की लांच में हमारे बैंक ने पाइलट बैंक के रुप में सम्मिलित होकर मुख्य भूमिका निभाई है.

आई. इंटरनेट बैंकिंग में बैंक ने एनईएफटी/आरटीजीएस का बड़ी मात्रा में अपलोडिंग, बिल प्रस्तुतीकरण और भुगतान, ऑन लाईन मीयादी जमाराशि, नयी पेंशन योजना आदि सुविधाएं आरंभ की है.

जे. यूनियन एक्सपीरियंस शाखाओं में बैंक ने ग्रीन बैंकिंग का शुभारंभ किया. यह एक अर्ध वैकल्पिक डिलीवरी चैनल है, जिसमें ग्राहक शाखा परिसर में रखे गए पीओएस मशीन के माध्यम से कार्ड स्वाइप कर नगदी जमा/आहरण, अंतरण आदि लेनदेन करते हैं. ग्राहक द्वारा किये गए इस प्रकार के लेनदेन को स्टाफ द्वारा एकल प्रक्रिया सत्यापन के माध्यम से पूरा किया जाएगा.

के. प्रत्यक्ष कर की ऑन लाईन वसूली, एटीएम के माध्यम से प्रत्यक्ष कर की वसूली, अप्रत्यक्ष करों की ऑन लाईन वसूली, ऑन लाईन रेल बल्क फ्रेट भुगतान सुविधा, पोर्ट का इस्तेमाल करनेवालोंद्वारा पोर्ट को देय राशि का ऑन लाईन भुगतान, एनआरएचएम, एमएनआरईजीएस, आरएमएसए आदि प्रमुख कार्यक्रमों के लिए निधि प्रबंधन सोल्यूशन जैसे सरकारी रेवेन्यू की ऑन लाईन वसूली और निधि अंतरण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाकर बैंक ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं.

एल. राज्य और केन्द्र सरकार से संबंधित कर भुगतान को हमारे इंटरनेट बैंकिग के साथ जोड़ा गया है. बैंक की ऑन लाईन बैंकिंग सुविधा के माध्यम से केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष करों, सेवा करों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एमसीजीएम, डीजीएफटी करों और सीमा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है. वाणिज्यिक करों की ऑन लाईन वसूली हेतु बैंक ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, असम और झारखंड की राज्य सरकारों को जोड़ा है.

एम. बैंक पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (पीसीएस) के साथ भी जुड़ा है, जिसमें व्यापार से संबधित दस्तावेज/जानकारी भारत के विविध पोर्ट और अन्य हितधारकों यथा शिपिंग लाईन/एजेंट, सर्वेयर, जहाजी कुली, बैंक आदि के मध्य इलैक्ट्रानिक रूप से भेजना संभव हुआ है. रेल्वे माल भाड़ा वसूली हेतु बैंक सीआरआईएस से माध्यम जुड़ा हुआ है.

एन. दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गयी है, जिसमें ई परिपत्र प्रबंधन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों का डिजिटीकरण, लेंडिंग आटोमेशन सोल्यूशन का इमेज एनब्लेमेंट, खाता खोलने की प्रक्रिया के केन्द्रीकरण की सुविधा है.

ओ. भविष्य की योजनाएं

- आपका बैंक महत्वाकांक्षी डाटा वेयरहाऊसिंग प्रोजेक्ट और विश्लेषणात्मक और परिचालन सीआरएम के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य कर रहा है. इससे हमारे परिचालन और एमआईएस कार्यों की दक्षता बढ़ेगी. इससे हमारे अधिकारियों को ग्राहकों के व्यवहार का विश्लेषण करने तथा क्रास विक्रय करने में सहायता मिलेगी.

- हमारे अधिकारियों को अपग्रेड करने और उनके कौशल और ज्ञान को प्रखर बनाने हेतु बैंक ने सभी शाखाओं और कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग सोल्यूशन तैयार करने का काम आरंभ किया है. यह प्रोजेक्ट इस वर्ष पूरा होगा.
- डाटा सेंटर का विस्तार और प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन.
- सभी वित्तीय समावेशन ग्राहकों का सीबीएस में स्थानांतरण और सभी एफआईटीएसपी को सीबीएस के साथ जोड़ना.
- इंटरनेट बैंकिंग चैनल के लिए जोखिम आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली.
- आंतरिक फिनैकल यूज़र के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण.

पी. सूचना सुरक्षा, इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साईबर फ्रॉड पर कार्यकारी दल - सिफारिशों का कार्यान्वयन :

i) सूचना प्रौद्यौगिकी गवर्नेंस संरचना

- आपके बैंक में आईटी सुरक्षा समिति और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति पहले से ही अस्तित्व में है.
- आईटी रणनीति समिति, आईटी संचालन (स्टीअरिंग) समिति और सूचना सुरक्षा समिति संस्तुत संरचना, कार्य और जिम्मेदारियों के अनुसार गठित की गयी है.
- जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य विद्यमान परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति में कवर किए गए हैं.
- अभी आईटी विभाग के वरिष्ठ कार्यपालक को बैंक के सीआईएसओ (मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) के रूप में नामित किया गया है. सीआईएसओ के कार्य देखने हेतु बैंक एक अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहा है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी दल की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार कार्यों को अलग-अलग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके.

ii) <u>सर्वोत्तम पद्धति</u>

- प्रभावी सूचना सुरक्षा गवर्नेंस हेतु आपका बैंक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली(आईएसओ 27001) का पालन करता है. हमने डाटा सेंटर में आईएसओ 27001 को कार्यान्वित किया है. डीआर साईट में आईएसओ 27001 कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है.
- प्रभावी परिचालन प्रणाली पैच प्रबंधन प्रक्रिया हेतु बैंक ने बिगफिक्स पैच प्रबंधन सोल्यूशन कार्यान्वित किया है.
- आवधिक आधार पर स्कैन हेतु स्वचालित भेद्यता स्कैनिंग टूल उपलब्ध कराया गया है. महत्वपूर्ण कारोबार प्रणाली हेतु भेद्यता स्कैन और भेदन की जांच तिमाही आधार पर की जाती है.

iii) <u>सुरक्षा प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन</u>

- महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए मल्टी टियर एप्लिकेशन संरचना का कार्यान्वयन किया गया है.
- हमले का प्रभावी तरीके से पता लगाने और विश्लेषण हेतु बैंक ने आईडीएस/आईपीएस प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी है.
- नेटवर्क को पहुंच देने से पहले डिवाईस के पैच स्तर का अनुपालन और सुरक्षा कॉनफिगरेशन को सत्यापित करने हेतु बैंक ने नेटवर्क पहुंच नियंत्रण टूल उपलब्ध कराया है.
- ई-मेल गेट-वे में विविध एटेचमेंट टाईप्स फिल्टर करने हेतु बैंक ने ई-मेल गेट-वे सुरक्षा सोल्यूशन कार्यान्वित किया है.
- इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए टू फैक्टर प्रमाणीकरण प्रणाली उपलब्ध करायी है.

15. जोखिम प्रबंधन :

15.1 जोखिम प्रबंधन की ओर आपके बैंक का सक्रिय रवैया है. इसके जोखिम दर्शन में अपनी जोखिम क्षमता और नियामक फ्रेमवर्क के अंदर स्वस्थ पोर्टफोलियो बनाना और उसका रखरखाव करना शामिल है. जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा विशेष रुप से तैयार किया गया है, जिससे प्रमुख जोखिम क्षेत्रों का पता लगाकर उनका अनुश्रवण और प्रभावी तरीके से प्रबंध किया जा सके एवं जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उचित तालमेल रखते हुए शेयर धारकों की संपत्ति में वृद्धि हो सके. बैंक लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि जोखिम प्रबंधन और कारोबार के संयोजन से अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उपलब्ध पूंजी अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल की जा सके.

15.2 बैंक की जोखिम प्रबंधन संरचना में कार्पोरेट और क्षेत्र दोनों स्तर पर स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचे, जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन उपकरण और जोखिम अनुश्रवण और प्रबंधन प्रणाला का समावेश है. क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन अधिकारी तैनात कर आपका बैंक संपूर्ण संगठन में जोखिम संस्कृति लाने में अग्रणी है. बैंक के विभिन्न कार्यों और क्षेत्रीय कार्यालयों के जोखिम की प्रोफाइलिंग तिमाही आधार पर की जाती है. बैंक के पास स्पष्ट रुप से परिभाषित जोखिम नीति है और स्वतंत्र जोखिम कार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक अपनी जोखिम क्षमता ढ़ांचे के अंतर्गत कार्य करता है.

15.3 मुख्यत: जोखिम, पैरामीटरों के निर्धारण और एक समन्वित जोखिम प्रबंधन व नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करना, बैंक के निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है. बैंक का बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीतियां को अनुमोदित करता है और बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता के साथ ही साथ जोखिम प्रबंधन हेतु उपलब्ध कौशल को ध्यान में रखते हुए सीमाएं निर्धारित करता है. निदेशक मंडल की सहायता के लिए एक उपसमिति है, जिसे जोखिम प्रबंधन और एएलएम पर

बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति के नाम से जाना जाता है. इस समिति को ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता समिति (एल्को) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) से सहायता मिलती है. ये समितियां अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक की अध्यक्षता में गठित कार्यपालकों की समितियां हैं.

15.4 ऋण जोखिम :

ऋण जोखिम व्यवस्था में नीति और कार्यप्रणाली शामिल है, जिसमें जोखिम का पता लगाना, जोखिम मापन, जोखिम का दर्जा/ समूहन तकनीक, रिपोर्टिंग और जोखिम नियंत्रण/शमन करने की तकनीक, दस्तावेजीकरण, कानूनी मामले और आस्ति गुणवत्ता को बचाने के लिए समस्यावाले ऋणों का प्रबंधन और क्रमबद्ध विकास और आस्तियों पर लक्ष्यानुरूप जोखिम समायोजन प्रतिलाभ सुनिश्चित करना शामिल होता है

संपार्श्विक प्रबंधन नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति मिलकर, उधारी से संबंधित ऋण जोखिम पर नियंत्रण करती है. ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण निवेश सीमा, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित कीमत निर्धारण, पोर्टफोलियो प्रबंधन ऋण जोखिम प्रबंधन के विविध उपकरण हैं.

आपके बैंक ने सभी ऋण प्रस्तावों में व्याप्त ऋण जोखिम को न्यूनतम करने के लिए मानकीकृत और विस्तृत परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया तैयार की है. बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों/ फील्ड महा प्रबंधक कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में ऋण अनुमोदन ग्रिड की स्थापना की है. बैंक ने ₹ 2.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा के लिए ऋण रेटिंग मॉडल और रिटेल लेंडिंग योजनाओं के लिए स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है. बैंक का संपूर्ण ऋण संविभाग आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अध्यधीन होता है. इसके पास गत 10 वर्षों के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन एवं चूक संभाव्य आंकड़े उपलब्ध हैं.

यह उधारकर्ता, समूह, क्षेत्र, भौगोलिक, रिटेल योजनाओं, उद्योग आदि संकेन्द्रणों का निरंतर अनुश्रवण करता है और ऋण की गुणवत्ता सुधारने और ऐसी जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए तैयार रहता है. जो उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों के प्रकार और भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में विविधीकृत हों.

15.5 बाजार जोखिम :

आस्ति देयता प्रबंधन नीति एवं ट्रेज़री नीति बैंकिंग और व्यापार जगत में व्याप्त बाजार जोखिम का प्रबंधन करने में सहायक हैं. बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) की है. समिति की नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं के परिमाण, संमिश्र, अवधि, मूल्य एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है. यह मुख्यत: बाजार जोखिम की पहचान, मापन, अनुश्रवण और तरलता व ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है. यह तरलता और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु अनुपात विश्लेषण, अंतर विश्लेषण रिपोर्ट - संरचनात्मक तरलता, डायनामिक तरलता, ब्याज दर संवेदनशीलता, जोखिम मूल्य, अवधि गैप विश्लेषण इत्यादि उपकरणों का उपयोग करती है. इसका मूल उद्देश्य आय परिदृश्य तथा आर्थिक मूल्य परिदृश्य दोनों दृष्टिकोणों से मूल्यवर्द्धन करना है. बैंक के पास एक स्वतंत्र मिड ऑफिस कार्यरत है, जो ट्रेज़री में स्थित है तथा जोखिम प्रबंधन को रिपोर्ट करता है. यह ऑफिस एक्सपोजर विश्लेषण, निर्धारित ऋणसीमाओं तथा जोखिम संवेदनशील मानदंडों यथा जोखिम पर मूल्य, पीवी01 (वर्तमान मूल्य), अवधि, विफलीकरण अवधि इत्यादि का अनुपालन एवं उनका विश्लेषण सुनिश्चित करता है.

15.6 परिचालनात्मक जोखिम :

परिचालन जोखिम के प्रबंधन के प्रारंभिक साधन के रूप में परिपूर्ण प्रणाली और प्रक्रिया तथा आंतरिक नियंत्रण और लेखपरीक्षा का प्रयोग किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है. परिचालन जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नये उत्पादों को नव उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है. विगत 4 वर्षों के परिचालन जोखिम के आंकड़े एकत्रित किये गये हैं, जिन्हें 8 कारोबार लाइनों और 7 हानि इवेंट्स में बांटा गया है. बैंक की आय भी 8 कारोबार लाइनों में चित्रित की गई है और मानकीकृत दृष्टिकोण में अंतरित करने के उपाय किए जा रहे हैं. बैंक ने आईबीए की पहल एक्सटर्नल डाटा पूलिंग में भी शामिल होने की सहमति दी है.

बैंक ने अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस के उपाय के रूप में प्रकटन नीति बनायी है तथा कारोबार निरंतरता योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया है. कारोबार निरंतरता योजना में उथल-पुथल की स्थिति में अपने स्टाफ, आस्तियों और ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का विस्तृत खाका तैयार किया गया है. कारोबार निरंतरता योजना में वास्तविक जीवन की घटनाओं की चुनौतियों में रोकथाम एवं उनसे बचाव के उपायों का समावेश है.

15.7 बेसल II का कार्यान्वयन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है. बैंक ने शुरुआत के ऋण जोखिम के लिए मानक प्रणाली, बाजार जोखिम के लिए मानक ड्यूरेशन विधि और परिचालन जोखिम के लिए आरंभिक संकेतक प्रणाली को अपनाया है. इस दिशा में अब तक किये गये कार्य, बासल II समझौते में निर्धारित पूंजीमापन के अत्याधुनिक मानकों के पालन की दिशा में है.

इसे प्राप्त करने हेतु बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन के माध्यम से संपूर्ण स्वचालन और नेटवर्किंग परिवेश में काम आरंभ किया

है करते हुए अपने आईटी ढांचे और प्रबंधन सूचना प्रणाली का उन्नयन किया है. अपने कर्मचारियों के जोखिम कौशल को अपग्रेड करने हेतु बैंक ने विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए हैं. समोन्वत जोखिम प्रबंधन परामर्श कार्य हेतु बैंक ने परामर्शदाता की नियुक्ति की है,जिसने उन्नत एप्रोच की दिशा में बढ़ने की तैयारी का विश्लेषण किया है. आवश्यक ढांचे को विकसित करने और उन्नत एप्रोच को लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु परामर्शदाता बैंक की सहायता कर रहा है. वे इसके लिए उचित सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की प्राप्ति और कार्यान्वयन में सहायता करेंगे.

आप के बैंक ने आंतरिक रेटिंग आधारित मॉड्यूल गठित किया है जो उन्नत दृष्टिकोण के लिए द्वि-आयामी ऑब्लीगर और अपेक्षित ऋण सुविधा मूल्यांकन की सुविधा देता है. इस मॉड्यूल को कार्यान्वित किया गया है और सभी खाते अब केवल इस सिस्टम के माध्यम से ही मूल्यांकित किए जाते हैं. मुख्य आईआरबी पैरामीटर यथा चूक की संभावना (पीडी), हानि वाली चूक (एलजीडी), चूक में एक्सपोज़र (ईएडी) एवं परिपक्वता (एम) की संगणना करने के लिए बैंक डाटा संग्रहण करने की प्रक्रिया में है और उसकी संगणना हेतु आवश्यक ढांचा प्रस्तुत कर रहा है. परिचालनगत जोखिम के क्षेत्र में बैंक ने एक जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) ढांचा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. मुख्य जोखिम सूचकों के विकास का आधारभूत कार्य भी चल रहा है.

जोखिम प्रबंधन में जनबल के कौशल में वृद्धि के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन पर आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों को नामित किया जाता है. बैंक के पास अपनी स्वयं की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली है और अपना यूनियन बैंक प्रबंधन विद्यालय है, जिसके जरिये बैंक अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक एवं प्रबंधन कौशल के विकास का प्रयास करता है. बैंक ने प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों से योग्य प्रोफेशनल्स की भर्ती भी की है, जिससे जोखिम प्रबंधन की परंपरा, मूल्यांकन और प्रबंधन उपायों को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर - 2 जोखिम की मात्रा के मापन के लिए एक ढांचा भी विकसित किया है और सम्पूर्ण आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (एसीएएपी) का ढांचा तैयार किया है. बैंक अपनी व्यवासायिक ईकाइयों, उत्पादों और ग्राहकों की लाभप्रदता के मूल्यांकन हेतु एक जोखिम आधारित कार्य-निष्पादन मापन पद्धति भी आरंभ करने हेतु प्रयासरत है.

परंपरागत परिमाण आधारित मापन पद्धति से जोखिम आधारित मापन पद्धति में परिवर्तन करने हेतु बैंक सशक्त और वैज्ञानिक निधि अंतरण मूल्य पद्धति अर्थात अनुरुप निधि अंतरण मूल्य पद्धति कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है. लाभप्रदता प्रबंधन मॉड्यूल भी खरीदा गया है जो बैंक को विविध आयामों में लाभप्रदता मापने में सहायक होगा. इससे जोखिम आधारित निष्पादन मापन और जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण की ओर बढने का मार्ग प्रशस्त होगा.

बैंक ने योजना और रणनीति तैयार करने में और विविध कारोबार यूनिट के कार्यनिष्पादन के मापन में जोखिम की भूमिका को जोड़ने हेतु कदम उठाए है.

बैंक अपने विविध कारोबारों से जुड़े जोखिमों की मदद के लिए मजबूत पूंजी आधार को बनाए रखकर अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करने में प्रयासरत है. बैंक के पास सभी परिस्थितियों में अपनी नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी संवृद्धि योजनाओं एवं कारोबारी रणनीतियों के निष्पादन में मदद के लिए एक सुदृढ़ टियर 1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात है.

15.8 लचीलेपन को सशक्त बनाना : बासेल - III की पहल.

बासेल समिति द्वारा बासेल III के दिशानिर्देश बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों, विनियमन के सशक्तिकरण, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन संबंधी सुधारों का सेट है. बीसीबीएस ने दिसंबर, 2010 में बेसल III दिशानिर्देश बैंकिग क्षेत्र के लचीलेपन और चल निधि जोखिम प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय ढ़ांचे, मानक और अनुश्रवण को सशक्त बनाने हेतु जारी किए है. बीसीबीएस के दिशानिर्देशों आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बेसल III पूंजी विनियमन के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश भारत में 2 मई, 2012 को जारी किए.

इस पूंजी मानक और नए पूंजी बफर के अनुसार बैंकों को विद्यमान बेसल II की तुलना में अधिक पूंजी और पूंजी की उच्च गुणवत्ता रखनी होगी. नए लिवरेज अनुपात ने जोखिम आधारित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को पूरक गैर जोखिम आधारित उपाय प्रचलित किए है. नया चलनिधि अनुपात सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त निधि रखा जाता है.

उग्र वैश्विक संकट के बीच भारतीय बैंकिंग प्रणाली खड़ी है, जिस पर इस नए प्रस्तावित पूंजी नियम का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, यद्यपि टियर I और टियर II से कुछ कटौतियां अंतरित होने के कारण सामान्य इक्विटी घटक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. भारत के बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है, जो न्यूनतम निर्धारित अनुपात के ऊपर है. बासेल III का परिवर्तन 2018 तक किया जाना है, अत: त्वरित पूंजी देने का प्रेशर कम होने को आशा है.

आपका बैंक बासल III के अनुरुप पूंजी पर्याप्तता, चल निधि अनुपात और नए लिवरेज अनुपात का तत्परता से आंतरिक मूल्यांकन कर रहा है. बैंक की पूंजी बासल III के अपेक्षानुरुप, न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है. भारतीय परिप्रेक्ष्य में एलसीआर और एनएफएसआर के मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन करने हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अंतिम दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा में है.

भारतीय रिजर्व बैंक की समयावधि के अनुसार बासेल III मानकों का सहज अनुपालन बैंक को अपेक्षित है.

बासल III दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आपके बैंक ने जोखिम कवरेज को बढ़ाने, जोखिम नीति, जोखिम वहन करने की क्षमता, एमआईएस के लिए आई टी ढ़ांचा और बासल III अपेक्षाओं हेतु स्टाफ प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपाय किए हैं. बासल III अपेक्षाओं के अनुपालन में पूंजी आयोजना एवं आईसीएएपी में व्यापक सुधार करने का भी प्रस्ताव है. चूंकि नए मानकों के अनुसार उच्च स्तरीय कोर इक्विटी लाना एवं कुछ विशिष्ट अपात्र हाईब्रिड पूंजी लिखतों को चरणबद्ध तरीकों से निकालना अपेक्षित है, इसलिए बैंक ने पूंजी क्षमता बढ़ाने के लिए जोखिम भार को संतुलित करने हेतु कई कदम उठाए हैं. बैंक को आशा है कि बासल III मानक भविष्य में बैंक की आंतरिक शक्ति को मजबूत करेंगे और आने वाले वर्षों में बैंकिंग उद्योग के विकास और स्थिरता में बढ़ी हुई पूंजी बहुत महत्वपूर्ण होगी.

16. अनुपालन कार्य :

निरंतर बढ़ते विनियमन को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी कार्पोरेट गवर्नेन्स के लिए अनुपालन पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना जरूरी हो गया है. बैंक में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति विकसित करने के प्रयास में, अनुपालन नीति की वार्षिक रूप से रचना और समीक्षा की जाती है. अनुपालन विभाग समन्वयक के तौर पर निरंतर अनुपालन मुद्दों की पहचान करता है, मूल्यांकन करता है और अनुपालन जोखिम कम करता है. कार्यात्मक विभागवार अनुपालन मुद्दों की पहचान की जाती है. बैंक में प्रत्येक स्तर पर अनुपालन कार्य के संबंध में भूमिका जिम्मेदारी परिभाषित है. विनियामक और सांविधिक अनुपालन विषयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों से एक रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है :

- **स्वप्रमाणन** प्रक्रिया, जिसमें शाखाओं द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है. शाखाओं से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों को स्व प्रमाणपत्र देते हैं. क्षेत्रीय कार्यालयों के स्वप्रमाणन के आधार पर क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय अनुपालन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय को अनुपालन प्रमाणपत्र देते हैं. स्वप्रमाणन की ऐसी प्रणाली केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी वर्टिकलों के लिए भी शुरू की गई है.
- **जोखिम अधिकारियों के माध्यम से आकस्मिक परीक्षण जांच / अनुश्रवण**

  आकस्मिक परीक्षण जांच की निष्कर्ष रिपोर्ट उच्च प्रबंधन को प्रेषित की जाती है.

  निम्नलिखित नोट नियमित रूप से बोर्ड/बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार(वित्त मंत्रालय) से प्राप्त संप्रेषण पर मासिक नोट
- अनुपालन कार्य की स्थिति पर त्रैमासिक नोट
- भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार(वित्त मंत्रालय) से प्राप्त संप्रेषण की स्थिति पर त्रैमासिक नोट

  बैंक के लिए विभिन्न अनुपालन विषयों पर एक व्यापक डाटाबेस विकसित किया गया है.

17. केवाईसी-एएमएल.

बैंक ने केवाईसी-एएमएल अनुपालन मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं. खाता खोलने का नया फार्म बनाया गया है, जिसमें ग्राहक प्रोफाइल में अतिरिक्त सूचनाएं एवं केवाईसी जांच-बिन्दु शामिल किये गये हैं. अतिरिक्त सूचनाओं को शामिल करने के लिए साक्षात्कार एवं ग्राहक ड्यू डिलिजेंस फार्म को संशोधित किया गया है. सभी खातों में ग्राहक प्रोफाइल, जोखिम वर्गीकरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं. कोर बैंकिंग में केवाईसी मेन्यू ब्यौरा भरना अनिवार्य कर दिया गया है और अलर्ट्स विकसित किये गये हैं. अतिरिक्त विशेषताओं एवं रिपोर्टों को शामिल करने के लिए केवाईसी एएमएल साफ्टवेयर अद्यतन किया गया है, केवाईसी ब्यौरा अद्यतन करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में सूचनाएं दी जा रही हैं. केवाईसी-एएमएल पर विशेष प्रशिक्षण सत्र/ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और बैंक के समस्त स्टाफ-सदस्यों को संवेदनशील बनाने हेतु सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवाईसी-एएमएल पर एक सत्र शुरू किया गया है. बैंक केवाईसी -एएमएल अनुपालन में सुधार हेतु लगातार प्रयासरत है.

18. मानव संसाधन प्रबंधन

18.1 बैंक अपने विजन दस्तावेज में प्रतिष्ठापित आंकाक्षाओं के अनुरूप दीर्घकालिक उच्च विकास पथ पर अग्रसर रहने के लिए सुनिर्धारित कल्याणकारी नीतियों एवं पहल के माध्यम से मानव संसाधनों की क्षमता संवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध है.

18.2 न्यूनतम मानदंड एवं बैंक की जरूरतों के अनुकूल उद्योग की श्रेष्ठतम नीतियां अपनाते हुए आपके बैंक ने कारोबार रणनीति के साथ मानव संसाधन रणनीति को सहयोगी बनाने के उद्देश्य से मानव संसाधन रूपातंरण प्रक्रिया शुरू की है.

18.3 बैंक द्वारा आरंभ एचआर रूपांतरण कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार रहे हैं :

- विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को सरल एवं कारगर बनाया गया है.
- कार्य स्पष्टता के साथ भूमिका को परिभाषित और प्रलेखित किया और उसे फीडबैंक व्यवस्था के साथ बैंक के इंट्रानेट पर अपलोड किया गया है.
- एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ पीएमएस और योग्यता मॉडल/मैपिंग को लागू किया गया है.

- यूनियन परिवार में ऑन लाइन प्रस्तुति हेतु नई मूल्यांकन प्रणाली को समाहित करने के लिए पीपल सॉफ्ट में एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है.
- जनबल जरूरत का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक मॉडल और कैलकुलेटर के माध्यम से जनबल आयोजना की शुरुआत की गई है..
- महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार आयोजना आरंभ की गई है. बैंक ने नेतृत्व विकास की प्रक्रिया शुरू की है.

18.4 **जनबल संख्या:**

31.03.2012 को बैंक में कुल स्टाफ 30838 है.

तालिका-6 - कर्मचारी वर्ग

पैरामीटर	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	योग
कुल कर्मचारी	14806	9444	6588	30838
जिसमें से				
अनुसूचित जाति (एससी)	2633	1909	2554	7096
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	883	485	567	1935
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	2171	1749	1456	5376
विकलांग (पीडब्ल्यूडी)	54	49	44	147
भूतपूर्व सैनिक	76	249	1259	1584
महिलाएं	2268	2454	840	5562

18.5 **भर्तियां:**

वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित भर्ती की गई:

वर्ग	संख्या
परिवीक्षाधीन अधिकारी	1165
ग्रामीण विकास अधिकारी	303
ग्राहक संबंध प्रबंधक	207
प्रबंधन प्रशिक्षार्थी	225
वरिष्ठ प्रबंधक (ऋण)	71
सनदी लेखाकार	75
लिपिक	1591
कुल	**3637**

निम्नलिखित भर्ती प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है और 2012-13 की पहली/दूसरी तिमाही में पूरी की जानी है:

संवर्ग	संख्या
परिवीक्षाधीन अधिकारी	2473
विशेषज्ञ अधिकारी	675
लिपिक	1636

18.6 **कैम्पस भर्ती :**

देश भर में उपलब्ध युवा, सक्रिय, काबिल एवं प्रतिभावान पेशेवरों को आकर्षित करने के प्रयोजन से और हमारे ऋण, जोखिम, विदेशी मुद्रा एवं ट्रेज़री, कृषि-कारोबार आदि जैसे महत्वपूर्ण विभागों हेतु अपने कर्मचारियों के आयु प्रोफाइल में सुधार के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान प्रतिष्ठित बी-स्कूलों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के अलावा प्रतिष्ठित आईआईएम एवं आईआईटी से बड़ी मात्रा में कैम्पस भर्ती की है. वर्ष 2011-12 के दौरान आईआईएम सहित विभिन्न कैम्पसों से कुल 225 उम्मीदवार भर्ती किए गए.

18.7 **पदोन्नति**

कर्मठ / प्रतिभाशाली कर्मचारियों को कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने तथा कार्मिकों को बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से बैंक ने सभी संवर्गों में फास्ट ट्रेक सहित नयी पद्दोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की. वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 2143 पदोन्नतियां दी गईं.

बैंक ने अधिकारी संवर्ग (सामान्य बैंकिंग) के तहत 1747, अधिकारी संवर्ग (विशेषज्ञ)के तहत 281 , लिपिक से अधिकारी संवर्ग में 1210 और अधीनस्थ स्टाफ से लिपिक में 402 रिक्तियां भरने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया है और पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ कर दी है.

18.8 **आरक्षण नीति:**

बैंक विभिन्न एससी/एसटी एवं ओबीसी कल्याणकारी संगठनों से नियमित विचारविमर्श करता है और नीतिगत मामलों से संबंधित समस्याओं सहित विभिन्न आरक्षित श्रेणी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए इस मंच का पूरा उपयोग किया जाता है. विद्यमान सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण, छूट एवं रियायतें प्रदान की गई हैं.

18.9 **औद्योगिक संबंध**

प्रमुख श्रम संघों के साथ निरंतर संवाद तथा सभी विवादास्पद मामलों के समाधान के कारण बैंक के औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे हैं. अनुशासनिक कार्रवाई के मामले अत्यंत न्यायपूर्ण ढ़ंग से तथा मानवीय दृष्टिकोण के साथ शीघ्रता से निपटाये गये हैं.

18.10 **यूनियन धारा :**

हमारे बैंक की गृह पत्रिका "यूनियन धारा" प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच आंतरिक संप्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम बनी हुई है. यह स्टाफ सदस्यों में एकता की भावना पैदा करने और उन्हें अपने कर्तव्य, निष्ठा एवं सृजनशीलता के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य में सफल रही है.

इस वर्ष **'यूनियन धारा'** को विभिन्न प्रतियोगिताओं में **कुल 12 पुरस्कार** प्राप्त हुए हैं.

- यूनियन धारा को ताज प्रेसिडेंट होटल, मुम्बई में **एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया (एबीसीआई) के 51 वें पुरस्कार वितरण समारोह** में अत्यधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार **"चैंपियन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी"** सहित **7 पुरस्कार** प्राप्त हुए हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास में यह अत्यधिक गौरवमय क्षण है, क्योंकि बैंक की गृहपत्रिका को यह पुरस्कार लगातार दूसरी बार प्राप्त हुआ है.
- यूनियन धारा को **'आशीर्वाद, मुम्बई'** से **'श्रेष्ठ गृहपत्रिका'** पुरस्कार और भारतीय लोक सम्पर्क परिषद **(पीआरएससी), बेंगलूर** से **'रजत'** पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
- **भारतीय रिज़र्व बैंक** ने भी **'द्विभाषी गृहपत्रिका'** श्रेणी में यूनियन धारा को पुरस्कृत किया है.
- यूनियन धारा को राजभाषा किरण, मुंबई से भी **'उत्कृष्ट सम्मान'** प्राप्त हुआ है.

18.11 **राजभाषा कार्यान्वयन :**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमारे बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- तिमाही हिंदी रिपोर्ट की ऑन लाइन रिपोर्टिंग की शुरुआत.
- बैंकिंग विषयक पुस्तकों का हिंदी में प्रकाशन
  - ❖ वर्ष 2011 वित्तीय समावेशन-विविध आयाम
- हिंदी कॉमिक पुस्तक का हिंदी में प्रकाशन
  - ❖ आत्मनिर्भरता
- 11.11.2011 को ऑन लाइन हिंदी नारा प्रतियोगिता का आयोजन.
- वसूली एवं एनपीए पर हिंदी में ऑन लाइन प्रतियोगिता का आयोजन
- एटीम पर्चियों में भाषा विकल्प (मराठी, हिंदी,तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, उड़िया एवं बंगाली) की शुरुआत
- वेतनमान V एवं VI के कार्यपालकों के लिए दिल्ली में 24.12.2011 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन.
- प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त पॉवर पॉइंट का हिंदी अनुवाद.

18.11.1. **पुरस्कार :**

हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन के सम्मान में वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.

- **अखिल भारतीय इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड -2009-10**
  - ❖ **द्वितीय पुरस्कार**
- **रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड - 2010-11**
  - ❖ भाषा क्षेत्र क - प्रोत्साहन पुरस्कार
  - ❖ भाषा क्षेत्र ख - प्रथम पुरस्कार
  - ❖ भाषा क्षेत्र ग - प्रथम पुरस्कार
- **महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पुणे**
  - ❖ प्रथम पुरस्कार - 2010-11
- **गुजरात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, अहमदाबाद**
  - ❖ द्वितीय पुरस्कार - 2010-11

18.11.2. **भावी योजनाएं**

- हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ऑन-लाइन कोर राजभाषा सॉल्यूशन का आरंभ .
- बैंक वेबसाइट की सभी विषयवस्तु की हिंदी में उपलब्धता सुनिश्चित करना .
- वित्तीय समावेशन पर हिंदी में कॉमिक्स का निरंतर प्रकाशन और उनका मल्टी मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषी प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदर्शन की व्यवस्था करना.

18.12. **सुरक्षा:**

आलोच्य वर्ष के दौरान आपके बैंक ने सुरक्षा की मूलभूत संरचना को मजबूत करके, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके और शाखाओं के सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु व्यापक सुरक्षा निरीक्षण करके बैंक में सुरक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए संगठित प्रयास किए हैं. सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1408 शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था को प्रमुखता से लागू करने के लिए 411 शाखाओं में क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम स्थापित किये गये, जिसके फलस्वरुप क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम युक्त शाखाओं की कुल संख्या 2214 हो गई है. स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सुरक्षा एवं आग-सुरक्षा पर जोर दिया गया और इस हेतु सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1408 शाखाओं में "सुरक्षा एवं आग से बचाव" पर लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और टैक्नालॉजी केन्द्र पर फुल बिल्डिंग फायर इवैक्यूऐशन ड्रिल आयोजित की गई. 1105 आर्म्ड गार्ड्स ने पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें वास्तविक फायरिंग अभ्यास भी कराया गया.

19. आंतरिक लेखापरीक्षा :

19.1. आपका बैंक 1 अप्रैल 2009 से शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा में माइग्रेट हो गया है.बैंक ने 1 अप्रैल 2011 से क्षेत्रीय कार्यालयों की भी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यान्वयन कर दिया है. बैंक ने नियमित लेखापरीक्षा एवं समवर्ती लेखापरीक्षा, दोनों के लिए, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित लेखापरीक्षा नीति लागू कर दी है.

19.2. वर्ष के दौरान 2879 शाखाओं की ऑडिट की गई, जिसमें, 81 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने वाली शाखाएं, 45 सेवा शाखाएं और 63 करेंसी चेस्ट, 54 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 1 महा प्रबंधक कार्यालय की मैनेजमेंट ऑडिट शामिल है .बैंक का 65% कारोबार कवर रही 672 शाखाएं / कार्यालय सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्मों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन हैं.वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 15 बैठकें हुईं और इसने परिचालनात्मक दक्षता में सुधार और प्रणालियों एवं नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए.

19.3. दिसंबर 2011 में सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखापरीक्षा कक्ष की स्थापना की गई. वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा कार्य प्राइस वाटर हाउस कूपर को सुपुर्द किया गया है और उन्होंने फरवरी 2012 से लेखा परीक्षा शुरू कर दी है और 31.5.2012 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है.

20. सतर्कता

संस्था में उत्कृष्टता लाने के लिये सतर्कता एक आवश्यक साधन है, क्योंकि यह अनुशासन और परिचालन सुरक्षा के साथ नैतिक वातावरण के सृजन में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका अदा करता है. परिचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत एवं सुसंरचित सतर्कता प्रणाली लागू है. बैंक का जोर निरोधक सतर्कता पर है, क्योंकि यह हमें धोखाधड़ी की रोकथाम, विकास एवं लाभ प्राप्त करने में मदद करती है. क्षेत्र कर्मियों में आवश्यक जागरूकता पैदा करने और उनके कौशल को तेज करने, सिस्टम और प्रक्रियाओं के बारे में उनकी जानकारी के स्तर को बढ़ाने और छिपी हुई दिक्कतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कई विचारमंथन सत्र आयोजित किये गए. वर्ष 2011-2012 के दौरान बैंक के विभिन्न कार्यालयों में ऐसे 452 निरोधक सतर्कता निरीक्षण किए गए. जहां भी जरुरी हो वहां सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधारों हेतु सुझाव भी दिए जाते हैं.

21. ग्राहक सेवा

बैंक विभिन्न पहलों के माध्यम से बाजार में एक जोरदार उपस्थिति दर्ज करना चाहता है और कारोबार विकास के लिए ग्राहक केन्द्रित पद्धति के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं को सुदृढ़ करना चाहता है. .

21.1. **यूनियन एक्सपीरिएंस ब्रांच :** अपने विविध संपर्क स्थलों पर ग्राहक संतुष्टि की बेहतरी के लिए समग्र रुपांतरण पहल के एक हिस्से के रुप में यूनियन एक्सपीरिएंस शाखाएं बनायी जा रही हैं. अब तक बैंक ने 11 क्षेत्रों में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलूर,हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ और जयपुर शहरों को कवर करते हुए 80 शाखाओं में यह शुरुआत की है. वर्तमान वर्ष के दौरान 17 क्षेत्रों में 250 मेट्रो/शहरी शाखाओं तक इसका विस्तार किया जाएगा.

21.2. **विविध चैनल अनुभव -संपूर्ण एटीएम-** ग्राहक अनुभव प्रॉजेक्ट, एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल एवं कॉल सेंटर द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के स्त्रोतों एवं संतुष्टि के स्तर पर भी निगरानी रखता है. हर चैनल अपने आप में और संयोजन में बढ़ी हुई सेवाओं की पेशकश करता है. बैंक ने मोबाइल बैंकिंग एवं एटीएम इंटरफेसिंग के साथ अनेक सुविधाएं, जैसे एटीएम के माध्यम से एनईएफटी, आईएमपीएस, म्युचुअल फंड और ई-कैश, एक ऐसा प्रॉडक्ट, जो एटीएम से मोबाइल को फंड अंतरित करना सुगम बनाता है, आरंभ की हैं.

21.3. **कस्टमर केयर यूनिट :** आपके बैंक ने ग्राहक शिकायतों के समाधान और सभी चैनलों पर शिकायतों के मूल कारणों को व्यवस्थित ढ़ंग से समाप्त करने के लिए कस्टमर केयर यूनिट की स्थापना की. कस्टमर केयर यूनिट औपचारिक रूप से 16 मार्च 2012 को लॉन्च की गई. वैकल्पिक माध्यमों से बढ़ते लेनदेन के मद्देनजर, यह इकाई, कॉल सेंटर/ईमेल के माध्यम से पहुंचने और प्रत्येक जरूरत के लिए परिभाषित एक निश्चित समयावधि में समाधान प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक संपर्क बिंदु हो गई है. यह एक आईटी बैकबोन, जिसे केस प्रबंधन टूल कहा जाता है, के माध्यम से परिचालित होती है, जो प्राप्त शिकायतों पर नजर रखता है और ग्राहकों से प्राप्त सभी अनुरोधों को पूरा करता है. यह ग्राहक संतुष्टि स्तर पर ग्राहक फीडबैक भी आसान करता है.

22. शाखा नेटवर्क :

बैंक की शाखाएं देश भर में फैली हुई है. भारत में शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है:

चार्ट -5- शाखा मिश्रण

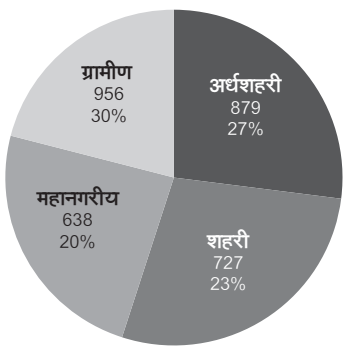

वर्ष 2011-12 के दौरान, आपके बैंक ने 185 शाखाएं खोली हैं, इसके साथ ही वर्ष की समाप्ति पर हांगकांग शाखा सहित शाखाओं की कुल संख्या 3201 हो गई है. वर्ष 2011-12 के दौरान 1167 एटीएम खोलने के साथ कुल एटीएम की संख्या पिछले वर्ष के 2634 की तुलना में 3801 तक पहुंच गई है. आपके बैंक के शंघाई, बीजिंग, अबूधाबी, लंदन एवं सिडनी में प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं.

बैंक लंदन के प्रतिनिधि कार्यालय को एक सब्सिडियरी में अपग्रेड करने और सिडनी को एक शाखा बनाने की प्रक्रिया में है. बैंक डीआईएफसी, दुबई में एक शाखा भी स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

23. अवसर :

आर्थिक वृद्धि का दौर पुन:आने की आशा बैंकिंग उद्योग के लिए शुभ संकेत है. विशिष्ट उत्पादों की बढ़ती श्रृंखला, युवा पीढ़ी के पास ज्यादा प्रयोज्य आय और वितरण चैनलों के विस्तार के कारण वर्तमान परिदृश्य में भी रिटेल बैंकिंग, विकास की विशाल संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं. ऐसे ही अवसर समय पर ऋण देने, उत्पादों की उपुयक्त श्रृंखला और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को सही मूल्य में भी मौजूद हैं.

इंटरनेट के प्रवेश एवं ब्रॉड बैंड ऐक्सेस के साथ मोबाइल बैंकिंग में, निकट भविष्य में बैंकिंग को पूर्ण रुप से बदलने की क्षमता है.

24. खतरे:

साधारण बहाली के बाद, वैश्विक विकास ने अवरोही रुझान दिखाना प्रारंभ कर दिया है. तीसरी तिमाही में वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि, कमजोर औद्योगिक विकास, निवेश गतिविधियों में धीमापन और वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधन प्रवाह में कमी से घरेलू उत्पाद में गिरावट आई है. स्फीति विषयक जोखिमों, रुपये के अवमूल्यन, राजकोषीय घाटे में स्लिपेज जैसे घटक भारत में विकास अनुमान को और प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ क्षेत्रों जैसे राज्य जनपयोगी, बिजली, टेक्सटाइल्स, विमानन और सूक्ष्म वित्त में दबाव बैंकिंग क्षेत्र के लिए खतरे उत्पन्न करते हैं.

25. संभावना:

भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले वित्त वर्ष से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है. भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष 2012-13 के लिए जीडीपी में 7.3% वृद्धि की अनुमान है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां और अग्रिम क्रमश: 16% एवं 17% से बढ़ने का अनुमान है.

आपके बैंक की वित्तीय उपलब्धियों में वित्त वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही में क्रमिक रुप से सुधार हुआ है. उद्योग में अपेक्षित पुनरुत्थान के साथ यह सुधार वित्त वर्ष 2012-13 में विकास की संभावनओं को बढ़ाता है और आपका बैंक आने वाले वर्षों में बेहतर परिणम देने में सक्षम होगा.

आपका बैंक वित्त वर्ष 2012-13 में कम लागत की जमाओं के शेयर में बढ़ोतरी एवं कृषि, रिटेल एवं मध्यम तथा छोटे उद्यम कारोबार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए अवसरों का लाभ उठाएगा.

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस की परिपाटी रही है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

वर्ष के दौरान बैंक को लगातार दूसरी बार 11 वें आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार में श्रेष्ठ कारपोरेट गवर्नेंस के लिये मान्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है. भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान और कंपनी कार्य मंत्रालय ने मिलकर वर्ष के दौरान, श्रेष्ठ गवर्नेंस पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ 25 कंपनियों में बैंक को शामिल किया है. इस पुरस्कार के चयन मानदंडों में बोर्ड की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली और प्रक्रिया, बोर्ड की गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं प्रकटन, स्टेकधारकों की मूल्यवृद्धि, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, शीर्ष प्रबंधन की सृजनात्मक व सहयोगात्मक क्षमताएं, भावी योजनाओं और अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी पहल शामिल हैं.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण),1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त आठ अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नीति निर्माण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा और बैंक के विभिन्न क्षेत्र कर्मियों को प्रदत्त शक्तियों से अधिक के मामलों में मंजूरी प्रदान करना और नियंत्रण करना सम्मिलित है. निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठक आवधिक अंतराल पर होती है.

3. बोर्ड / समिति की बैठकें और कार्यवाहियां

3.1 कार्यसूची मदों का निर्धारण और सूचीयन

बोर्ड / समिति के सभी सदस्यों को बैठकों की सूचना पहले ही दे दी जाती है. बैठकें पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संपन्न होती है. बैठक से पहले कार्यसूची और व्याख्यात्मक नोट उपलब्ध करा दिये जाते हैं.

3.2 सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना

कार्यसूची की सभी मदें विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण होती हैं, जिससे सदस्य व्यापक समीक्षा कर उचित निर्णय ले सकें.

3.3 कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रिकार्ड किये जाते हैं. श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस सिद्धान्तों के आधार पर सभी कार्यसूची मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है. बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त बही में प्रविष्ट की जाती हैं.

3.4 अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया

बैंक के पास, बैठक के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई, बोर्ड और समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया हेतु प्रभावी प्रणाली मौजूद है. पिछली बैठक(कों) में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट/पिछली बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड / समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं.

3.5 अनुपालन

बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सभी लागू होने वाले विधिक प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

3.6 कार्पोरेट गवर्नेंस संहिता

उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलत: सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन एवं अनुश्रवण कार्यप्रणाली
- शेयरधारकों एवं ग्राहकों के साथ संबंध
- व्यापक स्तर पर सार्वजनिक प्रकटन
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और ;
- अन्य विधिक मामले जैसे आचार संहिता, इनसाइडर ट्रेडिंग, कार्मिक मामले, सतर्कता आदि.

3.7 बोर्ड बैठकें

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों को 17 बोर्ड बैठकें संपन्न हुईं :

18 अप्रैल, 2011	24 अक्तूबर, 2011
19 अप्रैल, 2011	23 नवंबर, 2011
6 मई, 2011	24 दिसंबर, 2011
3 जून, 2011	24 जनवरी, 2012
29 जून, 2011	25 जनवरी, 2012
22 जुलाई, 2011	15 फरबरी, 2012
25 जुलाई, 2011	27 फरबरी, 2012
22 अगस्त, 2011	27 मार्च, 2012
13 सितंबर, 2011	

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, बोर्ड समितियों की संख्या, जिनके कि वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों / निगमों, जिनमें वे शेयरधारक एवं निदेशक हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशकों एवं वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित बैठकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
श्री एम वी नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)	03.03.52 60 वर्ष	बीएससी	17	17	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डी पी सी (वी), एसटीसीबी, एससीएमएफ, सीएससीबी, एच आर	शून्य	5
श्री डी सरकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)	03.11.1953 58 वर्ष	एम काम, एफसीए, सीएआईआईबी	--	--	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डी पी सी (वी), एसटीसीबी, एससीएमएफ, सीएससीबी, एच आर	शून्य	शून्य
श्री एस. सी. कालिया कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	06.08.51 60 वर्ष	एम.ए. (राजनीति), स्वर्ण पदक विजेता, सीएआईआईबी	8	8	एमसीएम, एसीबी, एससीआर, एएलएम, एसआईजीसी, एसटी सी बी ,सी एससी बी , एससीएमएफ, एचआर.	शून्य	1
श्री एस.एस.मूंदड़ा कर्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	18.07.54 57 वर्ष	पुणे विश्वद्यिालय से कामर्स में पोस्ट ग्रेजुएट तथा आईआईबीएफ के प्रमाणित एसोसिएट	17	17	एमसीएम, एसीबी, एससीआर, एएलएम, एसआईजीसी, एसटी सी बी ,सी एससी बी , एससीएमएफ, एचआर,आईटी, एनपीए	शून्य	2
श्री एस के जैन $ कर्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	05.05.1954 57 वर्ष	बीएससी (आ), एम ए (अर्थ), सीएआईआईबी	9	8	एमसीएम, एसीबी, एससीआर, एएलएम, एसआईजीसी, एसटी सी बी ,सी एससी बी , एससीएमएफ, एचआर,आईटी, एनपीए	शून्य	1
श्री के वी ईप्पन # भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक)	09.09.59 52 वर्ष	1984 के असम- मेघालय संवर्ग के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में संयुक्त सचिव (बैंकिंग प्रशासन) वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली. सेंट स्टीफन कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, कला स्नातक एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एमडीआई, गुड़गांव से मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रॅडफोर्ड, यू के से मैक्रो इकोनॉमिक्स एवं प्लानिंग में एमएससी	6	--	एसीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), एससीआर एवं एएलएम, एससीएमएफ,आरसीबी,	शून्य	1

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
श्रीमती मीना हेमचंद्र # भारिबैं नामिती (गैर-कार्यपालक)	20.11.57 54 वर्ष	बी ए अर्थशास्त्र, इतिहास (कोलकाता विश्वविद्यालय)एम ए अर्थशास्त्र (मदुरै कामराज विश्वविद्यालय), सीएआईआईबी, सीएफए (इंस्टीट्यूट ऑप चार्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, हैदारबाद)	9	7	एमसीएम, एसीबी, डीपीसी/ डीपीसी (वी), आरसीबी.	शून्य	शून्य
श्री बी एम शर्मा चार्टर्ड एकाउन्टेंट (गैर कार्यपालक) @	15.07.56 55 वर्ष	चार्टर्ड एकाउंटेंट	17	17	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एनसीबी, आईटी, एनपीए	शून्य	शून्य
श्री एन. शंकर # $ वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	20.05.58 53 वर्ष	बीएससी, आईसीडब्ल्यूए	14	13	एमसीएम, सीएससीबी एसआईजीसी, एससीआर व एएलएम,	शून्य	शून्य
डा. गुलफाम मुज़ीबी # अंशकालिक गैरसरकारी (गैर-कार्यपालक)	27.04.45 66 वर्ष	रांची विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ एमए, पीएचडी, एलएलबी	14	13	एमसीएम, सीएससीबी, एनसीबी, एसआईजीसी	शून्य	शून्य
श्री एम एस श्रीराम शेयरधारक (गैर कार्यपालक)	16.05.62 49 वर्ष	बी कॉम, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद (आईआरएमए) से ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1984) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलूर के फेलो (1992). शिक्षा एवं परामर्श में दो दशकों से अधिक का अनुभव. वित्तीय लेखांकन, कृषि वित्त, सामाजिक उद्यमशीलता और सूक्ष्म वित्त में विशेषज्ञता.	17	15	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, सीएससीबी, आरसीबी एससीएमएफ, एसटीसीबी, एसीबी, एचआर	100	2
श्री अरुण कुमार नंदा # शेयरधारक गैर-कार्यपालक	13.03.49 63 वर्ष	बी कॉम (ऑनर्स), विधि में स्नातक (एलएलबी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्ट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर.	11	5	एमसीएम एसआईजीसी, आरसीबी, सीएससीबी	200	13
श्री एस. रवि @ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	12.07.59 52 वर्ष	बीएससी, एम. कॉम एवं एफसीए, सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ , जेएमआई से पीएचडी कर रहे हैं.	17	17	एसीबी, एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, सीएससीबी, आईटी, एनपीए	600	13
श्री बी एन भट्टाचार्जी $ अधिकारी कर्मचारी (गैर कार्यपालक)	31.05.54 57 वर्ष	बीए, एलएलबी-I	15	15	एमसीएम, एसटीसीबी, सीएससीबी, एनसीबी, एनपीए	19	शून्य
श्री समीर कुमार सिन्हा $ # सरकारी नामिती (गैर कार्यपालक)	16.11.69 42 वर्ष	आईआईएम से लोक नीति प्रबंधन में पोस्टग्रेजुएट	4	--		शून्य	शून्य

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
श्री चंदन सिन्हा $ भारिबैं नामिती	15.08.57 54 वर्ष	एमएससी, एमबीए, सीएआईआईबी	8	8	एमसीएम, एसीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), आरसीबी	शून्य	शून्य
डा. अतुल अग्रवाल $ अंशकालिक गैर सरकारी(गैर कार्यपालक)	02.08.60 51 वर्ष	बी काम, एलएलबी, एफसीए., आईएसए(सीए)पीएचडी	8	7	एमसीएम, एसआयजीसी, सीएससीबी, आरसीबी, एनसीबी	193	2
श्री राजेश खुल्लर $ सरकारी (गैर कार्यपालक)	31.08.63 48 वर्ष	एम एससी (भौतिकी)	7	2	एसीबी, एससीआर व एएलएम, डीपीसी, डीपीसी (वी), एससीएमएफ, एनसीबी, आरसीबी, एचआर	शून्य	शून्य

$ श्री बी एन भट्टाचार्जी बोर्ड में 04.05.2011 से नामांकित किये गये
श्री समीर कुमार सिन्हा बोर्ड में 22.07.2011 से और उनके स्थान पर श्री राजेश खुल्लर 15.11.2011 से नामांकित किये गये .
श्री एस सी कालिया के स्थान पर श्री एस के जैन 01.09.2011 से बोर्ड में नामांकित किये गये.
डा. अतुल अग्रवाल बोर्ड में 22.09.2011 से नामांकित किये गये
श्रीमती मीना हेमचंद्र के स्थान पर श्री चंदन सिन्हा 13.10.2011 से बोर्ड में नामांकित किये गये.
श्री एन शंकर बोर्ड में 19.01.2012 से पुन: नामांकित किये गये.
श्री एम वी नायर के स्थान पर श्री डी सरकार 01.04.2012 से बोर्ड में नामांकित किये गये.

@ एसीबी के अध्यक्ष

निदेशक के रूप में श्री एन शंकर का कार्यकाल 14.09.2011 को समाप्त हुआ और 19.01.2012 से उनका पुन: नामांकन हुआ.
श्री एस सी कालिया का कार्यकाल 31.08.2011 को समाप्त हुआ.
श्रीमती मीना हेमचंद्र का कार्यकाल 12.10.2011 को समाप्त हुआ.
श्री के वी ईप्पन का कार्यकाल 21.07.2011 को समाप्त हुआ.
श्री समीर कुमार सिन्हा का कार्यकाल 14.11.2011 को समाप्त हुआ.
श्री अरुण कुमार नंदा ने 28.11.2011 से त्यागपत्र दे दिया.
श्री गुलफाम मुज़ीबी का कार्यकाल 28.01.202 को समाप्त हुआ.
श्री एम वी नायर का कार्यकाल 31.03.2012 को समाप्त हुआ.

एमसीएम	-	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति
एसीबी	-	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति
एससीआर एवं एएलएम	-	जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआईजीसी	-	निदेशक मंडल की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
डीपीसी	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी(वी)	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता
एसटीसीबी	-	निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति
एससीएमएफ	-	₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
आरसीबी	-	बोर्ड की पारिश्रमिक समिति
एनसीबी	-	बोर्ड की नामांकन समिति
आईटी	-	बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
एनपीए	-	वसूली/उन्नयन के लिए बोर्ड की एनपीए प्रबंधन समिति

3.8 निदेशकों की समिति सदस्यता

श्री एस एस मूंदड़ा,कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति या निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता रखते हैं / के अध्यक्ष हैं :

1. स्टार दाइ-इची इंश्योरेंस कं. लिमिटेड-सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

श्री एस.के.जैन, कार्यपालक निदेशक बैंक के बाहर निम्नानुसार लेखापरीक्षा समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता रखते हैं:

1. यूनियन केबीसी एएमसी प्रा.लि.-सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

श्री एस.रवि, निदेशक बैंक के बाहर निम्न लेखापरीक्षा समिति और निवेशक शिकायत समिति सदस्यता/ अध्यक्षता रखते हैं:

1. आइडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सर्विसेज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
2. एलआईसी हाउसिंग फाइनांस कार्पोरेशन लि.- अध्यक्ष,लेखापरीक्षा समिति और निवेशक शिकायत समिति
3. महिंद्रा यूज़ाइन स्टील कंपनी लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति और निवेशक शिकायत समिति
4. यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
5. रेलीगेयर हाउसिंग डेव्लपमेंट फाइनांस कार्पोरेशन लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति
6. एसएमई रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
7. बीएचईएल- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

3.9 निदेशकों का आपसी संबंध

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं हैं.

3.10 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

31 मार्च 2011 के उपरांत बोर्ड में सम्मिलित निदेशकों की प्रोफाइल

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री बी एन भट्टाचार्जी	56 वर्ष	केंद्र सरकार ने भारिबैं. से विचार विमर्श कर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एफ) के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/ 1980 की धारा 9 की उपधारा (1) एवं (2) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री बी.एन. भट्टाचार्जी को अधिकारी निदेशक के रूप में दिनांक 4 मई 2011 से नामित किया है. श्री भट्टाचार्जी एक सक्रिय ट्रेड यूनियन नेता हैं एवं ट्रेड यूनियन उनका शौक है. उन्होंने अधिकारियों के हित के लिए अपने कैरियर एवं व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का भी त्याग कर दिया. लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक श्री भट्टाचार्जी ने विधि का भी अध्ययन किया है. वे एआईयूबीओएफ से 1989 में जुड़े एवं 1991 में इसकी सेंट्रल कमेटी के सदस्य मनोनीत किए गए. 1997 में, आप ऑल इंडिया यूनियन बैंक आफिसर्स फेडरेशन के कोषाध्यक्ष चुने गए एवं अभी तक उस पद पर बने हुए हैं. वर्तमान में, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आफिसर्स एसोसिएशन, बंगाल व सिक्किम इकाई के उपाध्यक्ष और एआईबीओसी एवं एआईएनबीओएफ की पश्चिम बंगाल इकाई के भी उपाध्यक्ष हैं. आपका एआईएनओबीएफ की स्थापना में भी योगदान रहा. श्री भट्टाचार्जी की अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी मामलों में काफी रूचि है एवं उन्होंने उप महा प्रबंधक स्तर के कार्यपालकों सहित बहुत से अधिकारियों को समुचित न्याय दिलाया है. आपकी फोटोग्राफी, अंकशास्त्र, हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं लोकसंगीत में भी काफी रूचि है. आप सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों से जुड़ी सम-सामयिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं. देश में बैंकिंग गतिविधियों की अच्छी समझ एवं पकड़ होने के कारण आप एआईयूबीओएफ की गृहपत्रिका यूनियन विज़न के उप संपादक भी हैं. प्रौद्योगिकी के प्रति अपने रूझान के कारण ही आप एआईयूबीओएफ की वेबसाइट के प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं.	04.05.2011	03.05.2014 या यूनियन बैंक में अधिकारी पद पर बने रहने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	शून्य

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री समीर कुमार सिन्हा	42 वर्ष	श्री चंदन सिन्हा 08 मार्च, 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक है. अपने इस कार्यभार से पहले आप मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई में विशेष कार्य अधिकारी थे. आपका भारतीय रिज़र्व बैंक के 3 बाज़ार उन्मुख विभागों (4 वर्षों तक वित्तीय बाजार विभाग के प्रमुख रहने के साथ साथ) से 17 वर्षों तक संबद्ध रहने, भारतीय प्रतिभूति ट्रेडिंग कार्पोरेशन में 3 1/2 साल चीफ डीलर के पद पर रहने और डाक जीवन बीमा के निवेश प्रभाग की स्थापना के लिए मुख्य निवेश अधिकारी के रुप में एक साल तक कार्य करने के कारण करेंसी, ऋण और मुद्रा बाजार का विशद अनुभव है. श्री सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रमुख कार्यदल/समितियों में रहे है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और कार्यशालाओं में उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से भाग लिया है. वे इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल में 2005 में सम्मिलित थे तथा डेढ़ साल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट गुवाहाटी के निदेशक रहे हैं. वे देश-विदेश में प्रशिक्षण संस्थानों में वक्ता के रुप में आमंत्रित किए जाते रहे है और कार्पोरेट ब्रांड मार्केट डेवलपमेंट इन इंडिया (बीआईएस पेपर्स जनवरी 2006) और इंडियन फाइनांशियल ओपेननेस एंड इंट्रिगेशन विथ साउथ इस्ट एशियन कंट्रीज (बीआयएस पेपेर्स 42 अक्तूबर 2008) के सहलेखक है. 1982 में रिज़र्व बैंक की सेवा में आने से पहले आप भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी थे. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कालेज एमएससी (भौतिक शास्त्र) की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा बैंक की सेवा में रहते हुए एमबीए (वित्त) तथा सीएआइआइबी की योग्यता भी अर्जित की है.	22.07.2011	14.11.2011	शून्य
श्री एस के जैन	57 वर्ष	श्री सुरेश कुमार जैन ने 1 सितंबर 2011 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया. वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बी.एससी.(ऑनर्स) तथा एम.ए.(अर्थशास्त्र) के साथ गोल्ड मेडलिस्ट हैं. श्री जैन 35 वर्षों से अधिक से व्यावसायिक बैंकर हैं व उन्होंने ऋण तथा विदेशी मुद्रा विनिमय में विशेषज्ञता के साथ देश और विदेश में विभिन्न पदों पर कार्य किया. बैंक में कार्यग्रहण से पहले श्री जैन बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक थे. श्री एस.के.जैन को लंदन एवं हांगकांग में कार्य करने से देशी तथा साथ ही विदेशी बैंकिंग का वृहद् अनुभव है. वे बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में व्यापक अनुभव सहित अनुभवी बैंकर हैं.	01.09.2011	31.05.2014 अर्थात सेवा निवृत्ति या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो.	
डा. अतुल अग्रवाल	51 वर्ष	बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 /1980 की धारा 9 की उपधारा 3(एच) और 3(ए) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने 22.09.2011 से तीन वर्षों या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए डॉ अतुल अग्रवाल को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रुप में नामित किया है. एक सनदी लेखाकार डॉ अग्रवाल बी कॉम, एलएलबी, एफसीए, आईएसए (आईसीएआई) और कॉमर्स में पीएचडी हैं. डॉ अग्रवाल 1984 से चार्टर्ड एकाउंटेंट के रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के संस्थापक भागीदार हैं. डा अग्रवाल ने विश्व के तमाम देशों की यात्रा की है तथा उनको कार्पोरेट परामर्श स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कारोबार रीइंजिनियरिंग तथा लेखा प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन का समृद्ध अनुभव है. आप बैंक ऑफ बडौदा, जमा बीमा एवं गारंटी निगम, नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और यूपी स्टाक एक्सचेंज असोसिएशन लिमिटेड में निदेशक रहे हैं. उनके विशाल अनुभव क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर परामर्शदात्री समिति की सदस्यता, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय परिषद की सदस्यता, आयसीडब्ल्यूए की विभिन्न उपसमितियों की सदस्यता, एसोचैम की प्रत्यक्ष कर समिति की सदस्यता, यूपी स्टाक एक्सचेंज की चूक और विवादन समिति की सदस्यता, आईसीआई द्वारा "कार्पोरेट सुशासन" और "व्यवसायगत नैतिकता" पर अध्ययन दल की सदस्यता शामिल है.	22.09.2011	21.09.2014 या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो	2

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री चंदन सिन्हा	54 वर्ष	श्री चंदन सिन्हा 08 मार्च, 2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक है. अपने इस कार्यभार से पहले आप मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई में विशेष कार्य अधिकारी थे. आपको करेंसी, ऋण और मुद्रा बाजार का विशद अनुभव है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के 3 बाजार उन्मुख विभागों से 17 वर्षों जुड़े रहे हैं जिसमें 4 वर्ष तक वित्तीय बाजार के प्रमुख रहे हैं. अपने भारतीय प्रतिभूति ट्रेडिंग कार्पोरेशन में 3 1/2 साल चीफ डीलर के पद पर और डाक जीवन बीमा के निवेश प्रभाग की स्थापना के लिए मुख्य निवेश अधिकारी के रुप में एक साल तक कार्य किया है. श्री सिन्हा भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रमुख कार्यदल/समितियों में रहे है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और कार्यशालाओं में उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से भाग लिया है. वे इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल में 2005 में सम्मिलित थे तथा डेढ़ साल इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट गुवाहाटी के निदेशक रहे हैं. वे देश-विदेश में प्रशिक्षण संस्थानों में वक्ता के रुप में आमंत्रित किए जाते रहे है और कार्पोरेट बांड मार्केट डेवलपमेंट इन इंडिया (बीआईएस पेपर्स जनवरी 2006) और इंडियन फाइनांशियल ओपेननेस एंड इंट्रिगेशन विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज (बीआईएस पेपेर्स 42 अक्तूबर 2008) के सह लेखक है. 1982 में रिज़र्व बैंक की सेवा में आने से पहले आप भारतीय स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी थे. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कालेज से एमएससी (भौतिक शास्त्र) की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा बैंक की सेवा में रहते हुए एमबीए (वित्त) तथा सीएआइआइबी की योग्यता भी अर्जित की है.	13.10.2011	अगले आदेशों तक	शून्य
श्री राजेश खुल्लर	49 वर्ष	श्री राजेश खुल्लर को बैंक के निदेशक बोर्ड में 15 नवम्बर, 2011 से सरकार द्वारा नामित निदेशक के रुप में नियुक्त किया गया है. श्री खुल्लर हरियाणा कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से 1984 में भौतिक शास्त्र में परा स्नातक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था. वे 1995-96 मे सोनीपत और 1999 से 2001 तक रोहतक में जिलाधिकारी के पद पर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में कृषि, स्कूली शिक्षा, जनसंपर्क और पर्यटन विभागों में निदेशक के रुप में कार्य किया है. जटिल समस्याओं का अभिनव समाधान निकालना तथा सिद्धांत आधारित स्कीमों का पक्ष लेना उनके व्यक्तित्व के मजबूत पक्ष हैं. कन्या भ्रूण हत्या और उसके साथ साथ कन्याओं की पोषण और शैक्षिक उपेक्षा तथा बालविवाह की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने 1994 में "अपनी बेटी अपना धन " नामक एक सफल स्कीम बनाई थी. अत्यधिक भूजल का उपयोग करने वाली "साथी" (गरमी में धान की फसल) से किसानों को हत्सोसाहित करने की सफलता का श्रेय उनको है. इसके कारण राज्य में भूजल के स्तर में गिरावट हो रही थी. उनकी इस उपलब्धि को इंडिया टुडे के अगस्त 2006 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. उन्होंने जल संरक्षण अभियान का नेतृत्व किया जो भारतीय कृषि के इतिहास में दर्ज है, जिसने हरियाणा में गेहूं उत्पादकता के क्षेत्र में पंजाब को पीछे छोड़ दिया. वे दो बार हरियाणा राज्य एडस नियंत्रण समिति के निदेशक के पद पर रहे. उन्होंने एचआयवी से संबंधित शंकाओं और सवालों का जवाब देने के लिए कहानी के माध्यम का प्रयोग किया और इस क्रम में 08 दिसम्बर, 2007 को बेंगलोर में भारत पाक मैच के दौरान रुपा द्वारा उनके प्रथम उपन्यास "Viral Match" का प्रकाशन किया गया. जुलाई 2007 से जुलाई 2009 के मध्य नगर महापालिका, फरीदाबाद में आयुक्त के पद पर नियुक्ति के दौरान उन्होंने एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा स्कीम प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत बीमा बचत खाते, स्वास्थ्य जांच, सार्वजनिक सुरक्षा और रैनबसेरे की सुविधा का समावेश था, जिसके लिए भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदूषण रहित परिवहन माध्यम के जरिए शहरी यातायात में सुधार के लिए उन्हें श्रेष्ठता पुरस्कार प्रदान किया गया. वित्तीय कार्य मंत्रालय के आईएनआई प्रभाग में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण करने के पूर्व वे गुड़गांव नगर पालिका के आयुक्त थे, जहां उन्होंने 21वीं सदी की जनआकांक्षाओं के अनुरुप प्रोटाकॉल आरंभ किया था.	15.11.2011	अगले आदेशों तक	शून्य

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री एन शंकर	53 वर्ष	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) के अंतर्गत निदेशक के रूप में पुन: नामित श्री एन. शंकर 1979 से बैंक के कर्मचारी हैं एवं वर्तमान में मुंबई समाचार मार्ग शाखा, मुंबई में विशेष सहायक के रूप में पदनामित हैं. संप्रति आप अखिल भारतीय यूनियन बैंक इम्प्लाइज़ एसोसिएशन (ए आई यू बी जो बैंक में बहुमत प्राप्त यूनियन है, के महा सचिव हैं. आप महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मचारी संघ, जिसमें 40000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, की कार्यकारिणी समिती के सदस्य है. आप एआईबीईए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अनेक स्तरों पर गठित विभिन्न समितियों के भी सदस्य हैं. आप विज्ञान स्नातक तथा आईसीडब्ल्यूए के सदस्य हैं. आप पिछले 9 वर्षों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में पीएफ ट्रस्टी भी हैं. यूनियन परिवार के जरिए विभाग का कार्य सुसंगत बनाने एवं उसमें सुधार लाने हेतु आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके फलस्वरूप भविष्य निधि ऋण एवं सेवानिवृत्ति देयों का त्वरित संवितरण संभव हो सका है. आप नवी मुंबई में सहकारिता समिति आंदोलन में भी सक्रिय हैं तथा म्युनिसिपल कर आदि लागू करने हेतु नवी मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन एवं नागरिकों द्वारा बनायी गयी कार्य समिति के प्रमुख सदस्य हैं.	19.01.2012	18.01.2015	शून्य
श्री डी सरकार	58 वर्ष	श्री डी.सरकार ने 1 अप्रैल, 2012 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य-भार ग्रहण किया. 3 नवम्बर, 1953 को जन्मे, श्री सरकार ने कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और वे अर्हता प्राप्त फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं. इसके अतिरिक्त, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनांस के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा से अपना कैरियर शुरु करके, उन्होंने विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालय, अंचलीय कार्यालय और कारपोरेट कार्यालय में कार्य किया. वे पोर्ट लुई में बैंक के मॉरीशस परिचालन के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रभारी रहे. उन्होंने विशेषीकृत इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा, मुंबई के प्रभारी के रुप में भी कार्य किया. श्री सरकार ने 07.12.2009 को इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यग्रहण किया. श्री सरकार के नेतृत्व में इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफार्म के अंतर्गत लायी गईं. आपने इलाहाबाद बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा लाने में पहल की. आपने ऋण समूहन विभाग को कार्य निष्पादन केन्द्रित, व्यापक प्रोत्साहन योजना बनाकर पुन: सक्रिय किया. श्री सरकार ट्रेजरी एवं कारपोरेट क्रेडिट विशेषत: ऋण नियोजन में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं. आप सेंट्रल सेक्युरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड मुंबई, बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ओवरसीज बैंकिंग सब्सीडरी) के बोर्ड में निदेशक एवं बड़ौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के न्यासी थे. आप आईसीआईसीआई वेन्चर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, बैंगलूर द्वारा प्रायोजित सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया एडवांटेज फंड सीरीज के सदस्य भी थे.	01.04.2012	30.11.2013 अर्थात सेवानिवृति की तारीख या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो.	शून्य

3.11 वार्षिक साधारण बैठक:

शेयर धारकों की आठवीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 29 जून, 2011 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1. श्री एम.वी.नायर - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री एस.सी.कालिया - कार्यपालक निदेशक
3. श्री एस.एस.मूंदड़ा - कार्यपालक निदेशक
4. श्री श्री बी एम शर्मा - निदेशक (सी. ए. संवर्ग) व अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति
5. श्री बी. एन. भट्टाचार्जी - अधिकारी प्रतिनिधि निदेशक
6. श्री एन शंकर - कर्मचारी प्रतिनिधि निदेशक
7. श्री एस. रवि - शेयरधारक निदेशक
8. श्री एम. एस. श्रीराम - शेयरधारक निदेशक

4 निदेशक मंडल की समितियां

4.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

4.1.1 संघटन :

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसमें 6 निदेशक यथा - कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 2 गैर सरकारी गैर कार्यपालक निदेशक जिनमें से एक चार्टर्ड एकाउटेंट शामिल हैं. बैठकों की अध्यक्षता स्वतंत्र, गैर सरकारी निदेशक और चार्टर्ड एकाउटेंट श्री बी एम शर्मा द्वारा की जाती है.

4.1.2 कार्य

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10.11.2010 को जारी कलैंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखापरीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन,परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक /बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी बैंक की आंतरिक निरीक्षण /लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली,गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है:
   - अंतर शाखा समायोजन खाते
   - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
   - विभिन्न शाखाओं में बहियों के तुलन की बकाया स्थिति.
   - धोखाधड़ी.
   - हाऊसकीपिंग से संबंधित सभी प्रमुख क्षेत्र.
3. एसीबी भारिबैं के अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालना अधिकारी से छमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीतियां, संबंधित पार्टी लेनदेन, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.
6. इसके साथ ही साथ, एसीबी प्रत्येक वर्ष गुप्त सूचना (व्हिसिल ब्लोअर) हेतु अपनायी गई नीति की भी समीक्षा करती है.
7. बैंक की सभी वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा.

4.1.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति

2011-12 में समिति की 15 बैठक हुईं जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस रवि, शेयरधारक निवेशक (एसीबी के अध्यक्ष)	6	6
श्री बी एम शर्मा (एसीबी के अध्यक्ष)	15	15
श्री एस. सी. कालिया, का.नि.	7	7
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का.नि.	15	15
श्री एस.के.जैन, का.नि.	8	8
श्री के. वी. ईप्पन, सरकार द्वारा नामित	6	--
श्री एस.के.सिन्हा, सरकार द्वारा नामित	3	--
श्री राजेश खुल्लर, सरकार द्वारा नामित	6	1
श्रीमती मीना हेमचंद्रा, भारिबैं नामित	7	5
श्री चंदन सिन्हा, भारिबैं नामित	8	7
श्री. एम. एस. श्रीराम	9	9

4.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

4.2.1 संघटन

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना) 1970 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी,2007 और उसके बाद 29 जून, 2007 तक किए गए संशोधनों द्वारा अब प्रबंधन समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/निदेशकों,रिजर्व बैंक के नामित निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9(3)(जी) के अंतर्गत नामित एक चार्टर्ड एकाउटेंट जो समिति के नियमित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, शामिल हैं और निदेशक मंडल द्वारा धारा 9(3)(एच)एवं(आई) के अंतर्गत रोटेशन के आधार पर प्रत्येक छ:माह के लिए बोर्ड द्वारा नामित तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करते हैं.

4.2.2 कार्य

निदेशक मंडल ने प्रबधंन समिति का गठन वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी,ऋण समझौता/ बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्तावों,राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों का अनुमोदन,परिसर अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश और दान आदि पर विचार करने के लिए किया है.

4.2.3 एम सी बी बैठक में उपस्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान प्रबंधन समिति की 20 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही : -

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अ.एवं प्र.नि.	20	20
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	8	8
श्री एस. एस. मूंदड़ा, का. नि.	20	20
श्री एस. के. जैन, का.नि.	12	11
श्रीमती मीना हेमचंद्र, भारिबैं के नामिती	9	8
श्री चंदन सिन्हा, भारिबैं के नामिती	11	8
श्री बी एम शर्मा निदेशक (सीए श्रेणी)	20	20
प्रो. एम एस श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	13	12
डॉ. गुलफाम मुज़ीबी, गैर-सरकारी निदेशक	10	8
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	3	3
श्री एस. रवि, शेयरधारक निदेशक	13	10
श्री अरुण कुमार नंदा, शेयर धारक निवेशक	7	3
श्री बी एन भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	9	9
डा. अतुल अग्रवाल, गैर सरकारी निदेशक	5	5

4.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एण्ड एएलएम) :

4.3.1. संघटन

इस समिति में निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य यथा : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित सदस्य तथा तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं.

4.3.2. कार्य

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करती है.

4.3.3. एससीआर एवं एएलएम बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2011-12 में समिति की 5 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अ.एवं प्र.नि.	5	5
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	2	2
श्री एस.एस.मूंदड़ा का. नि	5	5
श्री एस. के. जैन का नि	3	3
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	2	--
श्री एस.के.सिन्हा, सरकार द्वारा नामित	1	--
श्री राजेश खुल्लर, सरकार द्वारा नामित	2	--
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	5	4
श्री बी. एम शर्मा (सी ए संवर्ग)	5	5
श्री एन शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	3	3
श्री एस रवि, शेयरधारक निदेशक	2	1

4.4 बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति (एसआईजीसी) :

4.4.1 संघटन

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति में कार्यपालक निदेशक और तीन गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष डा. अतुल अग्रवाल, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक हैं.

4.4.2 कार्य

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार बोर्ड द्वारा बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति (एसआईजीसी) का गठन किया गया है. यह समिति शेयरों के अंतरण, वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश आदि प्राप्त न होने संबंधी शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों का निवारण करती है.

4.4.3 एसआईजीसी में उपस्थिति

2011-12 वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री गुलफाम मुज़ीबी, (अध्यक्ष, एसआईजीसी)	2	2
डा. अतुल अग्रवाल, (अध्यक्ष, एसआईजीसी)	1	1
श्री एस. सी. कालिया, कानि	1	1
श्री एस. एस. मूंदड़ा, कानि	3	3
श्री एस.के.जैन, कानि	2	2
श्री अरुण कुमार नंदा, शेयरधारक निदेशक	2	2
श्री एन शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	1	--

31.3.2012 और 31.3.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान तक प्राप्त, उत्तरित और लंबित शिकायतों की तुलनात्मक सारिणी निम्न प्रकार है :

		31.03.2013 को समाप्त वि. वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त वि. वर्ष के लिए
ए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या	1057	1385
सी	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1057	1385
डी	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

श्रीमती मोनिका कालिया, कंपनी सचिव को निवेशकों की शिकायतों के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया है.

4.5 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

4.5.1 संघटन

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं / अथवा कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक शामिल हैं.

4.5.2 कार्य

बैंक ने शेयरों के शीघ्रतापूर्वक अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

4.5.3 एसटीसीबी में उपस्थिति

वर्ष के दौरान, समिति की अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 19 बैठकें आयोजित की गयीं.

4.6 ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी वाले मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रांक आरबीआई / 2004.15.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04.01 ए / 2003-04, दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, हाऊसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों इत्यादि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. समिति से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. तथापि निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण करना जारी रखेगी.

बोर्ड की विशेष समिति के कार्य की छमाही समीक्षा होती है तथा इसकी समीक्षा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है.

4.6.1 संघटन

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य.

4.6.2 कार्य

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा जिससे :

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को दूर किया जा सके और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सकें.
- धोखाधड़ी का पता लगाने और / या उच्च प्रबंधन या भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों का पता लगाया जा सके,

- सीबीआई / पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके,
- सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है तथा स्टाफ संबंधी कार्रवाई, यदि कोई है, तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ करने जैसी रक्षात्मक कार्रवाई के प्रभाव की समीक्षा की जा सके,
- धोखाधड़ी निरोधक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू किये जा सकें.

4.6.3 एससीएमएफ में उपस्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	1	1
श्री एस.एस.मूंदड़ा का. नि	4	4
श्री एस. के. जैन का नि	3	3
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	1	--
श्री एस.के.सिन्हा, सरकार द्वारा नामित	1	--
श्री राजेश खुल्लर, सरकार द्वारा नामित	2	--
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	4	4

4.7 निदेशक मंडल की बैंक की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के दिनांक 14 अगस्त 2004 के परिपत्र के संदर्भ में किया गया है.

4.7.1 संघटन

समिति में आठ सदस्य निम्नानुसार हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक
- शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक
- तीन गैर कार्यपालक निदेशक
- विशेष आमंत्रित के रूप में ग्राहकों के दो प्रतिनिधि

4.7.2 कार्य

यह समिति निम्नलिखित कार्य करती है :

- सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुझाव देना.
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सार्वजनिक सेवा पर प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफ़ारिशों के अनुपालन सहित बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण.

4.7.3 सीएससीबी में उपस्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान इस समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम वी नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	1	1
श्री एस एस मूंदड़ा, का.नि.	4	4
श्री एस. के. जैन, का.नि	3	3
प्रो.एम एस श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	4	4
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	3	2
डॉ गुलफाम मुज़ीबी, गैर सरकारी निदेशक	3	3
श्री ए के नंदा, शेयर धारक निदेशक	2	1
श्री एस रवि, शेयर धारक निदेशक	4	2
श्री बी एन भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	2	2
डा. अतुल अग्रवाल, गैर सरकारी निदेशक	1	1

4.8 निदेशकों को पारिश्रमिक समिति(आरसीबी) :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने संप्रेषण एफ नं. 20/1/2005-बीओ.I दिनांक 09 मार्च, 2007 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना की घोषणा की है. भारत सरकार के संप्रेषण के अनुसार बोर्ड की एक उपसमिति बनाई गई है जिसे पारिश्रमिक समिति कहा गया है.

4.8.1 संघटन :

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

4.8.2 कार्य :

भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.

4.8.3 आरसीबी में उपस्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान इस समिति की 2 बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री के. वी. ईप्पन सरकार द्वारा नामित (अध्यक्ष, आरसीबी)	1	--
श्री एस के सिन्हा सरकार द्वारा नामित (अध्यक्ष, आरसीबी)	1	1
श्रीमती मीना हेमचंद्रा, भारिबैं नामित	2	2
प्रो.एम एस श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	2	2
श्री अरुण कुमार नंदा, शेयरधारक निदेशक	2	1

4.9 बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी):

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (वर्ष 2006 में संशोधित किए अनुसार) की धारा 9 की उप-धाराएं (3ए्ए) एवं (3ए्बी) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट योग्य एवं उपयुक्त मानदंड निर्धारित किए हैं. भारिबैं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए योग्य एवं उपयुक्त मानदंडों पर परिपत्र डीबीओडी सं.बीसी नं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी किया है.

बैंकों से अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के लिए ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें. तदनुसार, बैंक ने निदेशकों की नामांकन समिति का गठन किया गया है.

4.9.1 संघटन :

- तीन गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक

4.9.2 कार्य :

- ड्यू डिलीजेंस के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित निदेशक की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति की जांच करना.
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) विशेषज्ञता का अनुभव एवं क्षेत्र (iii) ट्रेक रिकॉर्ड एवं ईमानदारी का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्त्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार / नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर, नामांकन समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या अन्यथा का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से संदर्भ (हवाले) प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

4.9.3 एनसीबी में उपस्थिति :

समिति की वर्ष 2010-11 के दौरान एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री बी एम शर्मा	1	1
डा. गुलफाम मुज़ीबी	1	1
श्री बी एन भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	1	1

4.10 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

4.10.1 संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

4.10.2 कार्य

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन ग्रेड स्केल VII में चयन / अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है.

4.10.3 डीपीसी में उपस्थिति

वर्ष 2011-12 में समिति की 1 बैठक हुईं जिनकी उपस्थिति इस प्रकार है

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री एस.के.सिन्हा, सरकार द्वारा नामित	1	1
श्रीमती मीना हेमचंद्रा, भारिबैं द्वारा नामित	1	1

4.11 निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

4.11.1 संघटन

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

इसके अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशक भी इन बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहते हैं.

4.11.2 कार्य

यह समिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है.

4.11.3 डीपीसी - सतर्कता/गैर-सतर्कता में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2011-12 के दौरान 3 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष)	3	3
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	1	--
श्री राजेश खुल्लर, भारत सरकार नामिती	2	--
श्रीमती मीना हेमचंद्र,भारिबैं. नामिती	1	1
श्रा ंचंदन सिन्हा भारिबैं. नामिती	2	2

4.12 निदेशकों की एचआर समिति

4.12.1 संघटन

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और/या कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक होते हैं.

4.12.2 कार्य :

1. निम्नलिखित पहलुओं का पर्यवेक्षण और समीक्षा:
   - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
   - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास :
   - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
   - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों को फाइन ट्यून करना
   - पुरस्कार व प्रोत्साहन
   - पदोन्नति
   - तैनाती
4. प्रशिक्षण
   - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
   - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण /पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों को आईटी स्वचालन

4.12.3 एचआर समिति में निदेशकों की उपस्थिति

वर्ष 2011-12 में समिति की दो बैठक हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार थी :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष)	2	2
श्री एस एस मूंदड़ा , का.नि.	2	2
श्री एस. के. जैन, का.नि	2	2
श्री एम एस श्रीराम शेयर धारक निदेशक	2	2
श्री राजेश खुल्लर, भारत सरकार नामिती	2	--
श्री टी वी राव, बाहरी सलाहकार	2	2
श्री आर आर नायर, बाहरी सलाहकार	2	2

4.13 निदेशकों की आईटी रणनीति समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईटी गवर्नेंस उपायों के अंतर्गत बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है.

4.13.1. संघटन :

- कार्यपालक निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- दो स्वतंत्र निदेशक जिनमें एक समिति का अध्यक्ष होगा.
- बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी - (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख महा प्रबंधक)

4.13.2. कार्य :

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह पता करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रिया और व्यवहार स्थापित किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि आईटी का कारोबार में योगदान है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी के निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप हैं और इसका बजट स्वीकार करने योग्य है.
- रणनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्त्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और आईटी जोखिम के अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदा.जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्त्रोतों के बारे में)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे अधिकतम लाभ मिलता हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पयर्वेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम प्रबंधन के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)

4.13.3 निदेशकों की आईटी रणनीति बैठक में उपस्थिति

2011-2012 के दौरान समिति की एक बैठक की गई और उसमें निम्नलिखित उपस्थित हुए:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्यें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस.रवि (अध्यक्ष आईटी रणनीति)	1	1
श्री एस.एस.मूंदडा, कानि	1	1
श्री एस.के.जैन, कानि	1	1
श्री बी.एम.शर्मा, सीए निदेशक	1	1
श्री एन.एल.सारडा, बाहरी सलाहकार	1	-
श्री अजित कुमार रथ, सदस्य (मुख्य सूचना अधिकारी)	1	1

4.14 एनपीए वसूलियों/ उन्नयन की समीक्षा हेतु बोर्ड की समिति.

4.14.1 संघटन

कार्यपालक निदेशक

कोई तीन निदेशक

4.14.2 कार्य

बड़े एनपीए खातों पर ध्यान केन्द्रित के लिए.

4.14.3 निदेशकों की एनपीए वसूलियों/ उन्नयन समिति की उपस्थिति

2011-2012 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं और निम्नानुसार उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस.रवि (अध्यक्ष एनपीए)	3	3
श्री एस.एस.मूंदडा,कानि	3	3
श्री एस.के.जैन, कानि	3	3
श्री बी.एम.शर्मा, सीए निदेशक	3	3
श्री बी.एन.भट्टाचार्जी, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	3	3

5. साधारण सभा की बैठकें :

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान
शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए असाधारण सामान्य बैठक	22 जून, 2009 प्रात: 10.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक	22 जून, 2009 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक	2 जुलाई, 2010 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	29 मार्च, 2011 प्रात:11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक	29 जून,2011 शाम 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	20मार्च, 2012 प्रात:11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.

असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत विशेष संकल्पों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

5.1 29 मार्च 2011 को हुई असाधारण सामान्य बैठक

सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/-(रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 1,92,14,515(एक करोड़ बानवे लाख चौदह हजार पांच सौ पंद्रह) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 354.94 की दर से कुल मिलाकर ₹ 682 करोड़(छह सौ बयासी करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का विशेष संकल्प.

5.2 20 मार्च 2012 को हुई असाधारण सामान्य बैठक

ए. विशेष संकल्प:

क) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/-(रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 1,43,11,631(एक करोड़ तिरालीस लाख ग्यारह हजार छह सौ इकतीस) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 355 करोड़(तीन सौ पचपन करोड़)नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का

ख) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(4) के अनुसार ₹ 10/-(रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 2,62,16,620(दो करोड़ बासठ लाख सोलह हजार छह सौ बीस) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 650 करोड़(छह सौ पचास करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम और/ या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)की विभिन्न योजनाओं को प्रस्ताव करने, जारी करने और आबंटित करने का.

इन संकल्पों के अनुसरण में बैंक को केवल जीवन बीमा निगम से आवेदन धन प्राप्त हुआ और 30 मार्च, 2012 को 2,62,16,620 शेयर जारी किए गए और भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित किए गए. भारत सरकार से अब तक आवेदन धन प्राप्त नहीं हुआ है.

6. प्रकटन :

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 द्वारा नियंत्रित है. सेबी ने स्पष्ट किया है कि उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय (अर्थात् प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां आदि) हैं, सूची समझौते का खंड 49 उस सीमा तक ही लागू होगा कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सूचीकरण समझौते के खंड 49 की सभी प्रयोज्य अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

i. निदेशकों का पारिश्रमिक :

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा व्यय और विराम व्ययों सहित पारिश्रमिक का निर्धारण भारिबैं की सलाह पर केन्द्र

सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार किया जाता है.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं

ii महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक सम्बन्धों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिसका टकराव बैंक के हितों से होता हो. वर्ष के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशक और बैंक के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ.

बैंक में यह स्थापित प्रथा रही है कि जब मामला निदेशकों या उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कम्पनियों से संबंधित चर्चा का हो, तब संबंधित निदेशक बोर्ड के विचार-विमर्श और बोर्ड की अन्य उप समितियों में भाग नहीं लेते हैं.

iii सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :

आलोच्य वर्ष में बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम-एलआईसी लाइफ फंड को वरीयता के आधार पर ₹ 10 मूल्य के 2,62,16,620 शेयर आवंटित कर अपनी इक्विटी पूंजी में बढ़ोत्तरी की है.

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र की प्रकृति के अपरिवर्तनीय बांड जारी किये हैं. इससे संबंधित सूचना रिपोर्ट के पैरा 8.2 में दी गयी है.

निधियां एकत्रित करने का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने के लिये पूंजी बढ़ाना तथा बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को सुधारना था तथा उनका उपयोग इसी के लिये किया गया है,

iv दंड एवं आक्षेप :

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक पर किसी भी स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

एफआईयू-इंड द्वारा बैंक द्वारा 4 माह (दिसं. 06 से मार्च, 07) तक संदिग्ध संव्यवहारों के परीक्षण, पता लगाने और रिपोर्ट करने की समुचित व्यवस्था न बना पाने के कारण धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 12 के अधीन जिम्मेदारियों को पूरा न कर पाने के कारण ₹ 1.00 लाख प्रतिमाह के हिसाब से कुल ₹ 4.00 लाख के प्रस्तावित दंड के बारे में हमारे द्वारा सूचित किये जाने के बाद एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है वित्त वर्ष 2011-12 में बैंक ने इस दंड का भुगतान कर दिया है.

v) गुप्त सूचना नीति

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है. लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

vi) प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम फायनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) सहित अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये जाते हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुति, शेयरधारकों का पैटर्न, तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

8. शेयरधारकों की सूचना

8.1 बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. 31 मार्च 2011 को देश के विभिन्न भागों में बैंक के पास 3,201 (एक ओवरसीज़ शाखा सहित) शाखाओं का नेटवर्क था.

8.2 बैंक का शेयर मुम्बई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं तथा उनके स्टॉक स्क्रिप कोड निम्न प्रकार हैं :-

शेयर बाजार, मुम्बई (बीएसई)	532477
राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान शेयर बाजारों को 30.4.2012 के पूर्व कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रोमिसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं. 31 मार्च 2012 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रृंखला	मात्रा (₹ करोड़ में)	आबंटन की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
VI	250	03.09.2003	03.05.2013	5.95	आईएनई 692A09068
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	आईएनई 692A09076
VIII- फ्लोटिंग	200	23.09.2005	23.04.2012	बेंच+ 55 बीपीएस	आईएनई 692A09092
VIII- नियत	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	आईएनई 692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	आईएनई 692A09100
X- प्रथम खंड	300	10.10.2006	स्थाई	10 वर्ष तक 9.45 10 वर्ष के उपरांत 9.95	आईएनई 692A09118
X- द्वितीय खंड अपर टीयर -II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 10 वर्ष के उपरांत 9.45	आईएनई 692A09126
XI लोअर टीयर - II प्रथम खंड	400	12.12.2007	12 .04.2018	9.35	आईएनई 692A09134
XI अपर टीयर -I प्रथम खंड	200	12.12.2007	स्थाई	10 वर्ष तक 9.90 10 वर्ष के उपरांत 10.40	आईएनई 692A09142
XII स्थाई	200	09.09.2008	स्थाई	10 वर्ष तक 11.15 10 वर्ष के उपरांत 11.65, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09159
XII लोअर टीयर II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	आईएनई 692A09167
XII लोअर टीयर II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	आईएनई 692A09175
XII लोअर टीयर II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	आईएनई 692A09183
XII स्थाई	140	30.03.2009	स्थाई	10 वर्ष तक 9.10 10 वर्ष के उपरांत 9.60, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09191
XIV-ए अपर टीयर II	**200**	**16.06.2009**	**स्थाई**	10 वर्ष तक 8.85% 10 वर्ष के उपरांत 9.35%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09209
XIV-बी अपर टीयर II	**500**	**25.06.2009**	**15 वर्ष 25.06.2024**	10 वर्ष तक 8.65% 10 वर्ष के उपरांत 9.15%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09217
XIV-सी अपर टीयर II	**500**	**27.01.2010**	**15 वर्ष 27.01.2025**	10 वर्ष तक 8.55% 10 वर्ष के उपरांत 9.05%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09225
XV-सी अपर टीयर II	**500**	**28.06.2010**	**15 वर्ष 28.06.2025**	10 वर्ष तक 8.48% 10 वर्ष के उपरांत 8.98%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09233
कुल	**6190**				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2012-13 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है.

8.3 लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने 9 मई 2012 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए 80% अर्थात् ₹ 8/- प्रति शेयर लाभांश की संस्तुति की है.

8.4 वार्षिक साधारण बैठक और वित्तीय कैलेंडर के ब्यौरे

8.4.1 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	9 मई, 2012
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	दि.26 जून, 2012 को अपराह्न 3.30 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम**, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	29 मई 2012 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	अंतिम लाभांश का भुगतान करने के लिए 23 जून, 2012 से 26 जून, 2012 (दोनों दिनों को मिलाकर)
लाभांश के भुगतान की तिथि	6 जुलाई, 2012

8.4.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं :

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2012 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	23 जुलाई, 2012
30 सितंबर, 2012 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	22 अक्तूबर, 2012
31 दिसंबर, 2012 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	25 जनवरी, 2013
31 मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 मई, 20113

8.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण उनको प्रस्तुत करने की तिथि से 1 माह के अंदर कर दिया जाए. बैंक ने शेयरों के अंतरण और उनसे संबंधित मामलों पर विचार के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति बनाई है.

शेयर अंतरण और निवेशकों संबंधी अन्य समस्त गतिविधियों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. मुंबई के कार्यालय में संपादित की जाती हैं. शेयरधारक अपने अंतरण विलेख और अन्य दस्तावेज तथा शिकायतें रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं. सूचीबद्धता करार के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार नामित ई-मेल आई डी investorservices@unionbankofindia.com है.

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं बी-5 पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,मरोल
अंधेरी पूर्व, **मुंबई - 400 093.**
फोन -(022) 66712151-60
फैक्स -(022) 66712230
ई-मेल: ubiinvestors@dfssl.com

निवेशक सेवाएं प्रभाग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बारहवीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, 239 विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट, **मुंबई - 400 021.**
फोन -(022) 2289 6643/36
फैक्स -(022) 22025238
ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

बैंक ने अपने वेबसाइट पर निवेशक सेवाएं जैसे ब्यौरे के परिवर्तन, डुप्लीकेट शेयर/लाभांश वारंट के अंतरण/प्रेषण/जारी करने के संबंध में अक्सर पूछे गए प्रश्नों की सूची दी है. इस कार्यप्रणाली और प्रलेखीकरण को आसानी से समझने के लिए इसको देखा जा सकता है.

8.5.1 अन्य सूचनाएं

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

I. छमाही कार्यनिष्पादन
II. अदत्त लाभांशों का दावा करने और बैंक विवरण / लाभांश मेंडेट फॉर्म को अद्यतन करने पर.
III. कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुरूप कारपोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना.

8.6 शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमैट रूप में ही होता है. बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों को डीमैट करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, **INE 692 A01016** है. अत: यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में धारित शेयर धारक अपने हित में अपने शेयरों को डीमैट कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / खराब हो जाने सरीखी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयर का खरीद - बिक्री केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा. 31.03.2012 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	66,271	4,10,96,237	7.47
डीमैट			
एनएसडीएल	87,497	19,84,32,399	36.04
सीडीएसएल	57,050	31,10,20,399	56.49
कुल	**2,10,818**	**55,05,49,035**	**100.00**

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कंपनी सेक्रेटरी ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बही के अद्यतनीकरण / रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान होता है.

8.7 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा / यूनियन बैंक के खाते में सीधे जमा

सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों को उन स्थानों पर नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) के जरिये लाभांश के वितरण के लिए डिपोजिटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के ब्यौरों का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है, जहां ईसीएस सेवा उपलब्ध हो. नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस न होने पर बैंक निवेशकों को लाभांश वितरण का भुगतान लिखतों के माध्यम से करेगा एवं उपलब्ध होने पर बैंक खाते का विवरण भी मुद्रित करेगा.

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने लाभांश की रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया है :

ऐसे शेयरधारकों के खाते में सीधे जमा के द्वारा लाभांश का भुगतान करना, जिनके खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं.

लाभांश मैंडेट फार्म हमारी वेबसाइट **www.unionbankofindia.co.in** पर भी उपलब्ध है और इस वार्षिक रिपोर्ट में भी संलग्न किया गया है.

शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश की राशि उनके खाते में सहजता से जमा करना सुनिश्चित करने के लिये बैंक के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट या डिपाजिटरी प्रतिभागी के पास अपना सही और पूरा खाता नंबर ठीक से लिखा दें. सही और पूरा खाता नंबर न होने पर बैंक को कागजी लाभांश वारंट जारी करना होगा और उस पर शेयरधारक के खाते का विवरण मुद्रित होगा .

8.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल 11	359.35	317.00	883551	359.95	317.10	8680748	19811.14	18976.19
मई 11	332.25	286.10	2813803	332.90	285.45	17969096	19253.87	17786.13
जून 11	327.00	287.50	743806	328.00	288.50	8331834	18873.39	17314.38
जुलाई 11	320.20	280.60	2055047	311.90	280.80	19602317	19131.70	18131.86
अगस्त 11	294.65	225.50	2101620	295.05	225.00	14603561	18440.07	15765.53
सितम्बर 11	259.95	224.55	1929054	259.80	224.10	17107820	17211.80	15801.01
अक्तुबर 11	260.90	207.20	7788380	259.70	205.30	24424781	17908.13	15745.43
नवम्बर 11	234.15	197.25	1742280	234.00	190.25	11018611	17702.26	15478.69
दिसम्बर 11	227.85	155.50	1891629	227.50	155.45	17444500	17003.71	15135.86
जनवरी 12	232.85	165.25	3905495	230.00	165.15	34262670	17258.97	15358.02
फरवरी 12	273.85	221.30	3540384	274.00	220.65	33432365	18523.78	17061.55
मार्च 12	249.80	208.60	3024115	249.70	210.00	25443873	18040.69	16920.61
31/3/2012 को अन्तिम मूल्य	234.85			235.80				
बाजार पूंजीकरण	12929.64 crore			12981.95 crore				

यूनियन बैंक बनाम बीएसई सेंसेक्स

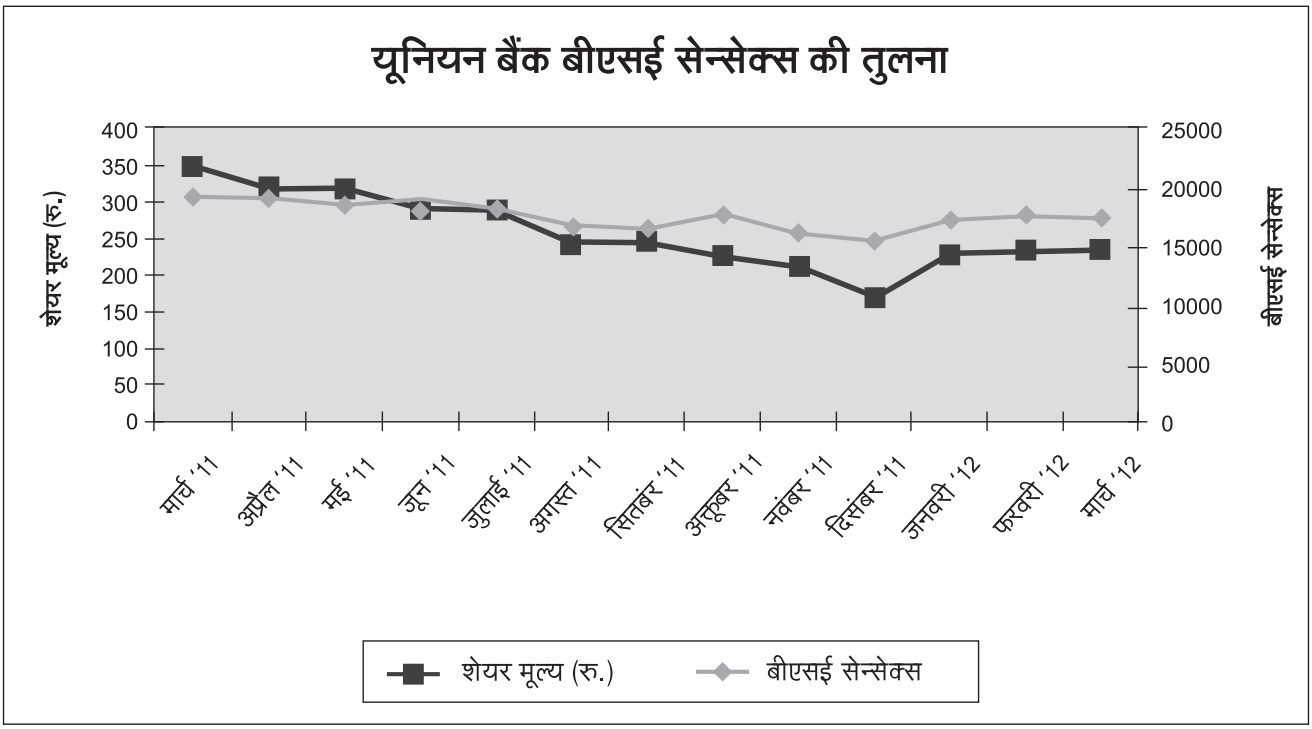

8.9 शेयरधारिता का वितरण

सरकार की शेयरधारिता 29.92 करोड़ शेयरों की है, जो ₹ 550.55 करोड़ की कुल जारी पूंजी में रू. 299.21 करोड़ है. दिनांक 31.3.2011 तथा 31.3.2012 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है :-

	यथा 31/03/2011				यथा 31/3/2012			
शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	181521	89.74	27088868	5.17	189985	90.12	27397457	4.98
501 से 1000	16534	8.17	10739973	2.05	16482	7.82	10758614	1.95
1001 से 2000	2817	1.39	3845422	0.73	2922	1.39	3982310	0.72
2001 से 3000	499	0.25	1226059	0.23	548	0.26	1353287	0.25
3001 से 4000	179	0.09	629641	0.12	176	0.08	616801	0.11
4001 से 5000	85	0.04	394206	0.08	90	0.04	418368	0.08
5001 से 10000	209	0.10	1518444	0.29	200	0.09	1430925	0.26
10001 एवं ऊपर	438	0.22	478889802	91.33	415	0.20	504591273	91.65
कुल	**202282**	**100.00**	**524332415**	**100.00**	**210818**	**100.00**	**550549035**	**100.00**

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य रू.10/- है. बैंक ने भारत सरकार को ₹ 111 करोड़ के सर्वकालिक गैर संचयी वरीयता शेयर जारी किये हैं.

8.10 शेयरधारिता का पैटर्न

दिनांक 31.3.2011 तथा 31.03.2012 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :-

	यथा 31/3/2011		यथा 31/3/2012	
शेयरधारक की श्रेणी	**धारित शेयरों की संख्या**	**कुल का %**	**धारित शेयरों की संख्या**	**कुल का %**
भारत सरकार	29,92,14,515	57.07	29,92,14,515	54.35
अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/ एनआरआई)	7,90,67,763	15.08	5,30,01,494	9.63
बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कं.	1,83,13,578	3.49	7,27,85,880	13.22
म्युच्युअल फंड / यूटीआई	4,62,26,261	8.82	3,12,75,764	5.68
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	3,45,16,325	6.58	4,66,99,050	8.48
निवासी भारतीय	4,69,93,973	8.96	4,75,72,332	8.64
कुल	**52,43,32,415**	**100.00**	**55,05,49,035**	**100.00**

बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची

31.03.2012 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इसप्रकार हैं :

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	29,92,14,515	54.35
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,77,44,300	8.67
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1,46,97,908	2.67
4	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि	82,78,585	1.50
5.	बिरला सनलाइफ इनश्योरेंस कंपनी लि.	69,37,102	1.26
6.	एलआईसी ऑफ इंडिया मनी प्लस ग्रोथ फंड	69,15,316	1.26
7.	कॉप्थाल मारीशस इनवेस्टमेंट लि.	63,07,816	1.15
8.	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस -1.	46,50,577	0.84
9.	बजाज एलायंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि	44,98,384	0.82
10.	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि-एचडीएफसी टॉप-200 फंड	38,55,000	0.70
	कुल	40,30,99,503	73.22

8.11 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से 7 वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का प्रतिशत	दावा करने की अंतिम तिथि
लाभांश - 2002-03 के लिए	21%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2003-04	20%	15.10.2013
अंतिम लाभांश - 2003-04	15%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2004-05	20%	15.10.2013
अंतिम लाभांश - 2004-05	15%	15.10.2013
लाभांश - 2005-06 के लिए	35%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2006-07	15%	01.02.2014
अंतिम लाभांश - 2006-07	20%	27.07.2014
लाभांश 2007-08 के लिए	40%	08.08.2015
लाभांश 2008-09 के लिए	50%	02.08.2016
लाभांश 2009-10 के लिए	55%	09.08.2017
लाभांश 2010-11 के लिए	80%	08.08.2018

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

8.12 अदावाकृत शेयर

ए. डीमेट रूप में

सूचीकरण करार में हाल ही में हुए संशोधनों अर्थात् खंड 5 ए जुड़ने अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आबंटित शेयर, जो किन्हीं तकनीकी कारणों से उनके संबंधित डीमैट खातों में जमा न किए गए हों, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमेट उचंत खाते में 01.04.2011 को शेष	246	31,137
वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	6	1,345
वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	6	1,345
31.03.2012 को डीमैट सस्पेंस खाते में शेष	240	29,792

ऊपर बताए गए 29,792 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

बी) भौतिक रूप में

सूचीकरण करार में हाल ही में हुए संशोधनों अर्थात् खंड 5 ए जुड़ने अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय जारी शेयर, जिन की बारे में अभी तक दावा नहीं किया गया है, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमेट उचंत खाते में 01.04.2011 को शेष	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	लागू नहीं	लागू नहीं
31.03.2012 को डीमैट सस्पेंस खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

9. सूचीबद्ध करार की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति:

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1[ए]	**निदेशक मंडल** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी.	निदेशक मंडल के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अत: यह खंड **लागू नहीं होता** है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
1[बी]	कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 9 के अंतर्गत चुने गये निदेशकों का कार्यकाल 3 वर्ष है और उनको 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है. किंतु ऐसा कोई निदेशक 6 वर्ष से अधिक अवधि तक निदेशक नहीं रहेगा जबकि इस खंड में अनुमत अवधि 9 वर्ष है. अत: इसका अनुपालन हुआ है.
2	**पारिश्रमिक समिति**	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के पत्र क्र. एफ सं.20/1/2005-बीओ.1 दिनांक 09 मार्च, 2007 के अनुसार बैंक द्वारा एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है; जो बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करती है. इस समिति में सभी चारों गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. अत: इसका अनुपालन हुआ है.
3	**शेयरधारकों के अधिकार** विगत छ: माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अनुपालन किया गया है.
4	**लेखापरीक्षा में कमियां** कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अत: इसका अनुपालन हुआ है.
5	**बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण**	बैंक बोर्ड के सदस्यों को नवीनतम प्रगति से अवगत कराने हेतु विभिन्न आंतरिक प्रस्तुतियों के जरिये नवीनतम जानकारी दे रहा है. 2011-12 के दौरानबैंक ने अपने निदेशकों को इनस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित "बैंकों में प्रभावी सुशासन-स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका" पर बैठक में, आई टी सुशासन पर आईडीबीआरटी द्वारा आयोजित सेमिनार तथा सेंटर फार एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, भारिबैंद्वारा गैर सरकारी निदेशकों के लिये आयोजित कांफ्रेंस में नामित किया . अत: इस अपेक्षा को **पूरा किया गया है**.

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
6	**बोर्ड के गैर-कार्यपालक सदस्यों के मूल्यांकन की पद्धति**	निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. अत: यह खंड लागू नही होता है.
7	**गुप्त सूचना नीति**	बैंक में जानकारी गुप्त रूप से दिये जाने की नीति लागू है तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक आधार पर इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है. अत: इसका अनुपालन हुआ है.

10. आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

[डी सरकार]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 23 मई, 2012

प्रति

निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई.

संदर्भ :- लिस्टिंग- करार के खण्ड 49 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

[ए] हमने वर्ष (2011-12) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नही है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो.

(ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया हैं.

[बी] हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हों या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

[सी] हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों, और उन कमियों को सुधारने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

[डी] हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है:

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन.

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है, और

(iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनमें यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

[एन.एस. मेहता]
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

[डी सरकार]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 9 मई 2012

यूनियन बैक ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के सूचीकरण करार के वाक्यखंड 49 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है..

कॉर्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तो का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैक द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गये रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लम्बित नहीं है.

हमारा यह भी कथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता या प्रभावशीलता के विषय में कोई आश्वासन है.

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 18073)
फर्म पंजीयन क्र. 307092ई

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 86657)
फर्म पंजीयन क्र. 003917एन

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्यता क्र. 403633)
फर्म पंजीयन क्र. 000127सी

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 091007)
फर्म पंजीयन क्र. 008744एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. नागनाथन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 7547)
फर्म पंजीयन क्र. 0027835

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)
भागीदार (सदस्यता क्र. 015747)
फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.05.2012

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2012 के तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त अवधि के संलग्न लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा परीक्षण किया है, इन वित्तीय विवरणों में (i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 19 शाखाओं, 1 ट्रेजरी शाखा और 18 क्षेत्रीय कार्यालय तथा (ii) शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2169 शाखाओं (एक विदेशी शाखा सहित) 44 सेवा शाखाओं तथा (iii) 1014 अलेखापरीक्षित शाखाओं और 67 कार्यालयों/केंद्रों के विवरण सम्मिलित हैं. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. अलेखापरीक्षित शाखाओं के अग्रिम बैंक के अग्रिमों के 1.95%, जमाराशि के 8.99%, ब्याज आय के 1.23% और ब्याज व्यय के 7.49% हैं.

2. इन विवरणों को तैयार करवाना प्रबंधन का दायित्व है. हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है.

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है. लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनो के समर्थक साक्ष्य का परीक्षण करना शामिल है. लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों और लगाये गये महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है. हमें विश्वास है कि हमारी सम्मति, हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है.

4. विशेष मुद्दा

   अपने मत को किसी प्रकार हलका किये बिना हम अनुसूची 18 के नोट क्रमांक 5.13.1 पर ध्यान आकृष्ट करते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिये पेंशन का विकल्प पुन: खोलने पर, लेखा मानक 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधान के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी परिपत्र (परिपत्र क्र डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011) के अनुसरण में ₹ 1014.13 करोड़ की बैंक की पेंशन देयता आस्थगित करने का वर्णन है.

5. ऊपर पैराग्राफ 1में बतायी गयी लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार और उनमें अपेक्षित प्रकटनों की सीमाओं के अधीन;

   हम रिपोर्ट करते हैं कि

   क) तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के "ए" और "बी" फार्मों में तैयार किए गए हैं.

   ख) हमारे मत में और भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार रखी गयी बैंक की बहियों में दर्शित सूचनाओं और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार

      (i) तुलन पत्र और उसके नोट तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां मिलकर सभी आवश्यक विवरण वाला एक संपूर्ण और सही तुलनपत्र है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतो का पालन करते हुए बैंक के यथा 31 मार्च 2012 कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने लाने के लिये उचित प्रकार से बनाया गया है.

      (ii) लाभ हानि खाता और उसके नोट तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियां मिलकर, 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का सही लाभ दर्शाते हैं.

      (iii) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की सही स्थिति दर्शाता है.

   सी) तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

   डी) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

ई) जो हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं.

एफ) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त प्रविवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 18073)
फर्म पंजीयन क्र. 307092ई

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 091007)
फर्म पंजीयन क्र. 008744एन

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 86657)
फर्म पंजीयन क्र. 003917एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. नागनाथन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 7547)
फर्म पंजीयन क्र. 0027835

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्यता क्र. 403633)
फर्म पंजीयन क्र. 000127सी

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)
भागीदार (सदस्यता क्र. 015747)
फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.05.2012

31 मार्च 2012 का तुलन पत्र

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	यथा 31.03.2012	यथा 31.03.2011
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	01	**6,1,54,90**	6,35,33,24
आरक्षित और आधिक्य	02	**1,39,71,50,868**	1,21,29,19,02
जमाराशियां	03	**22,28,68,94,57**	20,24,61,28,53
उधार	04	**1,79,09,48,77**	1,33,15,96,97
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	05	**67,99,94,63**	74,42,66,94
जोड़		**26,22,11,43,75**	**23,59,84,44,70**
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष	06	**1,16,33,56,07**	1,76,10,45,32
बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	07	**40,41,58,00**	24,87,99,06
निवेश	08	**6,23,63,55,81**	5,83,99,13,72
अग्रिम	09	**17,78,82,08,13**	15,09,86,08,32
अचल आस्तियां	10	**23,35,79,79**	22,92,78,42
अन्य आस्तियां	11	**39,54,85,95**	42,07,99,86
जोड़		**26,22,11,43,75**	**23,59,84,44,70**
अनुषंगी दायित्व	12	**23,66,21,78,00**	15,94,27,81,97
संग्रहण के लिए बिल		**22,17,00,68**	52,58,37,22
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं.

वी.एच. कामत सहायक महा प्रबंधक	**एन. एस. महेता** महा प्रबंधक	**एस. के. जैन** कार्यपालक निदेशक	**एस. एस. मूंदड़ा** कार्यपालक निदेशक	**डी. सरकार** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
राजेश खुल्लर निदेशक	**चंदन सिन्हा** निदेशक	**बी. एम. शर्मा** निदेशक	**बी. एन. भट्टाचार्जी** निदेशक	**एन. शंकर** निदेशक
डा. अतुल अग्रवाल निदेशक	**एम. एस. श्रीराम** निदेशक	**एस. रवि** निदेशक		

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 18073)
फर्म पंजीयन क्र. 307092ई

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 86657)
फर्म पंजीयन क्र. 003917एन

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्यता क्र. 403633)
फर्म पंजीयन क्र. 000127सी

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 091007)
फर्म पंजीयन क्र. 008744एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. नागनाथन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 7547)
फर्म पंजीयन क्र. 0027835

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)
भागीदार (सदस्यता क्र. 015747)
फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.05.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	**2,11,44,27,82**	1,64,52,61,50
अन्य आय	14	**23,32,37,76**	20,38,78,37
जोड़		**2,34,76,65,58**	**1,84,91,39,87**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	**1,42,35,38,56**	1,02,36,41,71
परिचालन व्यय	16	**39,87,51,73**	39,49,99,71
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		**34,66,61,68**	22,23,03,73
जोड़		**2,16,89,51,97**	**1,64,09,45,15**
III. वर्ष का शुद्ध लाभ		**17,87,13,61**	20,81,94,72
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		**15,91**	1,63,27
जोड़		**17,87,29,52**	**20,83,57,99**
IV. विनियोजन			
कानूनी आरक्षित को अंतरण		**5,37,00,00**	6,25,00,00
पूंजी आरक्षित को अंतरण		**39,32,05**	61,20,07
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		**5,03,00,00**	6,22,00,00
प्रस्तावित लाभांश		**4,40,43,92**	4,19,46,59
पीएनसीपीएस पर प्रस्तारित लाभांश		**10,54,50**	5,12,92
लाभांश कर		**73,16,09**	68,59,50
पिछले वर्ष का पुनर्लिखित लाभांश कर		**-78,32**	0
विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा36(i)(viii)]		**1,84,00,00**	2,82,00,00
लाभ व हानि लेखे में शेष		**61,28**	15,91
जोड़		**17,87,29,52**	**20,83,57,99**
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक एवं डायल्यूटेड) ₹		**34.07**	39.71

उक्त अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं.

वी.एच. कामत सहायक महा प्रबंधक	**एन. एस. महेता** महा प्रबंधक	**एस. के. जैन** कार्यपालक निदेशक	**एस. एस. मूंदड़ा** कार्यपालक निदेशक	**डी. सरकार** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
राजेश खुल्लर निदेशक	**चंदन सिन्हा** निदेशक	**बी. एम. शर्मा** निदेशक	**बी. एन. भट्टाचार्जी** निदेशक	**एन. शंकर** निदेशक
डा. अतुल अग्रवाल निदेशक	**एम. एस. श्रीराम** निदेशक	**एस. रवि** निदेशक		

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं. सनदी लेखाकार	**कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.** सनदी लेखाकार
(एस. आर. अनंतकृष्णन) भागीदार (सदस्यता क्र. 18073) फर्म पंजीयन क्र. 307092ई	**(विमल कुमार जैन)** भागीदार (सदस्यता क्र. 86657) फर्म पंजीयन क्र. 003917एन	**(महावीर चपलोत)** भागीदार (सदस्यता क्र. 403633) फर्म पंजीयन क्र. 000127सी
कृते जी. एस. माथुर एंड कं. सनदी लेखाकार	**कृते प्राइस पैट एंड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.** सनदी लेखाकार
(राजीव कुमार वधावन) भागीदार (सदस्यता क्र. 091007) फर्म पंजीयन क्र. 008744एन	**(एम. नागनाथन)** भागीदार (सदस्यता क्र. 7547) फर्म पंजीयन क्र. 0027835	**(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)** भागीदार (सदस्यता क्र. 015747) फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09.05.2012

31 मार्च 2012, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

			यथा 31.03.2012		यथा 31.03.2011
अनुसूची 1 - पूंजी:					
I.	**प्रधिकृत :**				
	₹ 10/- प्रति के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर		**30,00,00,00**		30,00,00,00
II.	**निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :**				
	i. 29,92,14,515 इक्विटी शेयर प्रति ₹10/-, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित		**2,99,21,45**		2,99,21,45
	ii. 25,13,34,520 इक्विटी शेयर प्रति ₹10/-, जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 22,51,17,900 इक्विटी शेयर)		**2,51,33,45**		2,25,11,79
III.	**शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी अंश**		**1,11,00,00**		1,11,00,00
	जोड़		**6,61,54,90**		**6,35,33,24**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष					
I.	**कानूनी आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**38,98,00,00**		32,73,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**5,37,00,00**	**44,35,00,00**	6,25,00,00	38,98,00,00
II.	**पूंजी आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**6,65,52,05**		6,04,31,98	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**39,32,05**	**7,04,84,10**	61,20,07	6,65,52,05
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**11,95,14,12**		5,32,35,57	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**6,24,08,67**	**18,19,22,79**	6,62,78,55	11,95,14,12
IV.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**15,73,84,07**		16,15,96,87	
	वर्ष के दौरान घटाया	**40,01,36**	**15,33,82,71**	42,12,80	15,73,84,07
V.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां**				
	i) राजस्व और अन्य आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**30,37,00,00**		24,15,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**5,03,00,00**	**35,40,00,00**	6,22,00,00	30,37,00,00
	जोड़				
	ii) विशेष आरक्षित [धारा 36(1)(viii)]				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**17,54,00,00**		14,72,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,84,00,00**	**19,38,00,00**	2,82,00,00	17,54,00,00
	जोड़				
	iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**5,52,87**		4,38,59	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**0**		1,14,28	
	वर्ष के दौरान कमी	**5,52,87**		0	
	जोड़	**0**	**54,78,00,00**	5,52,87	47,96,52,87
VI.	**लाभ व हानि लेखा में शेष**				
	लाभ व हानि लेखा में शेष		**61,28**		15,91
	जोड़		**1,39,71,50,88**		**1,21,29,19,02**

31 मार्च 2012, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

			यथा 31.03.2012		यथा 31.03.2011
अनुसूची 3 - जमाराशियां					
I.	**मांग जमा**				
	i) बैंकों से	**9,81,68,23**		9,14,81,37	
	ii) अन्य से	**1,82,94,53,64**	**1,92,76,21,87**	1,87,03,18,45	1,96,17,99,82
II.	**बचत बैंक जमाराशियां**		**5,04,28,85,88**		4,46,89,17,47
III.	**मियादी जमाराशियां**				
	i) बैंकों से	**87,69,80,78**		56,36,30,09	
	ii) अन्य से	**14,43,94,06,04**	**15,31,63,86,82**	13,25,17,81,15	3,81,54,11,24
	जोड़		**22,28,68,94,57**		20,24,61,28,53
	भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां		**22,16,61,96,16**		20,18,70,35,62
	भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां		**12,06,98,41**		5,90,92,91
	जोड़		**22,28,68,94,57**		20,24,61,28,53
अनुसूची 4 - उधार					
ए)	**उधार : पूंजी लिखत**				
	I. शाश्वत बांड		**10,40,00,00**		10,40,00,00
	II. अपर टियर II बांड		**22,50,00,00**		22,50,00,00
	III. लोअर टियर II बांड		**29,00,00,00**		29,00,00,00
बी)	**भारत में उधार**				
	I. भारतीय रिज़र्व बैंक		**2,35,00,00**		2,30,00,00
	II. अन्य बैंक		**7,00,00,00**		0
	III. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		**1,55,37,35**		1,95,72,24
	II. भारत से बाहर उधार		**1,06,29,11,42**		67,00,24,73
	जोड़		**1,79,09,48,77**		1,33,15,96,97
	उक्त I एवं II में शामिल प्रतिभूत उधार		**1,34,37,13**		1,35,01,05
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान					
I.	देय बिल		**12,94,10,23**		16,46,65,46
II.	उपचित ब्याज		**7,10,54,34**		6,15,78,06
III.	आस्थगित कर देयताएं		**21,68,52**		34,06,51
IV.	अन्य (प्रावधानों सहित)		**47,73,61,55**		51,46,16,91
	जोड़		**67,99,94,63**		74,42,66,94
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष					
I.	**धारित नकदी** (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)		**6,27,32,60**		4,01,95,79
II.	**भारतीय रिज़र्व बैंक** के पास जमाशेष चालू खाते में		**1,10,06,23,47**		1,72,08,49,53
	जोड़		**1,16,33,56,07**		1,76,10,45,32

31 मार्च 2012, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

		यथा 31.03.2012		यथा 31.03.2011	
अनुसूची 7 - बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन					
I.	**भारत में बैंकों के पास जमाशेष**				
i)	ए) चालू खातों में	**1,73,53,87**		2,18,38,38	
	बी) अन्य जमा खातों में	**15,33,09,75**		4,35,00,00	
ii)	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	- बैंकों के साथ	**64,36,84**	**17,71,00,46**	0	6,53,38,38
II.	**भारत के बाहर**				
i)	चालू खातों में	**1,96,65,10**		1,12,47,67	
ii)	अन्य जमा खातों में	**20,73,92,44**	**22,70,57,54**	17,22,13,01	18,34,60,68
	जोड़		**40,41,58,00**		24,87,99,06
अनुसूची 8 - निवेश					
I.	**भारत में निवेश**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियों में		**5,04,81,83,97**		4,64,06,05,74
ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		**40,00**		94,42,61
iii)	शेयर		**7,68,24,21**		7,43,69,91
iv)	डिबेंचर एवं बांड		**43,88,64,69**		32,08,59,69
v)	सहायक एवं संयुक्त उद्यम		**1,32,63,19**		1,32,63,19
vi)	अन्य				
	- वाणिज्यिक पत्र	**4,41,36,89**		5,84,79,03	
	- जमाराशि प्रमाणपत्र	**18,15,28,72**		42,56,50,84	
	- पारस्परिक निधि	**9,55,51,34**		3,69,73,74	
	- आर आई डी एफ	**32,70,41,69**		24,97,68,66	
	- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	**37,39,06**	**65,19,97,70**	40,97,19	77,49,69,46
	जोड़		**6,22,91,73,76**		5,83,35,10,60
II.	**भारत के बाहर निवेश**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सहित)		**61,44,70**		63,83,23
ii)	शेयर		**19,89**		19,89
iii)	अन्य		**10,17,46**		
	जोड़		**71,82,05**		64,03,12
	जोड़		**6,23,63,55,81**		5,83,99,13,72
III.	**i) भारत में निवेश**				
	सकल मूल्य		**6,24,52,41,12**		5,84,40,74,51
	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		1,60,67,36		1,05,63,90
	शुद्ध मूल्य		**6,22,91,73,76**		5,83,35,10,61
ii)	भारत के बाहर निवेश				
	सकल मूल्य / शुद्ध मूल्य		**71,82,05**		64,03,11
	जोड़		**6,23,63,55,81**		5,83,99,13,72

31 मार्च 2012, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

		यथा 31.03.2012	यथा 31.03.2011
अनुसूची 9 - अग्रिम			
I.	i) खरीदे और भुनाए गए बिल	**81,41,63,43**	64,51,53,60
	ii) नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	**9,19,88,70,75**	7,96,27,50,98
	iii) मीयादी ऋण	**7,77,51,73,95**	6,49,07,03,74
	जोड़	**17,78,82,08,13**	15,09,86,08,32
II.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	**13,21,10,04,63**	11,30,92,24,73
	ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	**76,57,68,62**	58,70,06,90
	iii) अप्रतिभूत	**3,81,14,34,88**	3,20,23,76,69
	जोड़	**17,78,82,08,13**	15,09,86,08,32
ए.	**भारत में अग्रिम**		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**4,24,53,48,43**	4,83,78,76,27
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	**1,47,89,19,82**	1,37,24,52,67
	iii) बैंक	**82,55,90,56**	87,53,49,96
	iv) अन्य	**10,32,28,13,53**	7,41,87,78,77
	जोड़ - ए	**16,87,26,72,34**	14,50,44,57,67
बी.	**भारत से बाहर अग्रिम**		
	i) अन्यों से देय	**39,26,05,24**	31,26,10,98
	ii) अन्य		
	a) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**1,02,40,55**	1,60,88,74
	b) सिंडिकेट ऋण	**34,59,65,26**	57,68,32,67
	c) अन्य	**16,67,24,74**	12,29,24
	जोड़ - बी	**91,55,35,79**	59,41,50,65
	जोड़ - (ए + बी)	**17,78,82,08,13**	15,09,86,08,32

अनुसूची10 - अचल आस्तियां					
ए.	**मूर्त आस्तियां**				
I.	**परिसर**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	**21,29,00,03**		21,14,90,84	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**71,67,19**		14,09,19	
		22,00,67,22		21,29,00,03	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**4,38,04,57**	**17,62,62,65**	3,86,17,94	17,42,82,09
II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**13,58,15**		9,96,23	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**12,63,93**		4,82,79	
	वर्ष के दौरान कमी	**22,61,10**	**3,60,98**	1,20,87	13,58,15
III.	**भूमि**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**13,52,04**		13,52,04	
	वर्ष के दौरान कमी	**10,42,32**		0	
		3,09,72		13,52,04	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**2,22,60**	**87,12**	2,22,60	11,29,44

31 मार्च 2012, के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

			31.03.2012		31.03.2011
IV.	**अन्य अचल आस्तियां**				
	(फर्नीचर एवं फिक्सचर्स सहित)				
	ए) पट्टे पर दी गई आस्तियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**31,04,77**		31,04,77	
	वर्ष के दौरान कमी	**4,51,25**		0	
		26,53,52		31,04,77	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**26,53,52**		31,04,77	
		0		0	
	बी) अन्य				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	**13,38,36,19**		12,20,00,15	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,60,07,66**		1,62,83,13	
		14,98,43,85		13,82,83,28	
	वर्ष के दौरान कमी	**32,89,23**		44,47,09	
		14,65,54,62		13,38,36,19	
	घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	**9,21,39,71**		8,26,91,49	
		5,44,14,91	**5,44,14,91**	5,11,44,70	5,11,44,70
बी.	**अमूर्त आस्तियां**				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**86,48,24**		76,45,64	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**24,51,05**		10,02,60	
		1,10,99,29		86,48,24	
	आज की तारीख तक परिशोधन	**86,45,16**	**24,54,13**	72,84,20	13,64,04
	जोड़		**23,35,79,79**		22,92,78,42

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :

I.	अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)	**4,36,12,62**	6,36,68,34
II.	उपचित ब्याज	**16,88,21,76**	12,43,35,93
III.	संदत्त/स्रोत पर काटा गया ब्याज (प्रावधानों के समायोजन के बाद)	**-4,82,21,86**	-4,19,55,47
IV.	लेखन सामग्री और स्टैंप	**5,19,60**	8,54,91
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर बैंककारी आस्तियां	**3,90**	3,90
VI.	अन्य	**23,07,49,93**	27,38,92,25
	जोड़	**39,54,85,95**	42,07,99,86

अनुसूची12 - अनुषंगी दायित्व

I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है		**33,85,54,75**		12,47,99,00
II.	अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयताएं		**59,20**		59,20
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		**20,37,78,31,56**		13,32,27,01,83
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां				
	i) भारत में	**1,45,39,81,27**		1,31,39,09,08	
	ii) भारत के बाहर	**2,08,76,37**	**1,47,48,57,64**	92,98,73	1,32,32,07,81
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		**1,42,91,14,54**		1,13,93,82,57
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है				
	i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	**4,10,05,93**		3,16,94,00	
	ii) अन्य	**7,54,38**	**4,17,60,31**	9,37,56	3,26,31,56
	जोड़		**23,66,21,78,00**		15,94,27,81,97

31 मार्च 2012 के लाभ एवं हानि लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

(000' को छोड़कर)

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	**1,60,26,62,56**	1,20,31,24,06
II. निवेशों पर आय	**45,70,07,71**	40,02,67,64
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	**3,30,91,49**	1,61,09,62
IV. अन्य	**2,16,66,06**	2,57,60,18
जोड़	**2,11,44,27,82**	1,64,52,61,50
अनुसूची14 - अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	**3,65,12,64**	3,64,93,97
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	**4,40,76,60**	4,64,38,49
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ - निवल	**-65,91**	-35,91
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	**4,88,75,04**	4,29,01,34
V. विविध आय	**10,38,39,39**	7,80,80,48
जोड़	**23,32,37,76**	20,38,78,37
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	**1,34,05,77,82**	95,37,94,00
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	**1,40,85,83**	1,13,44,43
III. अन्य	**6,88,74,91**	5,85,03,28
जोड़	**1,42,35,38,56**	1,02,36,41,71
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	**24,79,25,93**	25,99,68,95
II. किराया, कर और प्रकाश	**2,64,12,05**	2,35,21,09
III. मुद्रण और लेखनसामग्री	**37,41,32**	33,62,90
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	**67,39,61**	94,07,76
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	**1,46,45,26**	1,55,65,93
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	**1,37,10**	1,03,12
VII. प्रबंध / कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	**56,87**	56,33
VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**23,13,60**	21,39,00
IX. विधि प्रभार	**14,57,71**	10,29,57
X. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	**49,71,04**	43,29,75
XI. मरम्मत एवं अनुरक्षण	**70,12,13**	56,03,27
XII. बीमा	**1,94,29,54**	1,75,86,10
XIII. अन्य व्यय	**6,39,09,57**	5,23,25,94
जोड़	**39,87,51,73**	39,49,99,71

वर्ष 2011-2012 के लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 17-प्रमुख लेखा नीतियां:

1. लेखा पद्धति

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कुछ अन्यथा न कहा गया हो, निरंतर कारोबार सिद्धांत और परंपरागत लागत के आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों तथा भारत में प्रचलित सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुरुप तैयार किए गए हैं.

2. अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को, वित्तीय विवरण की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित रिपोर्ट की गयी आस्तियों व देयताओं और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान और अंदाज लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात हैं.

3. राजस्व की पहचान:

i) अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित अग्रिमों(एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है.वर्ष के दौरान एनपीए के रुप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन प्राप्ति के बाद ही लेखांकित किए गए हैं.

4. निवेश :

i) बैंकिंग विनिमयन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बांड

ई) अनुषंगी इकाइयां एवं संयुक्त उपक्रम एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित 3 संवर्गों अर्थात्

ए) परिपक्वता तक धारित(एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) में वर्गीकृत किया गया है.

ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :

ए) i) "परिपक्वता तक धारित" में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर.

अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

बी) i) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

i.	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण, केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड.	समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (यदि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है) . दोनों नहीं होने पर रू.1/- प्रति कंपनी के अनुसार
iv.	वरीयता शेयर	यदि उल्लेखित हो तो, बाज़ार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
v.	डिबेंचर	बाजार मूल्य पर, यदि उल्लेखित हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
vi.	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताई गई दरों के अनुसार, यदि बताई गई हों. यदि दरें बताई न गई हों तो म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न किया गया हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल/ वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र	संवहन लागत पर
viii.	जोखिम पूंजी निधियां	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो रू.1/-प्रति वीसीएफ पऱ
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पऱ

iii) अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार की गई है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की जाती है :

- विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित में शिफ्टिंग की तारीख के बाजार मूल्य या बही मूल्य, दोनों में जो भी कम हो पर. यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसका पूरा प्रावधान किया जाता है.
- परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में

❍ यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर

❍ यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरत पुनर्मूल्यांकन किया जाय और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया जाय.

- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की जाती है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया जाता है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाली लाभ/हानि, लाभ और हानि खाते में लिखी जाती है.लेकिन "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाले लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधक आरक्षित को अंतरित राशि घटाकर) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोग की जाती है.

viii) कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि की ब्याज आदि लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की जाती है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक निवेश संव्यवहारों के लेखांकन निपटान तारीख के हिसाब से करता है.

डेरिवेटिव संविदा

i) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करन वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाया गया है.सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है.स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

ii) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये जाते हैं.

iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

5. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणयों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है.

ii) मानक अग्रिमों के कुछ संवर्ग यथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शैक्षिक ऋण, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए की सांविधिक अपेक्षा से 2% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है.

iii) अग्रिम की राशि, गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित प्रावधान तथा विविध खातों में रखे गए अप्राप्त ब्याज / सीजीटीएफ/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि कम करके बताई गई है. मानक अग्रिमों पर प्रावधान "अन्य देयताएं एवं प्रावधान" में किया गया है.

6. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

i) अचल आस्तियां परंपरागत लागत पर उल्लिखित की गई हैं, जब कि भूमि और भवन पुनर्मूल्यांकित रकम पर उल्लिखित है.

ii) सॉफ्टवेयर सिस्टम को अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया

	आस्तियों का प्रकार	मूल्य ह्रास की दर
i)	परिसर	5%
ii)	अन्य अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- यू.पी.एस.	33.33%
iii)	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर

iv) कम्प्यूटरों एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया गया है.

v) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधे दर से लगाया गया है.

vi) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vii) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

viii) पट्टे पर ली गयी भूमि का पट्टे की अवधि पर परिशोधन किया गया है.

7. आस्तियों में क्षति

आस्तियों में हुई किसी प्रकार की क्षति की पहचान, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसके संबंध में जारी किये गये लेखा मानक 28 के अनुसार की गयी है.

8. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

भारतीय रिजर्व बैंक के दिसानिर्देशौं के अनुसार, प्रति चक्रीय फरावधान बफर के लिये बैंक के पास अनुमोदित नीति है.

9. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है.फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन माना गया है.

10. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखा का वर्गीकरण गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है.

ए) अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू)एवं विदेशी शाखा

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर -- मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित बंद दरों पर दर्शाया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते " विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित " में संचित रखा गया है.

बी) विदेशी शाखा

i) आय पहचान :

आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं.

ii) आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान :

आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, जिनमें भी दर अधिक हो, के अनुसार किए गए हैं.

iii) **अचल आस्तियां और मूल्यह्रास**

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत पर किया गया है.

बी) विदेशी शाखा की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

11 कर्मचारी लाभ :

ग्रेच्युटी निधि एवं पेंशन निधि को वार्षिक अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भविष्य निधि में अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभों एवं हानियों की पहचान की गयी है.

12. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार बैंक कारोबार को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक (गौड़) कारोबार खंड के रूप में मान्यता देता है.

कारोबार संव्यवहार को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कारपोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है.

13. लीज संव्यवहार

बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों की लीज की समाप्ति /नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज किराये संबंधी विवादों के संबंध में बैंक के देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता प्रदान की जाती है.

14. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है.

प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूट किये गये अर्जन की गणना के लिये इक्विटी शेयरों की भारित संख्या और वर्ष के अंत में बढ़ने संभावित शेयरों की संख्या का प्रयोग किया जाता है.

15. कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयीं कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह "समुचित निश्चितता" न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में "वास्तविक निश्चितता" उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के लिए मापन के लिये ठोस स्तर के प्राक्कलन के आधार पर प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें उद्घाटित किया गया है. आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें उद्घाटित किया गया है.

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

1. बहियों का मिलान, अंतर शाखा/बैंक लेनदेनों का समाधान :

i) कुछ मामलों को छोड़कर विदेशी और अन्य बैंकों के साथ शेष की पुष्टि / समाधान सामान्यतया प्राप्त किया गया है / जाता है.

ii) उचंत खाता, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा /कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का काम जारी है. शाखाओं द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय कार्यालय लेखा का समाधान 31 मार्च 2012 तक पूरा कर लिया गया है.

iii) उपर्युक्त i और ii में यदि कोई अंतिम समाधान लंबित है तो प्रबंधन के विचार से उसका लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

2. निवेश :

I. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, "परिपक्वता के लिए धारित" संवर्ग की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के बराबर राशि ₹ 83.15 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष के लिए ₹ 61.20 करोड़) को "पूंजी आरक्षित निधि खाता" में अंतरित की गई है.

II. "परिपक्वता के लिए धारित" संवर्ग के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति क्र. 3(ii) (ए), में उल्लेख के अनुसार वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अर्जन लागत राशि से अधिक ₹ 76.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 79.06 करोड़) का परिशोधन किया गया है.

III. शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर्स तथा इक्विटी संबद्ध म्युचुअल फंड / वेंचर्स कैपिटल फंड की यूनिटों में किया गया निवेश और शेयर के पेटे अग्रिम कुल ₹ 1379.55 करोड़ रहा (पिछले वर्ष ₹ 1362.33 करोड़ था).

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है :

1.1 पूंजी

(₹ करोड़ में)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	सीआरएआर (%)	11.85	12.95
ii)	सीआरएआर - टियर I कैपिटल (%)	8.37	8.69
iii)	सीआरएआर - टियर I I कैपिटल (%)	3.48	4.26
iv)	भारत सरकार के शेयर होल्ड़िग का प्रतिशत	54.35	57.06
v)	टियर II पूंजी के रुप अर्जित अधीनस्थ ऋण की राशि	शून्य	शून्य
vi)	आईपीडीआई निर्गम द्वारा अर्जित राशि	शून्य	शून्य
vii)	अपर टियर II लिखतों के निर्गम द्वारा अर्जित राशि	शून्य	500.00

1.2 निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
1	निवेश का मूल्य		
i)	निवेश का सकल मूल्य	**62524.23**	**58440.94**
	(क) भारत में	62452.41	58440.74
	(ख) भारत के बाहर	71.82	64.03
ii)	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	**160.67**	**105.64**
	(क) भारत में	160.67	105.64
	(ख) भारत के बाहर	-	-
iii)	निवेश का निवल मूल्य	**62363.56**	**58399.14**
	(क) भारत में	62291.74	58335.10
	(ख) भारत के बाहर	71.82	64.03
2	निवेश पर मूल्य ह्रास के पेटे किए गए प्रावधान का संचरण		
i)	आरंभिक शेष	105.64	79.49
ii)	जोड़ा : वर्ष के दौरान प्रावधान	162.89	60.28
iii)	घटाया : वर्ष के दौरान राइट-ऑफ / राइट बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	107.86	34.13
iv)	अंतिम शेष	**160.67**	**105.64**

3.2.1 रेपो संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	यथा 31.03.2012
क	रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	5.00	110.00	2.84	-
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
B	रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	10.00	1515.44	277.48	60.00
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

3.2.2 गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	बिना रेटिंग की प्रतिभूतियां	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	629.35	187.93	-	0.58	7.58
ii)	वित्तीय संस्थाएं	4774.34	3713.92	-	-	-
iii)	बैंक	2705.94	663.76	-	-	2.00
iv)	निजी कार्पोरेट	2732.03	1106.08	-	1.13	28.37
v)	सहायक कंपनियां / संयुक्त उपक्रम	113.48	113.48	-	-	-
vi)	अन्य	970.15	279.64	-	0.20	0.20
vii)	मूल्यह्रास के पेटे धारित प्रावधान	(134.75)		-	-	-
	योग	**11790.54**	**6064.81**	-	**1.91**	**38.15**

	31.03.2012
अंश	768.24
ऋण पत्र एवं बांड	4388.65
सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उपक्रम	113.48
अन्य	6520.17
योग	**11790.54**

* तुलन पत्र की अनुसूची 8 में सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में ₹ 19.16 करोड़ के निवेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शेयरों में बैंक द्वारा किया गया निवेश शामिल है, जो एसएलआर निवेश है.

** घोषित की गई बिना रेटिंग की प्रतिभूतियां एवं गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों को शामिल किया गया है, जिनकी रेटिंग व सूचीयन भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 01.07.2011 अनुसार वांछित है.

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012
आरंभिक शेष	54.52
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से परिवर्धन	19.23
वर्ष के दौरान उपर्युक्त अवधि में कमी	13.96
अंतिम शेष	59.79
धारित कुल प्रावधान	59.79

3.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) से/को अंतरण व बिक्री

बैंक ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान , वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय या उसमें अंतरण नहीं किया है. वर्ष 2011-12 में बैंक ने निदेशक मंडल की अनुमति से एक बार एचटीएम श्रेणी से /को कुल मिलाकर ₹ 3190.32 करोड़ अंकित मूल्य और ₹ 3114.36 करोड़ बही मूल्य की प्रतिभूतियों का अंतरण किया है. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व घोषित ओएमओ नीलामी में ₹ 1339.47 करोड़ की प्रतिभूतियां बेची हैं. इस एक बारगी अंतरण और ओएमओ के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री के अलावा बैंक ने एचटीएम श्रेणी से किसी अन्य प्रतिभूति की बिक्री नहीं की है.

3.3 डेरीवेटिव्स

3.3.1 वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	स्वैप लेनदेन की कल्पित मूल राशि	1708.75	1895.95
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा समझौते के अनुसार अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि	9.03	13.21
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	(-)4.75	(-)2.53

नोट:

I) टियर II बांड्स, मियादी ऋणों एवं मियादी जमाराशियों की हेजिंग के लिए भारतीय रुपयों में ब्याज दर स्वैप किया गया है.

II) बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से नियत या नियत से फ्लोटिंग ब्याज दर स्वैप लेनदेन किए.

III) स्वैप हेज लेनदेन के लिए सभी अंडरलाइंग्स उपचय के आधार पर हैं.

3.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
i)	वर्ष के दौरान (लिखत वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के एक्सचेंज कारोबार की कल्पित मूल राशि	585.28
ii)	31 मार्च 2012 को (लिखत वार) किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव को एक्सचेंज कारोबार की बकाया कल्पित मूल राशि	शून्य
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के एक्सचेंज कारोबार की बकाया और "अधिक प्रभावित" (लिखतवार) न हुई कल्पित मूल राशि	शून्य
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के एक्सचेंज कारोबार की बकाया और "अधिक प्रभावित" (लिखतवार) न हुआ मार्क टू मार्केट मूल्य	शून्य

3.3.3 डेरीवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटीकरण

ए) गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक भारिबैं के दिशानिर्देशों के अधीन दो समूहों में डेरीवेटिव लेनदेन करता है :

i. काउंटर पर डेरीवेटिव लेनदेन

ii. एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव लेनदेन

बैंक ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव समूह में वायदा दर करारों, ब्याज दर स्वैप , क्रास करेंसी स्वैप में लेन देन करता है.

एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरिवेटिव में बैंक करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में ट्रेड करता है. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और एमसीएक्स - एस एक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स - एस एक्स) जैसे 3 करेंसी फयूचर एक्सचेंजों के करेंसी डेरीवेटिव खंड के ट्रेडिंग एवं क्लीयरिंग सदस्य है. बैंक ने इन बाजारों (एक्सचेंजों) में वायदा मुद्रा में स्वामित्व ट्रेडिंग के साथ ही साथ ग्राहक की ओर से ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक आफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना भी स्थापित की है. इन बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ दैनिक लेनदेन (मार्क-टू-मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक नेशनल स्टाक एक्सचेंज में ब्याज दर वायदा में ट्रेड करता है. बैंक के पास फ्रंट, मिड और बैक आफिस परिचालनों के लिये आवश्यक सुविधाएं हैं. दैनिक लेनदेन (मार्क-टू-मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक स्वयं के लिये ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने तुलन पत्र की हेजिंग और लागू विनियमों के अंतर्गत अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिये डेरिवेटिव संव्यवहार करता है. प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती हैं. यद्यपि डेरीवेटिव लिखतों में गैर ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं किंतु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिये निम्न युक्तियां अपनायी हैं:

ट्रेज़री शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों विभाजित किया गया है जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और उनकी जिम्मेदारियां भी निर्धारित की गई हैं.:

I) फ्रंट कार्यालय : डीलिंग रूम. बैंक की नीति और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड कार्यालय : जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन

III) बैक कार्यालय : निपटान , मिलान और लेखांकन

मिड आफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन प्रभाग के ध्यान में लाता है. मिड आफिस एमटीएम के जरिए, दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और आस्ति एवं देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिये दैनिक बाजार पोजीशन जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है,

बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्पोरेट ग्राहकों के साथ लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण-सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेज़री पालिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोज़र) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

ख) बैंक की ट्रेज़री नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रयोग का क्षेत्र अनुमोदन प्रक्रिया के और अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, "डील साइज़ लिमिट" और "स्टॉप लॉस लिमिट" और प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी लिमिटों का भी उल्लेख है.

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है. ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. जोखिम पैरामीटरों यथा पीवी01, स्टाप लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर के लिये ये सीमाएं बनाई गई हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के समक्ष वास्तविक पोजीशन की समीक्षा की जाती है और उल्लंघन की रिपोर्ट तुरत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर आप्शन डेरिवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

ग) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोज़रों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेज़री नीति में एक्सपोज़रों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है और इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकलित नोशनल लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है.. हेज प्रभाविता वह डिग्री है जिसमें परिवर्तन से हेज किये गये आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन , हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य से शमित हो जाता है. हैज की प्रभाविता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर यह प्रक्रिया की जाती है.

घ) बगैर हैज एवं हेज लेनदेनों को अलग से रिकार्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हें और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकार्ड की जाती है.

ऑप्शन कांट्रैक्ट के मामले में आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय -समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.

क्रेडिट जोखिम के शमन के लिये बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिये नीति बनाई हुई है. बैंक काउंटर पक्ष एक्सपोजर की निगरानी के लिये आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक /मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है,

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिये कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

बी. मात्रात्मक प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

		31.03.2012	
क्र.	**विवरण**	**करेंसी डेरीवेटिव**	**ब्याज दर डेरीवेटिव**
i)	डेरीवेटिव (काल्पनिक मूल राशि)		
क	हेजिंग के लिए	0.00	**100.00**
ख	ट्रेडिंग के लिए	569.89	**1608.75**
ii)	मार्क टू मार्केट पोज़ीशन (1)		
क	आस्तियां (+)	**(+)1.28**	**-**
ख	देयताएं (-)	**-**	**(-)0.87**
iii)	ऋण एक्सपोज़र (2)	**49.52**	**23.57**
iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित असर (100*पीवी01)		
	हेजिंग डेरीवेटिव पर	**0.00**	**3.22**
	ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	**0.01**	**0.84**
v	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01		
1	अधिकतम		
	क. हैजिंग पर	**0.00**	**3.50**
	ख. ट्रेडिंग पर	**0.00**	**15.22**
2	न्यूनतम		
	क. हैजिंग पर	**0.00**	**2.97**
	ख. ट्रेडिंग पर	**0.00**	**0.12**

3.4 आस्ति गुणवत्ता:

3.4.1 गैर निष्पादक आस्तियां:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	निवल अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	1.70	1.19
ii)	एनपीए का संचरण (सकल)		
	(क) दिनांक 1 अप्रैल को आरंभिक शेष	3622.82	2670.89
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	3760.11	2923.54
	उप योग (क)	7382.93	5594.43
	(ग) घटाया :-		
	(i) अपग्रेडेशन	254.83	267.82
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	740.56	577.69
	(iii) राइट-ऑफ	937.68	1126.00
	उप योग (ख)	1933.07	1971.61
	(घ) अंतिम शेष (क - ख)	5449.86	3622.82
iii)	एनपीए का संचरण (निवल)		
	(क) आरंभिक शेष	1803.44	965.33
	(ख) अंतिम शेष	3025.03	1803.44
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचरण (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) प्रारंभिक शेष	1776.61	1643.34
	(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	1510.73	1187.69
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ / राइट बैक	936.99	1054.42
	(घ) अंतिम शेष	2350.35	1776.61

3.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

		सी डी आर प्रक्रिया	एमएसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्गठित मानक खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	18	114	523
	बकाया राशि	1984.90	364.07	5108.71
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	461.41	2.70	46.85
पुनर्गठित अवमानक खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	10
	बकाया राशि	0.00	0.00	26.60
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	0.00	0.00	7.92
पुनर्गठित संदिग्ध खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	0	1	1
	बकाया राशि	0.00	46.37	16.38
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	0.00	2.54	5.79
योग	उधारकर्ताओं की संख्या	18	115	534
	बकाया राशि	1984.90	410.44	5151.69
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	**461.41**	**5.24**	**60.56**

3.4.3 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्गठन कंपनी को बेचे गए वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	खातों की संख्या	1	1
ii)	एससी / आरसी कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)	0.00	0.00
iii)	कुल प्रतिफल	4.75	6.25#
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ / हानि	4.75	6.25

संपूर्ण राशि नकद प्राप्त.

3.4.4 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या ख. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2	क. वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या ख. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्तियां	शून्य	शून्य

ग. मानक आस्तियों पर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2012	31.03.2011
मानक आस्तियों पर प्रावधान	229.74	148.54

डेरीवेटिव्स पर ऋण जोखिम एक्सपोज़र हेतु प्रावधान के लिए ₹ 8.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.59 करोड़) शामिल हैं.

3.5 कारोबार अनुपात

		31.03.2012	31.03.2011
i)	कार्यकारी निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	9.40	8.33
ii)	कार्यकारी निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	1.04	1.03
iii)	कार्यकारी निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत	2.34	2.18
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	0.79	1.05
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (करोड़ रुपयों में)	10.70	10.43
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (करोड़ रुपयों में)	0.06	0.08

3.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न यथा 31.03.2012

(₹ करोड़ में)

	जमाराशियां	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	3369.96	1904.18	678.03	824.76	1242.86	1357.41
2-7 दिन	8262.53	1065.48	1582.55	1045.94	979.94	391.84
8-14 दिन	4313.10	1895.99	261.28	239.10	375.81	348.39
15 to 28 दिन	5260.26	5633.37	464.78	363.85	1316.93	380.33
29 दिन से 3 माह	22593.59	29261.32	1181.47	2059.19	3644.11	2847.29
3 माह से अधिक और 6 माह तक	12625.96	16539.00	648.55	2566.51	3201.61	2855.10
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	30572.90	23761.77	1934.46	85.00	1061.94	1290.62
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	44458.41	53332.41	5715.32	1540.05	1350.09	1334.69
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	19463.09	17588.81	10254.37	4694.98	1431.28	3481.91
5 वर्ष से अधिक	71949.16	26899.75	39642.74	4490.10	1587.03	107.63
योग	222868.95	177882.08	62363.56	17909.48	16191.60	14395.21

3.7 एक्सपोज़र

3.7.1 रीयल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	संवर्ग	31.03.2012	31.03.2011
क)	प्रत्यक्ष निवेश		
i)	आवासीय बंधक -	12488.57	11058.52
	आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा उधार पूर्णत: प्रतिभूत अथवा जो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में लिया जाएगा अथवा जो किराए पर हो;		
	- जिसमें से ₹ 30.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 15.00 लाख) तक के वैयक्तिक गृह निर्माण ऋण .	9146.83	8258.63
ii)	वाणिज्यिक रीयल इस्टेट -	2508.40	2699.55
	वाणिज्यिक रीयल इस्टेट पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुउद्देश्यीयवाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराए पर दिए गए वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम की जगह, होटल, भूमि अर्जन, विकास तथा निर्माण आदि) निवेश में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हैं :		
iii)	बंधक समर्थित / प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र -	0.33	3.66
	क. आवासीय	0.33	3.66
	ख. वाणिज्यिक रीयल इस्टेट.	-	-
ख)	अप्रत्यक्ष निवेश		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोज़र	5583.39	4781.01
	रीयल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**20580.69**	**18542.74**

3.7.2 पूंजी बाजार में निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	832.22	789.83
ii)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	27.41	6.83
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	8.42	10.73
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांड्स / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: सुरक्षित नहीं करती है.	110.00	3.06

v)	स्टॉक ब्रोकरों को सुरक्षित एवं असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	849.38	871.60
vi)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रोमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण	0.10	0.01
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	-	1.72
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	-	-
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	13.77	56.49
x)	वेंचर पूंजी निधियों के सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोंनो) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. **	547.33	572.50
	पूंजी बाजार में कुल निवेश	**2388.63**	**2312.77**

**** 2010-11की ₹ 277.62 करोड़ व 2011-12 की ₹ 267.89 करोड़ की वेंचर पूंजी की अनाहरित पूंजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं.**

3.7.3 जोखिम संवर्गवार कंट्री एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2012	प्रावधान यथा 31.03.2012	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2011	प्रावधान यथा 31.03.2011
नगण्य	4791.31	-	3272.92	-
अल्प	1082.04	-	1272.35	-
सामान्य	276.85	-	335.32	-
उच्च	1.17	-	1.02	-
अत्यधिक उच्च	0.07	-	0.09	-
सीमित	-	-	-	-
क्रेडिट से इतर	-	-	-	-
योग	**6151.44**	**-**	**4881.70**	**-**

3.7.4 I) बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता को दी गई सीमाओं (एसबीएल) का विवरण .

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजऱ की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूंजी निधि का % एक्सपोज़र	31.03.12 की स्थिति	पूंजी निधि के % की स्थिति
शून्य						

* व्यक्तिगत एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 15% है, परंतु भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति एवं बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र प्रदान किया गया है.

ii) ऐसी समूह उधारकर्ता ऋण सीमा का ब्यौरा, जहां बैंक ने अधिक्रमण किया है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजऱ की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूजी निधि का % एक्सपोज़र	बोर्ड की मंजूरी का ब्यौरा	31.03.12 की स्थिति	पूंजी निधि के % की स्थिति
शून्य							

\# समूह एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा - 40%
आधारभूत सुविधाओं के लिए समूह एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 50% है.

\# बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र किया जा सकता है.

3.7.5 बेजमानती अग्रिम : ₹ 38114.35 करोड़

3.8 विविध

3.8.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(₹ करोड़ में)

	31.03.2012	31.03.2011
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित देयताओं को छोड़कर)	938.00	807.00

3.8.2 भारिबैं द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : शून्य

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं, जिसमें भारिबैं ने "खाते के नोट" के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं:

4.1 लेखा मानक 5 - वर्ष के दौरान निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें एवं लेखानीतियों में परिवर्तन

पिछली अवधि की कोई ऐसी महत्वपूर्ण आय / व्यय नहीं था, जिसका प्रकटन लेखा मानक - एएस 5 के अनुसार आवश्यक था.

4.2 लेखा मानक -9 आय पहचान

नकदी आधार पर की गई आय मदों की पहचान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए लेखा मानक एएस-9 के अधीन कोई प्रकटन नहीं किया गया.

4.3 लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ :

4.3.1 बैंक ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभों का समायोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानकों एवं बीमांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया है. प्रकटन इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

		ग्रैच्युटी	पेंशन
i)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग**		
	पिछली डिस्काउंट दर	8.50%	8.50%
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00%	8.00%
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	पिछली एट्रीशन दर	2.00%	2.00%
	चालू डिस्काउंट दर	8.50%	9.00%
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	8.00%	8.00%
	चालू वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	चालू एट्रीशन दर	2.00%	2.00%
ii)	**लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाला टेबल** :		
	वर्ष के आरंभ में देयता	894.93	4771.82
	ब्याज लागत	74.37	405.27
	चालू सेवा लागत	34.47	118.48
	पिछली सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	--	--
	देयता अंतरण आवक	--	--
	देयता अंतरण जावक	--	--
	प्रदत्त लाभ	--	--
	बीमांकिक (अर्जन) / बाध्यताओं पर हानि	(108.86)	(244.85)
	वर्ष के अंत में देयताएं	95.64	208.31
		990.55	5259.03
iii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य का टेबल:**		
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**873.05**	**2513.69**
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	**67.89**	**317.60**
	अंशदान	**30.00**	**1578.71**
	अन्य कंपनी से अंतरण	**--**	**--**
	अन्य कंपनी को अंतरण	**--**	**--**
	प्रदत्त लाभ	**(108.86)**	**(244.85)**
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	**(0.80)**	**(145.15)**
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	**861.28**	**4020.00**
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	**(96.44)**	**(353.46)**

		ग्रैच्युटी	पेंशन
iv)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान :**		
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	-	-
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	-	-
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	-	-
v)	**प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**		
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	**67.89**	**317.60**
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	**(0.80)**	**(145.15)**
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**67.09**	**172.45**
vi)	**तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम :**		
	वर्ष के अंत में देयता	**990.55**	5259.03
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**861.28**	4020.00
	अंतर	**(129.27)**	(1239.03)
	न पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैर-वेस्टेड)....	**--**	1014.17
	अंतिम शेष	**195.00**	-
	न पहचानी गई संक्रमण देयता ..... अंतिम शेष	**65.73**	**(224.86)**
	तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम	**--**	
vii)	**आय विवरण में पहचाने गए व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	**34.47**	**118.48**
	ब्याज लागत	**74.37**	**405.27**
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	**(67.89)**	**(317.60)**
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ)	**65.00**	**338.00**
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	**-**	**-**
	संक्रमण देयता की पहचान	**-**	**-**
	बीमांकिक लाभ या हानि	**96.44**	**353.46**
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	**202.39**	**897.61**
viii)	**तुलन पत्र समाधान:**		
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि)	**(238.12)**	**2258.13**
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	**202.39**	**897.61**
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	**-**	**-**
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	**-**	**-**
	नियोक्ता का अंशदान	**(30.00)**	**(1578.71)**
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	**(65.73)**	**1577.03**
ix)	**अन्य विवरण :**		
	ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹ 10,00,000.00 या बैंक की स्कीम के अनुसार हो.		
	पेंशन न्रत्येकसेवा वर्ष के लिए वेतन का 1/66, अधिकतम 50%		
	घटना के वर्ष में समायोजित वास्तविक लाभ / हानि.		
	वेतन वृद्धि बैंक द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है.		
	सदस्यों की संख्या	30458	26345
	वेतन प्रति माह	98.51	89.85
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	**291.11**

		ग्रैच्युटी	पेंशन
x)	**आस्तियों का संवर्ग:**		
	भारत सरकार आस्तियां	-	-
	कार्पोरेट बांड	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	राज्य सरकार	-	-
	संपत्ति	-	-
	अन्य	**861.28**	**4020.00**
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	-	-
	कुल	**861.28**	**4020.00**
xi)	**अनुभव समायोजन**		
	योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	**95.09**	**511.13**
	योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	**(0.80)**	**(145.15)**

4.3.2 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	राशि
1	पेंशन	897.61
2	अवकाश नकदीकरण	48.15
3	अवकाश यात्रा रियायत	**1.77**
4	बीमारी अवकाश	2.50

4.4 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

(₹ करोड़ में)

	व्यवसाय के क्षेत्र	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेज़री परिचालन	5721.77	4932.41
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	7385.62	5657.77
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	10090.86	7794.18
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	278.41	107.04
5	गैर निर्धारित	-	-
	योग	**23476.66**	**18491.40**
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेज़री परिचालन	945.53	1 141.64
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	951.79	781.92
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	657.15	976.22
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	158.28	55.82
5	गैर निर्धारित	-	-
	योग	**2712.75**	**2955.60**
(सी)	आयकर	925.62	873.65
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**1 787.14**	**2 081.95**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	ट्रेज़री परिचालन	78153.45	78631.90

	व्यवसाय के क्षेत्र	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	59933.71	51840.03
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	120949.52	10190116
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर निर्धारित	3174.76	3611.36
	योग	**262211.44**	**I35984.45**
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं		
1	ट्रेज़री परिचालन	73837.56	74979.22
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	56877.45	49404.87
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	114781.83	97114.38
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर निर्धारित	2081.54	1721.46
6	पूंजी, निधियां एवंअधिशेष	14633.06	12764.52
	योग	**262211.44**	**235984.45**

I) बैंक ट्रेज़री, रिटेल, गैर-रिटेल एवं पैरा बैंकिंग अर्थात् चार क्षेत्रों में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. लेखामानक 17 में विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, लेखामानक 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

II) सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.

4.5 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन.

4.5.1 लेखा मानक 18 के अनुसार बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया है:

4.5.1.1 संबंधित पार्टियों की सूची :

(क) लेखा मानक 18 के अनुसार बेंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया है:

i. श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii. श्री एस. सी. कालिया, कार्यपालक निदेशक (31.08.2011तक)

iii. श्री एस. एस. मूंदड़ा, कार्यपालक निदेशक

iv. श्री एस. के जैन, कार्यपालक निदेशक (01.09.2011 से)

(ख) अनुषंगी :

यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(ग) संयुक्त उपक्रम :

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(घ) एसोसिएट :

बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक एवं रीवा सीधी ग्रामीण बैंक.

4.5.1.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

करोड़ ₹ में

मदें / संबंधित पार्टियां	एसोसिएट / संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		योग	
जमाराशि	2590.64	3187.81	-	-	-	-	2590.64	3187.81
अदा ब्याज	211.26	135.00	-	-	-	-	211.26	135.00
बीमा कमीशन	19.77	18.20	-	-	-	-	19.77	18.20
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	7.17	2.17	-	-	-	-	7.17	2.17
सिटिगं शुल्क	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-
अन्य व्यय/खरीद	0.13	3.38	-	-	-	-	0.13	3.38
बैंक प्रभार	0.15	0.97	-	-	-	-	0.15	0.97
बीमा प्रीमियम	25.46	25.29	-	-	-	-	25.46	25.29
शाश्वत बांड पर ब्याज	0.13	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
ब्रोकरेज भुगतान	1.38	-	-	-	-	-	1.38	-
वितरण प्रोत्साहन भुगतान	0.36	-	-	-	-	-	0.36	-
कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति	0.19	-	-	-	-	-	0.19	-
किराया व रखरखाव व्यय प्रतिपूर्ति	0.08	-	-	-	-	-	0.08	-

4.5.1.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

	2011 - 12	2010 - 11
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.22	0.22
कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.35	0.35
योग	0.57	0.57

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भुगतान की गई क्रमश: ₹ 6.00 लाख व ₹ 8.00 लाख की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

4.6 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

बैंक ने लेखामानक 20 के अनुसार "प्रति इक्विटी शेयर" के अनुसार मूल प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है.

			31.03.2012	31.03.2011
I	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	34.07	39.71
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)		1787.14	2081.95
iii	इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	संख्या	52.448	52.433
iv	प्रति शेयर नामिनल मूल्य	₹	10.00	10.00

4.7 लेखा मानक 22 - आय पर कर की गणना :

बैंक ने लेखाबंदी मानक ए एस 22 (आय पर कर की गणना) के अनुपालन में आय पर कर की गणना की है. तदनुसार, 31.03.2012 को आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

		31.03.2012	31.03.2011
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का वर्षवार विवरण	210.48	185.68
2	कर्मचारी लाभ	130.77	145.82
3	वेतन बकाया	4.45	-
4	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	8.76	35.21
	योग	**354.46**	**366.71**
	आस्थगित कर देयता		
1	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	17.85	-
2	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	31.97	26.67
3	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	326.33	374.11
	योग	376.15	400.78
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**21.69**	**34.07**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	-	-

4.8 लेखा मानक 28

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

4.9 आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची -12 के क्र. (i) से (vi) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमश: न्यायालय के निर्णय / विवाचन / न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

5. अतिरिक्त प्रकटन

5.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड़ में)

लाभ हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	**2011-12**	**2010-11**
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान / (रिवर्सल)	55.03	26.65
एनपीए के लिए प्रावधान	1510.73	1187.69
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	229.74	148.54
आयकर के लिए प्रावधान आस्थगित कर देयता (डीटीएल)	925.62	873.45
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्ट हानि	61.89	82.94
- अग्रिमों का पुनर्गठन	507.38	1.63
- अन्य	176.23	-95.86
योग	3466.62	2223.04

5.2 फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	**2011-12**	**2010-11**
i)	फ्लोटिंग प्रावधान में प्रारंभिक शेष	743.00	697.00
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए फ्लोटिंग प्रावधान	20.00	46.00
iii)	लेखावर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	0	0
iv)	फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष	763.00	743.00

5.3 आरक्षिती से आहरण

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षिती से कोई आहरण नहीं किया है.

5.4 शिकायतों का प्रकटन

ए. ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1028
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	11806
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	12342
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	492

बी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	5
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	4
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	1

5.5. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटन

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्षों में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट और 01.04.2011 को बकाया	1492.02
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	6023.15
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	4725.58
दिनांक 31.03.2012 को बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	2789.59

5.6 प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर)

31.3.2012 को प्रावधान कवरेज अनुपात 62.22% है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रावधान कवरेज अनुपात से अधिक किसी प्रावधान को "प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर खाते" में रखा जायगा.

5.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार का प्रकटन

क्र सं	आय का स्वरूप	(₹ करोड़ में)
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने से	21.35
2	गैर -जीवन बीमा पालिसी बेचने से	3.64
3	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-

5.8. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण

5.8.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	25935
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	11.70

5.8.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े अग्रिम खातों को दिए गए कुल अग्रिम	20617.30
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	11.39

5.8.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

20 सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	38497.41
बैंक के कुल ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र में 20 बड़े ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	21.27

5.8.4 एन पी ए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	591.54

5.9 सेक्टरवार एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	इस सेक्टर के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत (31.03.2012)
1	कृषि एवं तत्संबंधी गतिविधियां	9.58
2	उद्योग(माइक्रो एवं छोटे, मध्यम एवं बड़े)	2.92
3	सेवाएं	3.52
4	वैयक्तिक ऋण	6.95

5.10 एन पी ए का संचरण

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2011 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	3622.82
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये)एनपीए	3760.11
उप जोड़ (ए)	7382.93
घटाएं	
(i) उन्नयन	254.83
(ii)वसूलियां (उन्नत खातों में हुई वसूलियों को छोड़कर)	740.56
(iii) अप लेखन	937.68
उप जोड़ (बी)	1933.07
31 मार्च 2012 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	5449.86

5.11 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए एवं आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12
कुल आस्तियां	10123.68
कुल एनपीए	27.62
कुल आय	439.75

5.12 तुलनपत्र के अलावा एसपीवी :

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

5.13 अपरिशोधित पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयताएं

5.13.1 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार द्वितीय विकल्प अपनाने वाले सेवारत कर्मियों की ₹ 338.04 करोड़ की अतिरिक्त पेंशन निधि देयता के पांचवे हिस्से को इस वर्ष लाभ हानि खाते में लिया गया है और ₹ 1014.13 करोड़ की राशि आगामी 3 वर्षो में हिसाब में लिये जाने के लिये आगे ले जायी गयी है.

5.13.2 इसके अलावा ग्रेच्युटी की सीमा ₹ 3.50 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख होने के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई अतिरिक्त ग्रेच्युटी देयता के पांचवें हिस्से ₹ 65 करोड़ को इस वर्ष लाभ हानि खाते में लिया गया है तथा शेष ₹ 195 करोड़ की राशि आगामी 3 वर्षो में हिसाब में लिये जाने के लिये आगे ले जायी गयी है.

5.13.3 कर्मचारी लाभ संबंधी लेखामानक 15 (2005 में संशोधित) के अनुसार नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि लाभ को, जिसमें ब्याज की कमी पूरी करने की व्यवस्था हो, को परिभाषित लाभ प्लान माना जाना चाहिये. युक्तियुक्त बीमांकिक सवालों को देखते हुए देयता का निर्धारण न होने के कारण इससे संबंधित प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है, तदनुसार तत्संबंधी अन्य प्रकटन नहीं किये गये हैं और भविष्य निधि स्कीम के लिये ₹ 7.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22.88 करोड़) व्यय माना गया है जो, परिचालन व्यय में कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में शामिल है.

6. अचल आस्तियां :

बैंक द्वारा धारित ₹ (विगत वर्ष में ₹ 6.84 करोड़) 6.17 करोड़ ह्रासित मूल्य की 5 अचल संपत्तियों के विषय में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं, जिनके विषय में कार्रवाई की गई है. भूमि और भवन का पुनर्मल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30 नवंबर 2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर फिर से पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों से हुई मूल्य में वृद्धि अर्थात् दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹ 456.59 करोड़ की रकम और 30.11.2007 के अनुसार ₹ 1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर ₹ 40.01 करोड़ के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹ 42.06 करोड़) को उसमें से घटाया गया है.

7. टियर I तथा टियर II पूंजी के रुप में अर्जित निधि :

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹10/- अंकित मूल्य के , ₹ 238.05 के प्रीमियम पर कुल मिलाकर ₹ 650.30 करोड़ के 2,62,16,620 शेयर वरीयता आधार पर आवंटित किये हैं. इसके परिणाम स्वरूप सरकार की हिस्सेदारी 57.06% से कम होकर 54.35% रह गयी है.

8. मानक अग्रिमों पर प्रावधान :

भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, मानक अग्रिमों और डेरीवेटिव्स में ऋण जोखिम एक्सपोज़र पर ₹ 899.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 663.77 करोड़) प्रावधान किया गया. कुछ विशिष्ट संवर्ग के मानक अग्रिमों, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ऋण तथा अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए 2% अतिरिक्त प्रावधान ₹ 56.74 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 76.07 करोड़) किया गया है, जो सांविधिक प्रावधानों के अतिरिक्त है.

9. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रुप से पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

वी.एच. कामत सहायक महा प्रबंधक	**एन. एस. महेता** महा प्रबंधक	**एस. के. जैन** कार्यपालक निदेशक	**एस. एस. मूंदड़ा** कार्यपालक निदेशक	**डी. सरकार** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
राजेश खुल्लर निदेशक	**चंदन सिन्हा** निदेशक	**बी. एम. शर्मा** निदेशक	**बी. एन. भट्टाचार्जी** निदेशक	**एन. शंकर** निदेशक
डा. अतुल अग्रवाल निदेशक	**एम. एस. श्रीराम** निदेशक	**एस. रवि** निदेशक		

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं. सनदी लेखाकार	**कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.** सनदी लेखाकार
(एस. आर. अनंतकृष्णन) भागीदार (सदस्यता क्र. 18073) फर्म पंजीयन क्र. 307092ई	**(विमल कुमार जैन)** भागीदार (सदस्यता क्र. 86657) फर्म पंजीयन क्र. 003917एन	**(महावीर चपलोत)** भागीदार (सदस्यता क्र. 403633) फर्म पंजीयन क्र. 000127सी
कृते जी. एस. माथुर एंड कं. सनदी लेखाकार	**कृते प्राइस पैट एंड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.** सनदी लेखाकार
(राजीव कुमार वधावन) भागीदार (सदस्यता क्र. 091007) फर्म पंजीयन क्र. 008744एन	**(एम. नागनाथन)** भागीदार (सदस्यता क्र. 7547) फर्म पंजीयन क्र. 0027835	**(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)** भागीदार (सदस्यता क्र. 015747) फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.05.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2012	समाप्त वर्ष 31.03.2011
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह	(382,999)	443,148
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह	(22,326)	(18,514)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह	(37,006)	7,541
		(442,331)	**432,175**
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,009,845	1,577,669
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	1,567,514	2,009,844
एफ	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी) या (ई-डी)	**(442,331)**	**432,175**
	ब्रेकअप विवरण		
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के दौरान अग्रिम, ब्याज आदि से प्राप्त ब्याज	2,069,941	1,624,615
	अन्य आय	233,304	203,992
घटाएं	जमारशि, उधारों आदि पर दिया गया ब्याज (गौण ऋण को छोड़कर)	(1,361,348)	(965,377)
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आस्मिकताएं	(745,414)	(617,304)
जोड़ें	मूल्य ह्रास के लिये समायोजन	14,645	15,566
I.	परिचालन से प्राप्त नकद लाभ	**211,128**	**261,492**
II.	आस्तियों/देयताओं के परिचालन से नकदी प्रवाह		
	{देयताओं में वृद्धि (कमी)		
	जमाराशियां	2,040,766	3,242,154
	उधार	459,351	400,066
	आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के लिये समायोजन	(1,238)	3,407
	अन्य देयताएं आदि (पूर्व के सालों में किये अधिक प्रावधानों के पुनर्लेखन सहित)	(76,764)	166,731
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		
	अग्रिम	(2,689,600)	(3,167,078)
	निवेश	(396,442)	(399,561)
	अन्य	69,800	(64,063)
	परिचालन आसितयों और देयताओं से नकदी प्रवाह	**(594,127)**	**181,656**
	परिचालन कार्यों शुद्ध नकदी प्रवाह (I+II)	**(382,999)**	**443,148**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	अचल आस्तियों का विक्रय/निपटान	4,564	664
	अचल आस्तियों की खरीद	(26,890)	(19,178)
	निवेश कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(22,326)**	**(18,514)**
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह		
	लाभांश 2010-11		
	लाभांश कर 2010-11		
	लाभांश 2009-10	(41,947)	(27,781)
	लाभांश कर 2009-10	(6,859)	(4,721)
	गौण ऋण टियर II पूंजी के आगम	-	(40,000)
	टियर IIपूंजी पर ब्याज	(52,715)	(49,256)
	अधीनस्थ अपर टियर II पूंजी	-	50,000
	शाश्वत बांड	-	0
	पीएनसीपीएस पर ब्याज	(515)	
	पीएनसीपीएस	-	11,100
	भारत सरकार / भारतीय जीवन बीमा निगम से अंश पूंजी	65,030	68,199
	वित्तपोषण कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(37,006)**	**7,541**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2012	समाप्त वर्ष 31.03.2011
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,761,046	1,246,824
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	248,799	330,845
	शुद्ध नकद और नकदी समकक्ष	**2,009,845**	**1,577,669**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,163,356	1,761,045
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	404,158	248,799
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष	**1,567,514**	**2,009,844**

(एस. के.जैन)
कार्यपालक निदेशक

(एस.एस.मूंदड़ा)
कार्यपालक निदेशक

(डी सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को दिनांक 9 मई 2012 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है.

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 18073)
फर्म पंजीयन क्र. 307092ई

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 091007)
फर्म पंजीयन क्र. 008744एन

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 86657)
फर्म पंजीयन क्र. 003917एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. नागनाथन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 7547)
फर्म पंजीयन क्र. 0027835

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्यता क्र. 403633)
फर्म पंजीयन क्र. 000127सी

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)
भागीदार (सदस्यता क्र. 015747)
फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.05.2012

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

निदेशक मंडल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसकी सहायक कंपनियों, एसोसिएटों और संयुक्त उपक्रमों (समूह) के 31 मार्च, 2012 के संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा इसी वर्ष को समाप्त समेकित लाभ-हानि खाते एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण का परीक्षण किया है जिनमें निम्न का समावेश है:
   i. 6 (छः) संयुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के लेखे.
   ii. अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित दो सहायक कंपनियों, दो एसोसिएटों और एक संयुक्त उपक्रम के लेखे.

   ये समेकित वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन के दायित्व हैं और इनको प्रबंधन द्वारा समूह की विभिन्न इकाईयों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है . हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत प्रकट करना है.
2. हमने निम्नलिखित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया है :
3. (i) दो सहायक कंपनियों के जिनके 31 मार्च, 2012 के वित्तीय विवरण में ₹ 88.29 करोड़ की आस्तियां और इसी तारीख को कुल राजस्व ₹ 10.24 करोड़ है.
   (ii) एक संयुक्त उपक्रम के, जिसके 31 मार्च, 2012 के वित्तीय विवरण में ₹ 61.99 करोड़ की आस्तियां और इसी तारीख को कुल हानि ₹ 6.65 करोड़ है.
   (iii) दो एसोसिएटों के, जिनके उक्त तारीख समाप्त वर्ष को शुद्ध लाभ ₹ 11.38 करोड़ है.
4. समेकित वित्तीय विवरण बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" लेखा मानक -23- "समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट में निवेश का लेखांकन" और लेखा मानक 27- "संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बनाये हैं.
5. बैंक की जिन सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और एसोसिएटों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गयी हैं उनकी सम्मिलित की गयी राशि के बारे में हमारा मत पूर्णतः ऐसे अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.
6. हमने समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिये आयोजित और संपन्न करें कि ये वित्तीय विवरण सभी महत्वपूर्ण मामलों में स्वीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किये गये हैं और इनमें में किसी प्रकार की सारवान गलत कथन नहीं है. लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के समर्थक साक्ष्य का परीक्षण करना शामिल है. लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों और लगाये गये महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है. हमें विश्वास है कि हमारी सम्मति, हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित है.
7. हमारी लेखापरीक्षा और पृथक वित्तीय विवरणों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचनाओं पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, और हमें दी गयी सूचनाओं और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और ऊपर पैरा 2 और 5 के अधीन हमारा मत है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार
   (i) समेकित तुलन पत्र में, 31 मार्च, 2012 को बैंक, उसकी सहायक कंपनियों और एसोसिएटों तथा संयुक्त उपक्रमों (यूनियन बैंक समूह) में हितों के कार्यकलापों की समेकित स्थिति
   (ii) इसी तारीख के समेकित लाभ-हानि खाते में यूनियन बैंक समूह के लाभ ; और
   (iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में समेकित नकदी प्रवाह विवरण में इस तिथि को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 18073)
फर्म पंजीयन क्र. 307092ई

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 86657)
फर्म पंजीयन क्र. 003917एन

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्यता क्र. 403633)
फर्म पंजीयन क्र. 000127सी

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 091007)
फर्म पंजीयन क्र. 008744एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. नागनाथन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 7547)
फर्म पंजीयन क्र. 0027835

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)
भागीदार (सदस्यता क्र. 015747)
फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक :09.05.2012

31 मार्च 2012 का समेकित वित्तीय तुलन पत्र

(000' को छोड़कर)

	अनुसूची	2012	2011
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	1	6,615,490	6,353,324
आरक्षित और आधिक्य	2	141,171,453	122,971,060
अल्पसंख्यक शेयरधारकों की हिस्सेदारी	2 ए	405,411	526,555
जमाराशियां	3	2,227,765,151	2,024,000,046
उधार	4	179,094,878	133,159,696
अन्य देनदारियां एवं प्रावधान	5	75,194,514	78,618,759
जोड़		**2,630,246,897**	**2,365,629,440**
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष	6	116,336,928	176,448,368
बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	40,701,482	24,879,905
निवेश	8	631,038,056	589,131,465
अग्रिम	9	1,778,820,863	1,509,932,196
अचल आस्तियां	10	23,477,965	23,015,029
अन्य आस्तियां	11	39,871,603	42,222,477
जोड़		**2,630,246,897**	**2,365,629,440**
अनुषंगी दायित्व	12	2,366,217,799	1,594,849,797
संग्रहण के लिए बिल		22,170,068	52,583,722
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

वी.एच. कामत सहायक महा प्रबंधक	**एन. एस. महेता** महा प्रबंधक	**एस. के. जैन** कार्यपालक निदेशक	**एस. एस. मूंदड़ा** कार्यपालक निदेशक	**डी. सरकार** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
राजेश खुल्लर निदेशक	**चंदन सिन्हा** निदेशक	**बी. एम. शर्मा** निदेशक	**बी. एन. भट्टाचार्जी** निदेशक	**एन. शंकर** निदेशक
डा. अतुल अग्रवाल निदेशक	**एम. एस. श्रीराम** निदेशक	**एस. रवि** निदेशक		

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं. सनदी लेखाकार	**कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.** सनदी लेखाकार
(एस. आर. अनंतकृष्णन) भागीदार (सदस्यता क्र. 18073) फर्म पंजीयन क्र. 307092ई	**(विमल कुमार जैन)** भागीदार (सदस्यता क्र. 86657) फर्म पंजीयन क्र. 003917एन	**(महावीर चपलोत)** भागीदार (सदस्यता क्र. 403633) फर्म पंजीयन क्र. 000127सी
कृते जी. एस. माथुर एंड कं. सनदी लेखाकार	**कृते प्राइस पैट एंड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.** सनदी लेखाकार
(राजीव कुमार वधावन) भागीदार (सदस्यता क्र. 091007) फर्म पंजीयन क्र. 008744एन	**(एम. नागनाथन)** भागीदार (सदस्यता क्र. 7547) फर्म पंजीयन क्र. 0027835	**(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)** भागीदार (सदस्यता क्र. 015747) फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई

दिनांक : 09.05.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(000' को छोड़कर)

		अनुसूची	2011-.2012	2010-2011
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	211,524,799	164,609,431
	अन्य आय	14	23,163,065	20,397,190
	जोड़		**234,687,864**	**185,006,621**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	142,297,261	102,343,142
	परिचालन व्यय	16	40,162,671	39,742,851
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		34,670,359	22,230,373
	जोड़		**217,130,291**	**164,316,366**
III.	**वर्ष का शुद्ध लाभ**		17,557,573	20,690,255
	जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		1,591	(90,420)
	जोड़		**17,559,164**	**20,599,835**
	लाभ / हानि में असोसिएट का हिस्सा		39,829	1,361,373
	अल्पसंख्यक शेयर धारकों का हिस्सा घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ /हानि		17,598,993	21,961,208
	घटाया अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा		(121,144)	(27273)
	जोड़ा समूह का आगे लाया गया समेकित लाभ / हानि		**17,720,137**	**21,988,481**
IV.	**विनियोजन**			
	कानूनी आरक्षित को अंतरण		5,370,000	6,250,000
	पूंजी आरक्षित को अंतरण		393,205	612,007
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		4,877,185	7,372,682
	प्रस्तावित लाभांश		4,404,392	4,194,659
	लाभांश कर		731,609	685,950
	लाभांश कर (पिछले वर्ष का पुनर्लेखित)		(7832)	-
	विशेष आरक्षित में अंतरण [धारा36(i)(viii)]		1,840,000	2,820,000
	पीएनसीपीएस पर ब्याज हेतु प्रावधान		105,450	51,592
	लाभ व हानि लेखे में शेष		6,128	1,591
	जोड़		**17,720,137**	**21,988,481**

वी.एच. कामत
सहायक महा प्रबंधक

एन. एस. महेता
महा प्रबंधक

एस. के. जैन
कार्यपालक निदेशक

एस. एस. मूंदड़ा
कार्यपालक निदेशक

डी. सरकार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

राजेश खुल्लर
निदेशक

चंदन सिन्हा
निदेशक

बी. एम. शर्मा
निदेशक

बी. एन. भट्टाचार्जी
निदेशक

एन. शंकर
निदेशक

डा. अतुल अग्रवाल
निदेशक

एम. एस. श्रीराम
निदेशक

एस. रवि
निदेशक

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 18073)
फर्म पंजीयन क्र. 307092ई

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 86657)
फर्म पंजीयन क्र. 003917एन

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्यता क्र. 403633)
फर्म पंजीयन क्र. 000127सी

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 091007)
फर्म पंजीयन क्र. 008744एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. नागनाथन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 7547)
फर्म पंजीयन क्र. 0027835

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)
भागीदार (सदस्यता क्र. 015747)
फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.05.2012

31 मार्च 2012, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

			यथा 31.03.2012		यथा 31.03.2011
अनुसूची 1 - पूंजी:					
I.	**प्रधिकृत :**				
	₹ 10/- प्रति के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर		30,000,000		30,000,000
II.	निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :				
	i. 29,92,14,515 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/-, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित		2,992,145		2,992,145
	ii. 22,51,17,900 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/-, जनता द्वारा धारित		2,513,345		2,251,179
III.	शाश्वत गैर-संचयी अधिमानी अंश		1,110,000		1,110,000
	जोड़		**6,615,490**		**6,353,324**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष					
I.	**कानूनी आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	38,980,000		32,730,000	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	5,370,000	44,350,000	6,250,000	38,980,000
II ए	**पूंजी आरक्षित :**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6,655,205		6,043,198	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	393,205	7,048,410	612,007	6,655,205
II बी	**समेकन पर पूंजी आरक्षित :**		569,500		569,500
III	**शेयर प्रीमियम**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	11,951,412		5323557	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	6,240,867	18,192,279	6,627,855	11,951,412
IV.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	15,738,407		16,159,687	
	वर्ष के दौरान कमी	-		-	
		400,136	15,338,271	421,281	15,738,407
V.	**राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां**				
i)	राजस्व और अन्य आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	31,479,658		24,007,953	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	4,877,185		7,471,705	
	जोड़े/(घटायें) : उचित मूल्य परिवर्तन और संयुक्त उद्यमों का राजस्व खाता	(69,978)		-	
	वर्ष के दौरान कमी	-		-	
		36,286,865		**31,479,658**	
ii)	विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii)	17,540,000		14,720,000	
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,840,000		2,820,000	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**19,380,000**		**17,540,000**	
iii)	विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	55,287		43,859	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-		11,428	
	वर्ष के दौरान कमी	55,287		-	
	जोड़	-	55,666,865	**55,287**	49,074,945
VI.	**लाभ व हानि लेखा में शेष**				
	लाभ व हानि लेखा में शेष		6,128		1,591
	जोड़		**141,171,453**		**122,971,060**
अनुसूची 2 ए - अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा					
वर्तमान अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तारीख को अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा			588,245		588,245
बाद में हुई वृद्धि / कमी			(182834)		(61690)
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा			**405,411**		**526,555**

31 मार्च 2012, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		यथा 31.03.2012		यथा 31.03.2011
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां				
I. मांग जमाराशि				
i) बैंकों से	9,816,823		9,148,137	
ii) अन्यों से	182,884,538	192,701,361	187,031,418	196,179,555
II. बचत बैंक जमाराशियां		504,288,588		446,891,747
III. मीयादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	87,698,078		56,363,009	
ii) अन्यों से	1,443,077,124	1,530,775,202	1,324,565,735	1,380,928,744
जोड़		**2,227,765,151**		**2,024,000,046**
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां		2,215,695,310		2,018,090,755
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		12,069,841		5,909,291
जोड़		**2,227,765,151**		**2,024,000,046**
अनुसूची 4 - उधार :				
ए) उधार : पूंजी लिखत				
I. शाश्वत बांड	10,400,000		10,400,000	
II. अपर टियर II बांड	22,500,000		22,500,000	
III. टियर II बांड	29,000,000	61,900,000	29,000,000	61,900,000
बी. भारत में उधार			-	
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	2,350,000		2,300,000	
ii. अन्य बैंक	7,000,000		-	
ii. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	1,553,735		-	
सी. भारत से बाहर उधार		10,903,735	1,957,224	4,257,224
		106,291,142		67,002,472
जोड़		**179,094,877**		**133,159,696**
उक्त I एवं II में प्रतिभूत उधार शामिल हैं		13,443,712		1,350,105
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :				
I. देय बिल		12,941,023		16,466,546
II. उपचित ब्याज		7,089,963		6,157,806
III. आस्थगित कर देयताएं		216,851		340,652
IV. अन्य (प्रावधान तथा नोस्टो खातों में लंबित मदों सहित)		54,946,677		55,653,755
जोड़		**75,194,514**		**78,618,759**
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष:				
I. धारित नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)		6,274,581		4,019,625
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में		110,062,347		172,428,744
जोड़		**116,336,928**		**176,448,368**

31 मार्च 2012, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

		यथा 31.03.2012	यथा 31.03.2011
अनुसूची 7 - बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन			
I.	भारत में बैंकों के पास जमाशेष		
i)	ए) चालू खातों में	1,825,508	2,183,837
	बी) अन्य जमा खातों में	15,526,536	4,350,000
	सी) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	643,684	-
II.	भारत के बाहर		
i)	चालू खातों में	1,966,510	1,124,767
ii)	अन्य जमा खातों में	20,739,244	17,221,301
iii)	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	-
	जोड़	**40,701,482**	**24,879,905**
अनुसूची 8 - निवेश :			
I.	भारत में निवेश		
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	505,902,969	464,060,574
ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	426,151	944,262
iii)	शेयर	10,730,983	7,436,991
iv)	डिबेंचर एवं बांड	44,987,536	32,085,969
v)	सहायक एवं संयुक्त उद्यम	1,592,766	1,552,937
vi)	अन्य		
	- वाणिज्यिक पत्र	4,456,970	5,847,903
	- अन्य	19,177,443	47,478,560
	- म्युचुअल फंड	9,668,546	3,697,374
	- आरआईडीएफ	32,996,628	24,976,865
	- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	379,860	409,719
	जोड़	**630,319,851**	**588,491,154**
II.	भारत के बाहर निवेश		
i)	सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सहित)	614,470	638,322
ii)	शेयरों में	1,989	1,989
iii)	अन्य निवेश (बांड)	101,746	-
	जोड़	718,205	640,311
	जोड़	**631,038,056**	**589,131,465**
III. i)	भारत में निवेश		
	सकल मूल्य	628,713,115	589,547,545
	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	1,606,736	1,056,391
	निवल मूल्य	630,319,851	588,491,154
ii)	भारत के बाहर निवेश		
	सकल मूल्य / निवल मूल्य	718,205	640,311
	जोड़	**631,038,056**	**589,131,465**

31 मार्च 2012, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

			यथा 31.03.2012	यथा 31.03.2011
अनुसूची 9 - अग्रिम				
I.	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	81,416,343	64,515,360
	ii)	नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	919,887,125	796,275,098
	iii)	मीयादी ऋण	777,517,395	649,141,738
	जोड़		**1,778,820,863**	**1,509,932,196**
II.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	1,321,100,513	1,130,993,837
	ii)	बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	76,576,862	58,700,690
	iii)	अप्रतिभूत	381,143,488	320,237,669
	जोड़		**1,778,820,863**	**1,509,932,196**
ए.	**भारत में अग्रिम**			
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	424,534,843	483,787,627
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	147,891,982	137,245,267
	iii)	बैंक	82,559,056	87,534,996
	iv)	अन्य	1,032,281,403	741,949,241
	जोड़		**1,687,267,284**	**1,450,517,131**
बी.	**भारत के बाहर अग्रिम**			
	i)	बैंको से देय	39,260,524	31,261,098
	ii)	अन्यों से देय		
	ए)	खरीदे एवं भुनाए गए बिल	1,024,055	1,608,874
	बी)	सिंडिकेट ऋण	34,596,526	26,422,169
	सी)	अन्य	16,672,474	122,924
	जोड़		**91,553,579**	**59,415,065**
	जोड़		**1,778,820,863**	**1,509,932,196**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

ए.	**मूर्त आस्तियां**					
	I.	**परिसर**				
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	21,290,003		21,149,084	
		जोड़ें : वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन	-		-	
		वर्ष के दौरान वृद्धि	716,718		140,919	
			22,006,721		21,290,003	
		वर्ष के दौरान कमी	-		-	
		घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	4,380,456	17,626,265	3,861,794	17,428,209
					-	
	II.	**प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य**				
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	135,815			
		वर्ष के दौरान वृद्धि	176,213		94,919	
		वर्ष के दौरान कमी	226,110	85,918	71,373	
	III.	**भूमि**			30,477	135,815
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	135,204		135,204	
		जोड़ें : वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन	-		-	
		वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
		वर्ष के दौरान कमी	104,232		-	
			30,972		135,204	
		घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	22,260	8,712	22,260	112,944
	IV.	**अन्य अचल संपत्तियां**				
		(फर्नीचर एवं फिक्सचर्स सहित)				
		क) पट्टे पर दी गई आस्तियां				
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	310,477		310,477	
		वर्ष के दौरान कमी	45,125		0	
			265,352		310,477	
		घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	265,352	-	310,477	0

31 मार्च 2012, के समेकित तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

	यथा 31.03.2012		यथा 31.03.2011	
ख) अन्य	13,497,900		12,305,289	
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर	1,564,648		1,643,676	
वर्ष के दौरान वृद्धि	15,062,548		13,948,965	
	333,640		451,065	
वर्ष के दौरान कमी	14,728,907		13,497,900	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्य ह्रास	9,252,242		8,322,150	
	5,476,665	5,476,665	5,175,750	5,175,750
बी. अमूर्त आस्तियां				
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	890,730		790,471	
वर्ष के दौरान वृद्धि	262,816		100,260	
	1,153,546		890,730	
आज की तारीख तक परिशोधन	873,142	280,404	728,420	162,311
जोड़		**23,477,965**		**23,015,029**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :

I.	अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल)	4,361,262	6,366,834
II.	उपचित ब्याज	16,943,595	12,463,874
III.	संदत्त/स्रोत पर काटा गया ब्याज (प्रावधानों के समायोजन के बाद)	(4,812,979)	(4,195,547)
IV.	लेखन सामग्री और स्टैंप	51,960	85,492
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर बैंककारी आस्तियां	390	390
VI.	आस्थगित कर आस्तियां		-
VII.	अन्य	23,327,375	27,501,435
	जोड़	**39,871,603**	**42,222,477**

अनुसूची 12 - अनुषंगी दायित्व :

I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है	33,855,475	13,051,500
II.	अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयताएं	5,920	5,920
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	2,037,783,156	1,332,270,183
IV.	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
	i) भारत में	145,398,127	131,390,908
	ii) भारत के बाहर	2,087,637	929,873
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	142,911,453	113,938,257
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रुप से उत्तरदायी है		
	i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	4,100,593	3,169,400
	ii) अन्य	75,438	93,756
	जोड़	**2,366,217,799**	**1,594,849,797**

31 मार्च 2011 के समेकित लाभ एवं हानि लेखा के भाग के रूप में अनुसूचियां

	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2011 को समाप्त वर्ष
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	160,266,256	120,312,406
II. निवेशों पर आय	45,782,788	40,110,045
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	3,309,149	1,610,962
IV. अन्य	2,166,606	2,576,018
जोड़	**211,524,799**	**164,609,431**
अनुसूची 14 - अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	3,582,490	3,649,397
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	4,415,214	4,643,849
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ - निवल	(6,595)	(3,591)
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	4,887,504	4,290,134
V. विविध आय	10,284,452	7,817,401
जोड़	**23,163,065**	**20,397,190**
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	134,001,532	95,358,371
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1,408,583	1,134,443
III. अन्य	6,887,146	5,850,328
जोड़	**142,297,261**	**102,343,142**
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	24,965,111	26,042,284
II. किराया, कर और प्रकाश	2,682,196	2,370,438
III. मुद्रण और लेखनसामग्री	376,538	337,089
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	705,930	943,487
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	1,505,768	1,562,316
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	14,420	10,312
VII. प्रबंध / कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	5,687	5,633
VIII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	231,765	214,155
IX. विधि प्रभार	154,397	107,338
X. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	502,339	433,874
XI. मरम्मत एवं अनुरक्षण	704,425	561,084
XII. बीमा	1,876,734	1,759,023
XIII. अन्य व्यय	6,437,361	5,395,819
जोड़	**40,162,671**	**39,742,851**

वर्ष 2011-12 के लेखाओं की अनुसूचियां

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1 लेखांकन पद्धति

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण, जब तक कुछ अन्यथा न कहा गया हो, निरंतर कारोबार सिद्धांत और सामान्यत: परंपरागत लागत के आधार पर भारतीय कार्यालयों / शाखाओं के संबंध में भारत में एवं विदेशी कार्यालयों / शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के अनुरूप तैयार किए गए हैं.

2. अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को, वित्तीय विवरण की तिथि को आकस्मिक देयताओं सहित रिपोर्ट की गयी आस्तियों व देयताओं और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान और अंदाज लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण और युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम और अनुमानों के अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है जिसके परिणाम ज्ञात हैं.

3. **समूहन का आधार**

3.1 समूह (2 सहायक कंपनी, 2 एसोसिएट व 1 संयक्त उपक्रम) के समेकित वित्तीय विवरण निम्न के आधार पर तैयार किये गये हैं :

i यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

ii इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक समेकित विवरण के अनुसार पेरेंट बैंक और उसके सहायक कंपनियों से उनके लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर अंतर-समूह लेनदेन, अप्राप्त लाभ/हानि को निकालने और एकरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप आवश्यक समायोजन के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदें लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़कर मिलायी गई हैं.

iii एसोसिएटों में निवेश का लेखांकन, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में निवेशों का लेखांकन" की इक्विटी पद्धति के अनुसार.

iv संयुक्त उपक्रमों का समेकन: आईसीएआई के लेखा मानक 27 "संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार यथानुपात

3.2 जहां सहायक कंपनियों, एसोसिएटों और संयुक्त उपक्रमों द्वारा एकरूप लेखांकन पद्धति का पालन नहीं किया गया है वहां समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन इसलिये नहीं किये गये हैं कि प्रबंधन के विचार से ये समायोजन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं.

3.3 समूह के सहायक कंपनियों में निवेश की लागत और सहायक कंपनियों की इक्विटी में समूह के हिस्से के अंतर को समेकित वित्तीय विवरण में गुडविल/पूंजी आरक्षित माना गया है.

3.4 समेकित सहायक कंपनियों की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में शामिल है

i) जिस दिन सहायक कंपनी में निवेश किया गया है उस दिन अल्पसंख्यक शेयरधारकों की इक्विटी के बराबर की राशि

ii) पेरेंट सहायक कंपनी संबंध स्थापित होने की तिथि से राजस्व आरक्षित/हानि (इक्विटी) के संचरण में अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा.

4. राजस्व की पहचान

बैंकिंग कंपनियां

i) अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय का लेखांकन सामान्यत: उपचय आधार पर किया गया है.

ii) गैर निष्पादित अग्रिमों(एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है.

वर्ष के दौरान एनपीए के रुप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में विगत वर्ष के लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड आदि पर कमीशन प्राप्ति के बाद ही लेखांकित किए गए हैं.

4.2 गैर बैंकिंग संस्थाएं :

जीवन बीमा :

ए) प्रीमियम आय:

प्रीमियम (सेवा कर निकालकर) देय होने पर आय माना गया है. सहयोगी इकाइयां सृजित किये जाने पर सम्बद्ध (linked) कारोबार के लिए, प्रीमियम की पहचान की जाती है. टॉप-अप प्रीमियम को एक प्रीमियम माना गया है. व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय, उन पालिसियों के पुन: बहाल होने पर माना जाता है. पुनर्बीमा कराने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय माना जाता है जिस अवधि के लिये पुनर्बीमा प्रीमियम दिया गया हो

बी) सम्बद्ध निधियों से आय :

सम्बद्ध निधियों से आय, जिसमें प्रीमियम आवंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार आदि शामिल होते हैं, जारी पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से वसूल किए जाते हैं.

सी) पुनर्बीमा प्रीमियम:

अर्जित पुनर्बीमा की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ समझौते या सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय की पहचान के समय हिसाब में ली जाती है. अर्जित पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम से कम कर लिया जाता है.

डी) प्रदत्त लाभ (दावों सहित) :

पॉलिसी लाभ सहित प्रदत्त लाभ एवं दावा निपटान लागते, यदि कोई हों, मृत्यु, अनुवृद्धि एवं अभ्यर्पण दावे सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे और परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. सम्बद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत आहरण एवं अभ्यर्पण संबंधित स्कीमों में तब हिसाब में लिए जाते हैं ,जब सहयोगी इकाइयां रद्द हो जाती हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों के अनुसार उसी अवधि में हिसाब में ली जाती हैं.

v) अधिग्रहण लागत :

अधिग्रहण लागत वे लागत हैं जो बीमा संविदाओं के अधिग्रहण के साथ परिवर्तित होती हैं और मूल रूप से उनसे ही संबंधित होती हैं तथा उसी अवधि के व्यय में आती हैं, जिसमें ये खर्च की गयी हों.

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए देयता :

बीमांकिक दायित्व चालू जीवन पॉलिसियों एवं उन पॉलिसियों के लिए लागू होता है जिनके प्रीमियम बंद हो गए हैं परंतु देयता विद्यमान है. इसका निर्धारण स्वीकृत बीमांकिक पद्धति, बीमा अधिनियम 1938 की अपेक्षाएं, इरडा के विनियमों और भारतीय बीमांकिक संस्थान के निबंधनों के अनुसार सकल बीमा विधि का प्रयोग करके और समूह कारोबार के मामले में अनर्जित प्रीमियम विधि का प्रयोग करके नियत बीमांकिक द्वारा किया जाता है.

आस्ति प्रबंधन

i) स्कीमों में कंपनी द्वारा किये गये निवेश को कम करके, म्यूचुअल फंड स्कीमों के दैनिक औसत आस्ति मूल्य के प्रतिशत के रूप में उपचय आदार पर सेवा कर निकाल कर निवेश प्रबंधन शुल्क को मान्य किया जाता है जो सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 और बाद के संशोधनों में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक न हो.

ii) ग्राहकों के साथ सनविदा की शर्तों के अनुसार निवेश सलाहकारी शुल्क को उपचय आधार पर मान्य किया जाता है.

iii) संव्यवहार में निहित दर के आधार पर समय अनुपात प्रणाली के माध्यम से ब्याज आय को मान्य किया जाता है.

iv) लाभांश आय प्राप्त होने के अधिकार के समय मान्य की जाती है.

निवेश

i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए का अपेक्षाओं के अनुसार निवेश को श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियां

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग) शेयर

घ) ऋणपत्र व बांड

ड़) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश और

च) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न तीन श्रेणियों में भी बांटा गया है

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)

सी) ट्रेडिंग के लिए धारित (एचटीएफ)

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया गया है.

ए i) परिपक्वता तक धारित श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर.

अंकित मूल्य से ऊपर अधिग्रहण लागत का आधिक्य परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित होता है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन संवहन लागत पर किया गया है.

iii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश का मूल्यांकन संवहन लागत पर किया गया है.

इन निवेशों में किसी प्रकार के स्थाई प्रकृति के ह्रास के लिये प्रावधान किया जाता है.

बी i) बिक्री के लिए उपलब्ध एव "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिपवार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार
ii.	राज्य विकास ऋण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड.	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के अनुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
iii.	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (यदि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) .दोनों नहीं होने पर रू.1/- प्रति कपनी के अनुसार
iv.	अधिमानी शेयर	यदि उल्लेखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
v.	डिबेंचर	बाजार मूल्य पर, यदि उल्लेखित हो, अन्यथा एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर
vi.	म्युचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बताई गई दरों के अनुसार, यदि बताई गई हों. यदि दरें बताई न गई हों, तो म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न किया गया हो, तो शुद्ध आसति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
vii.	राजकोषीय बिल/ वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र	संवहन लागत पर
viii.	जोखिम पूंजी निधियां	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो रू.1/-प्रति वीसीएफ पर्
ix.	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर्

iii) अंतर बैंक रीपो/रिवर्स रीपो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिये जाते हैं.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की जाती है :

- विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी से परिपक्वता तक धारित में शिफ्टिंग की तारीख के बाजार मूल्य या बही मूल्य, दोनों में जो भी कम हो पर. यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसका पूरा प्रावधान किया जाता है.

- परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिये उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर

- यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरत पुनर्मूल्यांकन किया जाय और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया जाय.

- विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की जाती है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया जाता है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाली लाभ/हानि, लाभ और हानि खाते में लिखी जाती है. लेकिन परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश के विक्रय से होने वाले लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित को अंतरित राशि घटाकर) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोग की जाती है.

viii) कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की जाती है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक निवेश संव्यवहारों के लेखांकन निपटान तारीख के हिसाब से करता है.

डेरिवेटिव संविदा

i) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाया गया है. सिवाय उन स्वप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि के स्वैप को शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

ii) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ मार्क-टू-मार्केट आधार पर संपन्न किए जाते हैं :

iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

5. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है.

ii) मानक अग्रिमों के कुछ संवर्ग यथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शैक्षिक ऋण, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए सांविधिक अपेक्षा से 2% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है.

iii) अग्रिम की राशि, गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित प्रावधान तथा विविध खातों में रखे गए अप्राप्त ब्याज / सीजीटीएफ/ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि कम करके बताई गई है. मानक अग्रिमों पर प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान में किया गया है.

6. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

i) अचल आस्तियां परंपरागत लागत पर उल्लिखित हैं, जब कि भूमि और भवन पुनर्मूल्यांकित रकम पर.

ii) सॉफ्टवेयर सिस्टम को अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया

आस्तियों का प्रकार		मूल्य ह्रास की दर
i)	परिसर	5%
ii)	अन्य अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/ लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- यू. पी. एस.	33.33%
iii)	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर्

iv) कम्प्यूटरों एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया गया है.

v) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधे दर से लगाया गया है.

vi) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vii) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

viii) पट्टे पर ली गयी भूमि का पट्टे की अवधि पर परिशोधन किया गया है.

7. आस्तियों में क्षति

आस्तियों में हुई किसी प्रकार की क्षति की पहचान, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसके संबंध में जारी किये गये लेखा मानक 28 के नुसार की गयी है.

8. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर

भारतीय रिजर्व बैंक के दिसानिर्देशों के अनुसार, प्रति चक्रीय प्रावधान बफर के लिये बैंक के पास अनुमोदित नीति है.

9. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन माना गया है.

10. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखा का वर्गीकरण गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है.

ए) अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू)एवं विदेशी शाखा

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर -- मौद्रिक दोनों प्रकार की तथा आकस्मिक देयताएं) को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित बंद दरों पर दर्शाया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित" में संचित रखा गया है.

बी) विदेशी शाखा

i) आय पहचान :

आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार किए गए हैं.

ii) आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान :

आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों,जिनमें भी दर अधिक हो, के अनुसार किए गए हैं.

iii) अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत पर किया गया है.

बी) विदेशी शाखा की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

11 कर्मचारी लाभ :

ग्रेच्युटी निधि एवं पेंशन निधि को वार्षिक अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भविष्य निधि में अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभों एवं हानियों की पहचान की गयी है.

12. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार बैंक कारोबार को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक (गौड़) कारोबार खंड के रूप में मान्यता देता है.

कारोबार संव्यवहार को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कारपोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है.

13. लीज संव्यवहार

बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों की लीज की समाप्ति /नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज किराये संबंधी विवादों के संबंध में बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता प्रदान की जाती है.

14. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है.

प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूट किये गये अर्जन की गणना के लिये इक्विटी शेयरों की भारित संख्या और वर्ष के अंत में बढ़ने संभावित शेयरों की संख्या का प्रयोग किया जाता है.

15. कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयीं कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह "समुचित निश्चितता" न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में "वास्तविक निश्चितता" उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के लिए मापन के लिये ठोस स्तर के प्राक्कलन के आधार पर प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें उद्घाटित किया गया है.आकस्मिक देयताओं का प्रावधान

नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें उद्घाटित किया गया है.

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

1. बैंक (पेरेंट) के वित्तीय विरणों के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित किये गये हैं, उनका विवरण इस प्रकार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.2012 को बैंक (पेरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि	भारत	51%
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि	भारत	51%

2. समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित संयुक्त उपक्रमों के विवरण इस प्रकार हैं

संयुक्त उपक्रमों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	26%

3. समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित एसोसिएट के विवरण इस प्रकार हैं:

एसोसिएटों के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
i) काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	भारत	35%
ii) रीवा सीधी ग्रामीण बैंक	भारत	35%

4. जिन सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और एसोसिएटों के वित्तीय विवरण समेकन के लिये उपयोग किये गये हैं, वे उसी अवधि के लिये तैयार किये गये हैं जिस अवधि अर्थात 31.03.2011 के वित्तीय विवरण बैंक (पेरेंट) के हैं.

5. देशी एसोसिएट/सहायक कंपनियों के मामले में, पेरेंट बैंक और एसोसिएट/सहायक कंपनियों द्वारा अपनायी गयी अलग अलग लेखांकन नीतियों के कारण किये जाने वाले समायोजन, एसोसिएट/ सहायक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर किये गये हैं, क्योंकि राशियां बहुत कम हैं.

6. समेकित वित्तीय विवरण, स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि , केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31.03.2012 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किये गये हैं.

7. पेरेंट बैंक के संदर्भ में कुछ मामलों को छोड़कर विदेशी और अन्य बैंकों के साथ शेष की पुष्टि / समाधान सामान्यतया प्राप्त किया गया है.

उचंत खाता, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा /कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का काम जारी है. शाखाओं द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय कार्यालय लेखा का समाधान 31 मार्च 2012 तक पूरा कर लिया गया है. प्रबंधन के विचार से इनके अंतिम समाधान के लंबित रहने का लेखों पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव उल्लेखनीय नही होगा.

8. **आय कर**

पेरेंट बैंक का मानना है कि इसके खातों में किया गया आयकर का प्रावधान पर्याप्त है.

9. **भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है** :

9.1 पूंजी

(₹ करोड़ में)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	सीआरएआर (%)	11.85	12.95
ii)	सीआरएआर - टियर I कैपिटल (%)	8.37	8.69
iii)	सीआरएआर - टियर I I कैपिटल (%)	3.48	4.26
iv)	भारत सरकार के शेयर होल्ड़िग का प्रतिशत	54.35	57.06
v)	टायर II पूंजी के द्वारा अर्जित अधीनस्थ ऋण की राशि	शून्य	शून्य
vi)	आईपीडीआई के द्वारा अर्जित राशि	शून्य	शून्य
vii)	अपर टियर II लिखतों के द्वारा अर्जित राशि	शून्य	500.00

9.2 **प्रावधान और आकस्मिक निधियां**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
एनपीए के लिये प्रावधान	1510.73	1141.69
निवेश के मूल्य में कमी	**55.03**	**26.65**
कर के लिये प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	925.62	873.45
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान	229.74	148.54
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधान सहित)	**745.50**	**32.71**
सकल योग	3466.62	2223.04

9.3 फ्लोटिंग प्रावधान के ब्यौरे (पेरेंट बैंक)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
फ्लोटिंग प्रावधान में आरंभिक शेष	743.00	697.00
लेखा वर्ष के दौरान किया गया फ्लोटिंग प्रावधान	20.00	46.00
लेखा वर्ष के दौरान निकाली गयी राशि	0.00	0.00
फ्लोटिंग प्रावधान में आरंभिक शेष	763.00	743.00

10. लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ -2011-12 (पेरेंट बैंक)

(₹ करोड़ में)

		ग्रेच्युटी	पेंशन
i)	**उपयोग किए गए मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान**		
	पिछली डिस्काउंट दर	8.50%	8.50%
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00%	8.00%
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	पिछली एट्रीशन दर	2.00%	2.00%
	चालू डिस्काउंट दर	8.50%	9.00%
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	8.00%	8.00%
	चालू वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	चालू एट्रीशन दर	2.00%	2.00%
ii)	**लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाला टेबल** :		
	वर्ष के आरंभ में देयता	**894.93**	**4771.82**
	ब्याज लागत	**74.37**	**405.27**
	चालू सेवा लागत	**34.47**	**118.48**
	पिछली सेवा लागत (परिशोधित निहित लाभ)	--	--
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	--	--
	देयता अंतरण आवक	--	--
	देयता अंतरण जावक	--	--
	प्रदत्त लाभ	**(108.86)**	**(244.85)**
	बीमांकिक (अर्जन) / बाध्यताओं पर हानि	**95.64**	**208.31**
	वर्ष के अंत में देयताएं	**990.55**	**5259.03**
iii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य का टेबल:**		
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**873.05**	**2513.69**
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	**67.89**	**317.60**
	अंशदान	**30.00**	**1578.71**
	अन्य कंपनी से अंतरण	--	--
	अन्य कंपनी को अंतरण	--	--
	प्रदत्त लाभ	**(108.86)**	**(244.85)**
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	**(0.80)**	**(145.15)**
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	**861.28**	**4020.00**
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन / (हानि)	**(96.44)**	**(353.46)**
iv)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान :**		
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	--	--
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	--	--
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	--	--
v)	**प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**		
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	**67.89**	**317.60**
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	**(0.80)**	**(145.15)**
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	**67.09**	**172.45**
vi)	**तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम :**		
	वर्ष के अंत में देयता	**990.55**	5259.03
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**861.28**	4020.00
	अंतर	**(129.27)**	(1239.03)
	न पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित)..... अंतिम शेष	--	1014.17
	न पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैर-निहित)..... अंतिम शेष	**195.00**	-
	न पहचानी गई संक्रमण देयता ..... अंतिम शेष	-	-
	तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम	**65.73**	**(224.86)**

		ग्रेच्युटी	पेंशन
vii)	**आय विवरण में पहचाने गए व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	**34.47**	**118.48**
	ब्याज लागत	**74.37**	**405.27**
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	**(67.89)**	**(317.60)**
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (गैर-निहित लाभ)	**65.00**	**338.00**
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-
	संक्रमण देयता की पहचान	-	-
	बीमांकिक लाभ या हानि	**96.44**	**353.46**
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए व्यय	**202.39**	**897.61**
viii)	**तुलन पत्र समाधान:**		
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि)	**(238.12)**	**2258.13**
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	**202.39**	**897.61**
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	-	-
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	**(30.00)**	(1578.71)
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	**(65.73)**	**1577.03**
ix)	**अन्य विवरण :**		
	ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशार्ते कि अधिकतम राशि ₹ 10,00,000.00 या बैंक की स्कीम के अनुसार हो.		
	पेंशन प्रत्येकसेवा वर्ष के लिए वेतन का 1/66, अधिकतम 50%		
	घटना के वर्ष में समायोजित वास्तविक लाभ / हानि.		
	वेतन वृद्धि बैंक द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है.		
	सदस्यों की संख्या	30458	26345
	वेतन प्रति माह	98.51	89.85
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	**291.11**
x)	**आस्तियों का संवर्ग:**		
	भारत सरकार आस्तियां	-	-
	कार्पोरेट बांड	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	राज्य सरकार	-	-
	संपत्ति	-	-
	अन्य	**861.28**	**4020.00**
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	-	-
	कुल	**861.28**	**4020.00**
xi)	**अनुभव समायोजन**		
	योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	**95.09**	**511.13**
	योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	**(0.80)**	**(145.15)**

10.1 वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	राशि
1	पेंशन	897.61
2	अवकाश नकदीकरण	48.15
3	अवकाश यात्रा रियायत	1.77
4	बीमारी अवकाश	2.50

11 लेखा मानक 17 के अनुसार क्षेत्रवार रिपोर्टिंग

(₹ करोड़ में)

	व्यवसाय के क्षेत्र	31.03.2012 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व		
1	ट्रेज़री परिचालन	5,721.77	4,932.41
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	7,385.62	5,657.77
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	10,090.86	7,794.18
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	278.41	107.04
5	गैर निर्धारित	-3.89	145.40
	योग	**23,476.66**	**18,636.80**
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम		
1	ट्रेज़री परिचालन	945.53	1,141.64
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	951.79	781.92
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	657.15	976.22
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	158.28	55.82
5	गैर निर्धारित	-15.13	116.89
	योग	**2,697.62**	**3,072.49**
(सी)	आयकर	925.62	873.65
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**1,772.01**	**2,198.84**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	ट्रेज़री परिचालन	78,153.45	78,631.90
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	59,933.71	51,840.03
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	120,949.52	101,901.16
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर निर्धारित	3,988.01	4189.85
	योग	**263,024.69**	**236,562.94**
(एफ)	**क्षेत्रवार देयताएं**		
1	ट्रेज़री परिचालन	73,837.56	74,979.22
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	56,877.45	49,404.87
3	कार्पोरेट /थोक बैंकिंग	114,781.83	97,114.38
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
5	गैर निर्धारित	2,894.79	2,299.95
6	पूंजी, निधियां एवंअधिशेष	14,633.06	12,764.52
	योग	**263,024.69**	**236,562.94**

I) बैंक चार क्षेत्रों यथा ट्रेजरी, फुटकर, गैर-फुटकर एवं सहायक बैंकिंग सेवाओं में परिचालन करता है. उत्पादों और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. लेखामानक 17 में विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर , लेखा मानक 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत है अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.

II) सीधे तौर पर आवंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिये गये हैं.

iii) दो गैर बैंकिंग सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उपक्रम को अनावंटित खंड में मिला दिया गया है. ये लेखा मानक 17 के अनुसार रिपोर्टिंग खंड नहीं हैं.

12 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन (पेरेंट बैंक)

12.1 लेखा मानक 18 के अनुसार बेंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया है:

(क) लेखा मानक 18 के अनुसार बेंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया है:

i. श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii. श्री एस. सी. कालिया, कार्यपालक निदेशक (31 अगस्त तक)
iii. श्री एस. एस. मूंदड़ा, कार्यपालक निदेशक
iv. श्री एस. के. जैन, कार्यपालक निदेशक (01.09.2011 से)

(ख) अनुषंगी :

यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि.

(ग) संयुक्त उपक्रम :

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(घ) एसोसिएट :

बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक एवं रीवा सीधी ग्रामीण बैंक.

12.2 संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन :

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टियां	एसोसिएट / संयुक्त उपक्रम		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार		योग	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
जमाराशियां	2485.85	2731.13					2485.85	2731.13
शाश्वत बांड	1.11	1.11					1.11	1.11
विविध व्यय	4.03	6.42					4.03	6.42
बीमा	7.25	5.38					7.25	5.38
ब्याज	206.30	132.40					206.30	132.40
विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	7.04	1.84					7.04	1.84
बैंक प्रभार	0.01	0.82					0.01	0.82
बीमा कमीशन	14.78	13.50					14.78	13.50
बीमा प्रीमियम	24.83	21.79					24.83	21.79
सरकारी प्रतिभूतियों / ट्रेज़री बिलों की खरीद	10.54	13.58					10.54	13.58
बैंक खाता शेष	26.36	9.70					26.36	9.70

12.3 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2010-11
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.22	0.22
कार्यपालक निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	#0.35	0.35
योग	0.57	0.57

पिछले वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान की गई ₹ 6.00 लाख एवं ₹ 8.00 लाख की कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि शामिल है.

13 प्रति शेयर अर्जन -लेखा मानक 20

बैंक ने लेखामानक 20 के अनुसार "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार मूल प्रति शेयर अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है.

			31.03.2012	31.03.2011
I	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	33.79	39.71
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)		1772.01	2081.95
iii	इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	संख्या	52.446	52.433
iv	प्रति शेयर नामिनल मूल्य	₹	10.00	10.00

14 लेखा मानक 22 - आय पर कर की गणना :

बैंक ने लेखाबंदी मानक ए एस 22 (आय पर कर की गणना) के अनुपालन में आय पर कर की गणना की है. तदनुसार, 31.03.2011 को आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. 31.03.2012 को आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के घटकों पर कर प्रभाव निम्न प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2012	31.03.2011
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	210.48	185.68
2	कर्मचारी लाभ	130.77	145.82
3	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	4.45	-
4	अवकाश नकदीकरण	8.76	35.21
	योग	**354.46**	**366.71**
	आस्थगित कर देयता		
1	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	17.85	-
2	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	31.97	26.67
3	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	326.33	374.11
	योग	376.15	400.78
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**21.69**	**34.07**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति		

15. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रुप से पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

वी.एच. कामत सहायक महा प्रबंधक	**एन. एस. महेता** महा प्रबंधक	**एस. के. जैन** कार्यपालक निदेशक	**एस. एस. मूंदड़ा** कार्यपालक निदेशक	**डी. सरकार** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
राजेश खुल्लर निदेशक	**चंदन सिन्हा** निदेशक	**बी. एम. शर्मा** निदेशक	**बी. एन. भट्टाचार्जी** निदेशक	**एन. शंकर** निदेशक
डा. अतुल अग्रवाल निदेशक	**एम. एस. श्रीराम** निदेशक	**एस. रवि** निदेशक		

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 18073)
फर्म पंजीयन क्र. 307092ई

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 86657)
फर्म पंजीयन क्र. 003917एन

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्यता क्र. 403633)
फर्म पंजीयन क्र. 000127सी

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 091007)
फर्म पंजीयन क्र. 008744एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. नागनाथन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 7547)
फर्म पंजीयन क्र. 0027835

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)
भागीदार (सदस्यता क्र. 015747)
फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.05.2012

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2012	समाप्त वर्ष 31.03.2011
ए	परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह	(382,367)	448,884
बी	निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह	(23,526)	(20,811)
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह	(37,006)	7,541
		(442,899)	**435,614**
डी	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	2,013,283	1,577,669
ई	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	1,570,384	2,013,283
एफ	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी) या (ई-डी)	**(442,899)**	**435,614**
	ब्रेकअप विवरण		
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के दौरान अग्रिम, ब्याज आदि से प्राप्त ब्याज	2,070,761	1,625,448
	अन्य आय	231,697	204,086
घटाएं	जमारशि, उधारों आदि पर दिया गया ब्याज (गौण ऋण को छोड़कर)	(1,360,782)	(965,167)
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आस्मिकताएं	(748,289)	(618,441)
जोड़ें	मूल्य ह्रास के लिये समायोजन	14,645	15,566
I.	परिचालन से प्राप्त नकद लाभ	**208,032**	**261,492**
II.	आस्तियों/देयताओं के परिचालन से नकदी प्रवाह		
	{देयताओं में वृद्धि (कमी)		
	जमाराशियां	2,031,523	3,241,291
	उधार	459,351	400,066
	आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के लिये समायोजन	(1,238)	3,407
	अन्य देयताएं आदि (पूर्व के सालों में किये अधिक प्रावधानों के पुनर्लेखन सहित)	(5,155)	225,445
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		
	अग्रिम	(2,689,601)	(3,167,792)
	निवेश	(470,467)	(450,962)
	अन्य	85,188	(64,063)
	परिचालन आसितयों और देयताओं से नकदी प्रवाह	**(590,399)**	**187,392**
	परिचालन कार्यों शुद्ध नकदी प्रवाह (I+II)	**(382,367)**	**448,884**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	अचल आस्तियों का विक्रय/निपटान	4,564	664
	अचल आस्तियों की खरीद	(28,090)	(21,475)
	निवेश कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(23,526)**	**(20,811)**
सी	वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह		
	लाभांश 2010-11		
	लाभांश कर 2010-11		
	लाभांश 2009-10	(41,947)	(27,781)
	लाभांश कर 2009-10	(6,859)	(4,721)
	गौण ऋण टियर II पूंजी के आगम	-	(40,000)
	टियर IIपूंजी पर ब्याज	(52,715)	(49,256)
	अधीनस्थ अपर टियर II पूंजी	-	50,000
	शाश्वत बांड	-	-
	पीएनसीपीएस पर ब्याज	(515)	-
	पीएनसीपीएस	-	11,100
	भारत सरकार / भारतीय जीवन बीमा निगम से अंश पूंजी	65,030	68,199
	वित्तपोषण कार्यों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(37,006)**	**7,541**

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2012	समाप्त वर्ष 31.03.2011
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,764,484	1,246,824
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	248,799	330,845
	शुद्ध नकद और नकदी समकक्ष	**2,013,283**	**1,577,669**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	1,163,369	1,764,484
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	407,015	248,799
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद और नकद समकक्ष	**1,570,384**	**2,013,283**

(एस. के.जैन)
कार्यपालक निदेशक

(एस.एस.मूंदड़ा)
कार्यपालक निदेशक

(डी सरकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को दिनांक 9 मई 2012 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है.

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 18073)
फर्म पंजीयन क्र. 307092ई

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(विमल कुमार जैन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 86657)
फर्म पंजीयन क्र. 003917एन

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
सनदी लेखाकार

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्यता क्र. 403633)
फर्म पंजीयन क्र. 000127सी

कृते जी. एस. माथुर एंड कं.
सनदी लेखाकार

(राजीव कुमार वधावन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 091007)
फर्म पंजीयन क्र. 008744एन

कृते प्राइस पैट एंड कं.
सनदी लेखाकार

(एम. नागनाथन)
भागीदार (सदस्यता क्र. 7547)
फर्म पंजीयन क्र. 0027835

कृते सिंगरोलिया गोयल एंड कं.
सनदी लेखाकार

(के. वी. एस. श्याम सुन्दर)
भागीदार (सदस्यता क्र. 015747)
फर्म पंजीयन क्र. 112081डब्ल्यू

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.05.2012

जोखिम प्रबंधन

नये पूंजी पर्याप्तता संरचना दिशानिर्देश के अंतर्गत प्रकटन

दिशानिर्देश - बासल II (स्तंभ 3)मार्च 2012

इस रिपोर्ट के प्रकटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्णत:) से संबंधित हैं. बैंक का जोखिम भारित आस्तियों के सापेक्ष पूंजी अनुपात (सीआरएआर) निम्नानुसार है :

सीआरएआर %	11.85%
सीआरएआर-टियर 1 पूंजी%	8.37%
सीआरएआर - टियर 2 पूंजी %	3.48%

तालिका डीएफ-1

1. प्रयुक्ति की परिधि

गुणात्मक प्रकटन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है.सहायक कारोबार के रूप में यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी में 51% हिस्सेदारी है. कंपनी ने तरलता, इक्विटी और ऋण निधि के अंतर्गत छह योजनाएं प्रारंभ की हैं.

बैंक ने 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)- काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी तथा रीवा सीधी ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं. इन आरआरबी में बैंक ने ₹ 19.15 करोड़ का निवेश किया है. दोनों ही आरआरबी लाभ कमा रहे हैं और संतोषजनक ढंग से कार्यरत हैं. इन दोनों आरआरबी में कोई भी पूंजी अभाव नहीं है. इन आरआरबी के वित्तीय आंकड़ों को बैंक के तुलन पत्र में समाहित नहीं किया गया है.

मात्रात्मक प्रकटन

बैंक ने बीमा के लिए संयुक्त उपक्रम करार किया है, जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है तथा इस संयुक्त उपक्रम में किए गए निवेश को बैंक की पूंजी निधि में से घटाया नहीं गया है; किंतु जोखिम भारित निवेश के तौर पर लिया गया है, क्योंकि यह निवेश कंपनी की चुकता पूंजी के 30% से कम है.

- स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी, चुकता पूंजी में 26% अंशदान के साथ (बैंक ऑफ इंडिया 48% तथा दाइ-इची म्यूचुअल जीवन बीमा, जापान - 26%).

स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड का ब्यौरा

कंपनी का नाम :	**स्टार यूनियन दाइ-इची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	26%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	25% (अर्थात 2 वोट)
एसयूडी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी	₹ 250.00 करोड़
चुकता पूंजी :	₹ 250.00 करोड़
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (26%) :	₹ 65 करोड़

बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए भी यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कं. बेल्जियम के साथ संयुक्त उपक्रम करार किया है. इस कंपनी में निवेश की गयी राशि बैंक की पूंजी निधि से (टियर I से 50% और टियर 2 से 50%) घटा दी गयी है जबकि निवेश की राशि कंपनी की चुकता पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक है.

इसके अंतर्गत एक संपदा प्रबंधन कंपनी और एक ट्रस्टी कंपनी का गठन किया गया है. इन कंपनियों के विवरण इस प्रकार हैं :

यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कंपनी प्रा. लि.के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	**यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कं. प्रा. लि.**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	51%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	50% (अर्थात 2 वोट)
यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कं. प्रा. लि. की अधिकृत पूंजी	₹ 100.00 करोड़
चुकता पूंजी :	₹ 95.00 करोड़
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (51%) :	₹ 48.45 करोड़

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा लि के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	**यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	51%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	50% (अर्थात 1 वोट)
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. की अधिकृत पूंजी	₹ 5 लाख
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. की चुकता पूंजी	₹ 5 लाख
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (51%) :	₹ 2.55 लाख

तालिका डीएफ-2

2. पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन

2.1 अंश पूंजी:

2.1.1. बैंक की अधिकृत अंश पूंजी ₹ 3000.00 करोड़ है. 31 मार्च 2012 को बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी ₹ 550.55 करोड़ है, जिसमें शामिल प्रत्येक रू.10/- मूल्य वाले शेयरों की संख्या 55,05,49,035 है. 54.35% शेयरधारिता, जिसमें दिनांक 31.03.2011 को शामिल शेयरों की संख्या 29,92,14,515 है, भारत सरकार के पास है. वर्ष के दौरान, बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम से, ₹ 10/- अंकित मूल्य के 2,62,16,620 शेयर वरीयता आधार पर, ₹ 238.05 के प्रीमियम पर जारी करके सकल ₹ 650.30 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई है. परिणाम स्वरुप भारत सरकार की शेयरधारिता 57.07% से घटकर 54.35% हो गई है. बैंक के शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं.

2.2 ऋण पूंजी लिखत :

2.2.1 बैंक ने नमोन्वेषी शाश्वत बांड (टियर 1 पूंजी) तथा टियर 2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र अन्य बांड भी जारी किए हैं. बांडों की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें इस प्रकार हैं:

ए. वचन पत्र के रूप में शाश्वत गैर-जमानती अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (टियर 1 बांड)

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर % (प्रति वर्ष)	अवधि	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
X - प्रथम ट्रांस	10.10.2006	300	10 वर्ष तक 9.45 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.95 यदि कॉल आप्शन का प्रयोग न किया गया हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XI-अपर टियर द्वितीय ट्रांस	12.12.2007	200	10 वर्ष तक 9.90 10वें वर्ष से स्टेप अप 10.40	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XII	09.09.2008	200	10 वर्ष तक 11.15% 10वें वर्ष से स्टेप अप 11.65%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न किया गया हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XII	30.03.2009	140	10 वर्ष तक 9.10% 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.60%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
XIV-A	16.06.2009	**200**	10 वर्ष तक 8.85% 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.35%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में	कोई नहीं
	कुल	**1040**				

बी. वचन पत्र के रूप में गैर-जमानती, शोध्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (अपर टियर 2 बांड) 10वें वर्ष की समाप्ति पर कॉल ऑप्शन के साथ

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर(प्र. व)	परिपक्वता	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
X - द्वितीय ट्रांस अपर टियर 2	16.10.2006	750	08.95% 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.45%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	16.10.2021	10वें वर्ष के अंत में काल	कोई नहीं
XIV-B - अपर टियर 2	25.06.2009	500	08.65% 10 वर्ष तक, 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.15%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	25.06.2024	10वें वर्ष के अंत में काल	कोई नहीं
XIV-C - अपर टियर 2	27.01.2010	500	08.55% 10 वर्ष तक, 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.05%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	27.01.2025	10वें वर्ष के अंत में काल	कोई नहीं
XV-A - अपर टियर 2	28.06.2010	500	08.48% 10 चर्ष तक, 10वें वर्ष से स्टेप अप 8.98%, यदि काल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	28.06.2025	10वें वर्ष के अंत में काल	कोई नहीं
योग		**2250.00**				

सी. वचन पत्र के रूप में गैर-जमानती, शोध्य, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (टियर 2 बांड)

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ ₹ में)	कूपन दर % (प्रति वर्ष)	परिपक्वता	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
VI	03.09.2003	250	5.95 %	03.05.2013	कोई नहीं	कोई नहीं
VII	08.02.2005	450	7.15 %	08.05.2015	कोई नहीं	कोई नहीं
VIII- फ्लोटिंग	23.09.2005	200	बेंच+ 55 % बीपीएस	23.04.2012	कोई नहीं	कोई नहीं
VIII	23.09.2005	600	7.45 %	23.04.2015	कोई नहीं	कोई नहीं
IX	19.05.2006	200	8.33 %	19.05.2016	कोई नहीं	कोई नहीं
XI - प्रथम ट्रांस	12.12.2007	400	9.35 %	12.04.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	17.09.2008	400	10.95 %	17.09.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	23.12.2008	200	9.50 %	23.12.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII	30.12.2008	200	8.60 %	30.12.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
कुल		**2900**			कोई नहीं	कोई नहीं

डी. कुल सक्रिय बांड

(₹ करोड़ में)

कुल सक्रिय बांड (ए+बी+सी)	**6190**

मात्रात्मक प्रकटन

2.3 बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल है :

(₹ करोड़ में)

i)	चुकता अंश पूंजी (111.00 करोड़ का पीएनसीपीएस मिलाकर)	661.55
ii)	आरक्षिती (पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को छोड़कर)	12437.68
iii)	नमोन्वेषी शाश्वत बांड	1040.00
iv)	अन्य पूंजी लिखत	--
कटौतियाँ		
v)	अनुषंगियों में निवेशित अंश (50%)	33.82
vi)	अमूर्त आस्तियाँ (आस्थगित कर आस्तियाँ + कंप्यूटर सॉफ्टवेअर)	24.54
टियर 1 पूंजी (i + ii + iii + iv + v - vi)		14080.87

2.4 टियर 2 पूंजी (कटौतियों के बाद) की राशि ₹ 5845.56 करोड़ है.

2.4.1. अपर टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र ऋण पूंजी:

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया रकम	2250.00
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	----
पूंजी कोष के रुप मे चिह्नित पात्र रकम	2250.00

2.4.2. लोअर टियर II पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋण:

(₹ करोड़ में)

कुल बकाया रकम	2040.00
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	-
पूंजी कोष के रुप में चिह्नित पात्र रकम	2040.00

2.5 पूंजी में अन्य कोई कटौती नहीं है.

2.6 कुल पात्र पूंजी में शामिल हैं :

(₹ करोड़ में)

टियर I पूंजी	14080.87
टियर II पूंजी	5845.56
कुल पूंजी निधियां	19926.43

तालिका डीएफ-3

3. पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

3.1. बैंक अंशधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु अनावृत, कारोबार आदि के मूल्य में हानि की जोखिम से सुरक्षा के रूप में पूंजी रखता है.

3.2. वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसका अनुश्रवण किया जाता है. बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर / संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है. इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइ-सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तंभ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल-II के स्तंभ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है. बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है.

3.2.1 रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल-II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

3.2.2 बैंक ने पूंजी आवश्यकताओं एवं तिमाही आधार पर उसकी समीक्षा करने की योजना बनाई है. बैंक ने 2012 तक पूंजी का मूल्यांकन किया है.

मात्रात्मक प्रकटन

3.2.3 दिनांक 31 मार्च, 2012 को ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम और पूंजी पर्याप्तता अनुपात का सारांश इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

ए. ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता	
- मानक दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग @ 9%	13492.62
- प्रतिभूतिकरण निवेश	---
बी. बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता	
- मानक अवधि दृष्टिकोण	
- ब्याज दर जोखिम	368.20
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	12.15
- ईक्विटी जोखिम	308.57
सी. परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताएं	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण (आरडब्ल्यूए - 10605 करोड़ @ 9%)	954.45
डी. बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	11.85%
ई. टियर 1 सीआरएआर (%)	8.37%

सामान्य गुणात्मक प्रकटन

3.3 जोखिम प्रबंधन : उद्देश्य एवं संगठनात्मक संरचना

बैंक के पास एक विश्वसनीय एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना है और बैंक ने जोखिम प्रबंधन कार्यों को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं. बैंक जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण रखता है. जोखिम प्रबंधन नीतियां कारोबार की आवश्यकताओं के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. जोखिम प्रबंधन

सिस्टम में विभिन्न प्रकार के जोखिम आते हैं, जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम.

बैंक ने अपनी हांगकांग शाखा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित देश-विशेष जोखिम नीति भी बनाई है और यह हांगकांग की अर्थव्यवस्था के जोखिम आयामों एवं बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर तैयार की गई है.

बैंक का निदेशक बोर्ड बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों का पर्यवेक्षण करता है. जोखिम प्रबंधन पर बैंक की निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण करने के लिए शीर्ष निकाय/ समिति है. बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की अलग समितियां भी हैं, यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति एवं देयता समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम समिति जो क्रमश: ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम की देख-रेख करती हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना न केवल केन्द्रीय कार्यालय में अपितु क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालयों में भी है. बैंक की व्यापक जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना नीचे प्रस्तुत की गई है :

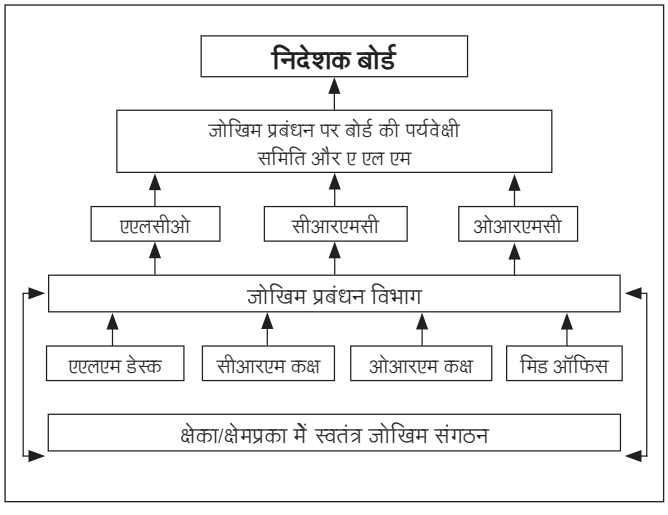

3.3.1.ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रशासन

- ऋण जोखिम में ब्याज एवं किस्तों का भुगतान देय तिथि पर न करने के कारण उधारकर्ता या काउंटर-पार्टी का अपनी वचनबद्धताओं का आदरण करने की अक्षमता शामिल है.
- बैंक उधार एवं निवेश कार्यों के जरिये ऋण जोखिम उठाता है.
- बैंक के पास सुनिर्धारित ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, रीयल एस्टेट नीति और ऋण जोखिम शमन (सीआरएम) तकनीकें एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन नीति हैं, जिनमें ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सम्पूर्ण कार्य शामिल हैं. ऋण नीति एवं ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में लक्ष्य-बाजार, जोखिम स्वीकरण/ अस्वीकरण, जोखिम संयम, विविधीकरण एवं संकेन्द्रन के वरीयता प्राप्त स्तर, ऋण जोखिम मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण तंत्र के बारे में दिया गया है.
- बैंक के पास ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निरीक्षण तंत्र सहित एक उपयुक्त एवं स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना है, जिसमें शीर्ष कार्यपालकों की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और ऋण जोखिम पर्यवेक्षण के लिए एक अलग जोखिम प्रबंधन विभाग भी है. इसके अलावा, एक अलग बोर्ड स्तरीय समिति अर्थात् जोखिम प्रबंधन एवं एएलएम की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति है.
- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, ऋण नीति, पद्धतियों से संबंधित मामले देखती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम के लिए नियंत्रण के उपाय करती है.

ऋण मंजूरी प्रक्रिया

- बैंक की ऋण नीति में ऋण मंजूरी प्रक्रिया पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल है :
  - महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र
  - ड्यू डिलीजेंस मानदंड
  - केवाइसी मानदंड
  - वित्त मूल्यांकन की विधियां
  - न्यूनतम ऋण मानक
  - टेक ओवर कोड मानदंड आदि

ऋण अनुश्रवण प्रणाली :

- ऋण अनुश्रवण एक सतत प्रकिया है. बैंक के पास ऋण अनुश्रवण की एक अलग नीति है, जिसमें निम्नलिखित पर दिशानिर्देश दिए गए हैं :
  - ईएएस/ एसएमए खातों की पहचान और समय पर कार्रवाई शुरु करने के लिए प्रेरक बिन्दु
  - ऋण की गुणवत्ता के आधार पर उधार खातों की समीक्षा की समयावधि. न्यून क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ता बार-बार (आवर्ती) समीक्षा के अध्यधीन हैं.
  - आवधिक अनुश्रवण रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण
  - अनुश्रवण के लिए विभिन्न चरणबद्ध स्तर.

क्रेडिट रेटिंग ढांचा (फ्रेमवर्क)

- बैंक के पास ऋण प्रशासन एवं अनुमोदन प्रक्रिया के लागू होने वाले आंतरिक क्रेडिट रेटिंग/ स्कोरिंग मॉडल्स हैं. क्रेडिट रेटिंग ढांचा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का संयोग है. क्रेडिट रेटिंग ऋण की गुणवत्ता का चित्रण करती है और चूक की संभावना की भविष्यवाणी करती है.
- क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, गैर-एसएलआर निवेश, अन्तर बैंक एक्सपोजर और एनबीएफसी में एक्सपोजर निवेश के लिए बनाये गये हैं.
- क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स खुदरा ऋण स्कीमों के लिए बनाये गये हैं.
- क्रेडिट रेटिंग का कार्य स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता है और क्रेडिट

रेटिंग की समीक्षा वार्षिक रुप से की जाती है तथा उच्च जोखिम के ऋणों के लिए छमाही में की जाती है.

- मानक श्रेणी में 8 जोखिम मूल्यांकन स्तर (ग्रेड) हैं और क्रेडिट रेटिंग- 5 तक निवेश ग्रेड निर्धारित किया गया है.
- बैंक उधारकर्ताओं के मूल्यांकनवार वितरण पर आभारी (obligor) आधार पर और संविभाग आधार पर आवधिक अंतरालों में विश्लेषण करता है और उसका अनुश्रवण करता है.

ऋण ग्रिड प्रणाली

- बैंक ने जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधित्व के साथ सभी ऋण निवेशों की जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/ क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय में व्यापक ऋण अनुमोदन ग्रिड प्रणाली स्थापित की है.
- सरकार के नवीनतम दिशानिदेश और बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, ऋण अनुभाग के लिए बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालय में ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी), क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय के लिए ऋण अनुभाग प्रारंभ किया है. जोखिम प्रबंधन का सभी सीएएस में प्रतिनिधित्व है.

ऋण संकेन्द्रण जोखिम

- ऋण संकेन्द्रण निम्नलिखित उपायों द्वारा हल किया गया है:
- बैंक ने ऋण संविभाग के विविधीकरण के लिए अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों हेतु विवेकपूर्ण/ नियंत्रण सीमाएं निर्धारित की हैं.
- बैंक निवेश सीमाओं के पालन का अनुश्रवण तिमाही आधार पर करता है. बैंक के पास मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट के जरिये बड़े निवेशों का अनुश्रवण करने का एक सुस्थापित सिस्टम भी है. बैंक का ऋण संविभाग किसी भी क्षेत्र में संकेन्द्रण को कम करने के लिए अच्छा लचीला है. बैंक के ऋण संविभाग विविधीकरण के वांछित स्तर से नीचे आने की स्थिति में जोखिम को व्यक्तिगत समूह निवेश/ उद्योग/ क्षेत्र आदि से शिफ्ट करने के लिए तत्काल उपाय किए जाते हैं.
- बैंक की ऋण जोखिम क्षमता विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए ऋण सीमाएं/ विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करके आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया(आईसीएएपी) के माध्यम से परिभाषित की गई है.इनका अनुश्रवण आईसीएएपी के मूल्यांकन के जरिए तिमाही आधार पर किया जाता है.

जोखिम प्रोफाइल

- बैंक तिमाही आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट प्रोफाइल टेम्पलेट (आरपीटी) का संकलन भी करता है जिसके द्वारा यह निम्नलिखित आधार पर स्वाभाविक कारोबार जोखिम, आंतरिक नियंत्रण जोखिम और एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ताओं को परिणामी शुद्ध ऋण सुविधा के आधार पर ऋण जोखिम के स्तर एवं दिशा का मूल्यांकन करता है .
  - बैंक ने एकल ऋणी/ समूह ऋणी हेतु उच्चतम सीमा भी निर्धारित की है.
  - बड़ी ऋण सीमाएं
  - संवेदनशील क्षेत्रों यथा पूंजी बाजार/ रीयल एस्टेट और एनबीएफसी को एक्सपोजर
  - अप्रतिभूत अग्रिम एवं गारंटियां
  - शीर्ष 20 उधारकर्ताओं को एक्सपोजर
  - उद्योगों /क्षेत्रों को एक्सपोजर
  - भौगोलिक क्षेत्र वार एक्सपोजर
  - तुलन पत्र वाह्य ऋण एक्सपोजर

3.3.2 बाजार जोखिम

- बाजार जोखिम प्रबंधन ट्रेजरी नीति और एएलएम नीति में आता है.
- फ्रंट आफिस, बैक आफिस और मिड आफिस में स्पष्ट रुप से भेद किया गया है.
- मिड आफिस जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है.
- घरेलू एवं विदेशी विनिमय परिचालनों के लिए विभिन्न ऋण सीमाएं यथा ओवरनाइट पोजीशन सीमा, डे-लाइट ओपन पोजीशन सीमा, वीएआर सीमा, डील साइज सीमा, स्टाप हानि सीमा, सकल गैप सीमा (आईजीएल), एकल गैप लिमिट काउंटर पक्षकार सीमा आदि विद्यमान हैं.
- ट्रेडिंग के लिये धारित, बिक्री के लिये उपलब्ध सरकारी प्रतिभतियों, इक्विटी पोर्तफोलियो तथा विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के जोखिम मूल्य (वीएआर) पर दैनिक आधार पर नजर रखी जाती है.

3.3.2.1 बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दरों में 200 बीपीएस तक परिवर्तन के प्रभाव जानने के लिए आवधिक गैप विश्लेषण (डीजीए) करता है.

3.3.3 परिचालन जोखिम

- एक सु-निर्धारित बोर्ड अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति विद्यमान है.
- वर्तमान में, परिचालन जोखिम का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के जरिये किया जाता है.
- न्यू प्रॉडक्ट अनुमोदन प्रक्रिया विद्यमान है.
- आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता जानने के लिये धोखाधड़ियों का विश्लेषण परिचालन जोखिम के दृष्टिकोण से किया जाता है.
- बैंक की गतिविधियों एवं आय की मैपिंग के दिशानिर्देश विद्यमान हैं.
- बैंक विभिन्न उत्पादों/ प्रक्रियाओं के संबंध में जोखिम और नियंत्रण स्वमूल्यांकन(आरसीएसए) करता है.
- चूंकि आंतरिक परिचालन जोखिम हानि आंकड़े सीमित संख्या में होते हैं, इसलिए बैंक ने सिद्धांतत: आईबीए के बाह्य डाटा पूलिंग कार्य में सम्मिलित होने की सहमति दी है.

टेबल डीएफ - 4

गुणात्मक प्रकटन

4. ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटन

4.1 अतिदेय : बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी रकम का भुगतान न किए जाने की स्थिति में वह अतिदेय (ओवरड्यू) हो जाती है.

4.2 अनर्जक आस्ति : अनर्जक आस्ति एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिससे बैंक की आय का अर्जन नहीं होता. गैर-निष्पादित आस्ति में निम्नलिखित ऋण या अग्रिम शामिल हैं :

ए मीयादी ऋण के मामले में 90 दिन से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/ या किस्त अतिदेय हो जाना.

बी. कोई ओवरड्राफ्ट/ नकद साख (ओडी/ सीसी) खाता अनियमित हो जाता है यदि

- बकाया शेष, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से लगातार आधिक्य में रहता है
- ऐसे मामलों में जहां मूलधन परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से कम होता है, परन्तु बैलेंस शीट की तारीख पर लगातार 90 दिन तक उसमें कोई जमा नहीं होता और जमा रकम उस अवधि के दौरान नामे किये गये ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो.

सी. खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय होने की स्थिति में

डी फसल ऋण के मामले में

1. मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त अल्प अवधि की फसलों के मामले में दो फसल सीजन के लिए अतिदेय रहने पर
2. लम्बी अवधि की फसल के मामले में मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल सीजन के लिए अतिदेय रहने पर.

ई. किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज (मासिक ब्याज सहित) तिमाही के अंत से 90 दिन की अवधि में पूर्णत: प्राप्त न होने पर.

एफ. अन्य खातों के मामले में प्राप्त होने वाली कोई भी रकम 90 दिन से अधिक अवधि हेतु अतिदेय रहने पर.

4.3 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति : बैंक के पास ऋण नीति के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. ऋण नीति में कारोबार के मामले आते हैं, जबकि ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम के मामले आते हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निम्नलिखित पर दिशानिर्देश दिए गए हैं :-

- ऋण जोखिम मूल्यांकन ढांचा एवं मूल्य निर्धारण
- ऋण ग्रिड अवधारणा / ऋण अनुमोदन समिति
- विवेकपूर्ण मानदण्ड/ विनियामक उच्चतम सीमा जैसे उद्योगवार ऋण जोखिम,संवेदनशील ऋण जोखिम(पूंजी बाजार/ स्थावर संपदा ऋण जोखिम),
- ऋण समीक्षा तंत्र,
- पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- तुलन-पत्र बाह्य ऋण जोखिम,
- समस्यामूलक ऋण प्रबंधन,
- बासल II कार्यान्वयन, आदि.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

4.4 पूर्ण सकल ऋण जोखिम निम्न हैं:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	राशि
निधि आधारित	181031
गैर निधि आधारित	28462
कुल	209493

4.5 ऋण जोखिम का भौगोलिक क्षेत्रवार संवितरण

(₹ करोड़ में)

	समुद्रपारीय	घरेलू
निधि आधारित	9181	171850
गैर निधि आधारित	207	28462
कुल	9388	200312

4.6 एक्सपोजर (निधि आधारित) का उद्योगवार वितरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2012	
			राशि (₹ करोड़ में)	% एक्सपोजर
1	1	कोयला	193.17	0.11
2	2	खनन	318.07	0.18
3	3	लोहा एवं इस्पात	7608.89	4.20
4	4	अन्य धातु व धातु उत्पाद	2862.17	1.58
5	5	समस्त इंजीनियरिंग	2060.80	1.14
6	6	विद्युत	496.82	0.27
7	7	सूती कपड़ा	1865.92	1.03
8	8	जूट कपड़ा	48.01	0.03
9	9	अन्य कपड़ा	2976.40	1.64
10	10	शक्कर	1378.37	0.76
11	11	चाय	181.08	0.10
12	12	खाद्य प्रसंस्करण	3017.70	1.67
13	13	खाद्य तेल और वनस्पति	521.10	0.29
14	14	तंबाकू व तंबाकू उत्पाद	41.99	0.02
15	15	कागज व कागज उत्पाद	440.43	0.24
16	16	रबर व रबर उत्पाद	886.31	0.49
17	17	रसायन,रंगाई,पैंट,आदि	4659.52	2.57
		जिसमें से उर्वरक	(1681.97)	0.93
		जिसमें से पेट्रो-रसायन	(355.52)	0.20

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2012	
			राशि (₹ करोड़ में)	% एक्सपोजर
18	18	सीमेन्ट	866.72	0.48
19	19	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	161.45	0.09
20	20	रत्न एवं जेवरात	3065.01	1.69
21	21	निर्माण	2185	1.21
22	22	पेट्रोलियम	5794.37	3.20
23	23	ऑटोमोबाइल ट्रक सहित	960.82	0.53
24	24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1069.34	0.59
25	25	आधारभूत संरचना	28473.37	15.73
26	26	एनबीएफसी	16762.21	9.26
27	27	अन्य उद्योग	4066.12	2.25
		कुल	**92961.19**	**51.35**
28	28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	88069.81	48.65
		कुल योग	**181031.00**	**100.00**

एक्सपोजर (गैर-निधि आधारित) का उद्योग प्रकार वितरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	कोड	उद्योग	31.03.2012	
			राशि (₹ करोड़ में)	ऋण जोखिम %
1	1	कोयला	60.74	0.21
2	2	खनन	7.67	0.03
3	3	लोहा एवं इस्पात	1891.15	6.60
4	4	अन्य धातु व धातु उत्पाद	900.71	3.14
5	5	समस्त इंजीनियरिंग	1315.66	4.59
6	6	विद्युत	20.52	0.07
7	7	सूती कपड़ा	137.45	0.48
8	8	जूट कपड़ा	0.22	0.00
9	9	अन्य कपड़ा	318.78	1.11
10	10	शक्कर	3.16	0.01
11	11	चाय	1.04	0.00
12	12	खाद्य प्रसंस्करण	304.90	1.06
13	13	खाद्य तेल और वनस्पति	375.20	1.31
14	14	तंबाकू व तंबाकू उत्पाद	0.77	0.00
15	15	कागज व कागज उत्पाद	23.51	0.08
16	16	रबर व रबर उत्पाद	233.06	0.81
17	17	रसायन, रंगाई, पैंट, आदि	689.16	2.40
		जिसमें से उर्वरक	(12.32)	0.04
		जिसमें से पेट्रो-रसायन	(27.49)	0.09
18	18	सीमेन्ट	19.24	0.07
19	19	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	57.53	0.20
20	20	रत्न एवं जेवरात	293.67	1.02
21	21	निर्माण	1491.88	5.20
22	22	पेट्रोलियम	5.93	0.02
23	23	ऑटोमोबाइल ट्रक सहित	569.54	1.99
24	24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	84.15	0.29
25	25	आधारभूत संरचना	2700.13	9.42
26	26	एनबीएफसी व व्यापार	0.00	0.00
27	27	अन्य उद्योग	3136.84	10.94
		कुल	**14642.61**	**51.07**
28	28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	14026.39	48.93
		कुल योग	**28669.00**	**100.00**

4.7. आस्तियों का संविदागत परिपक्वता वर्गीकरण :

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	अग्रिम	निवेश (कुल)	विदेशी मुद्रा आस्तियां
आगामी दिवस	1904.16	678.03	1242.86
2-7 दिन	1065.48	1582.55	979.94
8-14 दिन	1895.99	261.28	375.81
15-28 दिन	5633.37	464.78	1316.93
29 दिन -3 माह	29261.32	1181.47	3644.11
>3 माह -6 माह	16539.00	648.55	3201.61
>6 माह- 1 वर्ष	23761.77	1934.46	1061.94
>1 वर्ष-3 वर्ष	53332.41	5715.32	1350.09
>3 वर्ष-5वर्ष	17588.81	10254.37	1431.28
>5 वर्ष	26899.75	39642.74	1587.03
कुल	177882.08	62363.56	16191.60

4.8 कुल एनपीए निम्नानुसार हैं :

श्रेणी	(₹ करोड़ में)
अवमानक	2997.41
संदिग्ध-1	1672.22
संदिग्ध-2	559.70
संदिग्ध-3	166.43
हानि	54.10
कुल एनपीए (सकल)	5449.86

4.9 निवल एनपीए की राशि ₹3025.03 करोड़ है.

4.10 एनपीए अनुपात निम्नानुसार है:

- कुल अग्रिमों का कुल एनपीए : 3.01%
- शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए : 1.70%

4.11 शुद्ध एनपीए का संचरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

1.वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	3622.82
2.वर्ष के दौरान संवृद्धि	3760.11
3.वर्ष के दौरान कमी	1933.07
4.वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	5449.86

4.12 एनपीए के लिए प्रावधान का संचरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

1.वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	1776.61
2.वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1510.73
3.वर्ष के दौरान किए गए अपलेखन /पुनरांकन	936.99
4.वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	2350.35

4.13 गैर-निष्पादक निवेश की राशि रु 59.89 करोड़ है.

4.14 गैर-निष्पादक निवेश के लिए धारित प्रावधानों की राशि रु 59.89 करोड़ है.

4.15 निवेश पर ह्रास के लिए प्रावधान की गति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

1.	वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	105.64
2.	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	162.89
3.	वर्ष के दौरान किए गए अपलेखन / पुनरांकन	107.86
4.	वर्ष के अंत में अंतिम शेष (1+2-3)	160.67

तालिका डीएफ-5

गुणात्मक प्रकटन

5. ऋण जोखिम : मानकीकृत अवधारणा के अध्यधीन संविभाग के लिए प्रकटन

5.1 बैंक ने सभी पात्र ऋण जोखिमों के लिए भारिबैं द्वारा मान्य निम्नलिखित 4 घरेलू ऋण रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है.

- क्रिसिल
- केयर
- फिच इंडिया
- इक्रा

5.1.1. बैंक ने भारिबैं द्वारा अभिनिर्धारित निम्नलिखित 3 अंतर्राष्ट्रीय साख रेटिंग एजेंसियों को भी अनुमोदित किया है

- स्टैंडर्ड एंड पूअर
- मूडीज
- फिच

5.2 लार्ज कार्पोरेट ऋणियों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अनुमोदित वाह्य रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रेटिंग को मैपिंग पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की गणना के प्रयोजन से मैप किया गया है.

मात्रात्मक प्रकटन

5.3 विभिन्न वर्गों में जोखिम शमन (मानकीकृत अवधारणा के अध्यधीन) के पश्चात् जोखिम राशि निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

1.100% से कम जोखिम भार ऋण बकाया	159851.07
2. 100% जोखिम भार ऋण बकाया	77504.46
3. 100% से अधिक जोखिम भार ऋण बकाया	21366.14
कुल	258721.67

सारणी डीएफ-6

6. ऋण जोखिम शमन : मानकीकृत अवधारणा के लिए प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

6.1 बैंक ऋण जोखिम शमन (सीआरएम)तकनीक व संपार्श्विक प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखता है, जो संपार्श्विक के चयन, संपार्श्विक में जोखिम, संपार्श्विक के मूल्यांकन और निरीक्षण, पात्र वित्तीय संपार्श्विक गारंटियों और भारिबैं द्वारा निर्धारित हेयरकट के दिशानिर्देशों को कवर करती है.

6.2 बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकार के संपार्श्विक निम्न हैं :

6.2.1 नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) पर भारिबैं के दिशानिर्देश के अनुसार मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशामकों के रुप में पहचाने गए पात्र वित्तीय संपार्श्विक,

- ✓ नकद या नकद समतुल्य (बैंक जमाराशियां/ एनएससी/ केवीपी/ एलआइसी पालिसी आदि)
- ✓ सोना
- ✓ केंद्रीय/ राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- ✓ बीबीबी या बेहतर पीआर 3/पी 3/एफ 3/ए 3 रेटेड कर्ज प्रतिभूतियां / अल्पावधि ऋण लिखत

6.2.1.1.बैंक, संपार्श्विकों के जोखिम शमन प्रभाव के कारण, पात्र वित्तीय संपार्श्विकों की हेयरकट-समायोजित मूल्य के अनुसार काउंटर पार्टी को ऋण एक्सपोजर कम कर देता है.

6.2.2. चल और अचल आस्तियां/ भू संपत्ति आदि.

6.2.3.गारंटी में कार्पोरेट, बैंक और व्यक्तिगत गारंटी शामिल हैं. इसमें ईसीजीसी, सीजीएफटीआइ और राज्य/ केन्द्र सरकार आदि द्वारा गारंटीकृत अग्रिम भी सम्मिलित हैं.

मात्रात्मक प्रकटन

6.4 ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत ₹ 14782.51 करोड़ के पात्र वित्तीय संपार्श्विकों को प्रभाव देने के बाद कुल ऋण जोखिम निवेश ₹ 258721.67 करोड़ है.

(₹ करोड़ में)

जोखिम पोर्टफोलियो	प्रशामक (करोड़ में)	प्रतिशत सहयोग
सरकार पर दावे	91.94	0.62%
बैंकों पर दावे	402.51	2.72%
सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों पर दावे	7.06	0.05%
प्राथमिक डीलरों पर दावे	1.62	0.01%
कंपनियों पर दावे	6442.68	43.58%
नियामक रितेल पर दावे	6488.91	43.90%
आवसीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	21.88	0.15%
वाणिज्यिक रीयल स्टेट द्वारा प्रतिभूत दावे	74.30	0.50%
अनर्जक आस्तियां	56.53	0.38%
वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्यों सहित उपभोक्ता ऋण	921.68	6.23%

पूंजी मार्केट एक्सपोजर	230.90	1.56%
एनबीएफसी पर दावे	0.22	0.00%
स्टाप अग्रिम	42.29	0.29%
कुल	14782.51	100.00%

6.5 ऋण जोखिम की मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत पात्र गारंटीकर्ताओं द्वारा कवर एक्सपोजर का विवरण निम्न प्रकार है

(₹ करोड़ में)

गारंटीकर्ता का प्रकार	जोखिम भार	कवर एक्सपोजर	प्रतिशत योगदान
केंद्र सरकार /सीजीटीएसआई/डीआइईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत दावे	0%	213.25	3.14%
राज्य सरकार/ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत दावे	20%	6579.63	96.86%
कुल		**6792.88**	**100.00%**

तालिका डीएफ-7

7. प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अवधारणा हेतु प्रकटीकरण

7.1. वर्तमान में प्रतिभूतिकरण में बैंक की भूमिका प्रतिभूत लिखतों में निवेशक की ही है. 31.03.2012 को,प्रतिभूतिकरण में निवेश के रूप में बकाया राशि ₹ 0.33 करोड़ है.

तालिका डीएफ-8

8. व्यापारिक बही में बाजार जोखिम :

गुणात्मक प्रकटन

बाजार जोखिम ऑन अथवा ऑफ तुलन पत्र की उस स्थिति का मूल्यांकन है, जो वस्तुओं/ आस्तियों के मूल्यों एवं विनिमय दरों के कारण इक्विटी एवं ब्याज दर बाजार में संचरण से प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती हैं.

ए) बाजार जोखिम के आकलन हेतु मानकीकृत अवधारणा द्वारा कवर किए गए पोर्टफोलियो निम्नानुसार हैं:

- ❖ व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां
- ❖ विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां
- ❖ व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार स्थिति,
- ❖ ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर की हेजिंग हेतु डेरिवेटिव
- ❖ दिन की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति व दिन की समाप्ति पर गोल्ड स्थिति

शेष आस्तियां अर्थात् परिपक्वता पर धारित निवेश संविभाग एवं अग्रिमों को बैंकिंग बुक के रुप में माना गया है. बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

(I) रणनीतियां एवं प्रक्रियाएं:

नीतियां

बैंक में एक सुनिर्धारित कोषागार नीति (जिसमें निवेश संविभाग, विदेशी विनिमय परिचालन एवं डेरिवेटिव परिचालन निहित हैं) तथा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति है, जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है. इन नीतियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमयों एवं डेरिवेटिव्स के परिचालन सुदृढ़ एवं स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुसार किये जा रहे हैं तथा वित्तीय लिखतों एवं वित्तीय बाजारों के लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों एवं नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार हैं. नीतियों की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है और सरकार/ नियामक प्राधिकरण, आर्थिक परिवेश एवं कारोबार की अपेक्षाओं की स्थिति में नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन कम अंतराल पर भी की जाती हैं.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही आंतरिक माडेल एप्रोच(आइएमए) पर अपने दिशानिदेश दिए हैं, जो बैंक हेतु उच्चतर जोखिम प्रबंधन कार्य सुनिश्चित करते हैं.आईएमए में प्रवसन के आशय से, बैंक पहले ही बोर्ड आदेशात्मक आईएमए नीति लाया है.

तरलता जोखिम :

तरलता जोखिम की माप, अनुश्रवण एवं प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा नकदी प्रवाह अप्रोच एवं स्टॉक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है. परिपक्वता अथवा नकदी प्रवाह अन्तर के माध्यम से तरलता जोखिम का पता लगाया जाता है. तरलता जोखिम की माप हेतु परिपक्वता सोपान एवं चयनित परिपक्वता तिथियों पर निधियों के संचयी आधिक्य अथवा कमी की गणना जिसे टाइम बॅकेट के रुप में जाना जाता है, का प्रयोग मानक माध्यम के रुप में किया जाता है. अन्तरों के स्वीकार्य स्तर पर विवेकपूर्ण सीमाएं लागू हैं तथा पाक्षिक आधार पर इनका अनुश्रवण किया जाता है. स्टॉक अप्रोच के अंतर्गत अनेक अनुपात/ सीमाएं यथा मांग उधारी, अंतर बैंक देयता, थोक जमाराशि, प्रतिबद्धता अनुपात, तरल आस्ति सापेक्ष क्रय निधि अनुपात आदि लागू हैं. विपरीत स्थिति में विभिन्न स्तरों पर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. दबाव की स्थितियों में तरलता/ निधि की आवश्यकता, निधि उगाही के स्रोत एवं लाभ-हानि इसके संभावित प्रभाव आदि की गणना तिमाही अंतराल पर की जाती है.

थोक जमाराशियों का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है. तरलता स्थिति के आकलन हेतु पाक्षिक आधार पर अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरण तैयार किया जाता है एवं अनुश्रवण किया जाता है, जिसमें कारोबार विकास को भी ध्यान में रखा जाता है.

ब्याज दर जोखिम

अल्प काल अर्थात वित्त वर्ष की समाप्ति तक बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव के आकलन हेतु बैंक द्वारा परंपरागत गैप विश्लेषण (टीजीए) की गणना की जाती है. बैंक के निवेश संविभाग का अनुश्रवण आवधिक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है.जोखिम पर मूल्य (वीएआर) कार्यप्रणाली का प्रयोग एसएलआर एवं ईक्विटी के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए किया जाता है. जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की गयी है और इसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है तथा उच्च प्रबंधन को रिपोर्टिंग की जाती है.

भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर में परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभाव के आकलन हेतु आवधिक गैप विश्लेषण का भी प्रयोग बैंक द्वारा किया जाता है.

विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक द्वारा अनेक एक्सपोजर सीमाएं जैसे अधिकतम डे-लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, सकल गैप सीमा (एजीएल), स्टॉप हानि सीमा एवं डील साइज सीमा आदि निर्धारित की गयीं हैं. बैंक द्वारा विदेशी

विनिमय की स्थिति के लिए वीएआर सीमा निर्धारित की गयी है, जिसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है. डेरिवेटिव लेनदेनों का अनुश्रवण ओपन स्थितियों के लिए विवेकपूर्ण सीमा एवं बकाया डेरिवेटिव के लिए पीवी01 सीमा द्वारा किया जाता है.

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की कोषागार नीति के अंतर्गत इक्विटी ट्रेडिंग के लिए बुक साइज, डील साइज, धारण अवधि एवं स्टॉप हानि सीमा आदि के लिए सीमाएं निर्धारित हैं. इन सीमाओं का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है.

(बी) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का संगठन एवं संरचना

बाजार जोखिम के प्रबंधन को कवर करने वाली नीतियों का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है. निदेशक मंडल की सहायता हेतु निम्नलिखित तीन स्तरों की व्यवस्था है -

- आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन की पर्यवेक्षण समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति
- महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन विभाग)

(सी) क्षेत्र

बाजार जोखिम के प्रबंधन, मापन एवं अनुश्रवण के लिए बैंक द्वारा अनेक सीमाएं यथा डे-लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, डील साइज सीमा, सकल गैप सीमा (एजीएल), वैयक्तिक गैप सीमा, स्टॉप हानि सीमा, ट्रेडिंग बुक साइज, जारीकर्तावार सीमा, दर संवेदी सीमा, वीएआर सीमा आदि निर्धारित की गयी हैं.

इन सीमाओं का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है तथा उच्च प्रबंधन को समुचित रिपोर्टिंग की जाती है.

तरलता एवं बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क की समुचित व्यवस्था है तथा तिमाही आधार पर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. परिणामों की चर्चा आल्को में की जाती है तथा इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

(IV) हेजिंग एवं जोखिम शमन

बैंक की ट्रेजरी नीति में बैंक की पोजीशन हैज करने की नीति अन्तर्निहित है. बैंक की बही के लिए किये गये हैज संव्यवहारों की समीक्षा निश्चित अंतराल पर की जाती है.

मात्रात्मक प्रकटन

बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक आवधिक अवधारणा को अपनाया है. बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत अपेक्षा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
ब्याज दर जोखिम	368.20
इक्विटी स्थिति जोखिम	308.57
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	12.15
मानक आवधिक अवधारणा के अंतर्गत बाजार जोखिम हेतु कुल पूंजी प्रभार	**688.92**

तालिका डीएफ-9

9. परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

परिचालनात्मक जोखिम गवर्नेंस

- परिचालनात्मक जोखिम वह जोखिम है जो आंतरिक प्रक्रिया, जनबल एवं सिस्टम के अपर्याप्त या असफल होने के कारण अथवा बाहरी घटनाओं के कारण होता है.
- परिचालनात्मक जोखिम सभी कारोबार लाइनों एवं सभी स्तरों पर विद्यमान होता है.
- वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन अधिकांशत: आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था द्वारा किया जाता है.
- परिचालनात्मक जोखिम के नियंत्रण/ निवारण हेतु बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं.
  - प्रत्यायोजित प्राधिकार व्यवस्था, जिसमें ऋण एवं व्यय को कवर किया गया है.
  - अनुदेश पुस्तिका एवं समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से अनुदेश जारी करना.
  - निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था
  - निवारक सतर्कता
  - बीमा
  - जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
  - आउटसोर्सिंग नीति
  - अनुपालन नीति
  - कारोबार निरंतरता नीति
- बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति लागू है, जिसमें निम्न शामिल हैं:
  - संगठनात्मक संरचना
  - परिचालनात्मक जोखिम की पहचान, आकलन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण.
  - परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार
  - रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
  - परिचालनात्मक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण एवं रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश.
  - आठ कारोबारी स्तरों की गतिविधियों की मैपिंग हेतु नीति.
- बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षण मशीनरी सहित समुचित एवं स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना की व्यवस्था है, जिसमें उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा परिचालनात्मक जोखिमों की देखरेख हेतु एक अलग जोखिम प्रबंधन विभाग भी कार्यरत है. इसके अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन तथा एएलएम की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड स्तरीय समिति अर्थात बोर्ड की पर्यवेक्षण समिति भी कार्यरत है

- ❖ परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) बैंक के नये उत्पादों के अनुमोदन, धोखाधड़ियों के विश्लेषण, परिचालनात्मक जोखिम हानि आंकड़ों के विश्लेषण, बैंक की गतिविधियों एवं आय की मैपिंग की कार्यप्रणाली के विश्लेषण आदि का कार्य आठ कारोबारी स्तरों पर करती है.
- ❖ परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक द्वारा बेसिक इंडीकेटर अवधारणा अपनायी जाती है.
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक को बेसिक इंडीकेटर अवधारणा (बीआईए) के अंतर्गत परिचालनात्मक जोखिम हेतु 31.03.2012 से पूंजी की व्यवस्था करनी है. बेसिक इंडीकेटर अवधारणा के अनुसार प्रभार रू. 954.47 करोड़ है.
- ❖ बैंक ग्राहकों को अबाधित सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है.यह प्रतिबद्धता फ्रंट ऑफिस से बैक ऑफिस तक सभी गतिविधियों के लिए दी जाती है.निरंतर सेवा ग्राहक का विश्वास और सतत निष्ठा जीतने का मार्ग है. इसकी पूर्ति के लिए बैंक ने पहले से ही बोर्ड आदेशित बीसीपी नीति अपनाता है.

जोखिम प्रोफाइलिंग

बैंक तिमाही आधार पर परिचालनात्मक जोखिम प्रोफाइल टेंपलेट संकलित करता है, जिसके द्वारा निहित जोखिम, आंतरिक नियंत्रण जोखिम तथा परिणामी शुद्ध परिचालनात्मक जोखिम की दशा एवं दिशा का आकलन तथा निम्नांकित के आधार पर किया जाता है:

- जन जोखिम
- आउटसोर्सिंग जोखिम
- प्रोसेस जोखिम
- प्रौद्योगिकी जोखिम
- छवि जोखिम
- घटना जोखिम

टेबल डीएफ-10

10. बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम

(ए) **गुणात्मक प्रकटन**

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन का बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसके परिणामस्वरूप बैंक की आय (शुद्ध ब्याज आय) एवं बैंक का नेटवर्थ (कैपिटल फंड) प्रभावित हो सकता है. बैंक के पास विभिन्न परिपक्वता अवधियों अथवा पुनर्मूल्यांकन तिथियों तथा विभिन्न बेंचमार्क दरों से संबद्ध आस्तियां, देयताएं और ऑफ तुलनपत्र मदें विद्यमान हैं. इससे ब्याज दर के स्तर में अप्रत्याशित परिवर्तन से जोखिम उत्पन्न होता है .

फ्रेमवर्क

बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) का गठन किया गया है. जो तरलता/ बाजार जोखिम की पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के लिए समुचित व्यवस्था एवं प्रक्रिया लागू करने हेतु उत्तरदायी है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति को एक समर्पित एएलएम तथा एक स्वतंत्र मिड ऑफिस द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. एएलएम एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की पर्यवेक्षण समिति द्वारा आस्ति देयता प्रबंधन के लिए सिस्टम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा आवधिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है एवं मार्गदर्शन दिया जाता है.

परंपरागत गैप विश्लेषण (TGA) का प्रयोग दर संवेदी गैप (RSG)के माध्यम से ब्याज दर जोखिम के मापन एवं अनुश्रवण हेतु किया जाता है. शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया जाता है. आय के दृष्टिकोण से ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को सीमित रखने हेतु 1 वर्ष तक की दर संवेदी गैप सीमा निर्धारित की गई है.

प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को ब्याज दर संवेदी विवरण तैयार किया जाता है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है. आस्तियों एवं देयताओं की व्यापक श्रेणी अर्थात् जमा, अग्रिम, निवेश आदि में परिवर्तन के प्रभाव की गणना वित्तीय वर्ष के अंत तक के लिए की जातीी है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक की आस्तियों एवं देयताओं के आर्थिक मूल्य और इस प्रकार इक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी हेतु तिमाही आधार पर आवधिक गैप विश्लेषण (DGA) भी किया जाता है. इस प्रभाव की गणना आय रेखा में 200 बीपीएस समानान्तर शिफ्ट के आधार पर की जातीी है.

(बी) **मात्रात्मक प्रकटन:**

ब्याज दर में एक परिवर्तन शिफ्ट की कल्पना द्वारा इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं आय पर प्रभाव को निम्नानुसार दर्शाया गया है.

	पैरामीटर		प्रभाव
1.	आय पर जोखिम (NII) : 0.5% परिवर्तन पर	(राशि करोड़ ₹ में)	222.99
2.	इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बेसिस पॉइंट का उतार चढ़ाव	(राशि करोड़ ₹ में)	235.22
3.	इक्विटी मूल्य में गिरावट	(%)	1.7990%

नियोजित पूंजी :

(₹ करोड़ में)

आस्ति खंड	31.03.2012	कुल आस्ति का %	आबंटित पूंजी
ट्रेजरी परिचालन	78153.45	29.81%	5940.07
रिटेल बैंकिंग परिचालन	59933.71	22.86%	4555.18
कारपोरेट/थोक बैंकिंग	120949.52	46.12%	9190.07
अन्य आस्तियां	3174.76	1.21%	241.11
कुल आस्तियां	262211.44	100.00%	
कुल पूंजी	19926.43		19926.43

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012
1	Interest Income/ Average Working Funds (AWF)	9.20	8.43	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04	8.33	9.40
2	Interest Expenses/AWF	6.00	5.19	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33
3	Interest Spread/AWF	3.20	3.24	3.31	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53	3.14	3.07
4	Non-Interest Income/AWF	1.76	1.55	1.23	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19	1.03	1.04
5	Operating Expenses/AWF	2.17	2.02	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77
6	Cost Income Ratio	43.82	42.26	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15
7	Gross (Operating) Profit/ AWF	2.79	2.77	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34
8	Net Profit/AWF	1.18	1.33	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79
9	Return on Net Worth	21.53	27.36	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67
10	Return on Terminal Assets	1.08	1.22	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68
11	Return on Average Assets	1.16	1.32	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79
12	Yield on Advances	10.02	9.03	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22
13	Cost of Deposits	6.46	5.64	4.97	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93
14	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	19.72	25.51	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64
15	Credit - Deposit Ratio	59.55	61.17	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94
16	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	67.36	73.74	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51
17	Capital Adequacy Ratio	12.41	12.32	12.09	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51	12.95	11.85
	Tier I	6.86	6.47	6.07	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91	8.69	8.37
	Tier II	5.55	5.85	6.02	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60	4.26	3.48

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012
1	Employees (Number)	25706	25630	25645	25421	25969	25722	27510	27772	27746	30838
2	Branches (Number)	2020	2020	2051	2082	2206	2361	2558	2805	3016	3201
3	Business per Employee (Rs in Crore) *	2.50	2.86	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70
4	Gross Profit per Employee (Rs in Lacs)	5.07	5.79	6.13	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04
5	Net Profit per Employee (Rs in Lacs)	2.15	2.78	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80
6	Business per branch (Rs in Crore) *	31.78	36.35	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11
7	Gross Profit per branch (Rs in Crore)	0.65	0.73	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64
8	Net Profit per branch (Rs in Crore)	0.27	0.35	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56
9	Earnings per Share (in Rupees)	13.95	15.47	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07
10	Book Value per Share (in Rupees)	40.70	55.71	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fornightly average of total assets
Average Deposits	:	Fornightly average of total deposits
Average Advances	:	Fornightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fornightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating Expenses divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Net Profit/AWF	:	Net Profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity multiplied by ten
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity multiplied by ten

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India will be held on Tuesday, 26th June, 2012 at 3.30 p.m. or after the conclusion of the Extraordinary General Meeting (whichever is later) at **Rama Watumull Auditorium,** K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the following business:-

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2012 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2011-12.

By Order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

(D. Sarkar)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 23.05.2012

NOTES:

(i) **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Thursday, 21st June, 2012.

(ii) **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Thursday, 21st June, 2012.

(iii) **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance Slip-cum-Entry Pass at the venue. Proxy/Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

(iv) **BOOK CLOSURE**

The Register of the shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, 23rd June, 2012 to Tuesday, 26th June, 2012 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders entitlement to dividend, if declared at the Annual General Meeting.

(V) **PAYMENT OF DIVIDEND**

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 26th June, 2012 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on 22nd June, 2012 and the dividend shall be paid on 6th July, 2012.

(vi) **TRANSFERS**

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Transfer Agent only for effecting the transfer.

(vii) BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)/DIRECT CREDIT TO UNION BANK ACCOUNT:

a) The shareholders are required to furnish their Complete Bank Account number, 9 digit MICR code as appearing on MICR cheque, the name of the Bank and the Branch where they would like to deposit the Dividend warrants for encashment. If the dividend amount is not credited directly to the account of shareholder the particulars of Bank

Account will be printed on the cheque portion of Dividend warrants, besides the name of the shareholder so as to avoid fraudulent encashment of warrants. The above-mentioned details should be furnished by the first/sole shareholder holding shares in physical form directly to the Registrar & Transfer Agent, quoting the folio number and to the Depository Participant by shareholders holding shares in demat form.

b) The bank is also offering the facility of -

i. National Electronic Clearing Service (NECS)

ii. Direct credit to Union Bank Account holders.

This facility could be used by the shareholders instead of Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Option Form is annexed to this report and also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

(viii) **UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY**

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of the duplicate dividend warrant. Requisite format of Indemnity Bond is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

(ix) **CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE**

(a) For Shareholders holding shares in Physical Form:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and/or Bank particulars, to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.,

Unit: Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East), MUMBAI- 400 093.

(b) For Shareholders holding shares in Demat Form:

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and Bank Mandate / details only to their depository participant(s).

(x) RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., immediately of :

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(xi) CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

(xii) Shareholders/ Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and notice to the Annual General Meeting.

(xiii) Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

(D. Sarkar)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date : 23.05.2012

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Directors of your Bank take immense pleasure in presenting the 93rd Annual Report of the Bank for the year 2011-12 along with statement of the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' on standalone and consolidated basis and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The Corporate Governance Report also forms part of the Annual Report.

1. Overview:

a. Your Bank's objective is to create values on sustainable basis for its customers, shareholders and the employees. This is possible through continuously adding strengths in the organization. The prospects of your Bank would depend upon how efficient is its customer acquisition and retention strategy and how strong is its human resource management system for ensuring customer service excellence. Realizing this, during the financial year 2011-12, your Bank focused on two important initiatives directed at achieving 'customer service excellence' and building strong 'human resources'. Significant steps were undertaken in both these areas.

b. Business scenario during 2011-12 was not conducive due to weakness in global demand and challenging macroeconomic conditions in India. Banking sector growth was also subdued as high interest rate on account of RBI's monetary tightening led to fall in investment and consumption demand. Your Bank was also impacted by the slowdown. Even in this backdrop, total Business of your Bank crossed landmark of ₹ 4,00,000 crore; Operating Profit crossed landmark of ₹ 5,000 crore and Net Interest Margin remained high.

Table – 1:

Key Performance Indicators **(₹ crore)**

Parameters	FY2011	FY2012	Annual Change(%)
Total Business	355483	403900	13.62
Net Interest Income	6216	6909	11.15
Operating Profit	4305	5254	22.04
Provisions	2223	3467	55.96
Net Profit	2082	1787	-14.17
Net Interest Margin (NIM)	3.33%	3.21%	-12 bps
Capital Adequacy Ratio	12.95%	11.85%	-110 bps
Gross Profit per employee (₹ lakh)	15.52	17.04	9.79
Dividend (₹ per share)	8.0	8.0	No Change
Book Value per Share (₹)	213.17	237.48	11.40

Brief details on the Bank's performance are as hereunder:

2. Business:

a. The Total Business of the Bank registered an annual growth rate of 13.62% from ₹ 3,55,483 crore as on March 31, 2011 to ₹ 4,03,900 crore as on March 31, 2012.

b. Deposits increased from ₹ 2,02,461 crore as on March 31, 2011 to ₹ 2,22,869 crore as on March 31, 2012 with annual growth of 10.08% and Advances increased by 18.30% from ₹ 1,53,022 crore as on March 31, 2011 to ₹ 1,81,031 crore as on March 31, 2012.

c. The business of Bank's sole overseas branch at Hong Kong registered a growth rate of 59.55% from ₹ 6,511 crore as on March 31, 2011 to ₹ 10,388 crore as on March 31, 2012. Deposits increased from ₹ 590 crore to ₹ 1,207 crore while advances increased from ₹ 5,941 crore to ₹ 9,181 crore during the same period.

3. Profitability:

a. Net Interest Income recorded an annual growth rate of 11.15% from ₹ 6,216 crore for the year 2010-11 to ₹ 6,909 crore for the year 2011-12. Net Interest Income registered a compound annual growth rate (CAGR) of 21.91% during the last three years.

b. Total Income of the Bank increased by 26.96% from ₹ 18,491 crore in 2010-11 to ₹ 23,476 crore in 2011-12. Interest income recorded an annual growth of 28.52%. Yield on advances increased to 11.22% for the year 2011-12 compared to 9.86% for the previous financial year. Yield on investments also increased to 6.96% for the year 2011-12 from 6.55% in the previous year. Thus, total yield on funds recorded an improvement of 107 basis points (bps) from 8.33% to 9.40%.

c. Non-interest income increased by 14.37% from ₹ 2,039 crore in 2010-11 to ₹ 2,332 crore in 2011-12. Persistently high rate of Inflation and successive hikes in policy rate by RBI resulted in lower prices of government securities (G-Sec) which adversely affected the Treasury Income during the financial year 2011-12. Recovery in written-off accounts, however, showed a growth of 66.98% during the year. Core non-interest income increased by 12.13% from ₹ 1,138 crore in 2010-11 to ₹ 1,276 crore in 2011-12.

Table – 2: Non Interest Income

(₹ In crore)

Parameters	FY-11	FY-12	Growth%
1. Core Non Interest Income	1138	1276	12.13
2. Treasury Income	689	702	1.89
of which,			
- Profit on Sale of Investment	464	441	-4.96
- Exchange Profit	225	261	16.00
3. Recovery in Written off Accounts	212	354	66.98
4. Total Non-Interest Income (1+2+3)	2039	2332	14.37

d. Total Expenses increased by 28.45% from ₹ 14,186 crore during 2010-11 to ₹ 18,222 crore during 2011-12. Interest expenses increased by 39.07% from ₹ 10,236 crore to ₹ 14,235 crore, mainly due to

increase in cost of deposits to 6.93% as compared to 5.53% in the previous year. Total cost of funds also moved up to 6.33% from 5.19% on account of tight liquidity conditions in the financial market and higher policy rates. However, increased costs were offset by higher Yield on Funds.

e. NIM for the year 2011- 2012 stood at 3.21% as against 3.33% in the previous year.

f. Return on Average Assets for the year 2011-12 stood at 0.79% compared to 1.05% for 2010-11.

g. Establishment expenses declined by 4.65% from ₹ 2,600 crore during 2010-11 to ₹ 2479 crore during 2011-12.

Table – 3: Operating Expenses

(₹ In crore)

Parameters	FY-11	FY-12	Growth%
Staff Expenses	2600	2479	- 4.65
Other Operating Expenses	1350	1508	11.70
Total Operating Expenses	3950	3987	0.94

h. Cost-to-income Ratio declined to 43.15% from 47.85% reflecting control in establishment expenses and 12% growth in operating income.

i. The Operating Profit for the year 2011-12 crossed the landmark of ₹ 5,000 crore. It registered an annual growth rate of 22.04% to ₹ 5254 crore from ₹ 4,305 crore during the previous year due to strong growth in interest income and control in operating expenses.

j. Net Profit stood at ₹ 1787 crore for the year 2011-12. Net Profit for the year was affected due to higher provisions for restructured accounts to the extent of ₹ 507 crore.

Chart-1: Operating Profit & Net Profit

(₹ In crore)

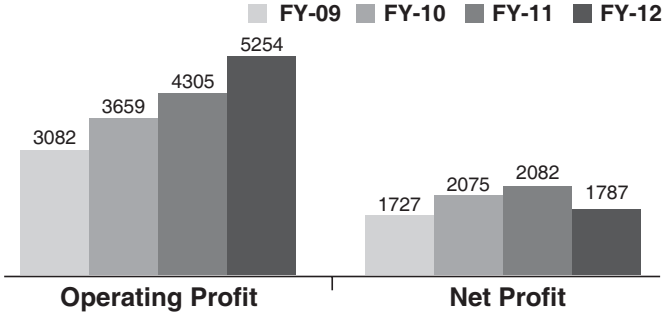

4. Productivity Ratios:

a. Average Business per employee recorded CAGR of 15.52% during 2009 to 2012. During the same period, Average Business per branch and Gross Profit per Employee have shown CAGR of 11.39% and 15.01% respectively. Growth in productivity indicators during FY 2009 to FY 2012 is furnished in the table below:

Table – 4: Productivity Ratios:

(₹ In Lakh)

Parameters	FY-09	FY-10	FY-11	FY-12	CAGR (%)
Average Business Per Employee	694	853	1043	1070	15.52
Average Business Per Branch	7461	8449	9596	10311	11.39
Gross Profit Per Employee	11.2	13.18	15.52	17.04	15.01
Gross Profit per Branch	120	130	143	164	10.97

5. Dividend:

Your Directors are pleased to recommend a dividend of 80% for the year 2011-12, i.e. ₹ 8.00 for each share with face value of ₹ 10.00. The dividend is maintained at the same percentage as that for FY 2010-11 despite fall in net profit.

6. Shareholders' Return:

The Bank's net worth improved by 16.98% to ₹ 13075 crore from ₹ 11177 crore in the previous year. Thus, the Book Value per share increased to ₹ 237.48 from ₹ 213.17 in the previous year. Earnings per share stood at ₹ 34.07 as against ₹ 39.71 in the previous year. Return on Equity stood at 13.67% for the year 2011-12 from 18.63% in the previous year.

7. Rating & Capital Raising

a. The ratings given by various Credit Rating Agencies for Bank's Tier I & Tier II Capital instruments points to the highest degree of safety regarding timely servicing of financial obligations and these instruments carry lowest credit risk.

Table – 5: Ratings of Bonds:

Rating Agency	Perpetual Bonds	Upper Tier II Bonds	Lower Tier II Bonds
CRISIL	AAA	AAA	AAA
CARE	CARE AAA	CARE AAA	CARE AAA
Brickwork Ratings	BWR AAA	BWR AAA	BWR AAA
ICRA	L AA+	L AA+	L AAA
Fitch Ratings	AA(Ind)	AA(Ind)	AA+(Ind)

b. Bank allotted 2,62,16,620 equity shares of ₹10/- each at a premium of ₹ 238.05 aggregating to ₹ 650.30 crore on preferential basis to Life Insurance Corporation of India. Consequently the Government shareholding of the Bank has come down from 57.07% as on March 31, 2011 to 54.35% as on March 31, 2012.

8. Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR), as per Basel II norms stood at 11.85% as on March 31, 2012, well above the regulatory benchmark of 9%. Tier I CAR stood at 8.37% and Tier-2 at 3.48%.

Table-6: Capital Adequacy Ratio

(₹ In crore)

Parameters	FY-11	FY-12
Total Risk Weighted Assets	140095	168178
Capital Fund	18146	19926
Tier-I Capital	12178	14081
CAR-Basel-II	12.95%	11.85%
Tier-I	8.69%	8.37%
Tier-2	4.26%	3.48%

9. Delivery Channels

a. The Bank is having widespread network of branches and ATMs throughout India. During the year 2011-12, the Bank opened 185 branches and 1167 ATMs. As a result, total number of branches increased from 3016 to 3201 and number of ATMs increased from 2634 to 3801. The ratio of ATM to branches stood at 1.19, which is one of the best in the industry. The bank also introduced remittance product such as NEFT, Interbank Mobile Payment System (IMPS) and E-Cash remittance through ATMs.

b. The Bank is facilitating NEFT and RTGS services to branches across the country. As on March 31, 2012, all branches are NEFT and RTGS enabled.

c. Transactions through electronic channels increased to 54.75% as on March 31, 2012 from 50.49% as on March 31, 2011.

d. The Bank launched an online remittance product, popularly known as UNION FLASH in Dubai on 21st January, 2012. It is a 24 X 7 online remittance solution for Non-Resident Indians (NRIs) in the Gulf who can use the product for instant credit of funds to the resident Indians having account with Union Bank. The Bank became the first public sector Bank in India to introduce such remittance facility under tie-up with UAE exchange.

e. The Bank launched a Customer Care Unit on March 16, 2012 in Mumbai to resolve customer complaints & systematically eliminate the root causes of complaints across channels. The Integrated Case Management Tool (ICMT) has been put in place to integrate complaints across channels.

10. Awards & Accolades:

Your Bank received wide recognition and several awards for its performance and initiatives in many areas.

a. The Bank's Staff College at Bengaluru was selected as the winner of the 'Golden Peacock National Training Award' for the year 2011. This is the 4th occasion the Bank has bagged the prestigious Golden Peacock Award.

b. Bank won ACI Excellence Award 2011 for their project "Customer Empowerment using ACI solution BASE 24" in the Payment Transformation category. ACI Worldwide started ACI Excellence Award in 2010 in recognition of Banks and financial institutions doing most innovative use of their payment system solutions.

c. The Bank received the 'Best Middleware Implementation Award' at the Asian Banker's Technology Implementation Awards 2011 at the function held in Hongkong on April 7, 2011. The award is given for Enterprise Application Integration solution implemented by the Bank to facilitate seamless integration of different standalone applications being used by the Bank. The Asian Banker has instituted annual IT Implementation Awards programme to determine and award best practices of technological innovation in banking operations.

d. The Bank was awarded a Certificate of Recognition for adopting good Corporate Governance practices as part of the "ICSI National award for Excellence in Corporate Governance" for the year 2011 instituted by the Institute of Company Secretaries of India.

e. Your Bank's in-house journal 'Union Dhara' bagged 7 awards, second time in succession, along with most prestigious "Champion of the Champions Trophy" at 51st Award ceremony of Association of Business Communicators of India (ABCI).

11. Directors:

During the year, the following changes took place in the Board of Directors:

a. Shri B.N.Bhattacharjee was nominated by the Government under sub-section 3 (f) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. May 4, 2011 as Officer Employee Director.

b. Shri Samir K. Sinha, an official of the Central Government was nominated by the Central Government as a non-wholetime director under sub section 3 (b) nominated on the Board w.e.f July 22, 2011 in place of Shri K.V. Eapen . Further, Shri Rajesh Khullar was nominated in place of Shri Samir K. Sinha w.e.f. November 15, 2011.

c. Shri S.K. Jain was nominated on the Board by the Government under sub-section 3 (a) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. September 1, 2011 as Executive Director in place of Shri S.C. Kalia whose term ended by superannuation w.e.f. August 31, 2011.

d. Dr. Atul Agarwal Part-time non official Director was nominated by the Government under sub-section 3(h) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. September 22, 2011.

e. Shri Chandan Sinha, RBI Nominee Director was nominated by the Government under sub-section 3 (c) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act ,1970/1980 read with sub clause (1) of clause 3 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980 w.e.f. October 13, 2011, in place of Smt. Meena Hemchandra whose term ended on October 12, 2011.

f. Shri N. Shankar, was re-nominated by the Government under sub-section 3 (e) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. January 19, 2012 as Workmen Employee Director. His earlier term of three years ended on September 14, 2011.

g. Shri D. Sarkar was nominated on the Board by the Government under sub-section 3 (a) of section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 w.e.f. April 1, 2012 as the Chairman & Managing Director in place of Shri M.V.Nair whose term ended by superannuation w.e.f. March 31, 2012.

h. Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director resigned from the Board w.e.f. 28.11.2011 due to his personal reasons.

i. The term of Dr. Gulfam Mujibi came to an end during the year under review w.e.f. January 28, 2012. Appointment for vacancy thereof by the Government is awaited.

j. While welcoming all the new Directors, the Board places on record the valuable services rendered by Shri K.V.Eapen, Shri S.C. Kalia, Smt. Meena Hemchandra, Shri Samir K. Sinha, Shri Arun K. Nanda , Dr. Gulfam Mujibi and Shri M.V. Nair.

12. Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2012:

a. The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.

b. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

c. Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2012.

d. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India and,

e. The accounts have been prepared on going concern basis.

13. Corporate Governance:

The Board of the bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate Section of the Annual Report. Bank was awarded with "Certificate of Recognition" for excellence in Corporate Governance at the 11th ICSI National Award for the second consecutive year. The Bank was selected as one of the Top 25 companies in India for excellence in Corporate Governance practices by the Institute of Company Secretaries of India partnering with Ministry of Corporate Affairs, Government of India for the years 2008-09 and 2009-2010.The Corporate Governance report for year 2011-2012 has no audit qualifications.

14. Corporate Social Responsibility:

a. Your Bank is actively engaged in community and social development. Various activities are carried out by this Foundation through a widespread presence of 202 Village Knowledge Centres (VKCs), adoption of 134 villages across the country and is actively involved in development of these villages under a special scheme by name 'Union Adarsh Gram Yojana'. Bank has been taking up various developmental activities in the adopted villages towards drinking water supply, sanitary and lighting. In said model villages, Bank has adopted 123 Girl children as part of the initiative to increase enrolment of girl child at the schools.

b. Further, Bank has 9 Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC), 14 R-SETIs (Rural Self-Employment and Training Institutes) across the country.

c. Each VKC assists in overall development of the village by coordinating with various developmental agencies/Government departments and disseminate knowledge to farmers about latest developments in methods of cultivation, technologies, proper use of fertilizers, pesticides, etc. Similarly, R-SETI and FLCC extend financial literacy, counseling and training to the needy people so that they become self-reliant.

d. Your Bank has also associated with TERI (The Energy and Resources Institute) towards the initiative titled 'Lighting a Billion Lives', through which, it aims to bring light into the lives of one billion people living in rural areas by replacing the kerosene and paraffin lanterns used by them, with solar lighting devices. This will facilitate education of children; provide better illumination and kerosene-smoke-free indoor environment for women to do household chores; and provide opportunities for livelihoods both at the individual level and at village level.

e. Bank has also been spearheading its CSR initiative through Union Bank Social Foundation Trust, a public charitable trust which caters to the needs of the poor and marginalized.

f. Besides, your Bank has been supporting various NGOs and other social organizations by donations to social project and initiatives including among other things, initiatives in health, education, sanitation and other social needs. During the year 2011-12, your Bank has spent an amount of ₹ 549.81 lacs by way of Donations.

15. Acknowledgement

The Board of Directors would like to express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority and Central Vigilance Commission for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board also records its sincere gratitude to the bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the bank for their dedicated service.

For and on behalf of the Board of Directors,

(D.Sarkar)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Dated: 26th May, 2012

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Macroeconomic & Banking Scenario

1.1. Global Economy

1.1.1. The Global economy suffered a major setback during the calendar year 2011 due to continuing euro area sovereign debt crisis, slower growth in advanced economies and cooling growth in emerging & developing economies. The downgrade of US sovereign debt rating by S&P, rating downgrade of European Financial Stability Fund (EFSF) and nine Euro area countries, of which four were downgraded by two notches, heightened the financial markets volatility and adversely affected the global prospects.

1.1.2. As per the latest IMF release of World Economic Outlook, the global economy recorded growth of 3.9% in 2011 compared to 5.3% recorded in the previous year. The global economy is projected to record a slower growth of 3.5% in the calendar year 2012 due to weak recovery in major advanced economies, with mild recession in Euro area and slower growth in emerging & developing economies. The global economy is expected to show improvement in the calendar year 2013 and projected to grow by 4.1%.

1.1.3. Significant policy actions by the Governments & Central Banks in the advanced economies averted a sharp slowdown in economic growth and financial markets meltdown. The European Central Bank's three-year long term refinancing operations (LTROs) averted liquidity squeeze that could have led to banking crisis. The ambitious fiscal adjustments programs, major reforms in labour & product market in Euro area economies and extension of U.S. payroll tax relief and unemployment benefits averted abrupt fiscal tightening. Bank of Japan and Bank of England expanded their unconventional policy interventions, and the Federal Reserve signaled its conditional intention to maintain exceptional low interest rates at least through late 2014.

1.1.4. As a result of its increased integration with the global economy through trade & finance channels, above-mentioned developments adversely impacted India's growth during the year 2011-12.

1.2. Domestic Economy

1.2.1. The uncertain economic outlook in advanced economies and slowdown of external demand coupled with financial markets volatility adversely affected India's GDP growth rate in 2011-12. Persistently high levels of inflation beyond comfort zone of the Reserve Bank of India, elevated interest rates, rising crude oil prices, macroeconomic imbalances in the form of rising fiscal deficits and current account deficits also affected the growth prospects.

1.2.2. The year 2011-12 began with a positive note with GDP growth rate projected to grow by 9.0% in FY 2011-12 in the Union Budget. The Reserve Bank of India projected GDP growth rate at 8.0% for 2011-12 in the Annual Monetary Policy Statement in May 2011 which was further revised downwards to 7.6% in the second quarter review of monetary policy in October 2011. The Reserve Bank of India further revised the projection of GDP growth rate downwards to 7.0% for 2011-12 in the third quarter review of monetary policy in January 2012.

1.2.3. After two successive years of fairly robust growth of 8.4%, GDP is estimated to decelerate sharply to 6.9% during FY 2011-12 as per advance estimates of the Central Statistics Office. The slowdown in GDP growth rate was largely contributed by marked slowdown in manufacturing, construction, mining & quarrying and agriculture sectors. The moderation in agricultural growth was largely due to base effect and structural impediments, the slowdown in the performance of industry was mainly on account of cumulative impact of monetary tightening and slackening of external demand. Taking into consideration the current lead indicators, RBI's assessment is that GDP growth rate has bottomed out in Q3 of FY 2011-12.

1.2.4. **Index of Industrial Production:** As per the quick estimates, IIP recorded a growth of 2.8% in FY 2011-12 compared to 8.2% recorded in the previous year. The sharp slowdown in the performance of IIP was on account of contraction in growth of mining sector to 2.0% and slower growth of 2.9% of the manufacturing sector in FY 2011-12 compared to growth rates of 5.2% and 8.9% respectively in the previous year.

1.2.5. **External Sector:** India's balance of payments (BoP) came under stress during 2011-12 due to deterioration of trade balance, despite depreciation of India's currency, and moderation in capital flows reflecting global uncertainty. India's exports reached to the level of US $ 303.72 billion in FY 2011-12, recording a y-o-y growth of 20.94%. India's imports reached to the level of US $ 488.64 billion in FY 2011-12, recording a y-o-y growth of 32.15%. India's trade deficit widened considerably to US $ 184.92 billion during April-March 2011-12 compared to US $ 118.63 billion during the corresponding period last year. Current account deficit widened to 4.3% of GDP for October-December 2011.

1.2.6. **Inflation:** The headline inflation was stubbornly above 9.0% during April-November 2011 and thereafter moderated to 6.9% (provisional) by end-March 2012, close to the RBI's indicative projection of 7.0%. The host of factors including persistent structural demand-supply imbalances in protein based food items, high international crude oil prices, suppressed inflation in respect of coal & electricity continued to pose significant challenge for the RBI in managing inflationary expectations. The monthly average inflation stood at 8.8% during FY 2011-12, compared to 9.6% recorded in the previous year.

1.2.7. **RBI's Policy Stance:** The policy stance of the Reserve Bank of India was focused towards maintaining an interest rate environment to moderate inflation and anchor inflation expectations during May-October 2011 and thereafter shifted towards responding to increasing downside risks to growth during the year. In line with the policy stance, repo rate was hiked by a cumulative 175 bps during April-October 2011 to 8.5% and thereafter repo rate was kept unchanged till March 2012. RBI slashed the Cash Reserve Ratio (CRR) by a cumulative 125 bps during January-March 2012 in two steps to address tight liquidity conditions and spur credit growth.

1.2.8. **Financial Markets**

a. Liquidity Conditions: During the year 2011-12, liquidity was throughout in deficit mode. Average net injection of liquidity under LAF increased from around ₹ 0.5 trillion during April-September 2011 to around ₹ 1.4 trillion during February 2012 and further to around ₹ 1.6 trillion during March 2012. The tight liquidity conditions were caused partly due to foreign exchange intervention of RBI to arrest sharp depreciation of rupee between end-July and mid-December of 2011 and increasing divergence between deposits & credit growth and large build up of Government cash balances with the Reserve Bank of India. To address tight liquidity conditions, RBI conducted Open Market Operations (OMOs) of around ₹ 1.3 trillion during November 2011 and March 2012 and lowered cash reserve ratio by 125 bps during January-March 2012, injecting primary liquidity of around ₹ 0.8 trillion.

b. Debt Market: The gross market borrowing programme of the Government was revised from initially estimated ₹ 4.17 trillion (net ₹ 3.43 trillion) to ₹ 5.1 trillion (net ₹ 4.36 trillion) for 2011-12, on account of shortfall in other sources of financing fiscal deficit, particularly small savings and higher levels of expenditure outgo of the Government. The benchmark 10 year G-Sec yields hardened during April-May 2011 on account of rising commodity prices including crude oil, and aggravated inflation concerns and hike of interest rate by RBI. Thereafter, G-Sec yield moderated and remained range bound till September 2011 on account of moderation in crude oil prices and flight to safety due to increased uncertainty about the resolution of sovereign debt crisis in the Euro Zone. G-Sec yields hardened between end-September to November 2011 and reached to the high of 8.97% on account of increased government borrowing programme for the second half of the year, policy rate hikes and persistent liquidity tightness. The G-Sec yields moderated during December 2011 to mid-February on account of moderation in inflation, OMOs conducted by RBI and on expectation of easing of policy rates by RBI. However, G-Sec yield hardened to 8.63% by end-March 2012 following Union Budget announcement of a higher than anticipated market borrowing programme of the Government and consequent issuance of auction calendar for dated securities.

c. Forex Market: The currency market was under pressure during the period April-December 2011 due to slowdown in capital inflows reflecting global uncertainty. Indian rupee depreciated by 14.1% to ₹ 50.87/USD as at end-March 2012 over the closing of previous financial year, on account of trade imbalances and rising current account deficit. The Indian rupee depreciated sharply by around 19% between end-July 2011 and mid-December 2011. To prevent sharp depreciation of Indian rupee, Reserve Bank of India took steep measures including withdrawal of facility of rebooking of cancelled forward contracts, reducing net overnight open position limit of authorized dealers and curbing speculative activities in the forex market. In December 2011, RBI also decided to deregulate interest rates on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposits and Ordinary Non-Resident (NRO) Deposit Accounts.

d. Equity Market: Equity markets in India continued to slide and remained volatile during FY 2011-12. BSE Sensex fell by 10.5% as at end-March 2012 over the closing of previous financial year on account of various factors including high levels of inflation, interest rates, rising fiscal deficit, rating downgrades of sovereign debts & financial institutions, flight to safety and fall in global indices.

1.2.9. **Performance of Banking Industry**

a. Money Supply: The growth in money supply which was 17% at the beginning of the financial year 2011-12 moderated during the course of the year to about 13% by end-March 2012. It was lower than RBI's indicative projection of 15.5%. The slower growth in money supply was primarily on account of tightness in primary liquidity, lower credit demand during most part of the year, slackening pace of economic activity and deceleration in inflation from December 2011.

b. Credit Growth: The Reserve bank of India scaled down the projection for non-food credit growth for the year 2011-12 from 18.0% in the annual monetary policy statement in May 2011 to 16.0% in the third quarter review of monetary policy in January 2012. Non–food credit growth of SCBs decelerated from 22.1% at the beginning of 2011-12 to 15.4% by February 2012 reflecting slower economic activity. Thereafter, non-food credit growth picked up to 16.8% in March 2012, higher than the indicative projection of RBI. This pick up in credit growth was on account of increased credit flow to agriculture and industry. The overall slowdown in credit growth was on account of rising interest rate environment, deteriorating asset quality of public sector banks and risk aversion of banks as corporate profitability was adversely affected in 2011-12.

2. **NAV NIRMAN NEXSTEP**

To help your Bank achieve its aspiration to become the No. 1 Retail Bank in Customer Service Excellence, the Bank launched the Customer Service Excellence program and undertaken multiple initiatives.

2.1. UNION XPERIENCE BRANCH MODEL

- The Union Xperience Branch model is the centerpiece of the entire Customer Service Excellence project
- As on March 31, 2012, 80 such branches in 11 Regions of the Bank were launched under the module spread across the country.
- As a result, average CASA accounts increased in these branches over the base line and the quality of CASA accounts acquired also enhanced appreciably.
- The Bank deployed Change Leaders to drive the roll-out of Union Xperience Branches in their respective Regions.
- 150 Branch Managers and 1500 branch staff were trained through series of 20 Boot camps.

2.2. STREAMLINE ALTERNATE CHANNEL OPERATIONS:

2.2.1. CALL CENTRE

- The Bank improved operations at the Call Centre to provide an effective alternate touch point to our customers.
- The capacity of the centre was scaled up, IVR menu redesigned to make navigation by customers easier.
- Organisation model and review mechanism was strengthened.

2.2.2. ATM

- For the first time, the number of ATMs (3801) surpassed the number of Bank's Branches (3201) at the end of March 31, 2012, resulting in one of the best branch to ATM ratio in the Indian banking sector. The ratio of ATM to branches stood at 1.19.
- The ATM management processes were streamlined to increase uptime.

2.3. CREDIT & LIABILITIES CENTRALISATION

- Your bank has centralized CASA account opening with the pilot run across Mumbai & Delhi.
- The centralization of review/ renewals and maintenance activities for high value MSME loans has been undertaken with the pilot run in progress in Mumbai.

Your bank firmly believes that the above initiatives would help in expanding the customer base and becoming one of the most preferred Banks in the country.

Performance of Business Segments:

3. Resources Mobilization:

3.1. As of March 31, 2012, global deposit grew by ₹ 20,408 crore from ₹ 2,02,461 crore to ₹ 2,22,869 crore reflecting growth of 10.08%.

3.2. Higher interest rate on Term Deposits affected the CASA growth. CASA portfolio increased by ₹ 5,398 crore (8.39%) from ₹ 64,307 crore as on March 31, 2011 to ₹ 69,705 crore as on March 31, 2012. The share of CASA to total deposits stood at 31.28%. The average CASA deposits increased by 12.37% reflecting steady growth.

3.3. Your bank continued its focus on building retail deposit base by promoting term deposit products. The retail term deposit portfolio (deposits of less than ₹ 15 lacs) of the bank increased by ₹ 12,226 crore from ₹ 44,884 crore as on March 31, 2011 to ₹ 57,110 crore as on March 31, 2012, registering a growth of 27.24%.

Table 1: Deposit Segmentation:

Parameter	FY 2010-11	FY 2011-12	YOY Growth	
			Absolute	%
Total Deposit	**202461**	**222869**	**20408**	**10.08**
CASA	**64307**	**69705**	**5398**	**8.39**
Term Deposit	**138154**	**153164**	**15010**	**10.86**

4. Credit Management:

The Bank's advances registered a growth of 18.30% to ₹ 1,81,031 crore during 2011-12 from ₹ 1,53,022 crore in the previous year.

Table 2: Advances Portfolio

(₹ Crore)

Parameter	FY 2011-12	% Share
Total Advances	**1,81,031**	
Of which		
MSME Advances	24,662	13.62
Agriculture Advances	16,292	9.00
Retail Advances	16,242	8.97

4.1. **Retail Lending:**

4.1.1. The retail advances stood at ₹ 16,242 crore as on March 31, 2012, which is 8.97% of total Advances.

4.1.2. The bank has continued the policy of building a healthy Retail lending portfolio.

Chart -1- Composition of Retail Assets

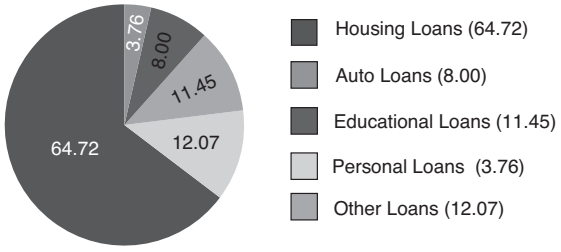

4.1.3. 12 new Union Loan Point branches were opened during the financial year thereby further increasing Bank's reach to the customers.

4.1.4. Bank's Union Mortgage and Union health schemes were modified incorporating various features and currently offered at very attractive terms and conditions.

4.1.5. Bank introduced new loyalty rewards schemes for the existing home loan, education loan and Cash Credit/Secured Over Draft customers.

4.1.6. Introduced a special home loan scheme viz. Combo Offer during the festive period (Oct 2011 to Mar 2012).

4.1.7. Under special education loan schemes for students of ISB, Hyderabad your bank mobilized business of more than ₹ 49 crore and under special education schemes for students of IIMs, XLRI, MDI and SP Jain, bank mobilized business of more than ₹ 100 crore.

4.1.8. Your bank has renewed manufacturer level tie-ups with Tata Motors, Hyundai Motors & Maruti.

4.1.9. Many new tie-ups (special schemes for employees of various organizations) were approved for prominent Govt. organizations like BSNL, Kendriya Vidyalaya & Navodaya Vidyalaya, accredited GOI Ministries, Officers in All India Services such as IAS, IPS, IRS, IFS, IES, etc & PSU Executives, organizations under Home and Defense Ministries etc.

4.2. **Corporate Credit**

4.2.1. The Large Corporate Vertical (LCV) was established in June 2008. There are 11 dedicated Wholesale Banking branches (WBB) consisting of 9 Industrial Finance Branches (IFB) and 2 overseas branches under this Vertical. This initiative was taken to ensure fast movement of the proposals of corporate clients, providing industry specific specialized services and introduce 'Corporate Relationship Manager (CRM)' model. The credit proposals at Large Corporate Vertical are processed at the respective Industry Desk and Industry reports are prepared on various sectors of the industry to guide the branches for taking exposures/enhancing exposures in potential industries/sectors. The performance of the Large Corporate Vertical is as under:

Table 3: Performance of Large Corporate Vertical:

[Amount in ₹ crore]

Particulars	March 2011 (Actual)	March 2012 (Actual)	Growth (%)
Total Advances	54,428	62884	16%
Non-Interest Income	250	235.41	-6%
Yield on Advances	9.58%	10.90%	+132bps

4.2.2. Advances of Large Corporate Vertical constitute 35% of the total advances of the bank. Advances to Large Corporate registered a growth of 16%. The Non Fund based business grew by 18% and crossed a milestone of ₹ 15,500 crore.

4.2.3. The concept of CRM has also been adopted with a specific mission of enhancing the relationship value with thrust on gaining higher share in non-fund business limits and augmenting the non-interest income. CRMs proactively move in the market and bring in new business leads.

4.3. **Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):**

4.3.1. Bank's Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) portfolio stood at ₹ 24,662 crore as on March 31, 2012. The credit off-take under MSME was at a slow pace due to the volatility in the market and overall global recession. The share of the MSME lending constituted 14.36% of the Bank's domestic advances. MSME is our focus area and our Bank assures quick Turn Around Time (TAT), credit delivery at affordable prices & customized products to ensure enhancement in the base of MSME clientele and hassle free flow of credit to this sector.

4.3.2. The bank has 350 dedicated Business Banking Branches (BBBs) for credit delivery to MSMEs and 17 SARALs (Central Processing Centres) for speedy appraisal and sanction of MSME loans. These BBBs & SARALs have been established in potential centres across the country, so as to accelerate delivery of credit to MSMEs and for quicker decisions on sanction of loans to MSMEs, which serve as the driving force for MSME growth. During the FY 2011-12, the Bank identified additional 100 Business Banking Branches thereby increasing the total number of BBBs from 250 to 350.

4.4. **Rural and Agriculture Business:**

4.4.1. **Priority Sector:** Priority Sector Advances stood at ₹ 44,911 crore as on March 31, 2012, constituting 31.68% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC). Your Bank is pursuing the national policies for rural development and empowerment of rural populace through its wide network of rural and semi-urban branches.

4.4.2. **Agriculture:** The total agricultural advances stood at ₹ 16,292 crore, as on March 31, 2012 with the share of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) at 11.49%. Total disbursements of ₹ 10,254 crore were made under Special Agriculture Credit Plan (SACP) against the target of ₹ 10,200 crore, recording an achievement of over 100%. During 2011-12, additional 139707 Kisan Credit Cards were issued with credit facility of over ₹ 1356 crore.

4.4.3. **Small Enterprises:** Total advances to Small Enterprises stood at ₹ 17,421 crore, as on March 31, 2012.

4.4.4. **Tertiary Sector:** The outstanding under Tertiary sector as of 31.03.2012 stood at ₹ 11,198 crore.

4.4.5. **Specific Lending for Social Upliftment:** With a view to encourage entrepreneurs among the women and to make them self-sufficient, your Bank is providing credit to women entrepreneurs. As of March 31, 2012, Bank has financed 4.79 lac women beneficiaries and outstanding loans to women beneficiaries have improved from ₹ 6,307 crore to ₹ 6,917 crore, i.e. 4.88% of ANBC. The assistance to Weaker Section stood at ₹ 9,345 crore. Advances to SC/ST covered 194930 beneficiaries, with outstanding loans of ₹ 1,386 crore as of March 31, 2012.

4.4.6. **Lending to Minority Communities:** In line with Government of India directive on 'Welfare of Minorities', the assistance provided to Minority Communities stood at ₹ 3856 crore, covering 209447 beneficiaries as of March 31, 2012 with share of these advances to Total Priority Sector Advances at 8.59%.

4.4.7. **New Products / Schemes introduced during the year 2011-12:**

- For convenience of farmers and to enable them to draw cash / purchase the kind component as per their requirements, ATM enabled Kisan Credit Card was introduced.
- "Project Hariyali" was launched to facilitate field functionaries to reach out to the farmers with the help of Union Kisan Mitra who will be appointed as Business Facilitators. This is an additional touch point with focused emphasis on Agriculture lending. The Union Kisan Mitra are dealers / traders in seeds / pesticides / fertilizers / Agri commodities, Agri-clinics and Agri-business centres and any other individual having his / her own shop / business place related with agriculture.
- A scheme in the name of "Union Shakti" was launched for offering savings-cum-overdraft accounts with limit of upto ₹ 10000 to the families which do not have any land and live in the rural areas for meeting the requirements of consumption purposes on a need basis.

4.5. **Self Help Groups (SHGs)**

4.5.1. Micro-financing through SHG formation and credit linkage is a cost effective way to extend banking services to the poor. As of March 31, 2012, 190751 groups have been formed and 134640 groups have been linked with financial exposure of ₹ 798 crore.

4.5.2. To give impetus to SHG Bank linkage programme, your Bank will be launching a new scheme for intensifying development of Women Self Help Groups through NGOs / other support organization initially in rural areas of Rewa District where Bank has lead bank responsibility.

4.5.3. With a view to make SHG programme more attractive, your Bank has introduced "Janashree Bima Yojana", a scheme of Life Insurance Corporation of India for the members of Women SHGs wherein they will get a cover of ₹ 50,000 by paying a nominal premium of ₹ 200, to be equally shared by SHG members and GOI.

5. Lead Bank Scheme

5.1. Your bank has the lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 States viz. Azamgarh, Jaunpur, Varanasi, Ghazipur, Maunath Bhanjan, Bhadohi and Chandauli in Uttar Pradesh; Rewa, Sidhi and Singrauli in Madhya Pradesh; Ernakulam and Idukki in Kerala and Khagaria & Samastipur in Bihar. With 482 branches in these districts, Bank's deposits and advances in Lead Districts increased to ₹ 20,264 crore and ₹ 6,339 crore respectively during the year ended March 2012 as against ₹ 19,461 crore and ₹ 5,846 crore respectively in the previous year.

6. Regional Rural Banks (RRBs)

6.1. Bank has sponsored 2 RRBs, viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi, in Uttar Pradesh and Rewa Sidhi Gramin Bank (RSGB), in Madhya Pradesh. The RRBs have a network of 475 branches covering 8 districts of Eastern U.P. and 3 districts of Madhya Pradesh. The business mix of the RRBs was ₹ 8371 crore as on March 31, 2012. The Priority Sector Advances stood at ₹ 1,337 crore which constituted 75% of the advances portfolio. Your Bank was the first Bank to achieve 100% implementation of the Core Banking Solution (CBS) in the RRBs and both the RRBs are 100% CBS compliant. The RRBs are first to offer RTGS/NEFT facility to their customers. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi is the first RRB to provide inter operable ATM services to its customers and has released the country's first RuPay ATM card to provide benefits of technology/alternate delivery channels to rural customers. To enable RRBs to play their role effectively, training is imparted to RRB staff at Sponsor Bank Training Centres as well as through external training establishments. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank , Varanasi has set up own Training Centre at Azamgarh, U.P.

7. Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

With an objective to train unemployed youth in rural/ semi urban areas to take up self employment ventures and to arrest their migration to urban areas, your bank has set up Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in 14 Lead Districts viz. Ernakulam, Idukki, Varanasi, Mau, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur, Bhadohi, Chandauli, Samastipur, Khagaria, Rewa, Sidhi and Singrauli.

Upto March 2012, 907 Training Programmes have been conducted and 21422 beneficiaries have undergone training through these R-SETIs, out of which 13779 beneficiaries have been settled with gainful employment and the settlement rate works out to 64.32%.

8. Financial Inclusion

8.1. To sustain and accelerate the growth momentum in the economy, it is imperative to ensure increased participation of the economically disadvantaged segments of population in the process of economic growth. Financial inclusion of hitherto excluded segments of population is a critical part of this process of inclusion. Financial Inclusion continues to be core of banking activities.

8.2. Your bank has been pioneer in providing meaningful Financial Inclusion to these economically disadvantaged segments of the society by extending banking services at their doorstep. Bank is working towards this as per Board approved 3 year 'Financial Inclusion Plan 2010-2013' encompassing bank's commitment to extend its reach to 32000 unbanked villages by March 2013 through branchless banking adopting appropriate Information Comminication Technology and engaging 20000 Business Correspondents/ Customer Service Points to serve 12 million new customers by end of the plan period.

8.3. Bank has achieved the following as part of its Financial Inclusion initiatives:

i. The Hon'ble Finance Minister announced in the budget speech for the year 2010-11 that banks may cover, by March 2012, all habitations having population of over 2000, with banking services. Accordingly, your Bank has covered all the 3506 such villages allotted.

ii. Your Bank has established banking services in 19208 villages to avail banking services through branchless doorstep banking.

iii. Bank opened 58 lac No-Frill accounts during the year taking the total as of March, 2012, to 133 lac No-Frill accounts as against 75 lac No-Frill accounts of last year.

iv. Bank is also extending micro-loans and micro-insurance to deepen banking habit and promote economic activity among the rural/urban poor as well as provide insurance cover at nominal premium.

v. Bank has launched a specific micro-loan product, "Pragati", for Joint Liability Groups for the Branchless Banking customers in Rewa, Jabalpur & Varanasi regions. During the year, Bank has disbursed ₹ 39.41 crore to 39410 customers.

vi. The Bank has a tie-up with Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP) for financing of Self Help Groups (SHGs). SHGs are primarily engaged in agriculture & various allied activities which generate gainful employment & income for villagers. Till date, 12667 Groups have been formed, of these 11640 accounts have been credit linked with present outstanding of ₹ 59.62 crore. The project is presently implemented in 5 blocks in Belgaum district covering 618 villages.

vii. Micro remittance facility for migrants extended through Business Correspondent model is now available for inter-bank using NEFT platform. This is well received and much appreciated by the customers. During the last financial year, Bank had effected 11.12 lac remittances amounting to about ₹ 630 crore.

In order to make financial inclusion efforts meaningful and effective, spreading financial literacy is imperative. Your Bank has established 9 Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCCs) in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Kerala. These centers are taking efforts to create awareness on formal banking and provide free counseling on various financial services. Till date, these FLCC have counseled 11610 people.

8.4. **Other Initiatives:**

i. Bank has set up 202 Village Knowledge Centers (VKC) across the country. These VKCs are attached to rural branches and managed by a Rural Development Officer. These centers assist for the overall development of the village by co-coordinating with various developmental agencies / Government departments and disseminate knowledge to farmers about latest developments in methods of cultivation, technologies, proper use of fertilizers, pesticides and the likes for better yield and higher income.

ii. Another CSR initiative of Bank is the adoption of 134 villages across the country under Union Adarsh Gram Yojana. The scheme envisages taking a pivotal role by Bank for the holistic development of the village and converting it into a model village. The Village Knowledge Centre is playing an important role to achieve this goal. Credit needs of the whole village are being met by the bank aiming at meaningful Financial Inclusion.

9. Asset Quality Management:

9.1. The Bank's Gross NPA increased from ₹ 3,623 crore to ₹ 5,450 crore and Net NPA from ₹ 1,803 crore to ₹ 3,025 crore. In percentage terms, Gross NPA increased from 2.37% to 3.01 %, while Net NPA increased from 1.19% to 1.70%. Accretion to NPA is attributable to sectoral downturn in Power, Textiles and Realty etc. Further, automated Income Recognition and Asset Classification has resulted in sudden spurt in NPAs, which would taper off, as the system stabilizes going forward. Accretion to NPA in small measures is also attributed to restructured assets being recognized as NPA.

9.2. However, the outlook on asset quality is positive going forward, considering that slippages were contained at ₹ 566 crore in December 2011 quarter and ₹ 606 crore in March 2012 quarter as compared to ₹ 1821 crore in September 2011 quarter.

9.3. **The movement of NPA is as indicated below:**

Table - 4 - Movement of NPA

(₹ In crore)

Particulars	31st March 2011		31st March 2012	
Gross NPAs (Opening)		2671		3623
Additions		2924		3760
Less:				
(I) Upgradation	268		255	
(II) Recoveries	578		740	
(III) Write-off	1126	1972	938	1933
Gross NPAs (Closing)		3623		5450
Net NPAs				
– Opening		965		1803
– Closing		1803		3025

9.4. The Cash recovery and Up-Gradation was ₹ 995 crore as compared to ₹ 846 crore in the previous year. Despite difficult year for NPAs, percentage of recovery / Up-Gradation to opening NPA level stood at 27.46 % as compared to 31.67 % in last fiscal. Bank has made recovery of ₹ 353 crore in written off accounts as compared to ₹ 212 crore in the previous year.

9.5. Bank issued notices under Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESIA), 2002 to 11557 defaulting borrowers involving dues of ₹ 1402 crore. One Time Settlement was approved in 569 cases, resulting in a recovery of ₹ 105 crore. Further, assets worth ₹ 624 crores were seized in 1524 cases and the Bank has recovered an amount of ₹ 71 crore by sale of properties.

9.6. Special onetime settlement schemes for Agricultural NPAs with outstanding upto ₹ 5.00 lakh as well as for low value NPAs with outstanding of less than ₹ 1 lakh were implemented which resulted in recovery of substantial amount.

9.7. Bank has 10 Asset Recovery Branches across the country for providing focused attention to high value NPAs. This has given thrust to the recovery efforts. During the year, these branches could recover ₹ 176.98 crore.

9.8. Your Bank conducted recovery camps at various centers throughout the country and participated in Lok Adalats regularly. The response received from these camps & adalats were very encouraging.

9.9. Big borrowal accounts in NPA category are reviewed at regular intervals by Controlling Offices at different levels. NPA position of the Bank is also reviewed at quarterly intervals by the Board.

9.10. Soft collection capability is being built not only to enhance recovery but also to contain NPAs. With a view to maintain healthy Asset quality and to control NPAs, the bank has started a collection contact centre at Bangalore which will not only help in recovery of NPAs but also contain delinquencies.

10. Treasury:

10.1. The total investment portfolio of the Bank stood at ₹ 62,524 crore as on March 31, 2012 against ₹ 58,399 crore as on March 31, 2011, thereby recording an increase of 7.06% over the previous year. This comprised of investments made in Government Securities, State Development Loans and Other Approved Securities for maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Non-SLR investments like Equity Shares, Corporate Debentures, Public Sector Undertaking Bonds (PSU Bonds), Commercial Papers (CPs), Certificates of Deposit (CDs), Security Receipts, Mutual Funds, Venture Capital Funds, Subsidiaries & Joint Ventures. The yield on investment portfolio was 6.96% for the year ended March 31, 2012 against 6.55% for the year ended March

31, 2011. Further yield on interest bearing securities for the year ended March 31, 2012 was 7.40% as against 7.04% for the year ended March 31, 2011. The return on Investment Portfolio comprising of interest income and profit on sale of investments, net of amortization was 7.63% during the year as against 7.31% in the previous year.

10.2. The Treasury endeavors to manage liquidity and maximize return on funds through efficient allocation of surplus resources. Besides compliance with the statutory requirements, the Treasury takes proprietary positions in government securities, equity shares, debentures and bonds and also deploys funds in foreign exchange markets. The Bank's total profit from Treasury operations in domestic and forex markets aggregated to ₹ 718.62 crore during the year as against ₹ 692.94 crore in the previous year.

10.3. The bank extends hedging facilities to customers through Derivative Transactions in addition to its Proprietary Trading in derivatives. The transactions are undertaken within the framework of RBI guidelines.

10.4. The bank traded actively in currency futures and forwards in the currency derivative segment.

11. International Banking:

11.1. The foreign exchange turnover of your bank increased by 84% to ₹ 193860 crore as on March 31, 2012 as compared to ₹ 105338 crore registered previous year.

11.2. Your Bank is having correspondent relationship with 326 leading International banks at all major International centers.

11.3. Your Bank has Rupee Drawing Arrangement (RDA) with 22 International Banks and 22 Exchange Houses as on March 31, 2012. The online remittance product popular as **UNION FLASH** currently offered through UAE Exchange has gained wider popularity. It is a 24 X 7 online remittance solution for NRI in the Gulf who can use the product for instant credit of funds to the resident Indians having account with Union Bank.

11.4. The export credit of your Bank increased to ₹ 6990 crore as of March 31, 2012 from ₹ 6375 crore as on March 31, 2011 registering a growth of 9.65% against a growth of 1.63% recorded in the previous year.

12. Overseas Operations:

12.1. The Bank has its overseas Branch in Hong Kong, operational since May 7, 2008. The branch carries out normal commercial banking operations like acceptance of deposits, trade finance, External Commercial Borrowing (ECBs) and Syndicated Loans. Deposits reached a level of USD 237.37 Mn as of March 31, 2012 registering a growth of 84.58%. Advances reached a level of USD 1805.60 Mn as of March 31, 2012 registering a growth of 34.95%. The operating profit of the branch as of March 31, 2012 was USD 20 Mn registering a growth of 54.80%.

13. Transaction Banking:

ALTERNATE CHANNELS

During the last financial year, your bank has perused its coveted mission of driving all possible alternate transaction through alternate /electronic channels offering variety of services and easy/convenient choices to customers. The percentage of electronic transactions in bank grew as under:

Chart -2- Electronic Transactions

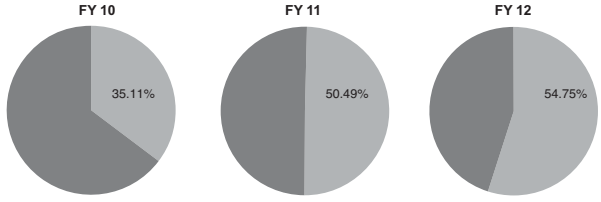

Some of the key initiatives taken during last year in different areas are detailed below:

13.1. ATMs and Cards:

- Your bank crossed landmark of 3800 ATMs this year and issued more than 1.55 million debit cards during the last year. Bank has introduced Remittance Products such as NEFT (National Electronic Fund Transfer), IMPS (Interbank Mobile Payment System) and Union eCash facility through ATMs. Bank shall continue to focus on increasing the number of services a customer can avail at ATMs
- Your bank has also made the stage ready to expand ATM network and has plans of expanding the ATM network size to 5000 ATMs by March 2013.

Chart -3- Card Transactions

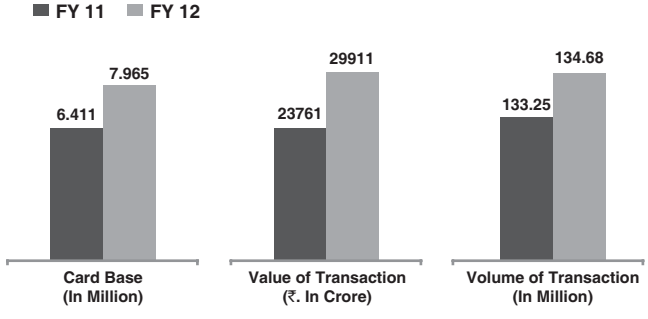

13.2. Internet and Mobile banking

- Your bank has also added new features on its other electronic banking channels like internet and mobile banking. Enhancing security of these electronic channels has been the primary theme during the last year. Introduction of Bill presentment, Online FDR, Online Feedback, Online Gift card has been a key initiative to empower customers.

- Your bank has been one of the first few to implement IMPS service that enables customers to make interbank fund transfers through mobile on real time basis. IMPS is now extended to ATMs.
- During last financial year, your bank has taken up Cashless Campus Project in Kendriya Vidayalaya Sanghatan, Pune. Bank has implemented payment gateway solutions on college/ university portals to collect fee payments. Bank is planning to rollout the project in many more campuses across the country and attract customers to these secured low cost channels.
- **Chart -4- Users of Internet/SMS Banking & Mobile Banking**

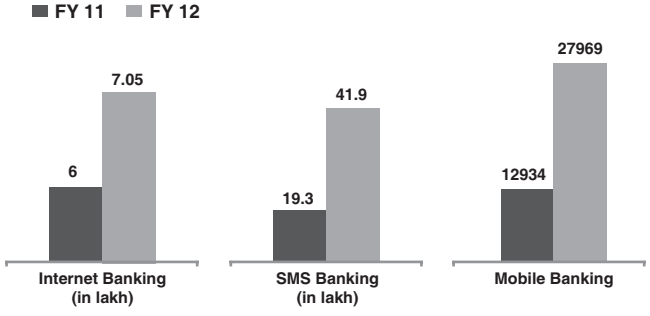

Customer Empowerment, Paperless banking and increasing electronic transaction has been key theme of the bank and as a result the bank's share of transactions through alternate channels have increased from 50% in March 2011 to 54.75% in March 2012 . This means allowing more customers to use convenient channels of their choice and a drastic reduction in the "cost to service customer" for the bank.

13.3. Acquiring Products

- Your bank has also forayed into acquiring business and started merchant enrollments across the country for installation of PoS (Point of Sales) terminals accepting both VISA and MasterCard cards. The response of merchants more importantly in Tier 2 and Tier 3 cities suggest that the bank will be able to deploy more than 10000 PoS terminals by Mar'2013
- The Bank has also introduced Green Banking by deploying PoS Terminals at branches which allows customer to do Cash Withdrawal, Cash Deposits and Fund transfer using his Debit Card on his own.
- Bank has also implemented Credit/Debit Card payment gateway during the current year and has started adding online merchants for the facility.

Given a rich card base, the acquiring products will help bank to garner significant fee based and commission based income in future.

13.4. **Currency Chest**

- Bank has completed the exercise of providing Note Sorting Machines to 487 Branches having average receipts above ₹ 50.00 lacs. Bank has planned for providing Note Sorting Machines to about 1000 Branches before March 2013 where the Cash Receipt is more than ₹ 40.00 lacs.
- At present Bank has 64 Currency Chests and is in the process of opening a Currency Chest at Salem. Bank is planning to have 11 more Currency Chests within next two years.
- Bank further propose to convert all the present Currency Chests into Modern Cash Processing Centres.

13.5. Cash Management Services (CMS)

- Your bank mobilized 150 new connections under various CMS products and earned a fee Income of ₹ 11.41 crore along with recording a Turnover of ₹ 44008 crore during the year.
- CMS facilitates the corporate customers to have a specialized service towards the receivables & payables management at a high speed, with minimal cost, supported by a customized MIS. The collection of cheques deposited at various locations is made faster and funds credited at a single point. Similarly CMS helps customers to manage their bulk payments from any single point. Collection products are Local Cheque Collection (LCC), Upcountry Cheque Collection (UCC), Virtual account etc. Payment products are Remote cheque printing, DD drawing arrangement & Corporate Cheque Payment. In CMS, activities such as Bulk RTGS/NEFT, Centralised cheque & Mandate based Debits and credits, are also carried out which facilitate clients like Mutual Funds, Non Banking Financial Companies (NBFC's) etc.
- Keeping in line with the changes taking place in payment related activities in banking, Bank has set up a Payment Hub exclusively to take care of Payment services. Payment Hub has already started carrying out bulk salary payment of Kendriya Vidyalaya, & Navodaya Vidyalaya, pan India. Bulk remittance by way of online transfer and RTGS/ NEFT of certain Govt./Semi-Govt. organizations have also been taken up.
- Corporate clients are in need of a safe and secured way of data transmission. In order to enable this, Bank has already procured the software for Host to Host Connectivity and made it available to select clients. With this, the clients will be able to transmit data from their system to Bank's server in a hassle free manner. This facility will be extended to more and more clients.

Web-CMS has been made operational. Clients are able to access CMS software to view their accounts and transactions through Union Bank's Web-site.

13.6. Merchant Banking

- Bank has made available ASBA (Application Supported by Blocked Amount) facility for applying in Public Issues through Internet Banking and also extended the facility of registration of applicant and their details.
- Bank is handling Payment and Collection assignments of corporate clients/PSUs.

13.7. Third Party Products Distribution

- Under "Third Party Products", your Bank offers to its customers value-added products /services like Insurance (both Life and Non Life), Mutual Fund, Stamp Vending etc.
- The Bank distributes Life insurance products of its own Joint Venture Company viz. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd. and Mutual Fund Products of its subsidiary Union KBC Mutual Fund.
- During FY 2011-2012, Bank earned a commission income of ₹ 35.28 Crore through distribution of third party products compared to last year's income of ₹ 31.99 crore.

14. Information Technology:

14.1. During the year under review, Bank is awarded for its innovation and IT service excellence from :

- Computer Society of India - Award for Excellence in IT for Middleware implementation
- NASSCOM – IT User Award
- ACI - Excellence Award 2011 for their project "Customer Empowerment using ACI solution BASE 24" in the Payment Transformation category
- NPCI - Runner up award for "Excellence in ATM Operations-2011".

14.2. Further, during the year Bank has launched Phone Banking Terminal, Unified communication and Union Chetna.

14.3. Bank has proactively adopted new technologies and processes to cater the changing customer requirements and to ensure absolute customer satisfaction. A number of initiatives in technology implementations are done through Core Banking Solution (CBS) and other supporting systems such as :

- Lending Automation Solution (LAS)
- Alternate Delivery Channels
- Enterprise Application Integration (EAI) Middleware
- Business Intelligence tools for Management Reports and Dashboards,
- Document Management System
- Unified Communications
- Digital Media Signage
- Robust Security and Network Applications

Increase in the technology intensity not only helped in the product development but was crucial in containing the operating costs and achieving higher productivity resulting into better customer service.

Some of the other initiatives during the year under review are as under:-

a. To meet the increasing transaction volumes, **capacity enhancement of CBS storage system is done**. The Data Centre has been operating on 24x7x365 basis without any down time. CBS oracle data partitioning and performance tuning has been done for enhanced performance and better scalability.

b. Through Middleware application, the bank has integrated various applications like Treasury, HRM Solution, ECS, E- Remit, Swift, DMAT, CMS etc with Core Banking Solution to facilitate seamless flow of transactions.

c. Bank has developed many value added products during the year on Core Banking platform, as under:-

- NPA module with features such as Asset classification, Reversal of interest, Dummy Ledger creation, Upgradation of account, downgradation of account, Preparation of Expenditure Register for Legal expenses without any manual intervention
- Locker module, having features such as Application, Allotment, Replacement of keys, Recovery of rent, Repayment of advance rent in case of pre-mature closure of account, MIS for Locker module
- Your bank has migrated PPF accounts from Legacy system to GBM package of Finacle during the financial year under report
- Tier product is introduced for S/B Account holders based on the average balance maintained by customers
- Single window concept is defined and introduced in Union Xperience branches
- New Pension Scheme product developed in-house and made available to customers
- Single Window concept with SB tier product has been implemented on pilot basis in two branches and will be rolled out across the country
- Bank has introduced new Demand Draft concept.

d. Further the bank has developed many customer related packages mentioned as under:

- Bank has provided portal for Kendriya Vidyalaya Sanghtan (KVS) to handle the online fees collection of students
- Bank has also provided facility for Gitam University students fee collection and challan preparation.
- Bank has provided a portal for electronic fund transfer management system throughout the state of Rajasthan and Andhra Pradesh for ministry of rural development for funds such as NREGA.
- Bank has provided a portal for government electronic payment and remittances for Pay and Account offices(PAOs) of civil ministries/ departments
- e-Remit facility is extended to domestic customers to transfer payments electronically to various vendors and contractors pertaining to Oriental Insurance Corporation Ltd.

e. Bank is facilitating NEFT and RTGS services to branches across the country. As on 31.03.2012, all branches are NEFT and RTGS enabled from day one of its opening. NEFT and RTGS , being very secure, efficient and fast method of sending/ receiving funds to/from other Banks, has gained momentum in the banking industry and during the year 2011-12 has carried out RTGS and NEFT transactions as under:

Table - 5 - RTGS & NEFT Transactions

Transaction Particulars	RTGS	NEFT
Total Inwards	15.36 Lacs	56.45 Lacs
Total Outwards	20.10 Lacs	40.38 Lacs

Your Bank is first to start NEFT Facility for our Sponsored Banks (RRB's) REWA and KASHI. With RBI's new guideline for extending RTGS Services as well for RRB's, Bank has achieved yet another milestone by implementing the RTGS Facility for Both our RRBs viz. REWA and KASHI w.e.f. January 2012.

f. In order to strengthen the security of various banking systems, the attack detection and prevention capabilities, Network Intrusion Prevention System & Host Intrusion Prevention System is being implemented. Bank has deployed multi-tier security architecture which includes devices such as firewalls, Unified threat management (UTM), Host & Network based Intrusion detection systems etc. Vigilant security monitoring of the said devices are carried out on 24X7 basis.

g. To make our networks robust, your Bank has implemented Network Access Control (NAC) project under which various software are installed to check the compliance of end point. Status of implementation of these software at end point is: Trend Micro antivirus, Big-fix for Patch Management and Cisco Clean Access Agent. There is 24x7 monitoring services of corporate and internet banking website under anti phishing and anti-malware services. M/s RSA engaged for providing support to swiftly take down phishing sites hosted across the world.

h. Your Bank had introduced following New facilities in ATM:

- Repositioned ATMs to SAMPURNA ATM's having features of IMPS, NEFT, E-Cash Remittance, Mutual Fund remittance , Bill Payments etc
- Enabling Kisan Credit Cards ATM Operations
- Introduction of other value added services viz pin change, mini statements for NFS users are other achievements
- Our Bank participated as a pilot bank and spearheaded the launch of RUPAY card in the country under the aegis of National Payment Corporation of India(NPCI).

i. In internet banking, Bank has introduced new features like bulk upload of NEFT/RTGS, Bill presentment and payment, Online Fixed deposit, New Pension Scheme(NPS) etc.

j. Bank has introduced Green Banking in Union experience branches. It is a semi alternate delivery channel where the customer initiates the transactions like deposit/ withdrawal of cash, transfer etc in a POS machine kept at branch premises by swiping his card. The transaction thus initiated by the customer will be completed by a single process verification by the staff.

k. The Bank has to its credit a number of achievements as a frontrunner in adopting technology in the areas of online collection of Government revenues and remittance of fund like Online Collection of Direct Taxes, Direct Tax Collection through ATMs, Online collection of Indirect Taxes, facilitating online Rail Bulk Freight payment, online payment of port dues by port users, Customized Fund Management Solution for flagship programmes like NRHM, MNREGS, RMSA etc.

l. State and Central Government Tax payments are integrated with our Internet Banking. Central Government Direct Taxes, Service Taxes, Central Excise, MCGM, DGFT taxes and Custom Duty can be paid through Bank's Online Banking facility. Bank has integrated with the State Governments of Chhattisgarh, Orissa, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka,

Delhi, Assam and Jharkhand for online collection of commercial taxes.

m. Bank has also integrated with Port Community System (PCS) which facilitates the electronic flow of trade related document/information between various Ports of India and other stakeholders like Shipping lines/ Agents, Surveyors, stevedores, Banks etc. For Railways freight collection Bank has integrated through Centre for Railway Information Systems (CRIS).

n. Document Management System (DMS) has been implemented with functionalities such as e-Circular Management process, Digitization of important documents, Image enablement of Lending Automation Solutions, Centralization of Account Opening process.

o. **Future Projects**

- Your bank is undertaking an ambitious Data warehousing Project and implementation of analytical and operational CRM. This will bring efficiency in our operations and MIS function. This will also help our officials to analyze the customer behavior as well as do the cross and up sell.
- To continuously upgrade our officials and sharpen their skill set and knowledge, Bank is in the process of deploying e learning solution across all branches and employees. This project will be completed in the current year.
- Expansion of Data Centre and Technology up gradation.
- Migration of all Financial Inclusion Customers into CBS and Integration of all Financial Inclusion Technology Service Provider (FI TSP) with CBS
- Risk based authentication system for Internet Banking channel
- Biometric authentication for Internal Finacle Users

p. Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds- Implementation of recommendations:

i) Information Technology Governance Structure

- Your Bank has "IT Security Committee" & "Operational Risk Management Committee" already in existence.
- "IT Strategy Committee", "IT Steering Committee" and "Information Security Committee" have been formed with recommended structure, roles and responsibilities.
- The functions of "Risk Management Committee" are covered under existing Operational Risk Management Committee.
- Presently a Senior Executive of IT Department is nominated as CISO (Chief Information Security Officer) of the Bank. Bank is in process of recruiting an official to carry out CISO functions to ensure compliance of segregation of duties as per recommendation of RBI working group report.

ii) Best Practices

- To achieve effective information security governance, your Bank is following Information Security Management System (ISO 27001). We have implemented ISO27001 for the Datacenter. Implementation of ISO27001 for DR site is under progress.
- For effective operating system patch management process, Bank has implemented Bigfix patch management solution.
- Automated vulnerability scanning tool has been deployed for conducting scans on a periodic basis. Vulnerability scan and penetration testing is done on quarterly basis for critical business systems.

iii) Security Technology Implementation

- Multi-tier application architecture is implemented for critical systems.
- Bank has deployed IDS/IPS technologies for effective attack detection and analysis.
- Bank has deployed the Network Access Control (NAC) tools to verify security configuration and patch level compliance of devices before granting access to a network.
- Bank has implemented email gateway security solution to filter various attachment types at the email gateway.
- Two factor authentication system has been deployed for internet banking customers.

15. Risk Management:

15.1. Your Bank has a proactive approach towards risk management. Its risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. The Risk Management framework is specifically designed to identify key risk areas, measure, monitor and manage them efficiently in order to deliver enhanced shareholder value by achieving an appropriate trade off between risk and

returns. The bank constantly endeavors to ensure that business function partners with the Risk Management function to derive value and the available capital is used most effectively.

15.2. The Risk Management Architecture of the Bank comprises of an Independent Risk Management Organizational structure both at the Corporate and Field level, Risk Management Policies, Risk Measurement Tools and Risk Monitoring and Management Systems. By posting Risk Management Officers at the field, your Bank is a pioneer in inculcating a risk culture throughout the organization. Risk profiling of the Bank for various risk areas and for Regional Offices is being done on a quarterly basis. Bank has a well defined risk appetite statement and the independent risk function ensures that the Bank operates within its risk appetite framework.

15.3. The Board of Directors of the Bank is primarily responsible for laying down risk parameters and establishing an integrated risk management and control system. The Bank's Board approves Risk Management policies and also sets out limits taking into account the risk appetite of the Bank and the skills available for managing the risks. Board of Directors are supported by a Sub-Committee of the Board known as Supervisory Committee of the Board on Risk Management and ALM, which in turn is supported by the Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC). These Committees are Committees of Executives headed by CMD.

15.4. **Credit Risk:**

The credit risk mechanism consists of policies and practices that include mechanisms for risk identification, risk measurement, risk grading/aggregation techniques, reporting and risk control/mitigation techniques, documentation, legal issues and management of problem loans to protect asset quality and ensure orderly growth and targeted risk adjusted return on assets.

The Credit Risk Management policy along with Collateral Management Policy address the Credit Risk related to lending. Credit Approving Authority, Prudential Exposure Limits, Risk Rating System, Risk Based Pricing, Portfolio Management are the various instruments for management of Credit Risk.

Your Bank has standardized and well-defined approval processes for all credit proposals to minimize the credit risk associated with them. The Bank has set up Credit Approval Grids at Regional Offices/Field General Manager's Offices and Central Office. Bank has also developed credit rating models for exposure above ₹ 2 lacs and scoring model for Retail lending schemes. The Bank has a system of portfolio rating for Retail Loans which are subjected to credit scoring and thus the entire credit portfolio of the bank is subject to internal credit rating. Bank has credit rating migration and default probability data for the last 10 years.

It continuously monitors portfolio concentrations by borrower, groups, sectors, retail schemes, industry, geography, etc and constantly strives to improve credit quality and maintain a risk profile that is diverse in terms of borrowers, products, industry types and geography.

15.5. **Market Risk:**

Asset Liability Management Policy and Treasury Policy aid the management in mitigating the Market Risk in the Banking and Trading books. Overall responsibility of managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The Committee meets regularly and decides on the size, mix, tenor, pricing and composition of various assets and liabilities. It primarily does identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. It uses tools such as Ratio analysis, Gap analysis reports - Structural liquidity, Dynamic Liquidity, Interest Rate Sensitivity, Value at Risk, Duration Gap Analysis etc for management of liquidity and interest rate risks. The fundamental focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. Bank has an independent mid office positioned in treasury and reporting to risk management. It ensures compliance in terms of exposure analysis, limits fixed and calculation of risk sensitive parameters like Value at Risk, PVO1, Duration, Defeasance Period, etc.

15.6. **Operational Risk:**

Comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational Risk. Your Bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank /BASEL guidelines. All new products introduced by the Bank pass through a New Product Approval Process to identify and address operational risk issues. Operational loss data has been captured for the last five and half years and mapped into 8 business lines and 7 loss events. Bank's income is also mapped into 8 business lines and Bank is in process to migrate to the Standardized Approach. It has also agreed to join External Data Pooling initiative of IBA.

As a good Corporate Governance measure, Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. It has also developed a Business Continuity Plan and implemented the same. BCP provides a blueprint detailing a wide range of responses under a disruptive environment to protect its staff, assets and interest of the customers. BCP contains steps to be adhered to both at the Preventive as well as Recovery phase when challenged with real life incidents.

15.7. **Implementation of Basel II:**

Bank has implemented the New Capital Adequacy Framework as per the timelines prescribed by RBI. While the Bank, to start with, has adopted Standardized

Approach for Credit Risk, Standardized Duration method for market risk and Basic Indicator approach for Operational Risk, the initiatives so far undertaken / envisaged are geared towards enabling the Bank to comply with the standards set out for more advanced capital measurement approaches in the Basel-II Accord.

Towards achieving this, Bank has moved over to a completely automated & networked environment through its Core Banking Solution and has enhanced its IT architecture and Management Information Systems. It has developed various training programs to upgrade the risk skills of its employees. Bank has also appointed a Consultant for Integrated Risk Management Consultancy; who has assessed the preparedness for moving over to advanced approaches. The Consultant is assisting the bank in developing necessary frameworks and taking necessary steps for migrating to advanced approaches. They would also facilitate acquisition and implementation of suitable software solutions for the same.

Your Bank has set up an Internal Rating Based (IRB) Module which enables two dimensional obligor and facility rating required for moving over the advanced approaches. The module has been implemented and all accounts are now rated only through the system. To compute key IRB parameters viz. Probability of default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) & Maturity (M), Bank is in the process of collecting data and putting in place necessary framework for computation of the same. In the area of Operational risk, Bank has started the process of putting in place a Risk and Control Self-Assessment (RCSA) framework. Workshops were conducted and Risk and Controls were assessed in 19 products. Bank plans to cover all the major products and processes during the coming year. Groundwork for development of Key Risk Indicators (KRI) is also on.

For enhancing manpower skills on risk management, Bank conducts in-house training programs and also nominates officials for attending training programs on risk management in reputed external training institutes. Bank has an excellent training system in place and its own Union Bank School of Management vide which it attempts to develop the professional and managerial skills of its employees. Bank has also recruited qualified professionals from reputed business schools who would help in refining the risk management practices, measurement and management tools.

Bank has also developed a framework for quantifying the Pillar-2 risks and has put in place a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework in line with RBI guidelines.

In order to shift the metrics of measurement from traditional volume based measures to risk based measures, the bank is in the process of implementing a robust and scientific fund transfer pricing system i.e. Matched Fund Transfer Pricing System. A Profitability Management Module has also been purchased which would assist the Bank in measuring profitability under various dimensions. This would pave the way for moving over to Risk Based Performance Measurement and Risk Based Pricing.

Bank has also initiated steps to integrate the role of risk in planning and strategy formulation and in measuring performance of different business units.

The Bank strives to provide maximum returns to its stakeholders while maintaining a solid capital base to support the risks associated with its diversified business. It has a strong Tier 1 capital adequacy ratio in order to support the execution of its growth plans and business strategies, while meeting the regulatory capital requirements at all times.

15.8. **Strengthening the Resilience: Basel-III Initiatives**

Basel-III guidelines by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) are a comprehensive set of reforms, to strengthen the regulation, supervision and risk management of the banking sector. BCBS issued Basel III guidelines in December 2010: Strengthening the Resilience of the Banking sector and International framework for Liquidity Risk Measurement, standards and monitoring. Based on the BCBS guidelines, RBI issued the 'Guidelines on Implementation of Basel III Capital Regulations' in India on May 2, 2012.

The capital standards and new capital buffers will require banks to hold more capital and higher quality of capital than under current Basel II rules. The new leverage ratio introduces a non-risk based measure to supplement the risk-based minimum capital requirements. The new liquidity ratios ensure that adequate funding is maintained.

Indian banking system, hailed for its resilience amidst turbulent global crisis, is not expected to be considerably strained by the proposed new capital rules in the near term, though there could be some negative impact arising from shifting some deductions from Tier I and Tier II capital, directly to hit the common equity component. Banks in India are well capitalized and are already above the minimum prescribed ratios. As Basel-III transition is phased in over a longer timeframe upto 2018, it is expected to ease the pressure for immediate capital infusion.

Your Bank has been proactively conducting internal assessment of adequacy of capital, liquidity ratios and leverage ratios in accordance with Basel-III standards. Banks capital position is in compliance with Basel-III expectations, well above the minimum requirements. Bank is awaiting final RBI guidelines to evaluate the compliance with LCR and NFSR norms in the Indian context. Bank expects to make a smooth transition to Basel-III standards, as per RBI's timelines.

To comply with the Basel-III guidelines, Your Bank has initiated steps for enhancing risk coverage, risk policies, risk appetite, IT infrastructure for MIS and training to staff on Basel-III requirements. The capital planning and

ICAAP is proposed to be revamped in line with Basel-III expectations. As the new standards require higher levels of core-equity and phasing out of certain ineligible hybrid capital instruments, bank has also initiated several steps for risk-weight optimization to enhance capital efficiency. Going forward, Bank expects the Basel-III standards to bolster resilience of the bank in future and feels that increased capital will be crucial to the industry's growth and sustainability in the coming years.

16. Compliance function:

In view of ever increasing number of regulations, compliance has increasingly become a focus area for effective corporate governance. In an endeavour to develop a strong compliance culture in Bank, Compliance Policy is framed and reviewed annually. Compliance Department continuously co-ordinates the identification of compliance issues, assesses and mitigates compliance risk. Functional department wise compliance issues are identified. Role responsibility as regards compliance function is defined for every tier in the Bank. A reporting system has also been introduced to ensure compliance of regulatory and statutory compliance issues through:

- **Self certification** process by which Compliance Certificate is submitted by the branches to the concerned Regional offices. Based on the certificates received from branches Regional Offices give self certificates to FGMOs under which they are attached. Based on the ROs self certification the FGMOs gives a compliance certificate to Compliance Department, Central Office. Such a system of self certification is also invoked for all verticals working in central office.
- **Random testing / monitoring through Risk Officers –**

  Report on findings of random test checking is submitted to the Top Management.

Following notes are regularly submitted to the Board/ Audit Committee of the Board:

- Monthly note on Important communications received from the RBI/ GOI (MOF)
- Quarterly note on Status of Compliance Function
- Quarterly note on Status of RBI/ MOF communications received.

A comprehensive database on various compliance issues for the Bank is being developed.

17. KYC-AML:

Bank has taken various measures to strengthen KYC-AML compliance. A revised Account opening form with additional features for customer profiling and a KYC checklist has been developed. Interview & Customer Due Diligence form are revised to cover additional information. Efforts are being made to ensure customer profiling, risk categorization in all accounts. Filling up of KYC menu details has been made mandatory and alerts have been developed in Core Banking. The KYC AML software is being enhanced to cover additional features and reports. Notices are issued in vernacular languages through newspapers for updation of KYC details. Special training sessions / workshops on KYC – AML are conducted and one session on KYC-AML is introduced in all internal trainings to sensitize all staff across the Bank. Bank continuously strives to improve the compliance on KYC-AML.

18. Human Resource Management:

18.1. The Bank is committed to nurturing its human resources in order to attain sustainable higher trajectory growth to match the aspirations enshrined in its VISION document by way of well laid out welfare policies and initiatives.

18.2. Your Bank initiated HR Transformation process with an objective to align HR Strategy with the Business Strategy by benchmarking and adopting industry best practices in order to suit Bank's requirement.

18.3. The following are the Key Resultants of the HR Transformation Exercise undertaken by the Bank:

- Streamlined various Policies, Processes & Systems
- Defined and documented Roles with Job Clarity and uploaded the same on our Intranet with feedback mechanism.
- Implemented a Transparent & Objective PMS and Competency Model/Mapping.
- A new module in PeopleSoft was developed to integrate the new appraisal system in Union Parivaar for its online submission.
- Introduced Manpower Planning through Scientific Model & Calculator for arriving at the assessment of the Manpower requirement .
- Succession planning for critical Roles has been initiated. Bank is in the process of building leadership in pipeline.

18.4. **Manpower Strength:**

The total Manpower of the Bank as on 31.03.2012 stood at 30838.

Table- 6 - Category of Employees

Parameter	Officers	Clerks	S u b - staff	Total
Total Employees	14806	9444	6588	30838
Of Which				
Scheduled Castes (SCs)	2633	1909	2554	7096
Scheduled Tribes (STs)	883	485	567	1935
Other Backward Classes (OBCs)	2171	1749	1456	5376
Persons with Disability (PWD)	54	49	44	147
Ex-Servicemen	76	249	1259	1584
Women	2268	2454	840	5562

18.5. **RECRUITMENTS:**

Following recruitments were completed in 2011-12:

Category	Number
Probationary Officers (POs)	1165
Rural Development Officers	303
Customer Relationship Executives	207
Management Trainees	225
Senior Managers (Credit)	71
Chartered Accountants	75
Clerks	1591
TOTAL	**3637**

Following recruitment process is already initiated and to be completed in the first/second quarter of 2012-13:

Category	Number
Probationary Officers	2473
Specialist Officers	675
Clerks	1636

18.6. **CAMPUS RECRUITMENTS:**

With a view to attract the young, dynamic, qualified and talented professionals available across the country and to improve the age profile of our employees for handling critical departments like Credit, Risk, Forex & Treasury, Agri-business, etc. bank ventured upon **Campus Selections** in a big way from prestigious IIMs & IITs, besides reputed B-Schools & Agricultural Universities during the year. A total of 225 candidates were selected from various campuses including IIMs during 2011-12.

18.7. **PROMOTIONS:**

In order to provide Career Progression opportunities to the performing / talented employees and to motivate them towards further excellence, the Bank initiated a fresh Promotion process including Fast Track in all cadres. In all 2143 promotions were effected during 2011-12.

The Bank has further Board approvals for filling 1747 promotion vacancies, under Officer Cadre (Gen. Banking) and 281 vacancies under officer cadre (Specialized), 1210 promotion vacancies from Clerk to Officer Cadre and 402 promotion vacancies from Sub-staff to Clerk for which process in under progress.

18.8. **RESERVATION POLICY:**

The department continued to have regular dialogues with the various SC/ST and OBC Welfare Associations in the bank and the platform was fully utilized to redress the grievances of the various reserved category employees including issues concerning policy matters. Reservations, Relaxations and Concessions were extended to the various reserved categories as per the extant government guidelines.

18.9. **INDUSTRIAL RELATIONS:**

The Industrial Relations Scenario in the Bank continued to be cordial on account of the constant dialogue held with the majority Trade Unions and resolving all the contentious issues. Cases involving Disciplinary Matters were disposed of speedily in the most judicious manner and with a Human face.

18.10. **UNION DHARA:**

Our Bank's house journal 'Union Dhara' continued to be an excellent means of internal communication between management and employees with objectives of creating oneness amongst the staff members and stimulating employees about their duties, loyalties and creativity.

This year **'Union Dhara'** clinched **12 prizes in all** at the different competitions.

- Union Dhara bagged **7 awards** along with most prestigious **"CHAMPION OF THE CHAMPIONS TROPHY"** at **51st Award ceremony of ABCI** (Association of Business Communicators of India), at Taj President Hotel, Mumbai. This is the most prestigious moment in the history of Union Bank of India as the Bank's House Journal got this award for the second time in succession.
- Union Dhara also bagged **'Best House Journal' award** from **'Ashirwad, Mumbai'** and **'Silver'** from **'PRCI** (Public Relations Council of India)**, Bangalore'**.
- **RBI** also awarded Union Dhara in the category of **'Bilingual House Journal'**.
- Union Dhara also bagged "उत्कृष्ट सम्मान" from Rajbhasha Kiran, Mumbai.

18.11. **OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:**

During the year under review our Bank has taken following measures to promote Official Language Implementation in the Bank. Salient features of the same are as follows:

- Introduction of online reporting of quarterly Hindi report.
- Publication of Books in Hindi on banking subjects.
  - ❖ Year 2011 Financial Inclusion – Vividh Aayam
- Publication of comic strips in Hindi
  - ❖ Atmanirbharta
- Online Hindi slogan competition on 11.11.2011
- Holding On-line competition in Hindi on Recovery and NPA.
- Introduction of language option (Marathi, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Oriya and Bengali) in ATM Slips.
- Organised Rajbhasha Sangoshthi at Delhi on 24.12.2011 for scale V & VI.
- Hindi translation of power point used for training.

18.11.1. **AWARDS:**

In recognition of our performance Bank received the following awards during the year.

- **All-India Indira Gandhi Shield – 2009-10**
  - ❖ Second Prize
- **Reserve Bank Rajbhasha Shield- 2010-11**
  - ❖ Linguistic Region 'A' - Protsahan Puraskar
  - ❖ Linguistic Region 'B' - First Prize
  - ❖ Linguistic Region 'C' - First Prize
- **Maharashtra State Level Bankers' Samiti, Pune,**
  - ❖ First Prize - 2010-11
- **Gujarat State Level Bankers' Samiti, Ahmedabad,**
  - ❖ Second Prize - 2010-11

18.11.2. **Future Plans**

- Introduction of on-line Core Rajbhasha Solutions to encourage progressive use of Hindi.
- Ensure availability of all contents of Bank's website in Hindi.
- Regular Publication of comics in Hindi on Financial Inclusion and arranging demonstration of the same through multi-media in rural areas of Hindi speaking states.

18.12. **SECURITY:**

During the year under review, your bank has made concerted efforts to enhance the level of Security in the Bank by strengthening the security infrastructure, imparting training and carrying out extensive security inspections to improve the Security Standard of branches. Security arrangements in 1408 branches were inspected by the Security Officers. As part of our thrust to add electronic surveillance, Closed Circuit Television systems were installed in additional 411 branches bringing the total number of branches with CCTV systems to 2214 branches. Emphasis was laid on security and fire-safety awareness among the staff members and to this end short training capsules on 'Security and Fire Safety' were conducted by the Security Officers in 1408 branches and full building fire evacuation drill was conducted in the Bank's Central Office and in its Technology Centre. 1105 Armed Guards underwent Refresher Training Programmes, which included live firing practice.

19. **Internal Audit:**

19.1. Your Bank has migrated to Risk Based Internal Audit of Branches w.e.f. April 1, 2009. The Bank has also implemented Risk Based Internal Management Audit of Regional Offices w.e.f. April 1, 2011. The Bank has put in place a well defined Audit Policy both for Regular audit as well as Concurrent audit, duly approved by the Audit Committee of the Board.

19.2. Audit of 2879 branches was conducted. This also includes, audits of 81 foreign exchange dealing branches, 45 Service Branches and 63 Currency Chests, 54 Management Audits of Regional Offices and one Field General Manager's Office. The Bank had 672 branches/offices covering over 65% of the Banks business under Concurrent Audit by external firms of Chartered Accountants. The Audit Committee of the Board met 15 times during the year and made suggestions for improving operating efficiency and strengthening the systems and control.

19.3. Information Security (IS) Audit Cell is set up in December 2011. For FY 2011-12, IS Audit work has been assigned to Price Water House Cooper and they have started audit from February 2012 and expected to complete by 31.05.2012.

20. **Vigilance**

Vigilance is an essential tool to bring about excellence in the organization as it plays an important and positive role in creating an ethical climate with discipline and safety of operations. An elaborate and well structured Vigilance system has been put in place, covering all areas of operations and in tune with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission. Bank's thrust is on Preventive Vigilance, as it helps in checking occurrence of frauds, achieve growth and profitability. Number of interactive sessions with field functionaries are arranged so as to create necessary awareness and sharpen their skills, enhance their knowledge of systems and procedures and to sensitize about the pitfalls. 452 such Preventive Vigilance visits were made to various offices of the Bank during the year 2011-2012. Improvements in systems and procedures are suggested wherever warranted.

21. **Customer Service**

The Bank aims to create major impact in the market place through the various initiatives and strengthen its competitive capabilities through a customer centric approach to business growth.

21.1. ***UnionXperience* Branch:**

The roll out of unionXperience branches is a part of overall transformation initiative taken by the bank for bringing superior customer experience across multi channel touch points with ultimate objective of becoming Number One retail bank in customer service excellence. So far 80 branches have been rolled out across 11 Regions covering the cities Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Lucknow & Jaipur. During the current year, this will be further scaled up to cover 250 major Metro/urban branches across 17 regions.

21.2. **Multi Channel Experience - SAMPURNA ATM**: The customer experience project also looks to channel experience across ATM, Internet, Mobile and call center as multiple sources of convenience and fulfillment. Each channel on its own or in combination offers enhanced range of services. Bank has launched multiple facilities interfacing mobile banking and ATM like NEFT through ATM, IMPS through ATM, investments in mutual fund through ATM and e- Cash, a product that facilitates transfer of funds from ATM to Mobile.

21.3. **Customer Care Unit:** Your bank established a Customer Care Unit (CCU) to resolve customer complaints and systematically eliminate the root causes of complaints across channels. The CCU was formally launched on March 16, 2012. This capability, in the face of increasing transactions being conducted through alternate channel, becomes a touch point of convenience to reach via call center /email and get the resolution completed on a committed turnaround time defined for each type of requirements. It operates through a IT backbone called Case Management Tool, that tracks and fulfills all customer requests received. It also facilitates customer feedback on the level of satisfaction.

22. **Branch Network:**

The Bank has widely spread network of branches across the country. The category wise distribution of branches in India is as under:

Chart -5- BRANCH MIX

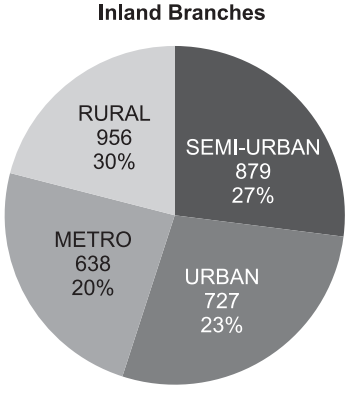

During 2011-12, your Bank added 185 branches taking total branch network to 3201 branches at the year end, inclusive of a branch in Hong Kong. With opening of 1167 ATMs during the year 2011-12 the total number of ATMs reached 3801 as against 2634 in the previous year.

Your Bank also has representative offices in Shanghai, Beijing, Abu Dhabi, London and Sydney.

Bank is in the process of upgrading its representative offices in London into a subsidiary and in Sydney into a branch. The Bank is also in process of setting up a branch in DIFC, Dubai.

23. **Opportunities:**

The expected revival in the economic growth augurs well for the banking industry. Even in present scenario Retail banking offers huge potential for growth due to increasing range of specific products, higher disposable income in the hands of young generation & deepening of delivery channels. The opportunity also lies in providing timely credit, suitable range of products and right price to Small and Medium Enterprises.

Mobile banking along with penetration of internet & broad band access has potential to completely transform banking in the near future.

24. **Threats:**

After a modest recovery, global growth started to show descending trend. Increase in global uncertainty, weak industrial growth, slow down in investment activity and deceleration in the resource flow to commercial sector led to dip in Domestic output in Q3. The factors like inflationary risks, rupee depreciation, slippages in fiscal deficit may further affect the growth projection for India. Further, stress in certain sectors such as, state utilities, power, textiles, airlines and microfinance poses threat to banking sector.

25. **Outlook:**

Indian economy is expected to perform better than the previous financial year. RBI has projected GDP growth at 7.3% for the year 2012-13. SCB's deposits and advances are projected to grow by 16% and 17% respectively.

Your bank's financial performance has improved sequentially in last quarter of the FY 2011-12. This development along with expected revival in industry growth enhances the growth prospects in FY 2012-13 and your bank will be able to show improved result in forthcoming years.

Your bank will endeavour to capture the opportunities with specific focus on increasing low cost deposits share and augmenting Agriculture, Retail and Medium & Small enterprises business in the financial year 2012-13.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1. Union Bank of India has a tradition of good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.

1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders' wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

During the year, the bank had been awarded with "Certificate of Recognition" for excellence in Corporate Governance at the 11th ICSI National Award for the second consecutive year. The Bank had been selected as one of the Top 25 companies in India for Excellence in Corporate Governance practices by The Institute of Company Secretaries of India partnering with Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India for the year 2008-2009. The selection criteria for this award included best Board Systems and Procedures, Board Governance, Transparency and Disclosures, Stakeholder Value Enhancement, Corporate Social Responsibility, Creative and Contributive Capabilities of Top Management, Future Vision and other good corporate governance initiatives.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As on 31/03/2012, the Board comprised of three whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and two Executive Directors appointed by the Government of India besides eight Part-time Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.

2.2 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries in the Bank. The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodical intervals.

3. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEEDINGS

3.1 Scheduling and Selection of Agenda Items

All Board/Committee Members are given notice of the meetings in advance. The meetings are governed by structured agenda. The agenda alongwith the explanatory notes are distributed well in advance.

3.2 Availability of Information to the Members

All items in the agenda are supported by detailed background information to enable the members to make comprehensive review and take informed decisions.

3.3 Recording minutes of the proceedings

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meetings are recorded. In keeping with good corporate governance principles, the decisions on all agenda items are arrived by general consensus. The minutes of the proceedings of the meetings are entered in the minutes book.

3.4. Follow-up mechanism

The Bank has an effective mechanism for post meeting follow-up, review and reporting process for the actions taken on decisions of the Board and Committees. Action taken report on the decisions/minutes of the previous meeting(s) is placed to the Board at next meeting.

3.5 Compliance

The Board periodically reviews the compliance reports to ensure adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

3.6 Code of Corporate Governance

Keeping in view the best practices, the Board has framed a voluntary code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like;

- procedures for Board and its various Committees
- Compliance and monitoring procedures
- relation with shareholders and Customers
- disclosures to public at large
- corporate social responsibility and ;
- other miscellaneous issues viz, Code of conduct, insider trading, staff matters, vigilance etc.

3.7 Board Meetings

During the year under review **17** Board Meetings were held on the following dates: -

18th April, 2011	24th October, 2011
19th April, 2011	23rd November, 2011
6th May, 2011	24th December, 2011
3rd June, 2011	24th January, 2012
29th June, 2011	25th January, 2012
22nd July, 2011	15th February,2012
25th July, 2011	27th February,2012
22nd August, 2011	27th March, 2012
13th September, 2011	

The details of attendance of each Director at the Board Meetings, number of other Board Committees, where he is a member or Chairman during the year, details of shareholding and directorship of other companies / corporations are furnished hereunder: -

Details of Directors and meetings held during 2011-12

Name of the Director & Category	DOB/ Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share holding	Other Director Ship
Shri M.V. Nair CMD (Executive)	03.03.52 60 yrs	B.Sc.	17	17	MCM, SCR & ALM, DPC, DPC(V), STCB, SCMF, CSCB, HR	Nil	5
Shri D. Sarkar CMD (Executive) $	03.11.53, 58 years	M.Com, FCA, CAIIB	--	--	MCM, SCR & ALM, DPC, DPC(V), STCB, SCMF, CSCB,HR	Nil	Nil
Shri S.C.Kalia # Executive Director (Executive)	06.08.51 60 yrs	M.A. (Political Science) Gold Medalist, CAIIB	8	8	MCM, ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB, SCMF, HR	Nil	1
Shri S.S.Mundra Executive Director (Executive)	18.07.54 57 yrs	Post Graduate in Commerce from University of Pune and is also a Certified Associate of IIBF.	17	17	MCM, ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB, SCMF HR, IT, NPA	Nil	2
Shri S.K.Jain $ Executive Director (Executive)	05.05.54 57 yrs	BSC (Hons), MA (Eco), CAIIB	9	8	MCM,ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB, SCMF HR, IT, NPA	Nil	1
Shri K.V. Eapen # Govt. of India Nominee (Non-executive)	09.09.59 52yrs	An IAS Officer of the Assam -Meghalaya cadre of 1984 batch and is presently Joint Secretary, (Banking Administation), Department of Financial Services, Government of India, New Delhi. An alumni of St. Stephen's College, University of Delhi, he has a Bachelor of Arts degree and a Post Graduate degree in Economics. He also holds a Post Graduate Diploma in Management from Management Development Institute Gurgaon and M.Sc. in Macro Economic Policy and Planning from the University of Bradford, United Kingdom.	6	--	ACB, DPC, DPC(V), SCR & ALM, SCMF, RCB.	Nil	1
Smt. Meena Hemchandra # RBI-Nominee (Non-executive)	20.11.57 54 yrs	B.A.-Economics, History(Kolkata University), M.A.-Economics(Madurai Kamraj University), CAIIB, CFA (Institute of Chartered Financial Analysts of India, Hyderabad)	9	7	MCM, ACB, DPC / DPC(V), RCB,	Nil	Nil
Shri B.M.Sharma@ Chartered Accountant (Non executive)	15.07.56 55 yrs	Chartered Accountant	17	17	MCM, ACB, SCR & ALM, NCB, IT, NPA	Nil	Nil

Name of the Director & Category	DOB/ Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share holding	Other Director Ship
Shri N. Shankar # $ Workmen Employee (Non -executive)	20.05.58 53 yrs.	B.Sc., ICWA	14	13	MCM, CSCB, SIGC,SCR & ALM	Nil	Nil
Dr Gulfam Mujibi # Part-Time Non-Official (Non -executive)	27.04.45 66 years	Post Graduate (MA) with a gold medal from Ranchi University. Holds a Ph.D and LLB degree from Ranchi University	14	13	MCM, CSCB, NCB,SIGC	Nil	Nil
Shri M.S.Sriram Shareholder (Non-executive)	16.05.62 49 yrs.	B.Com., Post Graduate Diploma in Rural Management from Institute of Rural Management, Anand (IRMA) (1984) and is a Fellow of the Indian Institute of Management, Bangalore (1992). He has more than two decades of experience in academia and consulting. His fields of expertise are Financial Accounting, Agricultural Finance, Social Entrepreneurship and Microfinance.	17	15	MCM, SCR & ALM, CSCB, RCB,SCMF STCB,ACB, HR.	100	2
Shri Arun Kumar # Nanda Shareholder (Non-executive)	13.03.49 63 yrs	B.Com (Hons), Degree in Law (LLB), Fellow Member of Institute of Chartered Accountants of India, Fellow Member of Institute of Company Secretaries of India	11	5	MCM,SIGC, RCB, CSCB.	200	**13**
Shri S. Ravi @ Shareholder (Non-executive)	12.07.59 52 yrs	B.Sc, M.Com & FCA Pursuing Ph.D from the Centre of Management Studies, **JMI**	17	17	ACB, MCM, SCR & ALM, CSCB,IT,NPA	600	**13**
Shri B.N.Bhattacharjee $ Officer Employee (Non -executive)	31.05.54 57 yrs	BA, LLB-I	15	15	MCM,STCB, CSCB,NCB, NPA,	19	**Nil**
Shri Samir K. Sinha $ # Government Nominee (Non -executive)	16.11.69 42yrs	Post Graduate from Public Policy Management from IIM	4	--	ACB, SCR & ALM,DPC, SCMF, DPC (V), RCB.	Nil	**Nil**
Shri Chandan Sinha $ RBI Nominee (Non -executive)	15.08.57 54 yrs	MSC, MBA, CAIIB	8	8	MCM,ACB, DPC, DPC(V),RCB,	Nil	**Nil**
Dr. Atul Agrawal $ Part-Time Non-Official (Non -executive)	02.08.60 51 yrs	B.Com.,LLB,FCA, ISA(ICAI), Ph.D.	8	7	MCM,SIGC, CSCB,RCB, NCB	193	**2**
Shri Rajesh Khullar $ Government Nominee (Non -executive)	31.08.63 48 yrs	MSC Physics	7	2	ACB, SCR & ALM,DPC, DPC (V), SCMF,NCB, RCB,HR.	Nil	**Nil**

$ Shri B.N.Bhattacharjee nominated on the Board w.e.f.04.05.2011

Shri Samir K. Sinha nominated on the Board w.e.f. 22.07.2011 and Shri Rajesh Khullar was nominated in his place w.e.f.15.11.2011

Shri S.K.Jain nominated on the Board w.e.f. 01.09.2011 in place of Shri S.C.Kalia

Dr. Atul Agrawal nominated on the Board w.e.f. 22.09.2011

Shri Chandan Sinha nominated on the Board w.e.f. 13.10.2011 in place of Smt Meena Hemchandra

Shri N. Shankar renominated on the Board w.e.f. 19.01.2012

Shri D.Sarkar nominated on the Board w.e.f. 01.04.2012 in place of Shri M.V.Nair

@ Chairman of ACB.

The term as Director of Shri N.Shankar ended on 14.09.2011 and he has been renominated w.e.f. 19.01.2012

The term of Shri S.C.Kalia ended on 31.08.2011

The term of Smt Meena Hemchandra ended on 12.10.2011

The term of Shri K.V.Eapen ended on 21.07.2011

The term of Shri Samir Kumar Sinha ended on 14.11.2011

Shri Arun Kumar Nanda resigned w.e.f. 28.11.2011

The term of Dr. Gulfam Mujibi ended on 28.01.2012

The term of Shri M.V.Nair ended on 31.03.2012

MCM – Management Committee of Board

ACB – Audit Committee of Board

SCR&ALM – Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management

SIGC - Shareholders/Investors Grievance Committee of the Board

DPC - Directors' Promotion Committee

DPC (V) - Directors' Promotion Committee – Vigilance/Non-Vigilance

STCB - Share Transfer Committee of the Board

SCMF - Special Committee of Board of Directors for monitoring cases of frauds of Rs.1 crore and above

CSCB – Customer Service Committee of the Board

RCB - Remuneration Committee of the Board

NCB - Nomination Committee of the Board

HR - Sub Committee of Board for HR issues.

IT - IT Strategy Committee of the Board

NPA - NPA Management Committee of Board for recoveries/upgradation.

Committee Membership of Directors

Shri S.S.Mundra, Executive Director holds membership/chairmanship of Audit Committee outside the Bank as under:

1. Star Union Dai-Ichi Insurance co. Ltd.- Member, Audit Committee

Shri S.K.Jain, Executive Director holds membership/chairmanship of Audit Committee outside the Bank as under:

1. Union KBC AMC Pvt. Ltd.- Member, Audit Committee

Shri S.Ravi, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee and Investor Grievance committees outside the Bank as under:

1. IDBI Capital Markets Services Ltd. - Chairman, Audit Committee
2. LIC Housing Finance Corporation Ltd. - Chairman, Audit Committee and Member, Investor Grievance Committee
3. Mahindra Ugine Steel Company Ltd. - Member Audit Committee and Investor Grievance Committee
4. UTI Trustee Company Pvt. Ltd. - Member, Audit Committee
5. Religare Housing Development Finance Corporation Ltd. - Chairman, Audit Committee
6. SME Rating Agency of India Ltd. - Member, Audit Committee
7. BHEL - Chairman, Audit Committee

3.9 Inter-se relationship of Directors

None of the Directors are related to each other.

3.10 A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2011-12 is as under:-

Profile of Directors inducted in the Board after March 31, 2011.

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri Baidya Nath Bhattacharjee	56 yrs	Central Government after consultation with Reserve bank of India nominated Shri B.N. Bhattacharjee as an Officer Employee Director in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub- section(3) of section 9 of The Banking Companies(Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) & (2) of clause 9 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous provisions) scheme 1970/1980. Shri Bhattacharjee is an active trade-unionist with a great passion and sacrificed his career and personal comforts for the cause of the officers' fraternity. Shri Bhattacharjee, a graduate from Lucknow University had pursued study of law. He became activist of the AIUBOF since 1989 and became central Committee member since 1991. In 1997, he was elected as the Treasurer of the All India Union Bank Officer's Federation and is continuing in the post till date. At present he is Vice President of Union Bank of India Officer's Association, WB & Sikkim, Vice President of the West Bengal state units of AIBOC and AINBOF. He is one of the founder activists towards formation of AINBOF. He takes keen interest in disciplinary proceedings and assisted number of cases of the officers including Deputy General Manager with flying colours. Shri. Bhattacharjee takes keen interest in photography, numerology, Hindustani classical and folk music. He is a keen observer of contemporary issues on socio-political and economic developments. With his great ability and fascination in banking activities in the country, he performs the duty of the sub-editor of Union Vision, the house journal of AIUBOF. Being a tech-savvy, person he is administrator of website of the AIUBOF as well.	04.05.2011	03.05.2014 or until he ceases to be an officer of UBI or until further orders whichever is earlier.	Nil
Shri Samir K.Sinha	42 yrs	In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970/1980, read with clause (1) of clause 3 of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980 Central Government has nominated Shri Sameer K Sinha, who represents Government of India on the Board of Directors of the Bank with effect from 22nd July, 2011, Director, (Banking Division), Department of Financial Services, Government of India, New Delhi.	22.07.2011	14.11.2011	Nil
Shri S.K.Jain	57 yrs	In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) and (3A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970/1980, read with clause (1) of clause 3 and sub-clause(1) of clause B of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980 Shri S.K.Jain has been nominated by the Government of India, as Executive Director of the Bank, with effect from 01.09.2011 till 31.05.2014 i.e. the date of his superannuation. Shri Suresh Kumar Jain has assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 1st September 2011. He is a Gold Medalist in college and university with BSc. (Hons) & MA (Economics). Shri Jain has been a professional Banker for over 35 years, has worked in various capacities across the country and abroad with specialization in credit and Foreign Exchange. Prior to joining the Bank, Shri Jain was General Manager, Bank of India. Shri Jain has reach experience in both domestic as well as international banking having worked in London and Hong Kong. He is a seasoned banker with varied experience in all areas of banking.	01.09.2011	31.05.2014 i.e. the date of his superannuation or until further orders whichever is earlier.	1

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Dr. Atul Agrawal	51 yrs	In exercise of the powers conferred by sub-section (3)and (3A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970/1980, read with clause (1) of clause 3 of The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980 Dr. Atul Agarwal has been nominated by the Government of India , as part-time non-official Director on the Board of Directors of the Bank , for a period of three years with effect from 22.09.2011 Dr. Agarwal, a Chartered Accountant, is qualified as B.Com., LLB, FCA, ISA(ICAI) and PhD in Commerce. Dr. Agarwal has been a practicing Chartered Accountant since 1984 and is a founder Partner of M/s Agarwal & Saxena, Chartered Accountants. Dr. Agarwal has widely traveled all over the World with rich experience of more than two decade in the field of corporate consulting, strategic thinking, business re-engineering and development and implementation of accounting systems. He has also held positions of Director in Bank of Baroda, Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation, Northern Coal Fields Ltd. and UP Stock Exchange Association Ltd. His vast arena of expertise includes being Member of Regional Direct Taxes Advisory Committee, Central Council Member of The Institute of Cost & Works Accountants of India (ICWAI), Member of various sub committees of ICWAI, Member of Direct Taxes Committee of ASSOCHAM, Member of the Defaults and Arbitration Committee of UP Stock Exchange, Member of study group on 'Professional Ethics' and on 'Corporate Governance' constituted by ICAI.	22.09.2011	21.09.2014 or until further orders whichever is earlier.	2
Shri Chandan Sinha	54 yrs	In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 read with sub clause (1) of clause 3 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) scheme,1970/1980, the Central Government has nominated Shri Chandan Sinha who represents RBI on the Board of Directors of the Bank with effect from 13.10.2011. Shri Chandan Sinha is the Regional Director of the New Delhi office of the Reserve Bank of India (RBI) since March 8, 2011. Prior to the current assignment, he was Officer on Special Duty in the Financial Stability Unit of the RBI at Mumbai. He has rich experience of the currency, debt and money markets in view of his long association of 17 years with the three market oriented departments of RBI (including as the head of the Financial Market Department for 4 years), a 3 ½ year stint with the Securities Trading Corporation of India (STC) as the Chief Dealer and one year tenure as the Chief Investment officer (HAG level) for setting-up the Investment Division of the Postal Life Insurance. Shri Sinha has served on several important working group/ committees of the Reserve Bank and has also been the RBI nominee for several International seminars and workshops. He was the RBI nominee Director on the Board of Allahabad Bank in 2005 and served as the Director, Indian Institute of Bank Management, Guwahati for 1 & 1/2 years. He has been resource person at Training establishments both within and outside the country and has co-authored papers on corporate Bond Market Development in India (BIS papers-Jan.2006) and on Indian Financial Openness and integration with South Eastern Asian Countries (BIS papers 42-oct.2008). Before joining RBI in 1982, he worked as probationary officer with the State Bank of India. He is M.Sc. (Physics) from St. Stephens College, Delhi University and acquired MBA (in Finance) as also CAIIB during the course of his career in the Bank.	13.10.2011	Until further orders	Nil

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri Rajesh Khullar	49 yrs	In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 read with sub clause (1) of clause 3 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) scheme,1970/1980, the Central Government has nominated Shri R. Khullar who represents Government of India presently Joint Secretary, I & I Division, DEA, on the Board of Directors of the Bank with effect from 15.11.2011. Sh. Khullar belongs to 1988 batch of IAS from Haryana Cadre. He has obtained his Master's Degree in Physics in 1984 topping the Punjab University. His postings include two stints as District Magistrate first in Sonepat during 1995-96 and then in Rohtak from 1999 to 2001. He has also worked as Director in Departments of Agriculture, School Education, Public relations and Tourism in Haryana. Generating innovative solutions to vexed problems and strongly advocating principle based schemes are his forte. He conceived the unique path breaking scheme named "Apni Beti, Apna Dhan" Scheme in 1994 that has simultaneously addressed the problems of female foeticide nutritional and educational neglect of girl child and early age of marriage. He also has to his credit the distinction of successfully weaning away the farmers from the cultivation of "saathi"(summer paddy), which being a water guzzler was playing havoc with the water table in fresh water aquifers of the State. This achievement was highlighted by India Today in its issue of August, 2006. He also led the campaign which helped to achieve the watershed event in the history of Indian Agriculture where Haryana surpassed Punjab in wheat productivity. He has twice been the Director of Haryana States AIDS control Society. He began experimenting with the medium of fiction as a means of answering the HIV related doubts and questions, this led to publication of his first novel, "Viral Match", by Rupa which is launched on December 8,2007 during Banglore Test Match between Pakistan and India. During his posting as Commissioner, Municipal Corporation, Faridabad from July 2007 to June 2009 he launched India's first project of providing a comprehensive social safety umbrella including insurance, saving accounts, health checkups, public conveniences and night shelters for which he was conferred an AWARD of EXCELLENCE under Jawahar Lal Nehru Urban Renewal Mission by Government of India for improvement in sustainable Urban Mobility through green transport mode. His last posting prior to taking over charge as Joint Secretary, I&I Division, Ministry of Economic Affairs was as Commissioner, Municipal Corporation Gurgaon where he introduced protocols true to the aspirations of people in 21st Century.	15.11.2011	Until further orders	Nil

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri N.Shankar	53 yrs	In exercise of the powers conferred by Clause (e) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub clause (1) & (2) of clause 9, of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) scheme,1970/1980, the Central Government renominated Shri N.Shankar as Workmen Employee Director. He is a Bank employee since 1979 and is presently a Special Assistant in M. S. Marg branch, Mumbai. Currently, he is the General Secretary, Union Bank Staff Union, Mumbai and Organizing Secretary of AIUBEA the majority recognized Union in the Bank. He is also the Working Committee Member of Maharashtra State Bank Employees Federation covering more than 40,000 employees and is also the National General Council member. He is also a member of many Committees at various levels that take up updating AIUBEA movement. He is a Graduate in the faculty of Science and a member of the Institute of Cost and Works Accountants of India. An employee representative on the PF Trustee in the Union Bank of India employees PF Trust for the last eight years, he has been instrumental in bringing about various improvements and streamlining the functioning of the department through Union Parivar resulting in speedy disbursement of PF Loans and Retirement dues. He is also involved in the Cooperative Society movement in Navi Mumbai and is the key member of the action committee formed by Navi Mumbai Municipal Corporation and Citizens to implement Municipal tax etc.	19.01.2012	18.01.2015	Nil
Shri D.Sarkar	58 yrs	In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 read with sub clause (1) of clause 3, Clause 5, Clause 6, Clause 7 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) scheme,1970/1980, the Central Government has nominated Shri D.Sarkar as Chairman and Managing Director of the Bank with effect from 01.04.2012. Shri D. Sarkar has taken over the charge as Chairman & Managing Director of the Bank since 1st April, 2012. Born on 3rd November, 1953, Shri Sarkar holds a post graduate degree in Commerce and is a qualified Fellow Chartered Accountant. In addition, he is also a Certified Associate of Indian Institute of Banking and Finance. Having started his career in Bank of Baroda, he worked in various capacities in Branches, Regional office, Zonal Office and Corporate Office. He was in charge of Internal Audit department of Bank's Mauritius Operation at Port Louis. He also worked as in charge of Specialized Integrated Treasury Branch, Mumbai. Shri Sarkar assumed the office of the Executive Director of the Allahabad Bank on 07.12.2009. Shri Sarkar was instrumental in bringing all the branches under CBS platform in Allahabad Bank. He has taken initiative in introducing Risk Based Internal Audit in Allahabad bank. He was also associated with reactivating Loan syndication department, making Incentive Scheme broad based focusing on performance. Shri Sarkar is known for his expertise in Treasury & Corporate Credit focusing mainly on credit deployment. He was a Director on the Board of Central Securities Depository Ltd. Mumbai, Board of Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (an overseas banking subsidiary of Bank of Baroda). He was a Trustee on the Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd., Mumbai. He was also a member on Supervisory Board of India Advantage Fund Series sponsored by ICICI Venture Capital Management Company Ltd., Bangalore.	01.04.2012	30.11.2013 i.e. date of his attaining Superannua--tion or until further orders whichever is earlier	Nil

3.11 Annual General Meeting:

The Ninth Annual General Meeting of the Shareholders was held on 29th June, 2011 where the following directors were present:

1.	Shri M. V. Nair	-	Chairman & Managing Director
2.	Shri S. C. Kalia	-	Executive Director
3.	Shri S. S. Mundra	-	Executive Director
4.	Shri B. M. Sharma	-	Director (C.A. Category) & Chairman Audit Committee
5.	Shri B. N. Bhattacharjee	-	Officer Representative Director
6.	Shri N. Shankar	-	Employee Representative Director
7.	Shri S. Ravi	-	Shareholder Director
8.	Shri M. S. Sriram	-	Shareholder Director

4 COMMITTEES OF THE BOARD

4.1 Audit Committee of Board of Directors (ACB)

4.1.1 Composition:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) has been constituted with six Directors viz. Executive Directors, Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and two non-official non-executive directors of which one is a Chartered Accountant, Shri B.M.Sharma, Independent Non-official Director and a Chartered Accountant Chairs the meetings of the Committee.

4.1.2 Functions

The Audit Committee reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by RBI on 10.11.2010. The major functions of ACB are enumerated below :

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-

- Inter-branch adjustment accounts
- Un-reconciled long outstanding entries in inter-Bank accounts and Nostro accounts
- Arrears in balancing of books at various branches
- Frauds
- All other major areas of housekeeping.

3. ACB obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the bank in terms of other guidelines of RBI and quarterly reports on compliance of listing and other SEBI guidelines.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. Audit Committee reviews the accounting policies, related party transactions, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
6. ACB annually reviews the mechanism for whistle blower as well.
7. Review of all financial Policies of the Bank.

4.1.3 Attendance of ACB Meetings

The Committee met **15** times during the year 2011-12 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri S. Ravi, Shareholder Director (Chairman ACB)	6	6
Shri B.M. Sharma, (Chairman ACB)	15	15
Shri S.C. Kalia, ED	7	7
Shri S.S. Mundra, ED	15	15
Shri S.K.Jain,ED	8	8
Shri K.V. Eapen, Govt. Nominee	6	--
Shri S.K.Sinha, Govt. Nominee	3	--
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominee	6	1
Smt. Meena Hemchandra,RBI Nominee	7	5
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	8	7
Shri M.S. Sriram, Shareholder Director	9	9

4.2 Management Committee of the Board (MCB)

4.2.1 Composition:

Pursuant to the amendments made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division vide Notification dated 19th February, 2007 to the Nationalised Bank's (Management & Miscellaneous Provisions Scheme) 1970 and further amendment upto 29th June 2007, the Management Committee now consists of Chairman & Managing Director, Executive Director/s, RBI nominee Director, a Chartered Accountant nominated by the Central Government under Section 9(3)(g) who functions as regular member of the Committee and three other Non-Executive Directors under Section 9(3) (e),(f),(h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the committee.

4.2.2 Functions

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

4.2.3 Attendance of MCB Meetings

During the year 2011-12, **20** meetings of Management Committee were held and attendance details are as under: -

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD (Chairman)	20	20
Shri S. C. Kalia, ED	8	8
Shri S.S. Mundra, ED	20	20
Shri S.K.Jain, ED	12	11
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee	9	8
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	11	8
Shri B.M. Sharma, Director (C.A. Category)	20	20
Shri M. S. Sriram, Shareholder Director	13	12
Dr. Gulfam Mujibi, Non –Official Director	10	8
Shri N. Shankar, Workmen Employee Director	3	3
Shri S. Ravi, Shareholder Director	13	10
Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director	7	3
Shri B.N.Bhattacharjee, Officer Employee Director	9	9
Dr. Atul Agarwal, Non –Official Director	5	5

4.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

4.3.1 Composition:

The Committee consists of the following members of the Board of Directors: Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominee of Government of India and three Non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.3.2 Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. It is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

4.3.3 Attendance of SCR & ALM Meeting

The Committee has held 5 meetings during the year 2011-12 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD (Chairman)	5	5
Shri S. C. Kalia , ED	2	2
Shri S.S. Mundra, ED	5	5
Shri S.K.Jain, ED	3	3
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee	2	--
Shri S. K.Sinha, Govt. Nominnee Director	1	--
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominnee Director	2	--
Shri M. S. Sriram, Shareholder Director	5	4
Shri B.M.Sharma, Director (C.A. Category)	5	5
Shri N. Shankar, Workmen Employee Director	3	3
Shri S.Ravi, Shareholder Director	2	1

4.4 Shareholders'/ Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC)

4.4.1 Composition:

The Shareholders' /Investors' Grievance Committee consists of Executive Directors and two Non-executive Directors. The Chairman of the Committee is Dr. Atul Agarwal an independent Non-executive director.

4.4.2 Functions:

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreement, a Shareholders' / Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC) has been constituted by the Board to look into the redressal of shareholders and investors complaints regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

4.4.3 Attendance of SIGC

The Committee has held 3 meetings during the year 2011-12 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. Gulfam Mujibi (Chairman of SIGC)	2	2
Dr Atul Agarwal, (Chairman of SIGC)	1	1
Shri S. C. Kalia, ED	1	1
Shri S.S. Mundra, ED	3	3
Shri S.K.Jain, ED	2	2
Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director	2	2
Shri N Shankar, Workmen Employee Director	1	--

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2012 vis-à-vis 31.03.2011 is as under:-

		For F.Y. ended 31.03.2012	For F.Y. ended 31.03.2011
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	-NIL-	-NIL-
b.	No. of shareholders complaints received during the year	1,057	1,385
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	1,057	1,385
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	-NIL-	-NIL-

Mrs. Monika Kalia, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

4.5 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

4.5.1 Composition:

The Committee consists of Chairman & Managing Director and /or Executive Directors and any two directors.

4.5.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of Board with powers to confirm transfer, transmission, Demat and issue of duplicate shares etc.

4.5.3 Attendance of STCB:

During the year, the Committee attended 19 times to the transfer, transmission, Demat and issue of duplicate shares etc.

4.6 Special Committee of Board of Directors for monitoring cases of Fraud of Rs.1.00 crore and above (SCMF)

Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of Rs. 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank Of India vide RBI/2004.15. DBS.FGV (F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.04. At present the Audit Committee of Board of Directors (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow –up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of Rs.1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The functioning of the Special Committee of the Board is reviewed on a half-yearly basis and the reviews are put up to the Board of Directors.

4.6.1 Composition:

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors.

- Chairman & Managing Director
- Two members from ACB
- Two other members from the Board excluding RBI nominee

4.6.2 Functions:

The major functions of the Special Committee would be to monitor and review all the cases of frauds of Rs. 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

4.6.3 Attendance of SCMF

The Committee has held 4 meetings during the year 2011-12 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M.V. Nair, CMD (Chairman)	4	4
Shri S.C. Kalia, ED	1	1
Shri S.S. Mundra, ED	4	4
Shri S.K.Jain, ED	3	3
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee Director	1	--
Shri.S.K.Sinha, Govt. Nominee Director	1	--
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominnee Director	2	--
Shri M.S. Sriram, Shareholder Director	4	4

4.7 Bank's Customer Service Committee of Board of Directors (CSCB)

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. It was constituted in terms of Reserve Bank of India, DBOD circular dated 14th August 2004.

4.7.1 Composition:

The Committee Comprises of eight members as under:

- Chairman & Managing Director/ Executive Directors
- Two Directors representing customer interest.
- Three Non-Executive Directors.
- Two representatives of Customers as special invitees

4.7.2 Functions

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestion on improving the quality of services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them and to suggest appropriate incentives to facilitate changes on an ongoing basis.
- To oversee the functioning of the Adhoc Committee of the Bank including compliance with recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Service (CPPAPS) set up by Reserve Bank of India.

4.7.3 Attendance of CSCB

The Committee has held 4 meetings during the year 2011-12 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M.V. Nair, CMD (Chairman)	4	4
Shri S.C. Kalia, ED	1	1
Shri S.S. Mundra, ED	4	4
Shri S.K.Jain, ED	3	3
Shri M.S. Sriram, Shareholder Director	4	4
Shri N.Shankar, Workmen Employee Director	3	2
Dr. Gulfam Mujibi, Non Official Director	3	3
Shri A.K. Nanda, Shareholder Director	2	1
Shri S. Ravi, Shareholder Director	4	2
Shri B.N.Bhattacharjee, Officer Employee Dirtector.	2	2
Dr.Atul Agarwal, Non Official Director	1	1

4.8 Remuneration Committee of Board (RCB)

Government of India (GOI) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide their communication F.No. 20/1 /2005-BO.I dated 9th March 2007 has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed.

4.8.1 Composition:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

4.8.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GOI guidelines.

4.8.3 Attendance of RCB

The Committee met two times during the year 2011-12 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri K.V. Eapen, Govt. Nominee (Chairman RCB)	1	--
Shri.S.K. Sinha, Govt. Nominee Director (Chairman RCB)	1	1
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee Director.	2	2
Shri M.S. Sriram, Shareholder Director	2	2
Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director	2	1

4.9 Nomination Committee of Board (NCB)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (as amended in 2006), the Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. RBI has issued circular DBOD No.BCNo.47/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 on 'Fit and Proper' criteria for elected directors on the boards of Nationalised Banks.

Banks are required to constitute Nomination Committee to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of existing elected directors under section 9 (3) (i) of the Act. Accordingly, the Bank has formed a Nomination Committee of the Board.

4.9.1 Composition:

- Three Non-Executive Independent Directors.

4.9.2 Functions:

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected director.
- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank.

Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the bank.

- Based on the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

4.9.3 Attendance of NCB

The Committee met one time during the year 2011-12 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri B.M. Sharma, Director (C.A. Category) (Chairman NCB)	1	1
Dr. Gulfam Mujibi, Non Official Director	1	1
Shri B.N.Bhattacharjee, Officer Employee Dirtector.	1	1

4.10 Directors Promotion Committee (DPC)

4.10.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

4.10.2 Functions:

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

4.10.3 Attendance of DPC

The Committee met 1 time during the year 2011-12 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD (Chairman DPC)	1	1
Shri S.K.Sinha, Govt. Nominee	1	1
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee	1	1

4.11 Directors Promotion Committee – Vigilance/Non-vigilance

4.11.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India nominee Director
- RBI Nominee Director

In addition, the Executive Directors also participate as special invitees in these meetings.

4.11.2 Functions:

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

4.11.3 Attendance of DPC –Vigilance/Non-vigilance

The Committee has held 3 meetings during the year 2011-12 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD (Chairman)	3	3
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee	1	--
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominnee	2	--
Smt. Meena Hemchandra, RBI Nominee	1	1
Shri Chandan Sinha, RBI Nominee	2	2

4.12 HR Committee of Directors

4.12.1 Composition

The committee consists of Chairman and Managing Director and/or Executive Directors and any two Directors.

4.12.2 Functions:

To oversee & review the implementation of following aspects:

1. Overall Strategy for the Bank.
- Overall manpower plan and skills gap identification.
- Systems, Procedures and structures to attract and groom right talent.

2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
- Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
- System of providing developmental feedback to all staff.

3. Fine tuning of policies in line with Bank's strategy and market realities.
- Reward and incentives
- Promotion
- Deployment

4. Training
- Specialist business skills training
- General retaining / reorientation for all staff

5. IT automation of all HR related activities

4.12.3 Attendance of HR Committee of Directors

The Committee has held **2** meetings during the year 2011-2012 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD (Chairman HR)	2	2
Shri S.S. Mundra, ED	2	2
Shri S.K.Jain, ED	2	2
Shri M.S.Sriram, Shareholder Director	2	2
Shri Rajesh Khullar, Govt. Nominnee Director	2	--
Shri T.V.Rao, Outside consultant	2	2
Shri R.R.Nair, Outside consultant	2	2

4.13 IT Strategy Committee of Directors

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on Board's behalf.

4.13.1 Composition

The committee consists of:

- Executive Director,
- Executive Director,
- Two Independent Directors- one of whom will be the Chairman of the meeting,
- Outside IT Expert,
- The Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

4.13.2 Functions

- Approving IT strategy and policy documents
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business
- Ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Becoming aware about exposure towards IT risks and controls. And evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance.(e.g. related to risk, funding or sourcing tasks)
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value)

4.13.3 Attendance of IT Strategy Committee of Directors

The Committee has held one meeting during the year 2011-2012 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri S.Ravi (Chairman IT Strategy)	1	1
Shri S.S.Mundra, ED	1	1
Shri S.K.Jain, ED	1	1
Shri B.M.Sharma,CA Director	1	1
Shri N.L.Sarda, Outside Consultant	1	-
Shri Ajit Kumar Rath, Member (Chief Information Officer)	1	1

4.14 Committee of the Board to review NPA recoveries/ upgradation.

4.14.1 Composition

- Executive Directors,
- Any three Directors.

4.14.2 Function

For laying focused attention on high value NPAs.

4.14.3Attendance of NPA recoveries/upgradation Committee of Directors

The Committee has held 3 meetings during the year 2011-2012 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri S.Ravi(Chairman NPA)	3	3
Shri S.S.Mundra,ED	3	3
Shri S.K.Jain,ED	3	3
Shri B.M.Sharma,CA Director	3	3
Shri B.N.Bhattacharjee, Officer Employee Director	3	3

5. GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Extraordinary General Meeting for election of Shareholders' Directors	22nd June, 2009 at 10.30 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Seventh Annual General Meeting	22nd June, 2009 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Eighth Annual General Meeting	2nd July, 2010 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	29th March, 2011 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Ninth Annual General Meeting	29th June, 2011 at 3.30 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extraordinary General Meeting	20th March, 2012 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

The details of special resolutions placed for approval in the Extraordinary General Meetings are as under:

5.1 Extraordinary General Meeting held on 29th March, 2011.

A special resolution to create, offer, issue and allot up to 1,92,14,515 (One Crore Ninety Two Lac Fourteen Thousand Five Hundred Fifteen) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 354.94 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 682/- crore (Rs. Six Hundred Eighty Two Crore Only) on preferential basis to Government of India.

5.2 Extraordinary General Meeting held on 20th March, 2012.

A special resolution:

a) to create, offer, issue and allot up to 1,43,11,631 (One Crore Forty Three Lac Eleven Thousand Six Hundred Thirty One) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 248.05 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 355/- crore (Rs. Three Hundred Fifty Five Crore Only) on preferential basis to Government of India and

b) to create, offer, issue and allot up to 2,62,16,620 (Two Crore Sixty Two Lac Sixteen Thousand Six Hundred Twenty) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 248.05 in accordance with Regulation 76(4) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 650.30 crore (Rs. Six Hundred Fifty Crore and Thirty Lac Only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC).

Pursuant to the above resolution the Bank has received application money only from LIC and 2,62,16,620 shares have been issued and allotted to LIC of India on 30th March, 2012. Application money from Government of India has not been received so far.

6. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities. Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement. Compliance with respect to non-mandatory requirements under the said clause is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the clause are as under:

i. Remuneration of Directors

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The Chairman & Managing Director & Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole -time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

ii. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters,

directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

iii. Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review the Bank has increased its equity capital by way of allotment of 2,62,16,620 equity shares of ₹ 10/-each to Life Insurance Corporation of India – LIC LIFE FUND on preferential basis.

The Bank issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 8.2 of the report.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. Penalties or Strictures

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

Further to our reporting in the last Financial Year i.e. FY 2010-11 in respect of penalty proposed by FIU-IND of ₹ 1.00 lac per month, totalling to ₹ 4.00 lacs, on the bank u/s 13 of PMLA (Prevention of Money Laundering Act) 2002 for failure on the part of the bank to evolve a mechanism for 4 months (Dec'06 to Mar'07) to examine, detect and report suspicious transactions and thereby failing to comply with the obligations u/s 12 of the PML Act.

It is hereby informed that during the FY 2011-12 the Bank has paid the said penalty.

v. Whistle Blower Policy

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy. The Audit Committee periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee.

vi. Management Discussion and Analysis

The same has been given separately in the Annual Report.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Financial Express (English), Free Press Journal (English), Navbharat Times (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website- www.unionbankofindia.co.in Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, quarterly and annual results etc. are also simultaneously placed on bank's website.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

8.1 The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at Mumbai. The Bank has its presence in different parts of the country with a network of 3,201 (including one Branch at Overseas) Branches as on March 31st, 2012.

8.2 The Bank's shares are listed on the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

Bombay Stock Exchange Limited (BSE)	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	UNIONBANK-EQ

The annual listing fee for the financial year 2012-13 has been paid to the Stock Exchanges before 30th April, 2012.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on March 31, 2012 are as under:

SERIES	Size (₹ in Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)	ISIN NO.
VI	250	03.09.2003	03.05.2013	5.95	INE692A09068
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	INE692A09076
VIII-FLOATING	200	23.09.2005	23.04.2012	BENCH+ 55 BPS	INE692A09092
VIII-FIXED	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	INE692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	INE692A09100
X-Ist TRANCHE	300	10.10.2006	PERPETUAL	9.45 UPTO 10YRS STEP UPTO 9.95 AFTER 10TH YR	INE692A09118

X-IInd TRANCHE UPPER TIER –II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 WITH STEP UPTO 9.45 AFTER 10TH YR	INE692A09126
XI – LOWER TIER – II, –Ist TRANCHE	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	INE692A09134
XI –IInd TRANCHE	200	12.12.2007	PERPETUAL	9.90 UP TO 10 YRS STEP UP TO 10.40 AFTER 10TH YR	INE692A09142
XII PERPETUAL	200	09.09.2008	PERPETUAL	11.15 UP TO 10 YRS STEP UP TO 11.65 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09159
XII LOWER TIER II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	INE692A09167
XII LOWER TIER II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	INE692A09175
XII LOWER TIER II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	INE692A09183
XII PERPETUAL	140	30.03.2009	PERPETUAL	9.10 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.60 AFTER 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXCERISED	INE692A09191
XIV-A PERPETUAL	200	16.06.2009	PERPETUAL	8.85 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.35 AFTER 10TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09209
XIV-B UPPER TIER-II	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.15 AFTER 10TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09217
XIV-C UPPER TIER-II	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.05 AFTER 10TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09225
XV-A UPPER TIER-II	500	28.06.2010	15 YEARS 28.06.2025	8.48 UP TO 10 YRS STEP UP TO 8.98 FROM 11TH YEAR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09233
TOTAL	**6190**				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2012-13 to the Stock Exchange.

8.3 Dividend

A dividend of 80% i.e. ₹ 8/- per share has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2011-12 in its meeting held on 9th May, 2012.

8.4 Particulars of AGM & Financial Calendar

8.4.1 Particulars of AGM

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	9th May, 2012
Date, Time & Venue of AGM	26th June, 2012 at 3.30 p.m. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai –400 020.
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before 29th May, 2012.
Dates of Book Closure	23rd June, 2012 to 26th June, 2012(both days inclusive) for payment of dividend
Date of payment of dividend	6th July, 2012

8.4.2 Financial Calendar

Our tentative calendar for declaration of results for the financial year 2012-13 is given below:

Financial Results	**Likely release of results**
For the quarter ending June 30, 2012	July 23, 2012
For the quarter ending September 30, 2012	October 22, 2012
For the quarter ending December 31, 2012	January 25, 2013
For the year ending March 31, 2013	May 10, 2013

8.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the period of one month from the date of their lodgement with proper documents. The Bank has constituted the Share Transfer Committee of Board to consider the transfer of shares and other related matters.

Share Transfer and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer

Agent, Datamatics Financial Services Ltd., Mumbai. The shareholders may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the Registrar & Transfer Agent at the following address. The Bank has also established Investor Services Division at their Head Office, Mumbai. The shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their complaint / grievances. investorservices@unionbankofindia.com is the designated e-mail ID in terms of clause 47 (f) of the listing agreement.

Registrar & Transfer Agent	Investor Services Division
Datamatics Financial Services Ltd. Plot No.B-5, Part B, Crosslane, MIDC, Marol, Andheri (E), **Mumbai-400 093.** Tel-(022) 66712151-60 Fax-(022) 66712230 E-mail: ubiinvestors@dfssl.com	Union Bank of India 12th Floor, Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, **Mumbai-400 021**. Tel-(022) 22896643/36 Fax-(022) 22025238 E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

Also, the bank has placed a list of frequently asked questions about investor services like change of details, transfer/transmission and issue of duplicate shares/ dividend warrants on its website, the same can be checked for easy understanding of procedures and documentation.

8.5.1 Other communications

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

i. Half-yearly performance

ii. Claiming unpaid dividends and updation of bank details/ Dividend Mandate Form

iii. Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

8.6 Dematerialisation of shares

The Bank's shares are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692 A01016.** Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation of share certificates. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank can only be traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2012 are as under:-

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	66,271	4,10,96,237	7.47
Demat			
NSDL	87,497	19,84,32,399	36.04
CDSL	57,050	31,10,20,399	56.49
Total	**2,10,818**	**55,05,49,035**	**100.00**

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant / Company Secretary has also conducted Reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of Reconciliation of Share Capital audit no discrepancy in updation/ maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

8.7 Electronic Clearing Service / Direct Credit to Union Bank Account

SEBI has made it mandatory for all the listed companies to use the Bank Account details furnished by the Depositories for distribution of dividend through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors, wherever NECS facility is available. In the absence of NECS facility, the Bank shall print the Bank Account details, if available, on payment instruments for distribution of dividend to the investors.

In addition to above, the Bank has also provided facility of credit of dividend amount by way of-

Direct Credit of dividend amount to the account of the shareholders having their account with Union Bank of India.

The dividend mandate form is available on the website of the Bank **www.unionbankofindia.co.in** and is also enclosed in this Annual Report as well.

The shareholders are requested to update their correct and complete account number with Registrar & Transfer Agent of the Bank or Depository Participant (DP) as the case may be for smooth credit of dividend amount to their accounts. In case of non availability of correct and complete account number the Bank has to issue physical dividend warrants printing therein account details as provided by the shareholders.

8.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges

Months	BSE			NSE			BSE Sensex	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High	Low
April '11	359.35	317.00	883551	359.95	317.10	8680748	19811.14	18976.19
May '11	332.25	286.10	2813803	332.90	285.45	17969096	19253.87	17786.13
June '11	327.00	287.50	743806	328.00	288.50	8331834	18873.39	17314.38
July '11	320.20	280.60	2055047	311.90	280.80	19602317	19131.70	18131.86
August '11	294.65	225.50	2101620	295.05	225.00	14603561	18440.07	15765.53
September'11	259.95	224.55	1929054	259.80	224.10	17107820	17211.80	15801.01
October '11	260.90	207.20	7788380	259.70	205.30	24424781	17908.13	15745.43
November '11	234.15	197.25	1742280	234.00	190.25	11018611	17702.26	15478.69
December '11	227.85	155.50	1891629	227.50	155.45	17444500	17003.71	15135.86
January '12	232.85	165.25	3905495	230.00	165.15	34262670	17258.97	15358.02
February '12	273.85	221.30	3540384	274.00	220.65	33432365	18523.78	17061.55
March '12	249.80	208.60	3024115	249.70	210.00	25443873	18040.69	16920.61
As on 31.03.2012 Closing Price	234.85			235.80				
Market Capitalization	12929.64 crore			12981.95 crore				

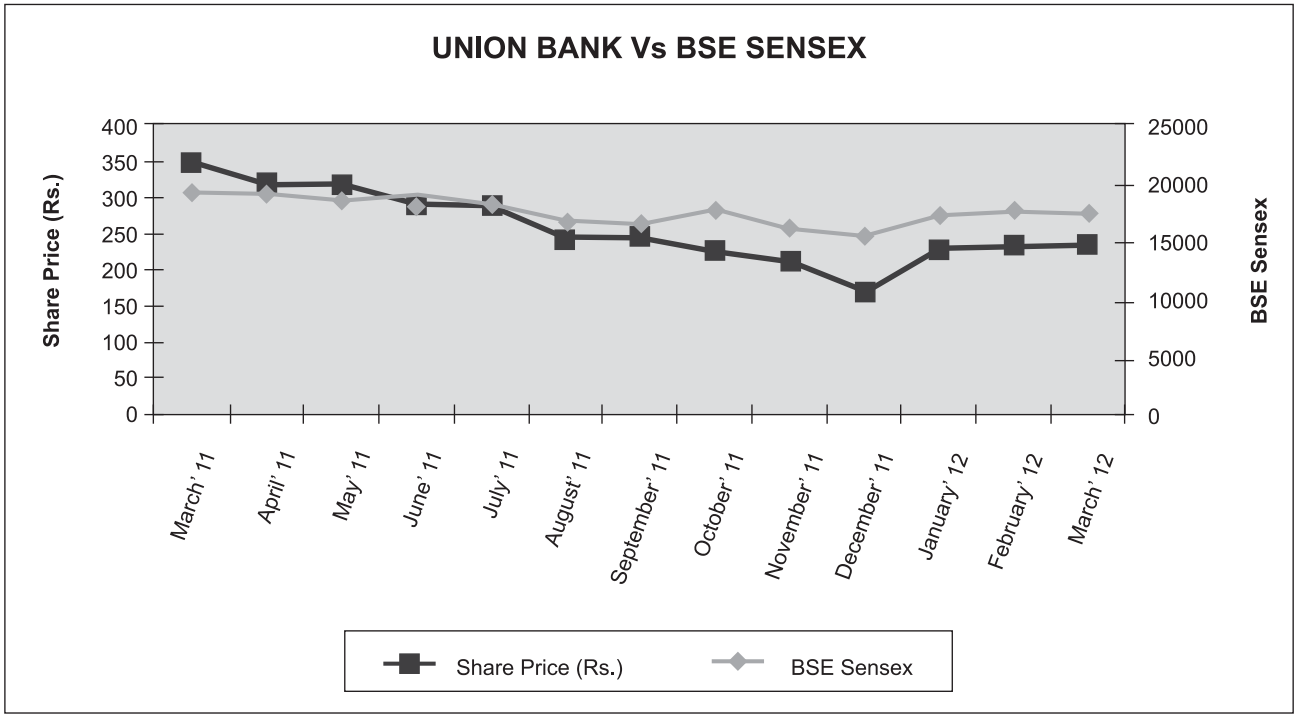

8.9 Distribution of Shareholding

The Government's shareholding in the Bank is 29.92 crore shares aggregating to ₹ 299.21 crore in the total issued capital of ₹ 550.55 crore. The distribution of shareholding as of 31/03/2011 and as of 31/3/2012 is as under:

	As of 31/03/2011				As of 31/03/2012			
Shareholding	**No. of shareholders**	**% to total**	**No. of shares**	**% to total**	**No. of shareholders**	**% to total**	**No. of shares**	**% to total**
upto 500	181521	89.74	27088868	5.17	189985	90.12	27397457	4.98
501 to 1000	16534	8.17	10739973	2.05	16482	7.82	10758614	1.95
1001 to 2000	2817	1.39	3845422	0.73	2922	1.39	3982310	0.72
2001 to 3000	499	0.25	1226059	0.23	548	0.26	1353287	0.25
3001 to 4000	179	0.09	629641	0.12	176	0.08	616801	0.11
4001 to 5000	85	0.04	394206	0.08	90	0.04	418368	0.08
5001 to 10000	209	0.10	1518444	0.29	200	0.09	1430925	0.26
10001 & above	438	0.22	478889802	91.33	415	0.20	504591273	91.65
Total	**202282**	**100.00**	**524332415**	**100.00**	**210818**	**100.00**	**550549035**	**100.00**

The face value of Bank's share is ₹ 10/-. The Bank has also issued Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) to the extent of ₹ 111 crore to the Government of India.

8.10 Shareholding pattern

The shareholding pattern of the Bank's shares as of 31/03/2011 and as of 31/03/2012 was as follows:-

	As of 31/03/2011		As of 31/03/2012	
Category of shareholder	**No. of shares held**	**% to total holding**	**No. of shares held**	**% to total holding**
Govt. of India	29,92,14,515	57.07	29,92,14,515	54.35
Non-Residents (FIIs/OCBs / NRIs)	7,90,67,763	15.08	5,30,01,494	9.63
Banks/Financial Institutions/Insurance Cos.	1,83,13,578	3.49	7,27,85,880	13.22
Mutual Funds/UTI	4,62,26,261	8.82	3,12,75,764	5.68
Domestic Companies/ Private Corporate Bodies/Trusts	3,45,16,325	6.58	4,66,99,050	8.48
Resident Individuals	4,69,93,973	8.96	4,75,72,332	8.64
Total	**52,43,32,415**	**100.00**	**55,05,49,035**	**100.00**

List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2012 is as follows:

Sr. No.	Name	No. of shares	% to Capital
1.	President of India	29,92,14,515	54.35
2.	Life Insurance Corporation of India	4,77,44,300	8.67
3.	HDFC Standard Life Insurance Company Limited	1,46,97,908	2.67
4.	SBI Life Insurance Co. Ltd.	82,78,585	1.50
5.	Birla Sun Life Insurance Company Limited	69,37,102	1.26
6.	LIC of India Money Plus Growth Fund	69,15,316	1.26
7.	Copthall Mauritius Investment Limited	63,07,816	1.15
8.	LIC of India Market Plus – 1 Growth Fund	46,50,577	0.84
9.	Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd.	44,98,384	0.82
10.	HDFC Trustee Company Limited – HDFC Top 200 Fund	38,55,000	0.70
TOTAL		40,30,99,503	73.22

8.11 Unclaimed /Unpaid Dividend

The amount of dividend remaining unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Thereafter, no claim shall lie against the Bank or the said fund in respect of dividend amounts that have been transferred to the said fund. The list of dividends declared so far and the last date for making claim for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Last date for making claim
Dividend for 2002-03	21%	15.10.2013
Interim Dividend 2003-04	20%	15.10.2013
Final Dividend 2003-04	15%	15.10.2013
Interim Dividend 2004-05	20%	15.10.2013
Final Dividend 2004-05	15%	15.10.2013
Dividend for 2005-06	35%	15.10.2013
Interim Dividend 2006-07	15%	01.02.2014
Final Dividend 2006-07	20%	27.07.2014
Dividend for 2007-08	40%	08.08.2015
Dividend for 2008-09	50%	02.08.2016
Dividend for 2009-10	55%	09.08.2017
Dividend for 2010-11	80%	08.08.2018

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrars or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank **(www.unionbankofindia.co.in)**

8.12 Unclaimed Shares:

a) In Demat Form:

As per Clause 5A of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March' 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2011 lying in Demat Suspense Account	246	31,137
Shareholders approached for transfer during the financial year 2011-12	6	1,345
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2011-12	6	1,345
Balance as on 31.03.2012 lying in Demat Suspense Account	240	29,792

The voting rights on above mentioned 29,792 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Physical Form:

As per Clause 5A-II of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares in physical form, the Bank has opened a Unclaimed Suspense Account in March' 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2011 lying in Demat Suspense Account	N.A.	N.A.
Shareholders approached for transfer during the financial year 2011-12	N.A.	N.A.
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2011-12	N.A.	N.A.
Balance as on 31.03.2012 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

9. Extent of Compliance with non-mandatory requirements of Listing Agreement

S.No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1 (a)	**Board** A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	The Chairman of the Board is an Executive Director appointed by Govt. of India, hence, the clause is **not applicable** as it relates to maintenance of office by a non-executive Chairman.
1 (b)	Independent Directors may have a tenure not exceeding, in the aggregate, a period of nine years, on the Board of a company.	In terms of clause 9 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the tenure of Elected Directors is fixed as three years with further re-election for another period of three years, provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years as against maximum number of nine years stipulated by the clause, hence the same is **complied with**.
2	**Remuneration Committee**	The Bank has formed a Remuneration Committee in terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) letter no. F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 9th March, 2007 to look into performance linked incentive payable to whole-time Directors of the Bank. The Committee comprises of four directors all of whom are non-executive directors. Hence **complied with.**
3	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	**Complied with**.
4	**Audit Qualification** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There has been no audit qualification during the year under review, hence **complied with**.
5.	**Training of Board members**	The Bank has been updating the Board Members on latest developments through various in-house presentations. Besides the in-house presentation, during the year 2011-12, the bank had nominated its Directors for meeting on 'Effective Governance for Banks –Role of Independent Directors' organized by The Institute of Chartered Accountants of India, two day seminar organized by IDRBT on IT Governance and also for Conference for the Non-Official Directors organized by The Centre for Advance Financial Research and Learning, RBI. Hence, the requirement is **complied with**.
6	**Mechanism for evaluating non-executive Board Members**	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Hence this clause is **not applicable**.
7	**Whistle Blower Policy**	The Bank has a Whistle Blower Policy in place and the functioning of the same is reviewed by the Audit Committee annually. Hence, **complied with**.

10. DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the year 2011-12.

For **Union Bank of India**

(D. Sarkar)
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : 23rd May, 2012

To

The Board of Directors
Union Bank of India
Mumbai

Re: **Certificate Under Clause 49 of the Listing Agreement**

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2011-12) and that to the best of our knowledge and belief:

  (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

  (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –

  (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

  (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

  (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India

(N S Mehta)
General Manager & CFO

(D.Sarkar)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 9th May, 2012

TO THE MEMBERS OF UNION BANK OF INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2012 as stipulated in Clause – 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchange.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the shareholders/Investors Grievances Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S.R.ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M.No.18073)
FIRM REGN.NO.307092E

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
FIRM REGN.NO.003917N

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
FIRM REGN.NO.000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M.No.091007)
FIRM REGN.NO.008744N

FOR PRICE PATT & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

(M.NAGANATHAN)
PARTNER (M.NO.7547)
FIRM REGN.NO.002783S

FOR SINGRODIA GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

(K.V.S.SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.NO.015747)
FIRM REGN.NO.112081W

Place : Mumbai
Date : 9th May, 2012

AUDITORS' REPORT

To the Members

1. We have audited the attached Balance Sheet of Union Bank of India as at 31st March, 2012, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date, in which are incorporated the returns of (i) 19 Branches, 1 Treasury Branch, and 18 Regional Offices audited by us (ii) 2169 Branches including one foreign branch and 44 Service Branches audited by Branch auditors, (iii) 1014 unaudited branches and 67 offices / centres not subjected to audit. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These un-audited branches account for 1.95 % of advances, 8.99 % of deposits, 1.23 % of interest income and 7.49 % of interest expenses.

2. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

3. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Emphasis of Matter

   Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.5.13.1 of Schedule 18, which describes deferment of pension liability of the Bank to the extent of Rs.1014.13 crores pursuant to the circular issued by the Reserve Bank of India to the public sector banks on the provisions of AS 15, Employee Benefits (circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011) on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.

5. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject to the limitations of disclosure required therein;

We report that

a) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms `A' and `B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

b) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the bank maintained in accordance with the generally accepted accounting principles in India:

   (i) The Balance Sheet read with the notes thereon and significant accounting policies is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March, 2012.

   (ii) The Profit and Loss Account read with the notes thereon and significant accounting policies shows a true balance of the Profit for the year ended 31st March, 2012.

   (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2012.

c) In our opinion the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

d) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

e) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

f) The returns received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purposes of our audit.

For J.L.SENGUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No. 18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
Firm Regn. No.: 003917N

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
Firm Regn. No.: 000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAVAN)
PARTNER (M. No.091007)
Firm Regn. No.: 008744N

For PRICE PATT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(M. NAGANATHAN)
PARTNER (M. No.7547)
Firm Regn. No.: 002783S

For SINGRODIA GOYAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(K.V.S. SHYAM SUNDER)
PARTNER (M. No.015747)
Firm Regn. No.: 112081W

Place: MUMBAI
Date : 9th May, 2012

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(000' Omitted)

	Schedule	As on 31.3.2012	As on 31.3.2011
Capital and Liabilities			
Capital	**01**	**6,61,54,90**	6,35,33,24
Reserves and Surplus	**02**	**1,39,71,50,88**	1,21,29,19,02
Deposits	**03**	**22,28,68,94,57**	20,24,61,28,53
Borrowings	**04**	**1,79,09,48,77**	1,33,15,96,97
Other Liabilities and Provisions	**05**	**67,99,94,63**	74,42,66,94
Total		**26,22,11,43,75**	23,59,84,44,70
Assets			
Cash and balances with Reserve Bank of India	**06**	**1,16,33,56,07**	1,76,10,45,32
Balances with Banks and money at call and short notice	**07**	**40,41,58,00**	24,87,99,06
Investments	**08**	**6,23,63,55,81**	5,83,99,13,72
Advances	**09**	**17,78,82,08,13**	15,09,86,08,32
Fixed Assets	**10**	**23,35,79,79**	22,92,78,42
Other Assets	**11**	**39,54,85,95**	42,07,99,86
Total		**26,22,11,43,75**	23,59,84,44,70
Contingent Liabilities	**12**	**23,66,21,78,00**	15,94,27,81,97
Bills for collection		**22,17,00,68**	52,58,37,22
Significant Accounting Polices	**17**		
Notes on Accounts	**18**		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S.K.JAIN** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**D.SARKAR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
RAJESH KHULLAR DIRECTOR	**CHANDAN SINHA** DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**B.N.BHATTACHARJEE** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR
DR.ATUL AGARWAL DIRECTOR	**M.S.SRIRAM** DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For J.L.SENGUPTA & CO CHARTERED ACCOUNTANTS	**For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S. R. ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M. No. 18073) Firm Regn. No.: 307092E	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C
For G. S. MATHUR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For PRICE PATT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For SINGRODIA GOYAL & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAJIV KUMAR WADHAVAN) PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N	**(M. NAGANATHAN)** PARTNER (M. No.7547) Firm Regn. No.: 002783S	**(K.V.S. SHYAM SUNDER)** PARTNER (M. No.015747) Firm Regn. No.: 112081W

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2012

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(000' Omitted)

		Schedule	Year Ended 31.3.2012	Year Ended 31.3.2011
I.	**Income**			
	Interest Earned	**13**	**2,11,44,27,82**	1,64,52,61,50
	Other Income	**14**	**23,32,37,76**	20,38,78,37
	Total		**2,34,76,65,58**	**1,84,91,39,87**
II.	**Expenditure**			
	Interest Expended	**15**	**1,42,35,38,56**	1,02,36,41,71
	Operating Expenses	**16**	**39,87,51,73**	39,49,99,71
	Provisions and Contingencies		**34,66,61,68**	22,23,03,73
	Total		**2,16,89,51,97**	**1,64,09,45,15**
III.	**Net Profit for the Year**		**17,87,13,61**	20,81,94,72
	Add : Profit Brought Forward		**15,91**	1,63,27
	Total		**17,87,29,52**	**20,83,57,99**
IV.	**Appropriations**			
	Transfer to Statutory Reserve		**5,37,00,00**	6,25,00,00
	Transfer to Capital Reserve		**39,32,05**	61,20,07
	Transfer to Revenue And Other Reserves		**5,03,00,00**	6,22,00,00
	Proposed Dividend		**4,40,43,92**	4,19,46,59
	Provision for Div. on PNCPS		**10,54,50**	5,15,92
	Dividend Tax		**73,16,09**	68,59,50
	Div.Tax of Pre.Year written back		**-78,32**	0
	Transfer to Special Reserve [Sec36(i)(viii)]		**1,84,00,00**	2,82,00,00
	Balance In Profit and Loss Account		**61,28**	15,91
	Total		**17,87,29,52**	**20,83,57,99**
	Earnings per share (basic and diluted) Rs.		**34.07**	39.71

The Schedules referred to above form an integral part of Profit and Loss Account

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S.K.JAIN** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**D.SARKAR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
RAJESH KHULLAR DIRECTOR	**CHANDAN SINHA** DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**B.N.BHATTACHARJEE** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR
DR.ATUL AGARWAL DIRECTOR	**M.S.SRIRAM** DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For J.L.SENGUPTA & CO CHARTERED ACCOUNTANTS	**For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S. R. ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M. No. 18073) Firm Regn. No.: 307092E	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C
For G. S. MATHUR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For PRICE PATT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For SINGRODIA GOYAL & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAJIV KUMAR WADHAVAN) PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N	**(M. NAGANATHAN)** PARTNER (M. No.7547) Firm Regn. No.: 002783S	**(K.V.S. SHYAM SUNDER)** PARTNER (M. No.015747) Firm Regn. No.: 112081W

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2012

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(000' Omitted)

		As on 31.3.2012	As on 31.3.2011
SCHEDULE 1 - CAPITAL :			
I.	**Authorised :**		
	3,00,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	**30,00,00,00**	30,00,00,00
II.	**Issued Subscribed & Paid up:**		
	i. 29,92,14,515 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government	**2,99,21,45**	2,99,21,45
	ii. 25,13,34,520 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public (Prev.Year 22,51,17,900 Equity Shares)	**2,51,33,45**	2,25,11,79
III.	**Perpetual Non-Cumulative Pref. Shares**	**1,11,00,00**	1,11,00,00
	TOTAL	**6,61,54,90**	6,35,33,24

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :					
I.	**Statutory Reserve :**				
	As per last Balance Sheet	**38,98,00,00**		32,73,00,00	
	Addition during the year	**5,37,00,00**		6,25,00,00	
	Total		**44,35,00,00**		38,98,00,00
II.	**Capital Reserve :**				
	As per last Balance Sheet	**6,65,52,05**		6,04,31,98	
	Addition during the year	**39,32,05**		61,20,07	
	Total		**7,04,84,10**		6,65,52,05
III.	**Share Premium :**				
	As per last Balance Sheet	**11,95,14,12**		5,32,35,57	
	Addition during the year	**6,24,08,67**		6,62,78,55	
	Total		**18,19,22,79**		11,95,14,12
IV.	**Revaluation Reserve :**				
	As per last Balance Sheet	**15,73,84,07**		16,15,96,87	
	Deduction during the year	**40,01,36**		42,12,80	
	Total		**15,33,82,71**		15,73,84,07
V.	**Revenue and other Reserves :**				
	i) Revenue and other Reserves				
	As per last Balance Sheet	**30,37,00,00**		24,15,00,00	
	Addition during the year	**5,03,00,00**		6,22,00,00	
	Total		**35,40,00,00**		30,37,00,00
	ii) Special Reserve [Sec 36(1)(viii)]				
	As per last Balance Sheet	**17,54,00,00**		14,72,00,00	
	Addition during the year	**1,84,00,00**		2,82,00,00	
	Total		**19,38,00,00**		17,54,00,00
	iii) Foreign Currency Translation Reserve				
	As per last Balance Sheet	**5,52,87**		4,38,59	
	Addition during the year	**0**		1,14,28	
	Deduction during the year	**5,52,87**		0	
	Total	**0**	**54,78,00,00**	5,52,87	47,96,52,87
VI.	**Balance in Profit & Loss Account**				
	Balance in Profit & Loss Account		**61,28**		15,91
	Total		**1,39,71,50,88**		1,21,29,19,02

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(000' Omitted)

		As on 31.3.2012		As on 31.3.2011	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :					
I.	**Demand Deposits**				
	i) From Banks	**9,81,68,23**		9,14,81,37	
	ii) From Others	**1,82,94,53,64**	**1,92,76,21,87**	1,87,03,18,45	1,96,17,99,82
II.	**Savings Bank Deposits**		**5,04,28,85,88**		4,46,89,17,47
III.	**Term Deposits**				
	i) From Banks	**87,69,80,78**		56,36,30,09	
	ii) From Others	**14,43,94,06,04**	**15,31,63,86,82**	13,25,17,81,15	13,81,54,11,24
	TOTAL		**22,28,68,94,57**		**20,24,61,28,53**
	Deposits of branches in India		**22,16,61,96,16**		20,18,70,35,62
	Deposits of branches outside India		**12,06,98,41**		5,90,92,91
	TOTAL		**22,28,68,94,57**		20,24,61,28,53
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :					
A)	Borrowings : Capital Instruments				
	I. Perpetual Bonds		**10,40,00,00**		10,40,00,00
	II. Upper Tier II Capital		**22,50,00,00**		22,50,00,00
	III. Lower Tier II Capital		**29,00,00,00**		29,00,00,00
B)	Borrowings in India				
	I. Reserve Bank of India		**2,35,00,00**		2,30,00,00
	II. Other Banks		**7,00,00,00**		0
	III. Other Institutions and agencies		**1,55,37,35**		1,95,72,24
C)	Borrowings Outside India		**1,06,29,11,42**		67,00,24,73
	TOTAL		**1,79,09,48,77**		1,33,15,96,97
	Secured Borrowings included in I & II above		**1,34,37,13**		1,35,01,05
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :					
I.	Bills payable		**12,94,10,23**		16,46,65,46
II.	Interest Accrued		**7,10,54,34**		6,15,78,06
III.	Deferred Tax Liability		**21,68,51**		34,06,51
IV.	Others(including provisions)		**47,73,61,55**		51,46,16,91
	TOTAL		**67,99,94,63**		74,42,66,94
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA					
I.	**Cash in hand**				
	(including foreign currency notes)		**6,27,32,60**		4,01,95,79
II.	**Balances with Reserve Bank of India**				
	In current Account		**1,10,06,23,47**		1,72,08,49,53
	TOTAL		**1,16,33,56,07**		1,76,10,45,32

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(000' Omitted)

			As on 31.3.2012		As on 31.3.2011	
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE						
I.	**Balance with banks in India**					
	i)	a) In Current Accounts	**1,73,53,87**		2,18,38,38	
		b) In Other Deposit Accounts	**15,33,09,75**		4,35,00,00	
	ii)	Money at Call and short Notice - with Banks	**64,36,84**	**17,71,00,46**	0	6,53,38,38
II.	**Outside India**					
	i)	In Current Accounts	**1,96,65,10**		1,12,47,67	
	ii)	In other Deposit Accounts	**20,73,92,44**	**22,70,57,54**	17,22,13,01	18,34,60,68
		TOTAL		**40,41,58,00**		24,87,99,06
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :						
I.	**Investments in India**					
	i)	Government Securities		**5,04,81,83,97**		4,64,06,05,74
	ii)	Other approved securities		**40,00**		94,42,61
	iii)	Shares		**7,68,24,21**		7,43,69,91
	iv)	Debentures and Bonds		**43,88,64,69**		32,08,59,69
	v)	Subsidiaries and joint ventures		**1,32,63,19**		1,32,63,19
	vi)	Others				
		- Commercial Paper	**4,41,36,89**		5,84,79,03	
		- Certificates of Deposits	**18,15,28,72**		42,56,50,84	
		- Mutual Funds	**9,55,51,34**		3,69,73,74	
		- RIDF	**32,70,41,69**		24,97,68,66	
		- Security Receipt by ARCIL	**37,39,06**	**65,19,97,70**	40,97,19	77,49,69,46
		Total		**6,22,91,73,76**		5,83,35,10,60
II.	**Investments outside India**					
	i)	Govt. Securities (Incl. Local Auth.)		**61,44,70**		63,83,23
	ii)	Shares		**19,89**		19,89
	iii)	Other investments (Bonds)		**10,17,46**		0
		Total		**71,82,05**		64,03,12
		TOTAL		**6,23,63,55,81**		5,83,99,13,72
III.	i)	Investments in India				
		Gross Value		**6,24,52,41,12**		5,84,40,74,51
		Provision for Depreciation		**1,60,67,36**		1,05,63,90
		Net Value		**6,22,91,73,76**		5,83,35,10,61
	ii)	Investments outside India				
		Gross Value/Net Value		**71,82,05**		64,03,11
		TOTAL		**6,23,63,55,81**		5,83,99,13,72

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(000' Omitted)

			As on 31.3.2012	As on 31.3.2011
SCHEDULE 9 - ADVANCES :				
I.	i)	Bills purchased and discounted	**81,41,63,43**	64,51,53,60
	ii)	Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**9,19,88,70,75**	7,96,27,50,98
	iii)	Term Loans	**7,77,51,73,95**	6,49,07,03,74
		TOTAL	**17,78,82,08,13**	15,09,86,08,32
II.	i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	**13,21,10,04,63**	11,30,92,24,73
	ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	**76,57,68,62**	58,70,06,90
	iii)	Unsecured	**3,81,14,34,88**	3,20,23,76,69
		TOTAL	**17,78,82,08,13**	15,09,86,08,32
A.	**Advances in India**			
	i)	Priority Sector	**4,24,53,48,43**	4,83,78,76,27
	ii)	Public Sector	**1,47,89,19,82**	1,37,24,52,67
	iii)	Banks	**82,55,90,56**	87,53,49,96
	iv)	Others	**10,32,28,13,53**	7,41,87,78,77
		TOTAL - A	**16,87,26,72,34**	14,50,44,57,67
B.	**Advances Outside India**			
	i)	Due From Banks	**39,26,05,24**	31,26,10,98
	ii)	Due from Others		
		a) Bills Purchased and Discounted	**1,02,40,55**	1,60,88,74
		b) Syndicated loans	**34,59,65,26**	26,42,21,69
		c) Others	**16,67,24,74**	12,29,24
		TOTAL - B	**91,55,35,79**	59,41,50,65
		TOTAL - (A + B)	**17,78,82,08,13**	15,09,86,08,32

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS :

A.	**TANGIBLE ASSETS**					
I.	**Premises**					
	At cost/valuation as per last Balance Sheet		**21,29,00,03**		21,14,90,84	
	Additions during the year		**71,67,19**		14,09,19	
			22,00,67,22		21,29,00,03	
	Less: Depreciation to date		**4,38,04,57**	**17,62,62,65**	3,86,17,94	17,42,82,09
II.	**Capital Work in Progress**					
	At cost as per last Balance Sheet		**13,58,15**		9,96,23	
	Additions during the year		**12,63,93**		4,82,79	
	Deductions during the year		**22,61,10**	**3,60,98**	1,20,87	13,58,15
III.	**Land**					
	At cost as per last Balance Sheet		**13,52,04**		13,52,04	
	Deductions during the year		**10,42,32**		0	
			3,09,72		13,52,04	
	Less : Depreciation to date		**2,22,60**	**87,12**	2,22,60	11,29,44

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(000' Omitted)

		As on 31.3.2012		As on 31.3.2011	
IV.	**Other Fixed Assets** (including Furniture and Fixtures)				
	a) Assets given on lease				
	At cost as per last Balance Sheet	**31,04,77**		31,04,77	
	Deductions during the year	**4,51,25**		0	
		26,53,52		31,04,77	
	Less: Depreciation to date	**26,53,52**		31,04,77	
		0		0	
	b) Others				
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**13,38,36,19**		12,20,00,15	
	Additions during the year	**1,60,07,66**		1,62,83,13	
		14,98,43,85		13,82,83,28	
	Deductions during the year	**32,89,23**		44,47,09	
		14,65,54,62		13,38,36,19	
	Less: Depreciation to date	**9,21,39,71**		8,26,91,49	
		5,44,14,91	**5,44,14,91**	5,11,44,70	5,11,44,70
B.	**INTANGIBLE ASSETS**				
	Computer Software				
	At cost as per last Balance Sheet	**86,48,24**		76,45,64	
	Additions during the year	**24,51,05**		10,02,60	
		1,10,99,29		86,48,24	
	Amortisation till date	**86,45,16**	**24,54,13**	72,84,20	13,64,04
	TOTAL		**23,35,79,79**		22,92,78,42

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :

I.	Inter-office adjustments (net)	**4,36,12,62**	6,36,68,34
II.	Interest accrued	**16,88,21,76**	12,43,35,93
III.	Tax paid/Tax deducted at source (net of provision)	**-4,82,21,86**	-4,19,55,47
IV.	Stationery and stamps	**5,19,60**	8,54,91
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	**3,90**	3,90
VI.	Others	**23,07,49,93**	27,38,92,25
	TOTAL	**39,54,85,95**	42,07,99,86

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :

I.	Claims against the bank not acknowledged as debts		**33,85,54,75**		12,47,99,00
II.	Liability for partly paid investments		**59,20**		59,20
III.	Liablity on account of outstanding forward exchange contracts		**20,37,78,31,56**		13,32,27,01,83
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents				
	i) In India	**1,45,39,81,27**		1,31,39,09,08	
	ii) Outside India	**2,08,76,37**	**1,47,48,57,64**	92,98,73	1,32,32,07,81
V.	Acceptances endorsements and other obligations		**1,42,91,14,54**		1,13,93,82,57
VI.	Other items for which the bank is contingently liable				
	i) Disputed Tax demands under appeals	**4,10,05,93**		3,16,94,00	
	ii) Others	**7,54,38**	**4,17,60,31**	9,37,56	3,26,31,56
	TOTAL		**23,66,21,78,00**		15,94,27,81,97

SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2012

(000' Omitted)

		Year Ended 31.3.2012	Year Ended 31.3.2011
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :			
I.	Interest/discount on advances/bills	**1,60,26,62,56**	1,20,31,24,06
II.	Income on investments	**45,70,07,71**	40,02,67,64
III.	Interest on balances with RBI & other inter bank funds	**3,30,91,49**	1,61,09,62
IV.	Others	**2,16,66,06**	2,57,60,18
	TOTAL	**2,11,44,27,82**	1,64,52,61,50
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :			
I.	Commission Exchange and Brokerage	**3,65,12,64**	3,64,93,97
II.	Profit on sale of investments - net	**4,40,76,60**	4,64,38,49
III.	Profit on sale of land buildings & other assets - net	**-65,91**	-35,91
IV.	Profit on exchange transactions - net	**4,88,75,04**	4,29,01,34
V.	Miscellaneous Income	**10,38,39,39**	7,80,80,48
	TOTAL	**23,32,37,76**	20,38,78,37
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :			
I.	Interest on deposits	**1,34,05,77,82**	95,37,94,00
II.	Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	**1,40,85,83**	1,13,44,43
III.	Others	**6,88,74,91**	5,85,03,28
	TOTAL	**1,42,35,38,56**	1,02,36,41,71
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :			
I.	Payments to and provisions for employees	**24,79,25,93**	25,99,68,95
II.	Rent taxes and lighting	**2,64,12,05**	2,35,21,09
III.	Printing and stationery	**37,41,32**	33,62,90
IV.	Advertisement and publicity	**67,39,61**	94,07,76
V.	Depreciation on Bank's property	**1,46,45,26**	1,55,65,93
VI.	Directors' fees allowances and expenses	**1,37,10**	1,03,12
VII.	Remuneration to Managing/Executive Director	**56,87**	56,33
VIII.	Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	**23,13,60**	21,39,00
IX.	Law Charges	**14,57,71**	10,29,57
X.	Postage, Telegrams, Telephones etc.	**49,71,04**	43,29,75
XI.	Repairs and maintenance	**70,12,13**	56,03,27
XII.	Insurance	**1,94,29,54**	1,75,86,10
XIII.	Other expenditure	**6,39,09,57**	5,23,25,94
	TOTAL	**39,87,51,73**	39,49,99,71

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2011-2012

SCHDULE - 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1 Accounting Convention

The accompanying financial statements are prepared by following going concern concept and on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the statutory provisions and generally accepted accounting practices prevailing in India.

2. **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. Revenue Recognition

i) Income and Expenditure have generally been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers, commission on bio matrix card, etc. are accounted for on realization basis.

4. Investments

i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) i) Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Permanent diminution, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at Re 1/ – per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
v	Debentures/ **Bonds**	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost

viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Re.1/ – per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Inter bank REPO/ Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- From HTM category to AFS/HFT category,

➢ If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value

➢ If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit/ loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

Derivative Contracts

i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

iii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

5. Advances

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI.

ii) Certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans carries an additional provision of 2% over and above the statutory requirement.

iii) Advances are stated net of provisions and unrecovered interest held in sundry /claims received from CGTF / ECGC relating to non-performing assets. The provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions".

6. Fixed Assets and Depreciation

i) Fixed Assets are stated at historical cost. Revalued Land and Buildings are stated at revalued amount.

ii) Software systems are capitalized as intangible assets.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	– Furniture and Fittings	10 %
	– Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/ Strong rooms etc.	15 %
	– Transport Vehicles	20 %
	– U.P.S.	33.33 %
III.	On the amount added consequent upon revaluation of the assets	over the economic residual life of the respective assets

iv) Depreciation on computers and software is provided at 33.33% on straight-line method.

v) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

vi) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vii) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

viii) Leasehold land is amortized over the period of lease.

7. **Impairment of Assets**

Impairment losses, if any, are recognized in accordance with the Accounting Standard 28 issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

8. Counter cyclical provisioning buffer

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has an approved policy for counter cyclical provisioning buffer.

9. Transactions involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

i) Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

10. Accounting for Non–Integral foreign operations

Offshore Banking Units (OBU) and foreign branches are classified as non-integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU) & Foreign Branch

i. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year-end.

ii. Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

b) Foreign Branch

i) Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per local requirement or as per RBI guidelines whichever is higher.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.

b) Depreciation on fixed assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

11. Employee Benefits

Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and provision towards leave encashment are accounted for on the basis of actuarial valuation contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss Account. Net actuarial gains and losses are recognized during the year.

12. Segment Reporting

The bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury Operation, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking Operation and (d) Other Banking Operations.

13. Lease Transactions

The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancelable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent/lease rent are recognized on settlement or on renewal.

14. Earning per share

Earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted Earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the year end.

15. Taxation

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

16. Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS:

1 BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH /BANK TRANSACTIONS

i) Confirmation / reconciliation of balances with Foreign Banks and other Banks has been obtained /carried out.

ii) Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress. Reconciliation of Central Office Accounts maintained by branches has been completed up to 31st March, 2012.

iii) Pending final clearance of (i) and (ii) above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

2 INVESTMENTS

i) As per RBI guidelines, an amount of ₹ 83.15 Crore (previous year ₹ 61.20 crore), being an amount equivalent to the profit on sale of "Held to Maturity" category securities is transferred to "Capital Reserve Account".

ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in Significant Accounting Policy No.3 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹ 76.43 crore (previous year ₹ 79.06 crore).

iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 1379.55 crore (previous year ₹ 1362.33 crore).

3 ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

3.1 Capital

(₹ in crore)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	CRAR (%)	11.85	12.95
ii)	CRAR – Tier I Capital (%)	8.37	8.69
iii)	CRAR – Tier II Capital (%)	3.48	4.26
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India in Nationalized Banks	54.35	57.06
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier II Capital	Nil	Nil
vi)	Amount raised by issue of IPDI	Nil	Nil
vii)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	Nil	500.00

3.2 Investments

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
1	Value of Investments		
i)	Gross Value of Investments	62524.23	58504.78
	(a) In India	62452.41	58440.75
	(b) Outside India	71.82	64.03
ii)	Provisions for Depreciation	160.67	105.64
	(a) In India	160.67	105.64
	(b) Outside India	-	-
iii)	Net Value of Investments	62363.56	58399.14
	(a) In India	62291.74	58335.11
	(b) Outside India	71.82	64.03
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i)	Opening balance	105.64	79.49
ii)	Add: Provisions made during the year	162.89	60.28
iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	107.86	34.13
iv)	Closing balance	160.67	105.64

3.2.1 REPO Transactions (In face value terms)

(₹ in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2012
A	Securities sold under Repo				
i)	Government securities	5.00	110.00	2.84	-
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-
B	Securities purchased under reverse repo				
i)	Government securities	10.00	1515.44	277.48	60.00
ii)	Corporate debt securities	-	-	-	-

3.2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i. **Issuer composition of Non SLR Investments**

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities**	Extent of Unlisted Securities**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	629.35	187.93	-	0.58	7.58
ii)	FIs	4774.34	3713.92	-	-	-
iii)	Banks	2705.94	663.76	-	-	2.00
iv)	Private Corporate	2732.03	1106.08	-	1.13	28.37
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures*	113.48	113.48	-	-	-
vi)	Others	970.15	279.64	-	0.20	0.20
vii)	Provision held towards depreciation	(134.75)	-	-	-	-
	Total	**11790.54**	**6064.81**	**-**	**1.91**	**38.15**

	31.03.2012
Shares	768.24
Debentures and Bonds	4388.65
Subsidiaries and Joint Ventures	113.48
Others	6520.17
TOTAL	**11790.54**

* Investment of ₹19.16 crores in subsidiaries and Joint ventures in Schedule 8 to Balance Sheet includes the Bank's investment in shares of Regional Rural Banks which are SLR investments.

** Unrated & unlisted securities disclosed includes only Ratings and Listing of securities required as per Master Circular Dated 01.7.2011 issued by RBI.

ii. **Non performing Non-SLR investments**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2012
Opening balance	54.52
Additions during the year	19.23
Reductions during the year	13.96
Closing balance	59.79
Total provisions held	59.79

3.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category

The Bank has not made sales and transfers to/from HTM category during the financial year 2011-12 exceeding 5 per cent of the book of investments held in HTM category at the beginning of the year. During the year 2011-12, the Bank has carried out one time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors at the beginning of the year aggregating to ₹ 3190.32 crore and ₹ 3114.36 crores being face value and book value respectively. The Bank has sold to Reserve Bank of India under pre announced OMO auctions having book value of ₹ 1339.47 crore. Apart from the above one time transfer of securities and sales to RBI under OMO auction, the Bank has not sold any securities from its HTM category.

3.3 Derivatives

3.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	The notional principal of swap agreements	1708.75	1895.95
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	9.03	13.21
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book	(-)4.75	(-)2.53

Note

I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Tier II Bonds, Term Loans and Term Deposits.

II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.

III. All underlyings for hedge transactions are on accrual basis.

3.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

S. No	Particulars	Amount
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a)Proprietary Interest Rate Futures	585.28
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2012 (instrument-wise)	Nil
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil

3.3.3 Disclosures on risk exposures in derivatives

A. QUALITATIVE DISCLOSURE

a) The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

i) Over the Counter Derivatives

ii) Exchange Traded Derivatives

The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives Group.

In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), United Stock Exchange (USE) & MCX Stock Exchange (MCX-SX), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading as well as trading on behalf of its customers in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The Bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

I) Front Office – Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per the Bank's policy and RBI guidelines.

II) Mid-Office – Risk Management, Accounting Policies and Management

III) Back Office – Settlement, Reconciliation, Accounting.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk Management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The Bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

b) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits, stop loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits. These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank

ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

c) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

d) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are Mark to Market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to Counterparty the banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty Banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the Bank does not carry any market risk.

B. QUANTITATIVE DISCLOSURES

(₹ in crore)

		31.03.2012	
Sr. No	**Particulars**	**Currency Derivatives**	**Interest Rate Derivatives**
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a For hedging	0.00	100.00
	b For trading	569.89	1608.75
ii)	Marked to Market Positions (1)		
	a Asset (+)	(+)1.28	-
	b Liability (-)	-	(-)0.87
iii)	Credit Exposure (2)	49.52	23.57
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a On hedging derivatives	0.00	3.22
	b On trading derivatives	0.01	0.84
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
1	Maximum		
	a. On hedging	0.00	3.50
	b. On trading	0.00	15.22
2	Minimum		
	a. On hedging	0.00	2.97
	b. On trading	0.00	0.12

3.4 Asset Quality

3.4.1 Non Performing Assets

(₹ in crore)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.70	1.19
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance as on 1st April	3622.82	2670.89
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	3760.11	2923.54
	Sub-total (A)	7382.93	5594.43
	(c) Less:-		
	(i) Up-gradations	254.83	267.92
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	740.56	577.69
	(iii) Write-offs	937.68	1126.00
	Sub-total (B)	1933.07	1971.61
	(d) Closing balance (A-B)	5449.86	3622.82
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	1803.44	965.33
	(b) Closing Balance	3025.03	1803.44
iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(a) Opening balance	1776.61	1643.34
	(b) Provisions made during the year	1510.73	1187.69
	(c) Write-off/write-back of excess Provisions	936.99	1054.42
	(d) Closing balance	2350.35	1776.61

3.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(₹ in crore)

		CDR Mechanism	MSME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	18	114	523
	Amount outstanding	1984.90	364.07	5108.71
	Sacrifice (diminution in the fair value)	461.41	2.70	46.85
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	0	0	10
	Amount outstanding	0.00	0.00	26.60
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	7.92
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	0	1	1
	Amount outstanding	0.00	46.37	16.38
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	2.54	5.79
Total	No. of Borrowers	18	115	534
	Amount outstanding	1984.90	410.44	5151.69
	Sacrifice (diminution in the fair value)	**461.41**	**5.24**	**60.56**

3.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	No. of accounts	1	1
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	0.00	0.00
iii)	Aggregate consideration	4.75	6.25#
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	Nil	Nil
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value.	4.75	6.25

Entire amount received in cash.

3.4.4 Details of non performing financial assets purchased /sold to the Banks/FIs

A. Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
1	a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non performing financial assets sold

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

C. Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Item	31.03.2012	31.03.2011
Provision towards Standard Assets	229.74	148.54

Includes ₹ 8.75 crores (previous year 2.59 crores) towards provision for credit risk exposure on derivatives.

3.5 Business Ratios

		31.03.2012	31.03.2011
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	9.40	8.33
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.04	1.03
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.34	2.18
iv)	Return on Assets	0.79	1.05
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	10.70	10.43
vi)	Profit per employee (₹ in crore)	0.06	0.08

3.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2012

(₹ in crore)

	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	3369.96	1904.18	678.03	824.76	1242.86	1357.41
2-7 days	8262.53	1065.48	1582.55	1045.94	979.94	391.84
8-14 days	4313.10	1895.99	261.28	239.10	375.81	348.39
15 to 28 days	5260.26	5633.37	464.78	363.85	1316.93	380.33
29 days to 3 months	22593.59	29261.32	1181.47	2059.19	3644.11	2847.29
Over 3 months & up to 6 months	12625.96	16539.00	648.55	2566.51	3201.61	2855.10
Over 6 months & up to 1 year	30572.90	23761.77	1934.46	85.00	1061.94	1290.62
Over 1 year & up to 3 years	44458.41	53332.41	5715.32	1540.05	1350.09	1334.69
Over 3 years & up to 5 years	19463.09	17588.81	10254.37	4694.98	1431.28	3481.91
Over 5 years	71949.16	26899.75	39642.74	4490.10	1587.03	107.63
Total	222868.95	177882.08	62363.56	17909.48	16191.60	14395.21

3.7 Exposures

3.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

	Category	31.03.2012	31.03.2011
a)	Direct exposure		
i)	Residential Mortgages – Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; – Of which individual housing loans up to ₹ 30 lakh eligible for inclusion in priority sector.	12488.57 9146.83	11058.52 8258.63
ii)	Commercial Real Estate – Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits:	2508.40	2699.55
iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures – a. Residential, b. Commercial Real Estate.	0.33 0.33 -	3.66 3.66 -
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	5583.39	4781.01
	Total Exposure to Real Estate Sector	**20580.69**	**18542.74**

3.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	832.22	789.83
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	27.41	6.83
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	8.42	10.73
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	110.00	3.06
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	849.38	871.60
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	0.10	0.01
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	-	1.72
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	-	-
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	13.77	56.49
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckoned for compliance with the capital market exposure.**	547.33	572.50
	Total exposure to Capital Market	**2388.63**	**2312.77**

** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting ₹ 277.62 crore for 2010-11 and ₹ 267.89 crore for 2011-12.

3.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2012	Provision held as at March 31,2012	Exposure (net) as at March 31, 2011	Provision held as at March 31,2011
Insignificant	4791.31	-	3272.92	-
Low	1082.04	–	1272.35	-
Moderate	276.85	-	335.32	-
High	1.17	-	1.02	-
Very High	0.07	-	0.09	-
Restricted	-	-	-	-
Off-credit	-	-	-	-
Total	**6151.44**	**-**	**4881.70**	**-**

3.7.4 i) Details of Single Borrower Limit (SBL) exceeded by the Bank.

(₹ in crore)

S. No	Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.12	Position as % of Capital Fund
NIL						

* Individual borrower exposure limit for NBFC (IFC) is 15%. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.

ii) Details of Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

(₹ In crore)

Sr No.	Name of the borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Board Sanction Details	Position as on 31.03.2012 (₹)	Position as % of Capital Fund
NIL							

Group Exposure Limit – 40%

For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50%

5% additional exposure can be taken with the permission of the Board

3.7.5 Unsecured Advances : ₹ 38114.35 crores

3.8 Miscellaneous

3.8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year:

(₹ in crore)

	31.03.2012	31.03.2011
Provision for Income Tax (Excluding Deferred tax liability)	938.00	807.00

3.8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI. : Nil

4 Disclosure Requirements as per Accounting Standards where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Account.

4.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

There was no material prior period Income/Expenditure requiring disclosure under AS–5.

4.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition.

Income items recognized on cash basis were not material and hence no disclosure under AS – 9 has been made.

4.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits :

4.3.1 The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2012. The disclosure is as under:

(₹ in crore)

		Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**		
	Discount Rate Prev.	8.50	8.50
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00	8.00
	Salary Escalation Prev.	4.00	4.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00
	Discount Rate Current	8.50	9.00
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00	8.00
	Salary Escalation Current	4.00	4.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00
ii)	**Table showing change in Benefit Obligation :**		
	Liability at the beginning of the year	894.93	4771.82
	Interest Cost	74.37	405.27
	Current Service Cost	34.47	118.48
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	-	-
	Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-
	Liability Transfer in	-	-
	Liability Transfer out	-	-
	Benefit paid	(108.86)	(244.85)
	Actuarial (gain) / loss on obligations	95.64	208.31
	Liability at the end of the year	990.55	5259.03

		Gratuity	Pension
iii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**		
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	873.05	2513.69
	Expected return on Plan Assets	67.89	317.60
	Contributions	30.00	1578.71
	Transfer from Other Company	-	-
	Transfer to Other Company	-	-
	Benefit paid	(108.86)	(244.85)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(0.80)	(145.15)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	861.28	4020.00
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(96.44)	(353.46)
iv)	**Recognition of Transitional Liability :**		
	Transitional Liability at start	-	-
	Transitional Liability recognized during the year	-	-
	Transitional Liability at end	-	-
v)	**Actual return on Plan Assets :**		
	Expected Return on Plan Assets	67.89	317.60
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(0.80)	(145.15)
	Actual return on Plan Assets	67.09	172.45
vi)	**Amount recognized in the Balance Sheet :**		
	Liability at the end of the year	990.55	5259.03
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	861.28	4020.00
	Difference	(129.27)	(1239.03)
	Unrecognized Past Service Cost (Vested)… Closing Balance	-	1014.17
	Unrecognized Past Service Cost (Non-Vested)… Closing Balance	195.00	-
	Unrecognized Transition Liability… Closing Balance	65.73	(224.86)
	Amount Recognized in the Balance Sheet		
vii)	**Expenses recognized in the Income Statement:**		
	Current Service Cost	34.47	118.48
	Interest Cost	74.37	405.27
	Expected Return on Plan Assets	(67.89)	(317.60)
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	65.00	338.00
	recognized	-	-
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	-	-
	Recognition of Transition Liability		
	Actuarial Gain or Loss	96.44	353.46
	Expenses Recognized in P & L	202.39	897.61
viii)	**Balance Sheet Reconciliation:**		
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(238.12)	2258.13
	Expenses as above	202.39	897.61
	Transfer from other Company (Net)	-	-
	Transfer to other Company (Net)	-	-
	Employer Contribution	(30.00)	(1578.71)
	Amount recognized in Balance Sheet	(65.73)	1577.03
ix)	**Other Details :**		
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹10,00,000 or as per the Bank scheme.		
	Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%.		
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.		
	Salary escalation is considered is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.		
	No. of Members	30458	26345
	Salary Per Month	98.51	89.85
	Contribution for next year		291.11

		Gratuity	Pension
x)	**Category of assets:**		
	Government of India Assets		-
	Corporate Bonds		-
	Special Deposits Scheme		-
	State Govt.		-
	Property		-
	Other	861.28	4020.00
	Insurer Managed Funds	-	-
	Total	861.28	4020.00
xi)	**Experience Adjustment**		
	On plan liability (Gain) / Loss	**95.09**	**511.13**
	On plan Assets (Loss) / Gain	**(0.80)**	**(145.15)**

4.3.2 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	Amount
1	Pension	897.61
2	Leave Encashment	48.15
3	Leave Travel Concession	1.77
4	Sick Leave	2.50

4.4 SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD – 17

(₹ in crore)

	Business Segment	Year ended (Audited) 31.03.2012	Year ended (Audited) 31.03.2011
(a)	**Segment Revenue**		
1	Treasury Operations	5721.77	4932.41
2	Retail Banking Operations	7385.62	5657.77
3	Corporate /Wholesale Banking	10090.86	7794.18
4	Other Banking Operations	278.41	107.04
5	Unallocated	-	–
	Total	**23476.66**	**18491.40**
(b)	**Segment Results**		
1	Treasury Operations	945.53	1141.64
2	Retail Banking Operations	951.79	781.92
3	Corporate /Wholesale Banking	657.15	976.22
4	Other Banking Operations	158.28	55.82
5	Unallocated	-	–
	Total	**2712.75**	**2955.60**
(c)	Income Tax	925.62	873.65
(d)	**Net Profit**	**1787.14**	**2081.95**
(e)	**Segment Assets**		
1	Treasury Operations	78153.45	78631.90
2	Retail Banking Operations	59933.71	51840.03
3	Corporate/Wholesale Banking	120949.52	101901.16
4	Other Banking Operations	-	–
5	Unallocated Assets	3174.76	3611.36
	Total	**262211.44**	**235984.45**
(f)	**Segment Liabilities**		
1	Treasury Operations	73837.56	74979.22
2	Retail Banking Operations	56877.45	49404.87
3	Corporate /Wholesale Banking	114781.83	97114.38
4	Other Banking Operations	-	–
5	Unallocated Liabilities	2081.54	1721.46
6	Capital, Reserves & Surplus	14633.06	12764.52
	Total	**262211.44**	**235,984.45**

i) The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the Bank has only one reportable geographical segment.

ii) Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

4.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures.

4.5.1 The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

4.5.1.1 List of Related Parties:

a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

i. Shri M. V. Nair, Chairman & Managing Director

ii. Shri S. C. Kalia, Executive Director (Upto 31.08.2011)

iii. Shri S. S. Mundra, Executive Director

iv Shri S.K.Jain, Executive Director (from 01.09.2011)

b) Subsidiaries:

Union KBC Asset Management Company Private Ltd.

Union KBC Trustee Company Private Ltd.

c) Joint Ventures:

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.

d) Associates:

Two Regional Rural Banks sponsored by the Parent Bank viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank and Rewa Sidhi Gramin Bank.

4.5.1.2 Transactions with Related Parties

(₹ In crore)

Items / Related Parties	Associates / Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Deposit	2590.64	3187.81	-	-	-	-	2590.64	3187.81
Interest paid	211.26	135.00	-	-	-	-	211.26	135.00
Insurance Commission	19.77	18.20	-	-	-	-	19.77	18.20
Advertisement & Publicity Expenses	7.17	2.17	-	-	-	-	7.17	2.17
Sitting Fees	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-
Other Expenses Incurred/Purchases	0.13	3.38	-	-	-	-	0.13	3.38
Bank Charges	0.15	0.97	-	-	-	-	0.15	0.97
Insurance Premium	25.46	25.29	-	-	-	-	25.46	25.29
Interest on Perpetual Bond	0.13	0.13	-	-	-	-	0.13	0.13
Brokerage Payment	1.38	-	-	-	-	-	1.38	-
Distribution Incentive Payment	0.36	-	-	-	-	-	0.36	-
Employee Cost Reimbursement	0.19	-	-	-	-	-	0.19	-
Rent & Maintenance Expenses Reimbursement	0.08	-	-	-	-	-	0.08	-

4.5.1.3 Key Management Personnel

(₹ in crore)

	2011 – 12	2010 – 11
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	#0.22	0.22
Remuneration paid to Executive Directors	#0.35	0.35
Total	0.57	0.57

Includes performance based incentives of ₹ 6.00 lacs and ₹ 8.00 lacs paid to the Chairman and Managing Director and Executive Directors of the Bank respectively during the previous year.

4.6 Earning per Share – Accounting Standard – 20

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earning per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

			31.03.2012	31.03.2011
I	Basic and Diluted EPS	₹	34.07	39.71
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ In crore)	₹	1787.14	2081.95
iii	Average number of equity shares (No. in crore)	No.	52.448	52.433
iv	Nominal value per share	₹	10.00	10.00

4.7 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2012 are as under:

(₹ in crore)

		31.03.2012	31.03.2011
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	210.48	185.68
2	Employee Benefits	130.77	145.82
3	Depreciation on investments claimed in earlier years sold during the year	4.45	-
4	Leave Encashment	8.76	35.21
	Total	354.46	366.71
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of securities	17.85	-
2	Depreciation on Fixed Assets	31.97	26.67
3	Accrued interest on securities	326.33	374.11
	Total	376.15	400.78
	Net Deferred Tax Liability	**21.69**	**34.07**
	Net Deferred Tax Asset	**-**	**-**

4.8 Accounting Standard 28

In the opinion of the Management, there is no indication for impairment during the year with regard to the assets to which Accounting Standard 28 applies.

4.9 Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S.No. (i) to (vi) are dependent upon, the outcome of court/ arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

5 Additional Disclosures

5.1 Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss	2011-12	2010-11
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	55.03	26.65
Provision towards NPA	1510.73	1187.69
Provision towards Standard Assets	229.74	148.54
Provision made towards Income Tax (IT)/ Deferred tax liability (DTL)	925.62	873.45
Other Provision and Contingencies:		
– Shifting Loss	61.89	82.94
– Restructured Advances	507.38	1.63
– Others	176.23	-95.86
TOTAL	3466.62	2223.04

5.2 Floating Provisions

(₹ in crore)

	Particulars	2011-12	2010-11
i)	Opening Balance in the floating provisions	743.00	697.00
ii)	Floating provisions made during the accounting year	20.00	46.00
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	0	0
iv)	Closing balance in the floating provision account	763.00	743.00

5.3 Draw Down from Reserves

The Bank has not made any drawdown from the reserves during the year.

5.4 Disclosure of complaints

A. Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	1028
(b)	No. of complaints received during the year	11806
(c)	No. of complaints redressed during the year	12342
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	492

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	5
(c)	No. of Awards implemented during the year	4
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	1

5.5 Disclosure of Letter of Comfort (LoCs) issued

(₹ in crore)

Letter of Comfort issued in earlier years and outstanding as on 01.04.2011	1492.02
Add : Letter of Comfort issued during the year	6023.15
Less : Letter of Comfort expired during the year.	4725.58
Letter of Comfort outstanding as on 31.03.2012	2789.59

5.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Provision Coverage Ratio as on 31.03.2012 is 62.22%. Any excess provision held over the stipulated Provision Coverage Ratio (PCR) would be held under "Countercyclical Provisioning Buffer account" as per the extant RBI guidelines.

5.7 Disclosure of – Banc assurance Business

S. No.	Nature of Income	(₹ in crore)
1	For selling life insurance policies	21.35
2	For selling non life insurance policies	3.64
3	Others (specify)	-

5.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

5.8.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	25935
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	11.70

5.8.2 Concentration of Advances

(₹ in crore)

Total Advances of twenty largest borrowers	20617.30
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank.	11.39

5.8.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Total Exposures of twenty largest borrowers/ customers	38497.41
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers.	21.27

5.8.4 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Total Exposures to top four NPA accounts	591.54

5.9 Sector-wise NPAs

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector (31.03.2012)
1	Agriculture & allied activities	9.58
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	2.92
3	Services	3.52
4	Personal Loans	6.95

5.10 Movement of NPA

(₹ in crore)

Gross NPA as on 1st April 2011 (Opening Balance)	3622.82
Additions (Fresh NPAs) during the year	3760.11
Sub-total (A)	7382.93
Less:-	
(i) Up-gradations	254.83
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	740.56
(iii) Write-Offs	937.68
Sub-total (B)	1933.07
Gross NPA as on 31st March 2012 (closing balance) (A-B)	5449.86

5.11 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in crore)

Particulars	2011-12
Total Assets	10123.68
Total NPAs	27.62
Total Revenue	439.75

5.12 Off – balance Sheet SPVs :

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
Nil	**Nil**

5.13 Unamortized Pension and Gratuity Liabilities

5.13.1 In accordance with RBI circular no.DBOD.BP.BC.80 / 21.04.018/ 2010-11 dated 09.02.2011 one-fifth of the additional pension fund liability of ₹ 338.04 crore towards serving employees, who have exercised second option has been charged to Profit & Loss account in 2011-12, with ₹ 1014.13 crore carried forward to be charged over the next 3 years.

5.13.2 In addition one fifth of the additional gratuity liability which arose on enhancement of Gratuity limit from ₹ 3.50 lacs to ₹ 10 lacs amounting to ₹ 65 crore has also been charged to the Profit and Loss account in 2011-12 with the balance of ₹ 195.00 crore being carried forward to be charged over the next 3 years.

5.13.3 AS-15 (revised 2005) Employee Benefits states benefits involving employer established provident funds, which require interest shortfall to be provided,

are to be considered as defined benefit plans. Pending determination of liability in view of issues in making reasonable actuarial assumptions, effect in this respect has not been ascertained. Accordingly, other related disclosures in this respect have not been made and ₹ 7.16 crores (previous year ₹ 22.88 crore) has been recognized as an expense towards provident fund scheme and included in payments to and provisions for employees under operating expenses.

6 FIXED ASSETS

Documentation formalities are yet to be completed in respect of five immovable properties held by the Bank at written down value of ₹ 6.17 crores (previous year ₹ 6.50 crores) in respect of which steps have already been initiated. Land and Buildings revalued as on 31st March,1995 at fair market value as determined by an approved valuer, have further been revalued as on 30th November, 2007 at fair market value by approved valuers. The resultant increase in value thereof on such revaluations amounting to ₹ 456.59 crore as on 31st March, 1995 and ₹ 1,290.68 crore as on 30th November, 2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to ₹ 40.01 crore (previous year ₹ 42.06 crore) attributable thereto has been deducted there from.

7 FUNDS RAISED RANKING FOR TIER I AND TIER II CAPITAL

During the year, the Bank has allotted on preferential basis 26216620 equity shares of ₹ 10/ – each at a premium of ₹ 238.05 per share to Life Insurance Corporation of India aggregating to ₹ 650.30 crores. Consequently the Government share holding has decreased from 57.06%.to 54.35%.

8 PROVISION ON STANDARD ADVANCES

As per RBI guidelines, provision for Standard Advances and credit risk exposure on derivatives amounts to ₹ 899.13 crore (previous year 663.77 crore). For certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans, additional provision of 2% amounting to ₹ 56.74 crores (previous year ₹ 76.07 crore) over and above the statutory requirement has been made.

9 The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

V. H. KAMATH
ASST. GEN. MANAGER

N.S.MEHTA
GENERAL MANAGER

S.K.JAIN EXECUTIVE DIRECTOR	S. S. MUNDRA EXECUTIVE DIRECTOR	D.SARKAR CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
RAJESH KHULLAR DIRECTOR	CHANDAN SINHA DIRECTOR	B.M.SHARMA DIRECTOR
B.N.BHATTACHARJEE DIRECTOR	N.SHANKAR DIRECTOR	DR.ATUL AGARWAL DIRECTOR
M.S.SRIRAM DIRECTOR	S. RAVI DIRECTOR	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

FOR J.L.SENGUPTA & CO CHARTERED ACCOUNTANTS	**FOR ARUN K.AGARWAL&ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS	**FOR OM PRAKASH S.CHAPLOT & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S.R.ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M.NO.18073) FIRM REGN.NO.307092E	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M.NO.86657) FIRM REGN.NO.003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M.NO.403633) FIRM REGN.NO.000127C
FOR G.S. MATHUR & CO CHARTERED ACCOUNTANTS	**FOR PRICE PATT & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS	**FOR SINGRODIA GOYAL & CO** CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAJIV KUMAR WADHAWAN) PARTNER (M.NO.091007) FIRM REGN NO.008744N	**(M.NAGANATHAN)** PARTNER (M.NO.7547) FIRM REGN NO.002783S	**(K.V.S.SHYAM SUNDER)** PARTNER (M.NO.015747) FIRM REGN.NO. 112081W

Mumbai,
Date: 09.05.2012

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(₹. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2012	Year Ended 31.03.2011
A	Cash flow from operating activities	(382,999)	443,148
B	Cash flow from investing activities	(22,326)	(18,514)
C	Cash flow from financing activities	(37,006)	7,541
		(442,331)	**432,175**
D	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,009,845	1,577,669
E	Cash and cash equivalents at the end of the year	1,567,514	2,009,844
F	Total Cash Flow during the year (A+B+C) or (E-D)	**(442,331)**	**432,175**
	BREAK UP DETAILS		
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Interest received during the year from advances, investments etc.,	2,069,941	1,624,615
	Other Income	233,304	203,992
	Less : Interest paid on deposits, borrowings etc. (excl. subordinated debts)	(1,361,348)	(965,377)
	Operating expenses including provisions and contingencies	(745,414)	(617,304)
	Add : Adjustment for depreciation	14,645	15,566
	I. Cash profit generated from operations	**211,128**	**261,492**
	II. Cash flow from operating assets & liabilities		
	[increase/(decrease)]in liabilities		
	Deposits	2,040,766	3,242,154
	Borrowings	459,351	400,066
	Adjustment for Deferred Tax Assets/Liability	(1,238)	3,407
	Other liabilities etc. (including write back of excess provision made in earlier years)	(76,764)	166,731
	Decrease/(Increase) in Assets		
	Advances	(2,689,600)	(3,167,078)
	Investments	(396,442)	(399,561)
	Others	69,800	(64,063)
	Cash flow from operating assets & liabilities	**(594,127)**	**181,656**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	**(382,999)**	**443,148**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale/disposal of fixed assets	4,564	664
	Purchase of fixed assets	(26,890)	(19,178)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(22,326)**	**(18,514)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Dividend 2010-11		
	Dividend Tax 2010-11		
	Dividend 2009-10	(41,947)	(27,781)
	Dividend Tax 2009-10	(6,859)	(4,721)
	Proceeds of subordinated debts – Tier II Capital	–	(40,000)
	Interest on Tier II Capital	(52,715)	(49,256)
	Subordinate Upper Tier II Capital	–	50,000
	Perpetual Bonds	–	0
	Interest on PNCPS	(515)	
	PNCPS	–	11,100
	Share Capital from GOI/LIC	65,030	68,199
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**(37,006)**	**7,541**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(₹ in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2012	Year Ended 31.03.2011
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,761,046	1,246,824
	Balances with banks and Money at call	248,799	330,845
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**2,009,845**	**1,577,669**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,163,356	1,761,045
	Balances with banks and Money at call	404,158	248,799
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**1,567,514**	**2,009,844**

(S. K.JAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(S.S.MUNDRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(D.SARKAR)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2012. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 9th May, 2012 to the members.

For J.L.SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S.R.ANANTHKRISHNAN)
PARTNER (M.No. 18073)

For ARUN K.AGARWAL& ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M.No.86657)

For OMPRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M.No.403633)

For G.S.MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAWAN)
PARTNER (M. No.091007)

FOR PRICE PATT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(M. NAGANATHAN)
PARTNER (M. No.7547)

For SINGRODIA GOYAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(K.V.S. SHYAM SUNDER)
PARTNER (M.No.015747)

PLACE : MUMBAI
DATE : 9th May 2012

AUDITORS' REPORT

To
The Board of Directors
UNION BANK OF INDIA

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of UNION BANK OF INDIA (the "Bank"), its subsidiaries , associates and joint ventures (the Group) as on 31st March, 2012 and the Consolidated Profit and Loss Account and also the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended in which are incorporated the:
   i. Accounts of the Bank audited by 6 (six) Joint Auditors
   ii. Accounts of two subsidiaries, two associates and one joint venture audited by other auditors.

   These Consolidated Financial Statements (CFS) are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information of different entities in the Group. Our responsibility is to express our opinion on these Financial Statements based on our audit.
2. We did not audit the Financial Statements of :
   i. Two Subsidiaries, whose Financial Statements reflect total assets of ₹ 88.29 crores as on 31st March 2012 and total revenue of ₹ 10.24 crores on that date; and
   ii. One Joint Venture whose Financial Statements reflect total assets of ₹ 61.99 crores as on 31st March 2012 and total loss of ₹ 6.65 crores on that date; and
   iii. Two Associates reflecting Net Profit of ₹ 11.38 crores for the year ended on that date.
3. We report that the CFS have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirement of the Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements ", Accounting Standard – 23- "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 27 – "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of Reserve Bank of India (RBI).
4. Our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiaries, joint venture and associates of the Bank which have been audited by other auditors and whose reports have been furnished to us, is based solely on the reports of such other auditors.
5. We conducted our audit of the CFS in accordance with Generally Accepted Auditing Standards in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements and audit also includes the Accounting Principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
6. Based on our audit and on consideration of reports of other auditors on separate financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us and subject to paragraphs 2 and 5 above, we are of the opinion that the attached CFS give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
   i. in the case of the Consolidated Balance Sheet, on the consolidated state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in the Associates and joint ventures (Union Bank Group) as on 31st March 2012;
   ii. in the case of the consolidated Profit and Loss Account of the Consolidated profit of Union Bank Group on that date ; and
   iii. in the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of Union Bank Group for the year ended on that date.

For J.L.SENGUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No. 18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
Firm Regn. No.: 003917N

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
Firm Regn. No.: 000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAVAN)
PARTNER (M. No.091007)
Firm Regn. No.: 008744N

For PRICE PATT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(M. NAGANATHAN)
PARTNER (M. No.7547)
Firm Regn. No.: 002783S

For SINGRODIA GOYAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(K.V.S. SHYAM SUNDER)
PARTNER (M. No.015747)
Firm Regn. No.: 112081W

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2012

CONSOLIDATED FINANCIAL BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

Amt in ' 000s

	Schedule	2012	2011
Capital And Liabilities			
Capital	1	6,615,490	6,353,324
Reserves And Surplus	2	141,171,453	122,971,060
Minority Interest	2A	405,411	526,555
Deposits	3	2,227,765,151	2,024,000,046
Borrowings	4	179,094,878	133,159,696
Other Liabilities And Provisions	5	75,194,514	78,618,759
Total		**2,630,246,897**	**2,365,629,440**
Assets			
Cash And Balances With Reserve Bank Of India	6	116,336,928	176,448,368
Balances With Banks And Money At Call And Short Notice	7	40,701,482	24,879,905
Investments	8	631,038,056	589,131,465
Advances	9	1,778,820,863	1,509,932,196
Fixed Assets	10	23,477,965	23,015,029
Other Assets	11	39,871,603	42,222,477
Total		**2,630,246,897**	**2,365,629,440**
Contingent Liabilities	12	2,366,217,799	1,594,849,797
Bills For Collection		22,170,068	52,583,722
Significant Accounting Policies	17		
Notes On Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S.K.JAIN** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**D.SARKAR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
RAJESH KHULLAR DIRECTOR	**CHANDAN SINHA** DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**B.N.BHATTACHARJEE** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR
DR.ATUL AGARWAL DIRECTOR	**M.S.SRIRAM** DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For J.L.SENGUPTA & CO CHARTERED ACCOUNTANTS	**For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S. R. ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M. No. 18073) Firm Regn. No.: 307092E	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C
For G. S. MATHUR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For PRICE PATT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For SINGRODIA GOYAL & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAJIV KUMAR WADHAVAN) PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N	**(M. NAGANATHAN)** PARTNER (M. No.7547) Firm Regn. No.: 002783S	**(K.V.S. SHYAM SUNDER)** PARTNER (M. No.015747) Firm Regn. No.: 112081W

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2012

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2012

		Schedule	2011-2012	2010-2011
I.	**Income**			
	Interest Earned	13	211,524,799	164,609,431
	Other Income	14	23,163,065	20,397,190
	Total		**234,687,864**	**185,006,621**
II.	**Expenditure**			
	Interest Expended	15	142,297,261	102,343,142
	Operating Expenses	16	40,162,671	39,742,851
	Provisions And Contingencies		34,670,359	22,230,373
	Total		**217,130,291**	**164,316,366**
III.	**Net Profit For The Year**		17,557,573	20,690,255
	Add : Profit Brought Forward		1,591	(90,420)
	Total		**17,559,164**	**20,599,835**
	Share Of Earning/Loss In Associates		39,829	1,361,373
	Consolidated Net Profit/Loss For The Year Before Deducting Minorities Interest		**17,598,993**	**21,961,208**
	Less Minorities Interest		(121,144)	(27273)
	Consolidated Net Profit/Loss For The Year Attributable To The Group		**17,720,137**	**21,988,481**
IV.	**Appropriations**			
	Transfer To Statutory Reserve		5,370,000	6,250,000
	Transfer To Capital Reserve		393,205	612,007
	Transfer To Revenue And Other Reserves/Adjustments		4,877,185	7,372,682
	Proposed Dividend		4,404,392	4,194,659
	Dividend Tax		731,609	685,950
	Dividend Tax Of Previous Year Written Back		(7832)	-
	Transfer To Special Reserve [Sec36(I)(Viii)]		1,840,000	2,820,000
	Provision For Interest On Pncps		105,450	51,592
	Balance In Profit And Loss Account		6,128	1,591
	Total		**17,720,137**	**21,988,481**

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

V. H. KAMATH ASST. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	**S.K.JAIN** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. S. MUNDRA** EXECUTIVE DIRECTOR	**D.SARKAR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
RAJESH KHULLAR DIRECTOR	**CHANDAN SINHA** DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**B.N.BHATTACHARJEE** DIRECTOR	**N SHANKAR** DIRECTOR
DR.ATUL AGARWAL DIRECTOR	**M.S.SRIRAM** DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For J.L.SENGUPTA & CO CHARTERED ACCOUNTANTS	**For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S. R. ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M. No. 18073) Firm Regn. No.: 307092E	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C
For G. S. MATHUR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For PRICE PATT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For SINGRODIA GOYAL & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAJIV KUMAR WADHAVAN) PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N	**(M. NAGANATHAN)** PARTNER (M. No.7547) Firm Regn. No.: 002783S	**(K.V.S. SHYAM SUNDER)** PARTNER (M. No.015747) Firm Regn. No.: 112081W

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2012

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2012

			As on 31.03.2012		As on 31.03.2011
SCHEDULE 1 - CAPITAL :					
I.	**Authorised :**				
	300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each		30,000,000		30,000,000
	Issued, Subscribed & Paid up :				
II.	29,92,14,515 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Central Government		2,992,145		2,992,145
III.	251334520 Equity Shares of ₹10 each, held by Public (P.Y. 225117900 Equity Shares)		2,513,345		2,251,179
IV.	Perpetual Non-Cumulative Pref. Shares		1,110,000		1,110,000
	TOTAL		**6,615,490**		**6,353,324**
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :					
I.	Statutory Reserve :				
	As per last Balance Sheet	38,980,000		32,730,000	
	Addition during the year	5,370,000	44,350,000	6,250,000	38,980,000
II.A)	Capital Reserve :				
	As per last Balance Sheet	6,655,205		6,043,198	
	Capital Reserve on Consolidation				
	Addition during the year	393,205	7,048,410	612,007	6,655,205
II.B)	Capital Reserve on Consolidation		569,500		569,500
III.	Share Premium :				
	As per last Balance Sheet	11,951,412		5323557	
	Addition during the year	6,240,867	18,192,279	6,627,855	11,951,412
IV.	Revaluation Reserve :				
	As per last Balance Sheet	15,738,407		16,159,687	
	Addition during the year	-		-	
	Deduction during the year	400,136	15,338,271	421,281	15,738,407
V.	Revenue and other Reserves :				
	i) Revenue and other Reserves :				
	As per last BS	31,479,658		24,007,953	
	Addition during the year	4,877,185		7,471,705	
	Add / (Less) : Fair value change and Revenue account of JV	(69,978)		-	
	Deduction during the year	-		-	
		36,286,865		**31,479,658**	
	ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)			-	
	As per last Balance Sheet	17,540,000		14,720,000	
	Addition during the year	1,840,000		2,820,000	
		19,380,000		**17,540,000**	
	iii) Foreign Currency Translation Reserve				
	As per last Balance Sheet	55,287		43,859	
	Addition during the year	-		11,428	
	Deduction during the year	55,287		-	
	Total	-	55,666,865	**55,287**	49,074,945
VI.	Balance in Profit and Loss Account				
	Balance in Profit and Loss Account		6,128		1,591
	TOTAL		**141,171,453**		**122,971,060**
SCHEDULE 2 A Minority Interest					
Minority Interest at the date on which the present subsidiary relationship came into existence			588,245		588,245
Subsequent increase/decrease			(182834)		(61690)
Minority Interest on the date of Balance Sheet			**405,411**		**526,555**

	As on 31.03.2012		As on 31.03.2011	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :				
Deposits of Branches in India				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	9,816,823		9,148,137	
ii) From Others	182,884,538	192,701,361	187,031,418	196,179,555
II. Savings Bank Deposits		504,288,588		446,891,747
III. Term Deposits				
i) From Banks	87,698,078		56,363,009	
ii) From Others	1,443,077,124	1,530,775,202	1,324,565,735	1,380,928,744
TOTAL		**2,227,765,151**		**2,024,000,046**
Deposits of branches in India		2,215,695,310		2,018,090,755
Deposits of branches outside India		12,069,841		5,909,291
TOTAL		**2,227,765,151**		**2,024,000,046**
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
A. Borrowings : Capital Instruments				
I. Perpetual Bonds	10,400,000		10,400,000	
II. Upper Tier II Bonds	22,500,000		22,500,000	
III. Tier II Bonds	29,000,000	61,900,000	29,000,000	61,900,000
B. Borrowings in India			-	
i. Reserve Bank of India	2,350,000		2,300,000	
ii. Other Banks	7,000,000		-	
iii. Other Institutions and agencies	1,553,735	10,903,735	1,957,224	4,257,224
C. Borrowings Outside India		106,291,142		67,002,472
TOTAL		**179,094,877**		**133,159,696**
Secured Borrowings included in I & II above		13,443,712		1,350,105
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :				
I. Bills payable		12,941,023		16,466,546
II. Interest Accrued		7,089,963		6,157,806
III. Deferred Tax Liability		216,851		340,652
IV. Others(including provisions and items pending in Nostro A/c)		54,946,677		55,653,755
TOTAL		**75,194,514**		**78,618,759**
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANKOF INDIA :				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		6,274,581		4,019,625
II. Balances with Reserve Bank of India /Other Banks		110,062,347		172,428,744
TOTAL		**116,336,928**		**176,448,368**
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :				
I. Balances with banks in India				
a) In Current Accounts		1,825,508		2,183,837
b) In Other Deposit Accounts		15,526,536		4,350,000
c) Money at call & short notice		643,684		-
II. Outside India				
i) In Current Accounts		1,966,510		1,124,767
ii) In other Deposit Accounts		20,739,244		17,221,301
iii) Money at call and short notice		-		-
TOTAL		**40,701,482**		**24,879,905**

	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :		
I. Investments in India		
i) Government Securities	505,902,969	464,060,574
ii) Other approved securities	426,151	944,262
iii) Shares	10,730,983	7,436,991
iv) Debentures and Bonds	44,987,536	32,085,969
v) Subsidiaries and joint ventures	1,592,766	1,552,937
vi) Others		
- Commercial Paper	4,456,970	5,847,903
- Others	19,177,443	47,478,560
- Mutual Funds	9,668,546	3,697,374
- R I D F	32,996,628	24,976,865
- Security receipt by ARCIL	379,860	409,719
Total	**630,319,851**	**588,491,154**
II. Investments outside India		
i) Govt Securities (incl Local Authorities)	614,470	638,322
ii) Shares	1,989	1,989
iii) Other Investments (Bonds)	101,746	
Total	**718,205**	**640,311**
TOTAL	**631,038,056**	**589,131,465**
III. i) Investments in India		
Gross Value	628,713,115	589,547,545
Provision for Depreciation	1,606,736	1,056,391
Net Value	**630,319,851**	**588,491,154**
ii) Investments outside India		
Gross Value/Net Value	718,205	640,311
TOTAL	**631,038,056**	**589,131,465**
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
I. i) Bills purchased and discounted	81,416,343	64,515,360
ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	919,887,125	796,275,098
iii) Term Loans	777,517,395	649,141,738
TOTAL	**1,778,820,863**	**1,509,932,196**
II. i) Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	1,321,100,513	1,130,993,837
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	76,576,862	58,700,690
iii) Unsecured	381,143,488	320,237,669
TOTAL	**1,778,820,863**	**1,509,932,196**
A. Advances in India		
i) Priority Sector	424,534,843	483,787,627
ii) Public Sector	147,891,982	137,245,267
iii) Banks	82,559,056	87,534,996
iv) Others	1,032,281,403	741,949,241
TOTAL	**1,687,267,284**	**1,450,517,131**
B. Advances outside India		
i) Due from Banks	39,260,524	31,261,098
ii) Due from Others		
a) Bills Purchased and Discounted	1,024,055	1,608,874
b) Syndicated loans	34,596,526	26,422,169
c) Others	16,672,474	122,924
TOTAL	**91,553,579**	**59,415,065**
TOTAL	**1,778,820,863**	**1,509,932,196**

	As on 31.03.2012		As on 31.03.2011	
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
A. TANGIBLE ASSETS				
I. Premises				
At cost/valuation as per last Balance Sheet	21,290,003		21,149,084	
Add : Revaluation During the Year	-		-	
Additions during the year	716,718		140,919	
	22,006,721		21,290,003	
Deductions during the year	-		-	
Less: Depreciation to date	4,380,456	17,626,265	3,861,794	17,428,209
II. Capital Work in Progress				
At cost as per last Balance Sheet	135,815		94,919	
Additions during the year	176,213		71,373	
Deductions during the year	226,110	85,918	30,477	135,815
III. Land				
At cost as per last Balance Sheet	135,204		135,204	
Add : Revaluation during the year	-		-	
Additions during the year	-		-	
Deductions during the year	104,232		-	
	30,972		135,204	
Less : Depreciation to date	22,260	8,712	22,260	112,944
IV. Other Fixed Assets				
(including Furniture and Fixtures)				
a) Assets given on lease				
At cost as per last Balance Sheet	310,477		310,477	
Deductions during the year	45,125		-	
	265,352		310,477	
Less: Depreciation to date	265,352	0	310,477	0
b) Others				
At cost/valuation as per last Balance Sheet	13,497,900		12,305,289	
Additions during the year	1,564,648		1,643,676	
	15,062,548		13,948,965	
Deductions during the year	333,640		451,065	
	14,728,907		13,497,900	
Less: Depreciation to date	9,252,242		8,322,150	
	5,476,665	5,476,665	5,175,750	**5,175,750**
B. INTANGIBLE ASSETS				
Computer Software				
At cost as per last Balance Sheet	890,730		790,471	
Additions during the year	262,816		100,260	
	1,153,546		890,730	
Amortisation till date	873,142	280,404	728,420	**162,311**
TOTAL		**23,477,965**		**23,015,029**

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2012

		As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :			
I.	Inter-office adjustments (net)	4,361,262	6,366,834
II.	Interest accrued	16,943,595	12,463,874
III.	Tax paid/Tax deducted at source (net of provision)	(4,812,979)	(4,195,547)
IV.	Stationery and stamps	51,960	85,492
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	390	390
VI.	Deffered Tax Assets		-
VII.	Others	23,327,375	27,501,435
	TOTAL	**39,871,603**	**42,222,477**
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :			
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts	33,855,475	13,051,500
II.	Liability for partly paid investments	5,920	5,920
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,037,783,156	1,332,270,183
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents		
	i) In India	145,398,127	131,390,908
	ii) Outside India	2,087,637	929,873
V.	Acceptances, endorsements and other obligations	142,911,453	113,938,257
VI.	Other items for which the bank is		
	i) Disputed Tax demands under appeals	4,100,593	3,169,400
	ii) Others	75,438	93,756
	TOTAL	**2,366,217,799**	**1,594,849,797**

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

		For year ended on 31.03.2012	For year ended on 31.03.2011
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :			
I.	Interest/discount on advances/bills	160,266,256	120,312,406
II.	Income on investments	45,782,788	40,110,045
III.	Interest on balances with RBI & other inter bank funds	3,309,149	1,610,962
IV.	Others	2,166,606	2,576,018
	TOTAL	**211,524,799**	**164,609,431**
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	3,582,490	3,649,397
II.	Profit on sale of investments - net	4,415,214	4,643,849
III.	Profit sale of land, buildings & other assets -net	(6,595)	(3,591)
IV.	Profit on exchange transactions - net	4,887,504	4,290,134
V.	Miscellaneous Income	10,284,452	7,817,401
	TOTAL	**23,163,065**	**20,397,190**
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :			
I.	Interest on deposits	134,001,532	95,358,371
II.	Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	1,408,583	1,134,443
III.	Others	6,887,146	5,850,328
	TOTAL	**142,297,261**	**102,343,142**
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :			
I.	Payments to and provisions for employees	24,965,111	26,042,284
II.	Rent, taxes and lighting	2,682,196	2,370,438
III.	Printing and stationery	376,538	337,089
IV.	Advertisement and publicity	705,930	943,487
V.	Depreciation on Bank's property	1,505,768	1,562,316
VI.	Directors' fees, allowances and expenses	14,420	10,312
VII.	Remuneration to Managing / Executive Director	5,687	5,633
VIII.	Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	231,765	214,155
IX.	Law Charges	154,397	107,338
X.	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	502,339	433,874
XI.	Repairs and maintenance	704,425	561,084
XII.	Insurance	1,876,734	1,759,023
XIII.	Other expenditure	6,437,361	5,395,819
	TOTAL	**40,162,671**	**39,742,851**

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2011-2012

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1 Accounting Convention

The accompanying Consolidated Financial Statements (CFS) have been prepared by following the going concern concept, generally on a historical cost basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian Offices/Branches and respective foreign countries in respect of Foreign Offices/Branches, except as otherwise stated.

2 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and the expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Difference between the actual results and estimates is recognized in the period in which the results are known /materialized.

3 Basis of consolidation

3.1 CFS of the Group (comprising of 2 Subsidiaries, 2 Associates and 1 Joint Venture) have been prepared on the basis of:

i) Audited Financial Statement of Union Bank of India (Parent).

ii) Line by line aggregation of each item of asset, liabilities, income and expenditure of subsidiaries with the respective items of the parent after eliminating intra group balances/ transactions, unrealized profit/losses based on the data received from the subsidiaries duly audited by their respective auditors as per Accounting Standard – 21 "Consolidated Financial Statements" issued by The Institute of Chartered Accountant of India (ICAI).

iii) Accounting for Investments in 'Associates' under the 'Equity Method' as per Accounting Standard 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

iv) Consolidation of Joint Venture – 'Proportionate Consolidation' as per Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" of the ICAI.

3.2 Necessary adjustments have not been made in the CFS where uniform accounting policies have not been followed by Subsidiaries, Associates and Joint Venture as in the view of the management, the said adjustments are not material in nature.

3.3 The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill/ Capital Reserve.

3.4 Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made, and

ii) The minority share of movements in revenue reserves/loss (equity) since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

4 Revenue Recognition

4.1 Banking entities

i) Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers and commission on bio matrix card etc. are accounted for on realization basis.

4.2 Non Banking entities

Life Insurance

i) Premium Income

Premium (net of service tax) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii) Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii) Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv) Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are

cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

v) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi) Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

i) Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.

ii) Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.

iii) Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.

iv) Dividend income is recognized when right to receive is established.

4. Investments

i) In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) i) Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

Permanent diminution, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows

i	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
ii	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
iii	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at Re 1/- per company.
iv	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
v	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
vii	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
viii	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Re.1/- per VCF
ix	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Inter bank REPO/ Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

- From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.
- From HTM category to AFS/HFT category,

  If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value

  If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

- From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit/ loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

Derivative Contracts

i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

iii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

5. Advances

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI.

ii) Certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans carries an additional provision of 2% over and above the statutory requirement.

iii) Advances are stated net of provisions and unrecovered interest held in sundry /claims received from CGTF / ECGC relating to non-performing assets. The provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions".

6. Fixed Assets and Depreciation

i) Fixed Assets are stated at historical cost. Revalued Land and Buildings are stated at revalued amount.

ii) Software systems are capitalized as intangible assets.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- U.P.S.	33.33 %
III.	On the amount added consequent upon revaluation of the assets	over the economic residual life of the respective assets

iv) Depreciation on computers and software is provided at 33.33% on straight-line method.

v) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

vi) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vii) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

viii) Leasehold land is amortized over the period of lease.

ix) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries/associates is provided as per regulatory requirements/or prevailing practices of respective country/industry.

7. Impairment of Assets

Impairment losses, if any, are recognized in accordance with the Accounting Standard 28 issued in this regard by the ICAI.

8. Counter Cyclical Provisioning Buffer

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has an approved policy for counter cyclical provisioning buffer.

9. Transactions Involving Foreign Exchange

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits / Losses:

i) Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain / loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the Bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

10. Accounting for Non–Integral Foreign Operations

Offshore Banking Units (OBU) and foreign branches are classified as non-integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU) & Foreign Branch

i) Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year-end.

ii) Income and Expenditure are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

b) Foreign Branch

i) Revenue Recognition

Income and Expenditure are recognized / accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan Loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per local requirement or as per RBI guidelines whichever is higher.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost.

b) Depreciation on fixed assets is provided as per the applicable laws of the respective countries.

11. Employee Benefits

Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and provision towards leave encashment are accounted for on the basis of actuarial valuation contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss Account. Net actuarial gains and losses are recognized during the year.

12. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

Business Segments are classified into (a) Treasury Operation, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking Operation and (d) Other Banking Operations.

13. **Lease Transactions**

The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancelable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent/lease rent are recognized on settlement or on renewal.

14. **Earning per share**

Earnings per share is calculated by dividing the net profit or loss for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted Earnings per equity share is calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at the year end.

15. Taxation

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

16. Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS

1. The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.2012
Union KBC Asset Management Company Private Ltd.	India	51%
Union KBC Trustee Company Private Ltd.	India	51%

2. The particulars of Joint Ventures considered in the Consolidated Financial Statements are as under

Names of Joint Venturer	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd. (Non-Banking)	India	26%

3. The particulars of Associates considered in the Consolidated Financial Statements are as under

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Banks		
i) Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%
ii) Rewa Sidhi Gramin Bank	India	35%

4. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2012.

5. In case of Domestic Associates/subsidiaries, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associates/subsidiaries have not been carried out on the basis of data provided by associates/ subsidiaries as the amounts being not material.

6. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of Audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Union KBC Asset Management Co. Pvt. Ltd., Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd. and both the Regional Rural Banks for the financial year ended 31.03.2012.

7. In respect of Parent Bank, confirmation / reconciliation of balances with foreign and other banks has been obtained /carried out except in a few cases.

   Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation statements and various inter-branch/office accounts is in progress. Reconciliation of Central Office Accounts maintained by branches has been completed up to 31st March 2012. Pending final clearance of above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

8. INCOME TAX

The Parent Bank considers that provision for Income tax held in its accounts is adequate.

9. ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

9.1 Capital

(₹ in crore)

		31.03.2012	31.03.2011
i)	CRAR (%)	11.85	12.95
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	8.37	8.69
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	3.48	4.26
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India.	54.35	57.06
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier II Capital	Nil	Nil
vi)	Amount raised by issue of IPDI	Nil	Nil
vii)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	Nil	500.00

9.2. Provisions & Contingencies

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Provision for NPA	1510.73	1141.69
Depreciation in value of investments	**55.03**	**26.65**
Provision for Taxation (including deferred tax)	925.62	873.45
Provision on standard assets	229.74	148.54
Other Provisions (including floating provisions)	**745.50**	**32.71**
Grand Total	3466.62	2223.04

9.3 Details of Floating Provisions (Parent Bank)

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening Balance in the floating provisions	743.00	697.00
Floating provisions made during the accounting year	20.00	46.00
Amount of drawdown made during the accounting year	0	0
Closing balance in the floating provision account	763.00	743.00

10. Accounting Standard 15 (Revised) – Employee Benefits-2011-12 (Parent Bank)

(₹ in crore)

		Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**		
	Discount Rate Prev.	8.50	8.50
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00	8.00
	Salary Escalation Prev.	4.00	4.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00
	Discount Rate Current	8.50	9.00
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00	8.00
	Salary Escalation Current	4.00	4.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00
ii)	**Table showing change in Benefit Obligation**		
	Liability at the beginning of the year	**894.93**	**4771.82**
	Interest Cost	**74.37**	**405.27**
	Current Service Cost	**34.47**	**118.48**
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	**-**	**-**
	Past Service Cost (Vested Benefit)	**-**	**-**
	Liability Transfer in	**-**	**-**
	Liability Transfer out	**-**	**-**
	Benefit paid	**(108.86)**	**(244.85)**
	Actuarial (gain) / loss on obligations	**95.64**	**208.31**
	Liability at the end of the year	**990.55**	**5259.03**
ii)	**Table of Fair value of Plan Assets**		
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	**873.05**	**2513.69**
	Expected return on Plan Assets	**67.89**	**317.60**
	Contributions	**30.00**	**1578.71**
	Transfer from Other Company	**-**	**-**
	Transfer to Other Company	**-**	**-**
	Benefit paid	**(108.86)**	**(244.85)**
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	**(0.80)**	**(145.15)**
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**861.28**	**4020.00**
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	**(96.44)**	**(353.46)**
iv)	**Recognition of Transitional Liability**		
	Transitional Liability at start	-	-
	Transitional Liability recognized during the year	-	-
	Transitional Liability at end	**-**	-
v)	**Actual return on Plan Assets**		
	Expected Return on Plan Assets	**67.89**	**317.60**
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	**(0.80)**	**(145.15)**
	Actual return on Plan Assets	**67.09**	**172.45**
vi)	**Amount recognized in the Balance Sheet**		
	Liability at the end of the year	**990.55**	5259.03
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	**861.28**	4020.00
	Difference	**(129.27)**	(1239.03)
	Unrecognized Past Service Cost (Vested)… Closing Balance	**-**	1014.17
	Unrecognized Past Service Cost (Non-Vested)… Closing Balance	**195.00**	**-**
	Unrecognized Transition Liability… Closing Balance	**-**	**-**
	Amount Recognized in the Balance Sheet	**65.73**	**(224.86)**

		Gratuity	Pension
vii)	**Expenses recognized in the Income Statement**		
	Current Service Cost	**34.47**	**118.48**
	Interest Cost	**74.37**	**405.27**
	Expected Return on Plan Assets	**(67.89)**	**(317.60)**
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	**65.00**	**338.00**
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	**-**	**-**
	Recognition of Transition Liability	**-**	**-**
	Actuarial Gain or Loss	**96.44**	**353.46**
	Expenses Recognized in P & L	**202.39**	**897.61**
viii)	**Balance Sheet Reconciliation**		
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	**(238.12)**	**2258.13**
	Expenses as above	**202.39**	**897.61**
	Transfer from other Company (Net)	**-**	**-**
	Transfer to other Company (Net)	**-**	**-**
	Employer Contribution	**(30.00)**	(1578.71**)**
	Amount recognized in Balance Sheet	**(65.73)**	**1577.03**
ix)	**Other Details**		
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of ₹ 10,00,000 or as per the Bank scheme.		
	Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%.		
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.		
	Salary escalation is considered is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.		
	No. of Members	**30458**	**26345**
	Salary Per Month	**98.51**	**89.85**
	Contribution for next year		**291.11**
x)	**Category of assets**		
	Government of India Assets		**-**
	Corporate Bonds		**-**
	Special Deposits Scheme		**-**
	State Govt.		**-**
	Property		**-**
	Other	**861.28**	**4020.00**
	Insurer Managed Funds	**-**	**-**
	Total	**861.28**	**4020.00**
xi)	**Experience Adjustment**		
	On plan liability (Gain) / Loss	95.09	**511.13**
	On plan Assets (Loss) / Gain	(0.80)	**(145.15)**

10.1 Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits for the year ended are as follows

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	Amount
1	Pension	897.61
2	Leave Encashment	48.15
3	Leave Travel Concession	1.77
4	Sick Leave	2.50

11. SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD – 17

(₹ in crore)

	Business Segment	Year ended (Audited) 31.03.2012	Year ended (Audited) 31.03.2011
(a)	**Segment Revenue**		
1	Treasury Operations	5,721.77	4,932.41
2	Retail Banking Operations	7,385.62	5,657.77
3	Corporate /Wholesale Banking	10,090.86	7,794.18
4	Other Banking Operations	278.41	107.04
5	Unallocated	-3.89	145.40
	Total	**23,472.77**	**18,636.80**
(b)	**Segment Results**		
1	Treasury Operations	945.53	1,141.64
2	Retail Banking Operations	951.79	781.92
3	Corporate /Wholesale Banking	657.15	976.22
4	Other Banking Operations	158.28	55.82
5	Unallocated	-15.13	116.89
	Total	**2,697.62**	**3,072.49**
(c)	Income Tax	925.62	873.65
(d)	**Net Profit**	**1,772.01**	**2,198.84**
(e)	**Segment Assets**		
1	Treasury Operations	78,153.45	78,631.90
2	Retail Banking Operations	59,933.71	51,840.03
3	Corporate/Wholesale Banking	120,949.52	101,901.16
4	Other Banking Operations	-	-
5	Unallocated Assets	3,988.01	4,189.85
	Total	**263,024.69**	**236,562.94**
(f)	**Segment Liabilities**		
1	Treasury Operations	73,837.56	74,979.22
2	Retail Banking Operations	56,877.45	49,404.87
3	Corporate /Wholesale Banking	114,781.83	97,114.38
4	Other Banking Operations	-	-
5	Unallocated Liabilities	2,894.79	2,299.95
6	Capital, Reserves & Surplus	14,633.06	12,764.52
	Total	**263,024.69**	**236,562.94**

i) The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Banking Corporate/Wholesale Banking and other Banking operation. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the Bank. The Bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the Bank has only one reportable geographical segment.

ii) Segment wise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate.

iii) Information in respect of two non-banking subsidiaries and one joint venture, has been included under unallocated segment, since they are not reportable segments as per AS-17.

12 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures (Parent Bank)

12.1 List of Related Parties

a) The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures

i. Shri M. V. Nair, Chairman & Managing Director

ii. Shri S. C. Kalia, Executive Director till 31st August, 2011

iii. Shri S. S. Mundra, Executive Director

Iv. Shri S.K.Jain, Executive Director (from 1st September, 2011)

b) Subsidiaries

Union KBC Asset Management Company Private Ltd.

Union KBC Trustee Company Private Ltd.

c) Joint Venture

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd.

d) Associates

Two Regional Rural Banks sponsored by the Parent Bank viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank and Rewa Sidhi Gramin Bank.

12.2 Transactions with Related Parties

(₹ In crore)

Items / Related Parties	Associates / Joint ventures		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Deposit	2485.85	2731.13	-	-	-	-	2485.85	2731.13
Perpetual Bond	1.11	1.11					1.11	1.11
Miscellaneous Exp	4.03	6.42					4.03	6.42
Insurance	7.25	5.38					7.25	5.38
Interest	206.30	132.40					206.30	132.40
Advertisement & Publicity Expenses	7.04	1.84					7.04	1.84
Bank Charges	0.01	0.82					0.01	0.82
Insurance Commission	14.78	13.50					14.78	13.50
Insurance Premium	24.83	21.79					24.83	21.79
Purchase of Govt. securities/Treasury Bills	10.54	13.58					10.54	13.58
Bank Account Balances	26.36	9.70					26.36	9.70

12.3 Key Management Personnel

(₹ in cr.)

	2011-12	2010 – 11
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	#0.22	0.22
Remuneration paid to Executive Directors	#0.35	0.35
Total	0.57	0.57

Includes performance based incentives of ₹ 6.00 lacs and ₹ 8.00 lacs paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors of the Bank during the previous year.

13. Earning per Share – Accounting Standard – 20

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earning per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

			31.03.2012	31.03.2011
I	Basic and Diluted EPS	₹	33.79	39.71
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ In crore)		1772.01	2081.95
iii	Average number of equity shares (No. in crore)	No.	52.448	52.433
iv	Nominal value per share	₹	10.00	10.00

14. Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2012 are as under

(₹ in crore)

		31.03.2012	31.03.2011
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	210.48	185.68
2	Employee Benefits	130.77	145.82
3	Depreciation on Fixed Assets	4.45	-
4	Leave Encashment	8.76	35.21
	Total	354.46	366.71
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of securities	17.85	-
2	Depreciation on Fixed Assets	31.97	26.67
3	Accrued interest on securities	326.33	374.11
Total		376.15	400.78
Net Deferred Tax Liability		**21.69**	**34.07**
Net Deferred Tax Asset		**-**	**-**

15. The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

(V.H.KAMATH) ASST.GENERAL MANAGER	**(N.S. MEHTA)** GENERAL MANAGER	**(S.K.JAIN)** EXECUTIVE DIRECTOR	**(S.S.MUNDRA)** EXECUTIVE DIRECTOR	
(D.SARKAR) CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**(RAJESH KHULLAR)** DIRECTOR	**(CHANDAN SINHA)** DIRECTOR	**(B.M.SHARMA)** DIRECTOR	
(B.N.BHATTACHARJEE) DIRECTOR	**(N.SHANKAR)** DIRECTOR	**(DR.ATUL AGARWAL)** DIRECTOR	**(M.S.SRIRAM)** DIRECTOR	**(S.RAVI)** DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For J.L.SENGUPTA & CO CHARTERED ACCOUNTANTS	**For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(S. R. ANANTHAKRISHNAN) PARTNER (M. No. 18073) Firm Regn. No.: 307092E	**(VIMAL KUMAR JAIN)** PARTNER (M. No.86657) Firm Regn. No.: 003917N	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No.403633) Firm Regn. No.: 000127C
For G. S. MATHUR & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS	**For PRICE PATT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For SINGRODIA GOYAL & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAJIV KUMAR WADHAVAN) PARTNER (M. No.091007) Firm Regn. No.: 008744N	**(M. NAGANATHAN)** PARTNER (M. No.7547) Firm Regn. No.: 002783S	**(K.V.S. SHYAM SUNDER)** PARTNER (M. No.015747) Firm Regn. No.: 112081W

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2012

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(₹ in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2012	Year Ended 31.03.2011
A	Cash flow from operating activities	(382,367)	448,884
B	Cash flow from investing activities	(23,526)	(20,811)
C	Cash flow from financing activities	(37,006)	7,541
		(442,899)	**435,614**
D	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	2,013,283	1,577,669
E	Cash and cash equivalents at the end of the year	1,570,384	2,013,283
F	Total Cash Flow during the year (A+B+C) or (E-D)	**(442,899)**	**435,614**
	BREAK UP DETAILS		
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Interest received during the year from advances, investments etc.,	2,070,761	1,625,448
	Other Income	231,697	204,086
Less :	Interest paid on deposits, borrowings etc. (excl. subordinated debts)	(1,360,782)	(965,167)
	Operating expenses including provisions and contingencies	(748,289)	(618,441)
Add :	Adjustment for depreciation	14,645	15,566
I.	Cash profit generated from operations	**208,032**	**261,492**
II.	Cash flow from operating assets & liabilities		
	[increase/(decrease)]in liabilities		
	Deposits	2,031,523	3,241,291
	Borrowings	459,351	400,066
	Adjustment for Deferred Tax Assets/Liability	(1,238)	3,407
	Other liabilities etc. (including write back of excess provision made in earlier years)	(5,155)	225,445
	Decrease/(Increase) in Assets		
	Advances	(2,689,601)	(3,167,792)
	Investments	(470,467)	(450,962)
	Others	85,188	(64,063)
	Cash flow from operating assets & liabilities	**(590,399)**	**187,392**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	**(382,367)**	**448,884**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale/disposal of fixed assets	4,564	664
	Purchase of fixed assets	(28,090)	(21,475)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(23,526)**	**(20,811)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Dividend 2010-11		
	Dividend Tax 2010-11		
	Dividend 2009-10	(41,947)	(27,781)
	Dividend Tax 2009-10	(6,859)	(4,721)
	Proceeds of subordinated debts - Tier II Capital	-	(40,000)
	Interest on Tier II Capital	(52,715)	(49,256)
	Subordinate Upper Tier II Capital	-	50,000
	Perpetual Bonds	-	-
	Interest on PNCPS	(515)	-
	PNCPS	-	11,100
	Share Capital from GOI/LIC	65,030	68,199
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**(37,006)**	**7,541**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(₹ in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2012	Year Ended 31.03.2011
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,764,484	1,246,824
	Balances with banks and Money at call	248,799	330,845
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**2,013,283**	**1,577,669**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	1,163,369	1,764,484
	Balances with banks and Money at call	407,015	248,799
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**1,570,384**	**2,013,283**

(S. K.JAIN)
EXECUTIVE DIRECTOR

(S.S.MUNDRA)
EXECUTIVE DIRECTOR

(D.SARKAR)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

AUDITORS CERTIFICATE :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2012. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 9th May, 2012 to the members.

For J.L.SENGUPTA & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No. 18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(VIMAL KUMAR JAIN)
PARTNER (M. No.86657)
Firm Regn. No.: 003917N

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No.403633)
Firm Regn. No.: 000127C

For G. S. MATHUR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(RAJIV KUMAR WADHAVAN)
PARTNER (M. No.091007)
Firm Regn. No.: 008744N

For PRICE PATT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(M. NAGANATHAN)
PARTNER (M. No.7547)
Firm Regn. No.: 002783S

For SINGRODIA GOYAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(K.V.S. SHYAM SUNDER)
PARTNER (M. No.015747)
Firm Regn. No.: 112081W

Place : MUMBAI
Date : 9th May, 2012

RISK MANAGEMENT

Disclosure under the New Capital Adequacy Framework

Guidelines - Basel II (Pillar 3) – March 2012

Disclosures in this report pertain to Union Bank of India (Solo). The Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of the bank is as under:

CRAR %	11.85%
CRAR – Tier 1 Capital %	8.37%
CRAR – Tier 2 Capital %	3.48%

Table DF-1

1. Scope of Application

Qualitative Disclosures

Union Bank of India is one of the top Public Sector Banks in India. The bank holds 51% shareholding as a subsidiary business in Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd. The company has launched six schemes under Liquid, Equity and Debt Funds.

The Bank has sponsored 2 RRBs Kashi Gomati Samyut Gramin Bank Varanasi and Rewa Sidhi Gramin Bank. Bank's investments in these RRBs are ₹ 19.15 crs. Both the RRBs are profit making and are working satisfactorily. There is no capital deficiency in these two RRBs. The financials of these RRBs are not consolidated with the balance sheet of the bank.

Quantitative Disclosures

The Bank has entered into joint venture agreement for insurance, which is furnished below and the investment in the joint venture is not deducted from the capital funds of the bank but is assigned risk –weights as an investment as the investment is less than 30% of paid up capital of the company.

- Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co., with 26% in the paid-up capital (Bank of India 48% & Dai-ichi Mutual Life insurance, Japan – 26%).

Details of Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co. Ltd.

Name of the Company :	Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co. Ltd.
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest :	26%
Proportion of Voting Power :	25% (viz. 2 votes)
Authorised Capital of SUD Life Insurance : Co.Ltd	₹ 250.00 crs
Paid up Capital :	₹ 250.00 crs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.26%)	₹ 65.00 crs

Further, the Bank has entered into joint venture with KBC Asset Management Co., Belgium for Mutual Fund business and the investment amount in this company is deducted from the capital funds (50% from Tier 1 capital and 50% from Tier 2 capital) of the bank as the investment is more than 30% of paid up capital of the company.

Under the same, an asset management and a trustee company has been formed. The details of the companies are furnished as under:

Details of Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd.

Name of the Company :	Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd.
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest of Union Bank :	51%
Proportion of Voting Power :	50% (viz. 2 votes)
Authorised Capital of Union KBC Asset Management : Co. Pvt. Ltd	₹100.00 crs
Paid up Capital :	₹ 95.00 crs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.51%)	₹ 48.45 crs

Details of Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd.

Name of the Company :	Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd.
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest of Union Bank :	51%
Proportion of Voting Power :	50% (viz. 1 vote)
Authorised Capital of Union KBC Trustee : Co. Pvt. Ltd	₹ 5 lakhs
Paid up Capital of Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd	₹ 5 lakhs
Union Bank's share in paid up : capital (viz.51%)	₹ 2.55 lakhs

Table DF-2

2. Capital Structure

Qualitative Disclosures

2.1 Equity Capital:

2.1.1. The bank has authorized share capital of ₹ 3000.00 crore. As on 31st March 2012, the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of ₹ 550.55 crore, constituting 55,05,49,035 number of shares of ₹ 10/- each. 54.35% shareholding constituting 29,92,14,515 number of shares is with the Government of India as of 31.03.2012. During the year, the bank has allotted 2,62,16,620 equity shares of the face value or ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 238.05 to Life Insurance Corporation of India on preferential basis aggregating to ₹ 650.30 crore. Consequently the Government share holding has come down from 57.07% to 54.35% as stated above. The bank's shares are listed on the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE).

2.2 Debt Capital Instruments:

2.2.1. Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier 1 capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. Some of the important terms of the bonds are as under:

a. Perpetual Unsecured Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Tier 1 bonds)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹ in crs)	Coupon Rate % (p.a.)	Tenor	Call Option	Put Option
X-Ist TRANCHE	10.10.2006	300.00	9.45 with step upto 9.95% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XI-2nd TRANCHE	12.12.2007	200.00	9.90 with step upto 10.40% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XII	09.09.2008	200.00	11.15 with step upto 11.65% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XII	30.03.2009	140.00	9.10 with step upto 9.60% after 10th yr if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
XIV-A	16.06.2009	200.00	8.85 upto 10th yrs step up to 9.35% after 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	End of 10th Yr.	None
	Total	**1040.00**				

b. Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Upper tier 2 bonds) with call option at the end of 10th year

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹ in crs)	Coupon Rate% (p.a.)	Maturity Date	Call Option	Put Option
X-IIND TRANCHE Upper tier II	16.10.2006	750.00	8.95% with step upto 9.45% after 10th yr if call option not exercised	16.10.2021	End of 10th Yr.	None
XIV-B Upper tier II	25.06.2009	500.00	8.65% upto 10th yrs step up to 9.15% after 10th yr if call option not exercised	25.06.2024	End of 10th Yr.	None
XIV-C Upper tier II	27.01.2010	500.00	8.55% upto 10th yrs step up to 9.05% after 10th yr if call option not exercised	27.01.2025	End of 10th Yr.	None
XV-A Upper tier II	28.06.2010	500.00	8.48% upto 10th yrs step up to 8.98% after 10th yr if call option not exercised	28.06.2025	End of 10th Yr.	None
	Total	**2250.00**				

c. Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Lower Tier 2 bonds)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹ in crs)	Coupon Rate % (p.a)	Maturity Date	Call Option	Put Option
VI	03.09.2003	250	5.95%	03.05.2013	None	None
VII	08.02.2005	450	7.15%	08.05.2015	None	None
VIII-FLOATING	23.09.2005	200	BENCH+0.55%bps	23.04.2012	None	None
VIII	23.09.2005	600	7.45%	23.04.2015	None	None
IX	19.05.2006	200	8.33%	19.05.2016	None	None
XI- Ist Tranche	12.12.2007	400	9.35%	12.04.2018	None	None
XII	17.09.2008	400	10.95%	17.09.2018	None	None
XII	23.12.2008	200	9.50%	23.12.2018	None	None
XII	30.12.2008	200	8.60%	30.12.2018	None	None
TOTAL		**2900**				

d. Total Active Bonds

(₹ in crs)

TOTAL ACTIVE BONDS (a+b+c)	**6190**

Quantitative Disclosures

2.3 The **tier 1 capital** of the bank comprises:

(₹ in crs)

i)	Paid up share capital (including PNCPS of 111.00 crores)	661.55
ii)	Reserves (excluding revaluation reserves)	12437.68
iii)	Innovative Perpetual Bonds	1040.00
iv)	Other Capital Instruments	--
Deductions		
v)	Equity Investment in subsidiaries (50%)	33.82
vi)	Intangible Assets:(Deferred Tax Assets +Computer Software)	24.54
Tier I Capital (i + ii + iii + iv -v –vi)		14080.87

2.4 The **amount of Tier 2 capital** (net of deductions) is ₹ 5845.56 Crs.

2.4.1. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper tier 2 capital are:

(₹ in crs)

Total amount outstanding	2250.00
Of which amount raised during the current year	Nil
Amount eligible to be reckoned as capital funds	2250.00

2.4.2. The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier II capital is :

(₹ in crs)

Total amount outstanding	2040.00
Of which amount raised during the current year	Nil
Amount eligible to be reckoned	2040.00

2.5 Any other deduction from capital, if any: Nil

2.6 The total eligible capital comprises:

(₹ in crs)

Tier – I Capital	14080.87
Tier – II Capital	5845.56
Total Capital Funds	19926.43

Table DF-3

3. Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

3.1 Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

3.2 Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

3.2.1 In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

3.2.2 Bank plans capital requirements and reviews the same on quarterly basis. Bank has done capital assessment upto 2012.

Quantitative Disclosures

3.2.3 A summary of the bank's capital requirement for credit, market and operational risk and the capital adequacy ratio as on 31st March 2012 is given as hereunder:

(₹ in crs)

A. Capital Requirements for Credit Risk:	
- Portfolios subject to Standardized Approach @ 9%	13492.62
- Securisation Exposures	Nil
B. Capital Requirements for Market Risk	
• Standardized Duration Approach	
- Interest Rate Risk	368.20
- Foreign Exchange Risk (including gold)	12.15
- Equity Risk	308.57
C. Capital Requirements for Operational Risk	954.45
• Basic Indicator Approach (RWA – 10605 crs @ 9%)	
D. Capital Adequacy Ratio of the Bank (%)	11.85%
E. Tier 1 CRAR (%)	8.37%

General Qualitative disclosures

3.3. Risk Management: Objectives and Organization Structure

The bank has a credible and comprehensive risk management structure and taken various initiatives to strengthen the risk management practices. The Bank has an integrated approach for management of risk. The risk management policies are commensurate with the business requirements and are as per the guidelines of Reserve Bank of India. The risk management system encompasses the different types of risks viz. credit risk, market risk and operational risk.

The bank has also formulated board approved country specific risk policy for its Hong Kong branch and the policies are drawn based on the risk dimensions of Hong Kong economy and the bank's risk appetite.

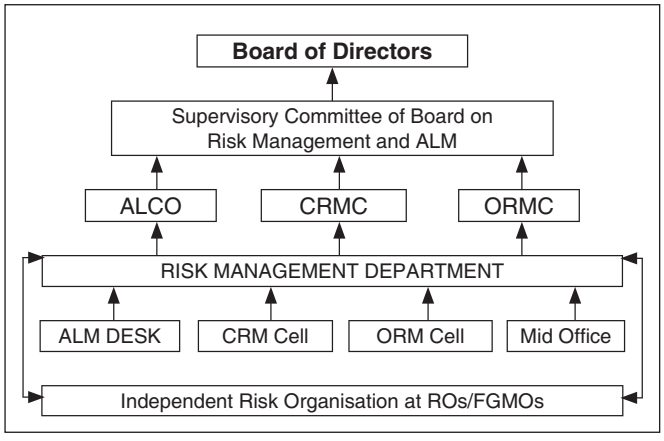

The Board of Directors of the Bank has an oversight of Risk Management activities of the Bank. The Bank's Supervisory Committee of Directors on Risk Management is the Apex Body/Committee to oversee various Risk Management activities. The Bank also has separate Committees of Top Executives i.e., Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset & Liability Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) to deal with Credit, Market and Operational Risk respectively. Further, the bank has Risk Management organizational structure in place not only at corporate office but also at Regional Offices/Field General Manager's Offices. The broad risk management organizational structure of the bank is furnished as under:

3.3.1. Credit Risk:

Credit Risk Governance

- Credit Risk covers the inability of a borrower or counterparty to honour commitments on due date in respect of payment of interest and installments.
- The Bank is exposed to Credit Risk through Lending and Investment activities.
- Bank has well laid down Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Real Estate Policy and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management Policy which covers guidelines on the entire gamut of Credit Risk Management Process. Loan Policy & Credit Risk Management Policy, spells out the target markets, risk acceptance/avoidance, risk tolerance, preferred levels of diversification and concentration, credit risk measurement, monitoring and controlling mechanisms.
- Bank has an appropriate and independent organizational structure with an oversight mechanism for management of credit risk, which includes Credit Risk Management Committee (CRMC) of Top Executives and a separate Risk Management Department looking after the Credit Risk. Besides, there is a separate Board Level Committee i.e., Supervisory committee of the Board to oversee the functioning of Risk Management and ALM.
- CRMC deals with issues relating to credit policy, procedures and control measures for credit risk on a Bank-wide basis.

Credit Granting Process

- Loan Policy of the bank covers in detail guidelines on credit granting process which among other things include
- Thrust area and non thrust area
- Due diligence criteria
- KYC norms
- Method of assessment of finance
- Minimum credit standards
- Take over code norms, etc.

Credit Monitoring System

- Credit monitoring is a continuous process. Bank has separate policy on credit monitoring which includes guidelines on:
- Identification of EAS/SMA accounts and triggers points for initiating timely action.
- Periodicity of review of the borrowal accounts based on credit quality. Borrowers with lower credit rating are subject to more frequent reviews.
- Submission of periodical monitoring reports.
- Different hierarchical levels for monitoring.

Credit Rating Framework

- Bank has comprehensive internal credit rating/ scoring models being applied in the Credit Administration and Approval process. Credit rating framework is a combination of quantitative and qualitative aspects. Credit Rating depicts credit quality and predicts probability of default.
- Credit Rating models are in place for Credit Rating of Borrowers, Non-SLR Investments, Inter Bank Exposures and Exposure to NBFC.
- Credit scoring models are in place for retail lending schemes.
- Independent assignment of Credit Rating is in place. The Credit Rating is reviewed annually and for high-risk credits half-yearly.
- There are 8 risk-rating grades in standard category and upto Credit Rating-5 is fixed as 'investment grade'.
- The bank carries out analysis on rating wise distribution of borrowers on obligor basis and portfolio basis at periodical intervals and monitors the same.

Credit Grid System

- Bank has established comprehensive Credit Grid System at Regional Offices/Field General Manager's Offices and Central Office to examine all credit exposures with representative of risk management department.
- As per the latest government guidelines and as per the Board approved, Bank has introduced Credit Approval Committee (CAC) at Regional Offices, FGMO and Central Office for credit sanction. Risk Management is represented in all CACs.

Credit Concentration Risk

- Credit concentration is addressed with the following measures :
- The bank has fixed prudential / regulatory ceilings for various categories of advances for diversifying the credit portfolio. The bank has well diversified credit portfolio.
- Bank monitors the adherence to the exposure ceilings on a quarterly basis. Bank also has a well-established system of monitoring large exposure through monthly monitoring report. The credit portfolio of the bank is well diversified so as to reduce concentration in any area. If bank's portfolio falls below the desired degree of diversification, immediate steps are initiated to shift risk away from individual - group exposure/industry/sector, etc.
- Credit Risk appetite of the Bank is defined through Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) by fixing ceilings limits for various parameters. They are monitored on quarterly basis through the assessment of ICAAP.

Risk Profiling

- Bank also compiles a Credit Risk Profile Template (RPT) on a quarterly basis, by which it assesses the level and direction of inherent business risks, internal control risk and resultant net credit risk.
  - The bank also has ceiling fixed for single borrower / group borrowers.
  - Substantial exposure limits
  - Exposure to sensitive sectors i.e., capital market/ Real Estate and NBFC.
  - Unsecured advances and guarantees
  - Exposure to top 20 borrowers
  - Exposure to industries/sectors
  - Geography-wise exposure
  - Off balance sheet credit exposure.

3.3.2. Market Risk

- Market Risk Management is covered in Treasury Policy and ALM Policy.
- There is a clear-cut separation between front office, back office and mid-office in Treasury operations.
- Mid-office directly reports to the Risk Management Department.
- Various Limits – for domestic and foreign exchange operations, e.g. Overnight Position limit, Daylight Open Position limit, VaR limits, Deal size limits, Stop Loss limits, Aggregate Gap Limit (AGL), Individual Gap Limit (IGL), counterparty limits etc. are in place.
- Value at Risk (VaR) is being monitored on HFT, AFS G-sec, equity Portfolio and forex transactions on a daily basis.

3.3.2.1 Interest Rate Risk In banking Book:

- Bank carries out Duration Gap Analysis (DGA) to capture impact of changes in interest rates by 200 bps on market value of equity in terms of RBI Guidelines.

3.3.3. Operational Risk

- A well laid down board approved Operational Risk Management Policy is in place.
- Presently, Operational Risk is managed through Internal Control System, Internal Audit Process.
- New Product Approval Process is in place.
- Analysis of frauds is done from the angle of operational risk to assess the adequacy and efficacy of internal controls.
- Guidelines for mapping bank's activities and income are in place.
- Bank conducts Risk and Control Self Assessment (RCSA) in respect of various products/ process.
- Since internal Operational Risk (OR) Loss Data points are limited in number, bank has agreed in principle to join external data pooling exercise of IBA.

Table DF-4

Qualitative Disclosures

4. Credit Risk - General Disclosures

4.1. Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is "overdue" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

4.2. An impaired Asset: An impaired asset is a loan or an advance when it ceases to generate income for the bank. A Non Performing Asset (NPA) is a loan or an advance where:

a) Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains out of order in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC):
   - if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.
   - In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period.

c) In case of bills purchased & discounted, if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.

d) In case of Crop Loans
   1. The installment of principal or interest thereon, remains overdue for two crop seasons in case of short duration crop.
   2. Installment of principal or interest there on, remains overdue for one crop season in case of long duration crop.

e) If interest charged (including monthly interest) during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

f) Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

4.3. Credit Risk Management Policy: Bank has board-approved Credit Risk Management Policy besides Loan Policy. While Loan Policy covers business issues, Credit Risk Management Policy deals with risk issues.

Credit Risk Management Policy covers guidelines on:

- Credit Risk Rating framework and pricing
- Credit Grid Approach/ Credit Approval Committee.

- Prudential/Regulatory ceilings, such as industry wise exposure, sensitive sector exposure (capital market/ real estate exposure).
- Loan review mechanism,
- Portfolio management,
- Off-balance sheet exposure,
- Problem loan management,
- Basel II implementation, etc.

Quantitative Disclosures

4.4 The total gross credit risk exposures are:

(₹ in Crores)

Category	Amount
Fund Based	181031
Non Fund Based	28462
TOTAL	209493

4.5 The geographic distribution of exposures is:

(₹ in Crores)

	Overseas	Domestic
Fund Based	9181	171850
Non-fund based	207	28462
Total	9388	200312

4.6. Industry type distribution of exposures (Fund Based) is as under:

31.03.2012

Sr. No.	Code	Industry	(₹ In crs)	Exposure %
1	1	Coal	193.17	0.11
2	2	Mining	318.07	0.18
3	3	Iron and Steel	7608.89	4.20
4	4	Other Metal & Metal Products	2862.17	1.58
5	5	All Engineering	2060.80	1.14
6	6	Electronics	496.82	0.27
7	7	Cotton Textiles	1865.92	1.03
8	8	Jute Textiles	48.01	0.03
9	9	Other Textiles	2976.40	1.64
10	10	Sugar	1378.37	0.76
11	11	Tea	181.08	0.10
12	12	Food Processing	3017.70	1.67
13	13	Vegetable Oils & Vanaspati	521.10	0.29
14	14	Tobacco & Tobacco Products	41.99	0.02
15	15	Paper & Paper Products	440.43	0.24
16	16	Rubber & Rubber Products	886.31	0.49
17	17	Chemicals, Dyes, Paints etc.	4659.52	2.57
		of which Fertilizers	(1681.97)	0.93
		of which Petrochemicals	(355.52)	0.20
18	18	Cement	866.72	0.48
19	19	Leather & Leather Products	161.45	0.09
20	20	Gems and Jewellery	3065.01	1.69
21	21	Construction	2185.03	1.21
22	22	Petroleum	5794.37	3.20
23	23	Automobiles including Trucks	960.82	0.53
24	24	Computer Software	1069.34	0.59
25	25	Infrastructure	28473.37	15.73
26	26	NBFCs	16762.21	9.26
27	27	Other Industries	4066.12	2.25
		TOTAL	**92961.19**	**51.35**
28	28	Residuary Other Advances	88069.81	48.65
		Grand Total	**181031.00**	**100.00**

Industry type distribution of exposures (Non-Fund Based) is as under:

31.03.2012

Sr. No.	Code	Industry	(₹ In crs)	Exposure %
1	1	Coal	60.74	0.21
2	2	Mining	7.67	0.03
3	3	Iron and Steel	1891.15	6.60
4	4	Other Metal & Metal Products	900.71	3.14
5	5	All Engineering	1315.66	4.59
6	6	Electronics	20.52	0.07
7	7	Cotton Textiles	137.45	0.48
8	8	Jute Textiles	0.22	0.00
9	9	Other Textiles	318.78	1.11
10	10	Sugar	3.16	0.01
11	11	Tea	1.04	0.00
12	12	Food Processing	304.90	1.06
13	13	Vegetable Oils & Vanaspati	375.20	1.31
14	14	Tobacco & Tobacco Products	0.77	0.00
15	15	Paper & Paper Products	23.51	0.08
16	16	Rubber & Rubber Products	233.06	0.81
17	17	Chemicals, Dyes, Paints etc.	689.16	2.40
		of which Fertilizers	(12.32)	0.04
		of which Petrochemicals	(27.49)	0.09
18	18	Cement	19.24	0.07
19	19	Leather & Leather Products	57.53	0.20
20	20	Gems and Jewellery	293.67	1.02
21	21	Construction	1491.88	5.20
22	22	Petroleum	5.93	0.02
23	23	Automobiles including Trucks	569.54	1.99
24	24	Computer Software	84.15	0.29
25	25	Infrastructure	2700.13	9.42
26	26	NBFCs	0.00	0.00
27	27	Other Industries	3136.84	10.94
		TOTAL	**14642.61**	**51.07**
28	28	Residuary Other Advances	14026.39	48.93
		Grand Total	**28669.00**	**100.00**

4.7. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Crore)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
Next day	1904.16	678.03	1242.86
2 - 7 days	1065.48	1582.55	979.94
8 -14 days	1895.99	261.28	375.81
15- 28 days	5633.37	464.78	1316.93
29days - 3months	29261.32	1181.47	3644.11
>3months-6months	16539.00	648.55	3201.61
>6months-1yr	23761.77	1934.46	1061.94
>1yr-3yrs	53332.41	5715.32	1350.09
>3yrs-5yrs	17588.81	10254.37	1431.28
>5yrs	26899.75	39642.74	1587.03
Total	177882.08	62363.56	16191.60

4.8 The gross NPAs are:

Category	(₹ in Crores)
Sub Standard	2997.41
Doubtful – 1	1672.22
Doubtful – 2	559.70
Doubtful – 3	166.43
Loss	54.10
Total NPAs (Gross)	5449.86

4.9 The amount of net NPAs is ₹ **3025.03** Crores.

4.10 The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances: 3.01 %
- Net NPAs to Net Advances: 1.70 %

4.11 The movement of gross NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening Balance at the beginning of the year	3622.82
ii) Addition during the year	3760.11
iii) Reduction during the year	1933.07
iv) Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	5449.86

4.12 The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Crores)

i) Opening Balance at the beginning of the year	1776.61
ii) Provisions made during the year	1510.73
iii) Write-off made during the year / Write –back	936.99
iv) Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	2350.35

4.13. The amount of non-performing investment is ₹ 59.89 cr.

4.14 .The amount of provisions held for non-performing investment is ₹ 59.89 cr.

4.15 The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(₹ in Crore)

i) Opening balance at the beginning of the year	105.64
ii) Provisions made during the year	162.89
iii) Write-off made during the year / Write-back	107.86
iv) Closing balance as at the end of the year (i + ii –iii)	160.67

Table DF-5

Qualitative Disclosures

5. Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

5.1. Bank has approved the following 4 domestic credit rating agencies accredited by RBI for all eligible exposures.

- CRISIL
- CARE
- FITCH India
- ICRA

5.1.1. Bank has also approved the following 3 international credit rating agencies identified by RBI.

- Standard & Poor
- Moody's
- FITCH

5.2. Corporate borrowers and Public Sector Enterprises are being encouraged to solicit ratings from approved external rating agencies. The ratings available in public domain are mapped for the purpose of calculation of risk-weighted assets as per RBI guidelines on mapping.

Quantitative Disclosures

5.3. The exposure amounts after risk mitigation (subject to the standardized approach) in different risk buckets are as under:

(₹ in crore)

i) Below 100% risk weight exposure outstanding	159851.07
ii) 100% risk weight exposure outstanding	77504.46
iii) More than 100% risk weight exposure outstanding	21366.14
Total	258721.67

Table DF-6

6. Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

6.1 Bank has board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, which covers guidelines for selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts.

6.2. The main types of collaterals taken by the bank are as under:

6.2.1 Eligible financial collaterals recognized as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach as per RBI guidelines on New Capital Adequacy Framework (NCAF),

- ✓ Cash or cash equivalent (bank deposits/ NSCs /KVP/ LIC Policy, etc),
- ✓ Gold
- ✓ Securities issued by Central / State Governments
- ✓ Debt securities rated BBB- or better/PR3/P3/F3/A3 for short term debt instruments

6.2.1.1. Bank reduces its credit exposure to a counter party with the haircut-adjusted value of eligible financial collaterals to factor risk mitigation effect of the collaterals.

6.2.2. Movable and immovable assets/landed properties etc.

6.2.3. The guarantees include guarantees given by corporate, bank and personal guarantees. This also includes advances guaranteed by ECGC, CGFTI and State / Central Governments, etc.

Quantitative Disclosures

6.4. Under the standardised approach for credit risk, the total credit risk exposure, after giving effect to eligible financial collateral of ₹14782.51 crs, is ₹ 258721.67 crores. The Risk portfolio wise break up of eligible financial collateral is as follows:

(₹ in crore)

Risk_portfolio	Mitigants (In Crores)	% Contribution
Claims On Domestic Sovereign	91.94	0.62%
Claims On Banks	402.51	2.72%
Calaims On Foreign Banks	7.06	0.05%
Claims On Public Sector Enterprises	1.62	0.01%
Claims On Corporate	6442.68	43.58%
Claims On Regulatory Retail	6488.91	43.90%
Claims Secured By Residential Property	21.88	0.15%
Claims Secured By Commercial Real Estate	74.30	0.50%
Non Performing Assets	56.53	0.38%
Consumer Credit Including Personal Loans & Credit Card Receivables	921.68	6.23%
Capital Market Exposures	230.90	1.56%
Claims On Nbfcs	0.22	0.00%
Staff Advances	42.29	0.29%
GRAND TOTAL	14782.51	100.00%

6.5. Under the Standardised approach for Credit Risk, following is the break up of exposure covered by the eligible Guarantors:

(₹ in crore)

Guarantor Type	Risk Weight	Exposure Covered	Percentage Contribution
Claims guaranteed by Central Government/ CGTSI/DICGC	0%	213.25	3.14%
Claims guaranteed by State Government/ ECGC	20%	6579.63	96.86%
TOTAL		6792.88	100.00%

Table DF-7

7. Securitisation: disclosure for standardized approach

7.1. At present, the bank's role in securitisation has been as an investor in securitized instrument. Bank's outstanding in securitized instrument by way of investment as on 31.03.2012 is ₹ 0.33 crores.

Table DF-8

8. Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

Market Risk is "the risk that value of 'on' or 'off' Balance Sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, caused by exchange rates and commodity/ asset prices".

(a) The portfolios covered by the standardised approach for computation of market risk are as under:

- Securities Held under Held for Trading (HFT),
- Securities Held under Available for Sale (AFS),
- Trading position in Derivatives,
- Derivatives entered into for Hedging Trading Books exposures,
- Open Foreign Exchange Position & Open Gold Position.

The rest of the assets – i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances – are treated as Banking Book. Brief description of the Market Risk Management objectives and policies are as below:

(i) Strategies and Processes:

Policies

Bank has well laid out Treasury Policy (covering Investment Portfolio, Foreign Exchange Operations & Derivative Operations) and Asset Liability Management (ALM) Policy in place duly approved by the Board. The policies ensure that operations in Securities, Foreign Exchange and Derivatives are conducted in accordance

with sound & acceptable business practices and are as per the extant Regulatory Guidelines, Laws Governing Transactions in Financial Instruments & Financial Markets. The policies are reviewed every year; and if required more frequently, to incorporate changes in Rules & Regulations by Regulatory Authorities / Government, Business Requirements and Economic Environment.

RBI has already come out with its guidelines on Internal Model Approach (IMA), which ensures higher risk management practices for the bank. With an intention to migrate to IMA, bank has already come out with Board mandated IMA Policy.

Liquidity Risk

Bank uses 'Cash-Flow Approach' & 'Stock Approach' for managing, monitoring & measuring liquidity risk. Liquidity Risk is tracked through maturity or cash flow mismatches. Use of maturity ladder and calculation of cumulative 'surplus' or 'deficit' of funds at selected maturity dates, known as 'time-buckets', is adopted as standard tool for measuring Liquidity Risk. Prudential limits on tolerance level of mismatches are in place and monitored on fortnightly basis. Under stock approach, various ratios / limits are in place e.g. – Call Borrowing, Inter-Bank Liabilities, Wholesale Deposits, Commitment Ratio, Purchased Funds to Liquid Assets Ratio etc. Stress tests are carried out at various levels of adversity. The Liquidity / Funds requirements under Stress Situations, sources of raising the funds & its possible impact on Profit & Loss are worked out at quarterly interval.

Wholesale Deposits are monitored on a daily basis. Short-term Dynamic Liquidity Statement is prepared and monitored on a fortnightly basis to assess the Liquidity Position, which takes into account the Business Growth.

Interest Rate Risk

Bank uses Traditional Gap Analysis (TGA) to assess the impact on the Net Interest Income (NII) of the bank in short run, i.e. upto end of Financial Year. Bank's investment portfolio is monitored on basis of duration analysis. VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Equities. Prudential limits for VaR have been fixed and monitored on a daily basis and reported to the Top Management.

Bank also uses Duration Gap Analysis (DGA) to assess long-term impact of changes in interest rate on Market Value of Equity (MVE) in terms of RBI Guidelines.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed various exposure limits such as Maximum Daylight Limit, Overnight Limit, Aggregate Gap Limit (AGL), Stop Loss Limit and Deal Size Limits. Bank has also fixed VaR limit on Foreign Exchange position which is being monitored on daily basis. Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for open position and a cap for PV01 on the outstanding derivatives.

Equity Price Risk

In terms of Banks' Treasury Policy, limits are in place with respect to Trading Book size in Equity, Deal size, Holding Period & Stop Loss Limits. These limits are monitored on a daily basis.

(b) **Structure and Organisation of Market Risk Management function:**

The Board of Directors approves policies covering management of Market Risk. The Board is supported by three levels:

- Supervisory Committee of ALM & Risk Management
- Asset Liability Management Committee
- General Manager (Risk Management Department)

(c) Scope:

Bank has put in place various limits to measure, monitor & manage market risk. Day Light Limits, Overnight Limits, Deal-size Limits, Aggregate Gap Limits (AGL), Individual Gap Limits (IGL), Stop Loss Limits, Trading Book size, Issuer wise Limits, Rate Sensitivity Limits, VaR limits, etc.

The limits are monitored on daily basis and a reporting system to the top management is in place.

Stress testing Framework for Liquidity & Market Risk is in place & stress tests are conducted on quarterly basis. The results are deliberated at ALCO & placed before the Board.

(iv) Hedging & mitigating risk:

Policies for hedging Banks' position are laid down in the Bank's Treasury Policy. Hedge transactions for banking books are assessed/ reviewed at periodic intervals.

Quantitative Disclosures

Bank has also adopted the Standardised Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge for market risk. The capital requirements for market risk are as under:

(₹ in Cr)

Risk Category	Capital Charge
Interest Rate Risk	368.20
Equity Position Risk	308.57
Foreign Exchange Risk (including gold)	12.15
Total capital charge for market risk under standardised duration approach	**688.92**

Table DF-9

9. Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk Governance

- Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.
- Operational Risk exists at all levels and at all business lines.
- At present, operational risk is largely managed through internal controls and audit system.
- Bank has put in place the following measures to control / mitigate operational risk.
  - System of delegated authority covering credit and expenditure
  - Book of instructions and issuance of instructions through circulars from time to time
  - Continuous training process
  - Preventive vigilance
  - Insurance
  - Risk Based Internal Audit
  - Outsourcing policy
  - Compliance Policy
  - Policy on Business Continuity
- Bank has well laid down Operational Risk Management Policy, which covers :
  - Organisational structure
  - Identification, assessment, monitoring and control of operational risk.
  - Capital Charge for operational risk
  - Reporting framework
  - Guidelines on reporting and collection of Operational Risk Loss Data
  - Policy on mapping of activities to 8 business lines
- Bank has an appropriate and independent organizational structure with oversight mechanism for management of Operational risk, which includes Operational Risk Management Committee (ORMC) of Top Executives and a separate Risk Management Department looking after the Operational Risk. Besides, there is a separate Board Level Committee i.e., Supervisory committee of the Board to oversee the functioning of Risk Management and ALM.
- ORMC deals with new product approval process, analysis of frauds, analysis of operational risk loss data, analysis of the exercise of mapping bank's activities and income into 8 business lines.
- The bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for operational risk.
- As per RBI directives, the bank has to maintain capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA) w.e.f.31.03.2012. The capital charge as per BIA is ₹ 954.47 crores.
- The Bank is committed to providing uninterrupted service to customers. This commitment extends to all activities from front office to back office. Continuity of service is a way to win customer confidence and continued loyalty. To fulfill this Bank has already come out with Board mandated BCP Policy.

Risk Profiling

Bank compiles Operational Risk Profile Template (RPT) on a quarterly basis by which it assesses the level and direction of inherent risk, internal control risk and resultant net Operational Risk based on the following:

- People Risk
- Outsourcing Risk
- Process Risk
- Technology Risk
- Reputation Risk
- Event Risk

Table DF-10

10. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

(a) Qualitative Disclosures

Interest rate risk is the risk where changes in market rates might adversely affect bank financial condition resulting in impact on earnings (Net Interest Income) and Bank's Net Worth. Bank holds assets, liabilities and off balance sheet items with different maturities or repricing dates and linked to different benchmark rates. This creates exposure to unexpected changes in level of interest rates.

Framework:

Bank has formed Asset Liability Management Committee (ALCO), headed by Chairman and Managing Director, which is responsible for evolving appropriate system and procedures for identification and analysis of liquidity/market risk and laid down ALM policy of the bank. The ALCO is assisted by a dedicated 'ALM Desk' and an independent 'Mid-Office'. Supervisory Committee of the Board of Directors on ALM and Risk Management oversees the functioning of ALCO and also implementation of

the system for Asset Liability Management (ALM) and reviews its functions periodically and provides directions.

Traditional Gap Analysis (TGA) is used to measure and monitor Interest rate risk through Rate Sensitive Gap (RSG). Impact of changes in interest on Net Interest Income (NII) is computed. Limit on RSG upto 1 Year is fixed to limit impact of interest rate changes from earning perspective.

Interest rate sensitivity statement is prepared as on the last reporting Friday of each month. ALCO reviews the same on monthly basis. Impact of changes in broad categories of assets and liabilities, i.e. deposits, advances, investments and others upto the end of the financial year is worked out.

In terms of RBI guidelines, Bank also carries out Duration Gap Analysis (DGA) on quarterly basis to capture impact of changes in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities in banking book and thereby on Market Value of Equity (MVE). The impact is worked out assuming 200 bps parallel shifts in yield curve.

(b) Quantitative Disclosures

The impact of earnings and economic value of equity assuming a percentage shift in interest rates is as under:

	Parameter		Impact
1	Earnings at Risk (NII):At 0.50% change	(Amt in ₹ Cr.)	222.99
2	Market value of Equity: 200 bps shock	(Amt in ₹ Cr.)	235.22
3	Drop in equity value	(%)	1.7990%

Capital Employed (₹ in crs)

Segment Assets	31.03.2012	% to total assets	Capital Allocated
Treasury Operations	78153.45	29.81%	5940.07
Retail Banking Operations	59933.71	22.86%	4555.18
Corporate/ Wholesale Banking	120949.52	46.12%	9190.07
Other Assets	3174.76	1.21%	241.11
Total	262211.44	100.00%	
Total Capital	19926.43		19926.43

खाते में सीधे जमा / एनईसीएस का मैन्डेट फार्म

भविष्य में शीघ्र, सुरक्षित एवं सही लाभांश का भुगतान प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित मैन्डेट फार्म, यदि अब तक न प्रस्तुत किया गया हो, तो प्रस्तुत करें. (यदि शेयर भौतिक रुप में है, तो रजिस्ट्रार को और यदि डीमैट / इलेक्ट्रानिक फार्म है, तो डिपॉज़िटरी सहभागी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए).

प्रिय महोदय

विषय: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स-

खाते में सीधे जमा / एनईसीएस** के जरिये लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम आपसे अनुरोध करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान सीधे जमा/ एनईसीएस** के जरिये करें तथा मेरे / हमारे खाते में जमा करें, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम : _____

फोलियो क्र. (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ नही हैं) : _____

डीपीआईडी/क्लाइंट आइडी (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ हैं) : _____

क. सीधे जमा (केवल यूनियन बैंक खाताधारकों के लिए) : _____

1. पूर्ण खाता संख्या (15 अंकों की) : _____
2. खाते का नाम (जैसाकि पास बुक में दर्शाया गया है) : _____
3. शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता : _____

या

ख. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)

1. बैंक का नाम : _____
2. बैंक का नाम एवं पता - शहर के पिन कोड सहित : _____
3. बैंक शाखा का दूरभाष क्रमांक : _____
4. बैंक / शाखा का 9 अंकों का कोड, जैसाकि बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दर्शाया गया हो : | | | | | | | | | |
5. खाते का प्रकार (बचत खाता/चालू खाता / कैश क्रेडिट खाता - कोड सहित 10/11/13) : _____
6. खाता संख्या (जैसीकि चेक बुक में दर्शायी गई हो) : _____

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिये गये ब्यौरे सही तथा पूर्ण हैं. यदि अधूरी अथवा गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब हुआ अथवा न हो सका, तो मैं जारीकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं मानूंगा/मानूंगी. मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि सीधे जमा / एनईसीएस के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली कोई अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को लाभांश वारंट के रुप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

दिनांक::

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

(कृपया केवल एक विकल्प चुनें. कृपया उक्त ब्यौरों के सत्यापन के लिए अपने बैंक द्वारा जारी चेक की फोटोप्रति अथवा कोरा रद्द किया चेक संलग्न करें.**

रजिस्ट्रार का पता : डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,
प्लॉट क्र. बी - 5, पार्ट बी, एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
फैक्स : 022-66712230
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

Direct Credit/NECS Mandate Form

To facilitate prompt, safe and correct payment of the future dividend please submit the mandate form, if not submitted earlier. {To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the Depository Participant (DP) if shares are in demat/electronic form}.

Dear Sirs,

Sub: Equity Shares of Union Bank of India – Option to receive dividend through Direct Credit/NECS**

I/We hold equity shares of Union Bank of India.

I/We request you to arrange for payment of my/our dividend through Direct Credit/NECS** and credit the same to my/our account as per particulars given below: -

First/Sole Shareholder's Name	
Folio No.(If shares are not dematerialized)	
DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
E-mail ID	

A. DIRECT CREDIT (ONLY FOR UNION BANK ACCOUNT HOLDERS)	
1. Full Account No. (15 Digits)	
2. Account Name (as appearing on Pass Book)	
3. Branch Name and Address with city PIN Code	

OR

B. NECS	
1. Bank Name	
2. Branch Name and Address with City PIN code	
3. Telephone No. of the Bank Branch	
4. 9 Digit Code No. of Bank/Branch as appearing on MICR cheque issued by the Bank	
5. Account Type (SB/CD/CC with code 10/11/13)	
6. Account No. (as appearing on Cheque book)	

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through Direct Credit/NECS.

Yours Faithfully,

( )

Date: Signature of the First/Sole Shareholder

(Please select one option only. Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the bank account details.)**

Address of the Registrar: Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.B-5, Part B, MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.: 022-66712151-60
Fax No.: 022-66712230
E-mail Id: ubiinvestors@dfssl.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाये)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)
डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आईडी क्र. (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ शेयरधारक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के शेयरधारक एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ अथवा उनके न होने पर

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को **मंगलवार, 26 जून, 2012** को शाम 3.30 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम,** के.सी.कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की **10 वीं वार्षिक साधारण सभा** में या उसके स्थगित होने पर मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक _____, 2011 को हस्ताक्षरित

कुपया रसीदी टिकट लगाएं

_____ परोक्षी का हस्ताक्षर

_____ प्रथम शेयरधारक/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने संबंधी अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि वह,
   ए) एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा/उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत प्राधिकृत व लिखित में हो.
   बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
   सी) निगमित निकाय के मामले में इसके अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और यदि उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो यह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
3. परोक्षी निम्नलिखित के साथ
   ए) पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है, अथवा
   बी) उस पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, वार्षिक साधारण बैठक के **चार दिन** पूर्व अर्थात **गुरुवार 21 जून, 2012** को कार्य समाप्ति पर अर्थात् सायं 5.00 बजे तक कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में जमा कर देनी चाहिए.
4. परोक्षी का कोई भी लिखत विधिवत् स्टैम्प के बिना वैध नहीं होगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
6. यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
7. परोक्षी के पक्ष में लिखत निष्पादित करनेवाला शेयरधारक उक्त लिखत से संबंधित वार्षिक साधारण सभा में स्वयं मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
8. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)
DP ID & Client ID (If dematerialised)

I/We_____resident(s) of _____in the district of_____in the state of_____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint Shri/Smt._____resident of _____in the district of _____ in the state of _____or failing him / her, Shri/ Smt. _____resident of_____ in the district of _____ in the state of_____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the 10th Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on Tuesday, 26th June, 2012 at 3.30 p.m. or after the conclusion of the Extraordinary General Meeting (which ever is later) at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2012.

Please Affix Revenue Stamp

_____ Signature of Proxy

_____ Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Thursday, 21st June, 2012.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उपस्थिति पर्ची

(नियत स्थान पर प्रवेश करते समय सौंपी जाए)

दिनांक : मंगलवार, 26 जून, 2012

समय : अपराह्न 3.30 बजे

स्थान : **रामा वाटुमल ऑडिरोरियम**, के.सी. कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400-020.

मैं एतदद्वारा बैंक की 10 वीं वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ.

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आईडी**	
	क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान साथ रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक / परोक्षी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आईडी**	
	क्लायंट आईडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

शेयरधारक / परोक्षी अथवा शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु बैंक के पास दर्ज उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरुप विधिवत हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र के साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश आवश्यकतानुसार सत्यापन / जांच के अध्यधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

UNION BANK OF INDIA

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date: Tuesday, 26th June, 2012.

Time: 3.30 p.m.

Place: **RAMA WATUMULL AUDITORIUM,** K. C. COLLEGE, DINSHAW WACHA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI – 400 020.

I hereby record my presence at the 10th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

UNION BANK OF INDIA

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

Get more out of every Union Bank ATM

All Union Bank ATMs are now enabled to do much more than just dispensing cash. Making them one-stop destinations equipped to answer most of your banking needs. So be it day or night, visit your nearest Union Bank ATM and experience dream conveniences like never-before.

Toll Free: 1800 222244 | www.unionbankofindia.co.in

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

WPPL - 40317777
www.westernpress.in